लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
17-7-92
Fumigated
On 24.1.84
Parliament Library

[सातवां सत्र
Seventh Session]

[खंड 26 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XXVI contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 26—सोमवार, 24 मार्च, 1969/चैत्र 3, 1891 (शक)

No. 26—Monday, March 24, 1969/Chaitra 3, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
661.	शेख अब्दुल्ला तथा अन्य काश्मीरी नेताओं द्वारा संपत्ति खरीदना	Purchase of property by Sheikh Abdullah and other Kashmiri Leaders	1—3
664.	चर्बी का आयात	Import of Tallow	3—8
665.	उर्वरक उद्योग के लिए रूस से उपकरणों का आयात	Import of equipment for Fertilizer Industry from USSR	9—11
666.	केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के लिये मकान आरक्षित करना	Reservation of Residential Accomodation for scheduled castes and scheduled Tribes Central Government Employees	11—14
667.	रूसी सहायता से चलने वाली औषध परियोजनाओं का कार्य	Performance of Soviet aided Drug Projects	14—16

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

662.	बेलाडिला लौह अयस्क परियोजनाओं में भ्रष्टाचार तथा कुप्रबन्ध	Corruption and mismanagement in Bailadila Iron Ore Project	16—17
663.	हीरा खानें	Diamond Mines	17
668.	उत्तर प्रदेश में राक फास्फेट के निक्षेप	Deposits of Rock Phosphate in U.P.	17
669.	हिन्द महासागर में तेल के कुओं का निर्माण	Construction of Oil Wells in Indian Ocean	18

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
670.	नये उद्योगों के लिये धन की मांग के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक के गवर्नर का वक्तव्य	Reserve Bank Governor's Statement on demand for funds for new Industries	18—19
671.	प्रतिनिधि मंडलों का विदेशों का दौरा	Visit of Delegation abroad	19—20
672.	संसद् सदस्यों को मकानों का आवंटन	Allotment of accommodation for M.Ps.	20—21
673.	राज्यों में पीने के पानी की कमी	Shortage of drinking water in States	21—22
674.	सरसों के तेल में मिलावट के कारण कलकत्ता में बेरी बेरी महामारी	Beri Beri in Calcutta due to Adulteration in Mustard Oil	22
675.	दिल्ली की भूमि और आवास सम्बन्धी समस्याओं के बारे में डा० बोस द्वारा अध्ययन प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया जाना	Finalisation of study Report by Dr. Bose re. Delhi's Land and Housing Problems	23
676.	चलचित्र अभिनेताओं के छिपाये हुए धन का पता लगाने के लिये छापे मारना	Raids to unearth unaccounted Money from Film Stars	23
677.	उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री पर आयकर की बकाया धन-राशि	Income Tax Arrears due from Former Chief Minister of Orissa	23—24
678.	बोदरा (पश्चिम बंगाल) में तेल की खोज	Oil Find at Bodra (West Bengal)	24—25
679.	1 जुलाई 1969 को डाक्टरों द्वारा विरोध दिवस मनाया जाना	Protest day by Doctors on 1st July, 1969	25
680.	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना अन्य नगरों में लागू करना	Extension of C.G.H.S. in other cities	25
681.	नेपाल में नाइलोन और प्लास्टर धागे का आयात	Import of Nylon and Polyster Yarns into Nepal	26

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
682.	पाकिस्तान को रावी नदी से पानी देना	Supply of Ravi Water to Pakistan	26—27
683.	सरकारी उपक्रमों द्वारा महानगरों में दिया गया किराया	Rent paid by Public Undertakings in Metropolitan Cities	27
684.	अमरीका और कनाडा द्वारा बैंक दर में वृद्धि किया जाना	Increase in Bank rate by USA and Canada	27—28
685.	दिल्ली के न्यायालय के वकीलों के लिये भवन	Building for Lawyers of Delhi Courts	28
686.	उद्योगों द्वारा नदियों का जल दूषित होना	Pollution of River Water by Industries	28
687.	परिवार नियोजन उपकरण	Family Planning Device	28—29
688.	कलकत्ता का विकास	Development of Calcutta	29—80
689.	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम	UN Development Programme	30
690.	कैंसर के कारण मृत्यु	Incidence of Deaths due to Cancer	31

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

4052.	विदेशी मुद्रा की जालसाजी में ईसाई धर्मप्रचारकों का हाथ	Christian Missions involved in Foreign Exchange Racket	31—32
4053.	सामान्य बीमा कम्पनियां	General Insurance companies	32—33
4054.	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के यात्रियों तथा माल भाड़ा कार्यालयों से पकड़ा गया निषिद्ध सोना	Contraband Gold Seized from IAC Passengers and Freight Offices	33—34
4055.	संसद् भवन में मतांकन करने वाले स्वचालित उपकरण की देखभाल के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रतिनियुक्त डाक तथा तार विभाग के इंजीनियर	Posts and Telegraphs Engineers on Deputation to CPWD for Maintenance of Automatic Vote Recording equipment in Parliament House	34—35
4056.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों के सम्बन्ध में द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendation of Second Pay Commission in respect of C.P.W.D. Engineers	35

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4057.	देशी चिकित्सा प्रणालियों की चिकित्सा परिषद्	Medical Council for indigenous systems of Medicines	35—36
4058.	सिद्ध प्रणाली के लिये पृथक समिति	Separate Committee for Siddha System	36
4059.	टेलीफोन राजस्व लेखा कार्यालय के कर्मचारियों के डाक तथा तार विभाग में स्थानान्तरण पर उनसे क्वाटर खाली करवाना	Eviction of Quarters by Staff of Telephone Revenue Accounts Office on Transfer to Posts and Telegraphs Department	37—38
4060.	मैसूर में सोने के निक्षेप	Gold deposits in Mysore	38
4061.	भूतपूर्व सदस्यों तथा भूतपूर्व मंत्रियों द्वारा बकाया राशि का भुगतान न किया जाना	Non-payment of dues by Ex-M.Ps. and Ex-Ministers	39
4062.	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से उनकी तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के बाद निम्न श्रेणी के क्वाटर का किराया लिया जाना	Rent charged from class IV Employees after their promotion to class III for lower type of accomodation	39—40
4063.	गुजरात में सूखे के लिये सहायता	Relief for drought in Gujarat	40—41
4064.	गुजरात के लिये धन का नियतन	Allotment of funds to Gujarat	41—42
4065.	मंत्रियों द्वारा आय कर विवरण प्रस्तुत किया जाना	Filling of Income Tax Returns by Ministers	42—43
4066.	नई दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास के निकट सायबान तथा आश्रय की व्यवस्था	Provision for shed and and Shelter near Pak Embassy, New Delhi	42—43
4067.	उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income of U.P.	43
4068.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल त्रावनकोर लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा कुछ किरायों पर धन खर्चने के कारण उन के विरुद्ध जांच	Enquiry against officers of FACT for spending money on certain Fares	43

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4069.	चौथी पंच वर्षीय योजना की सफलता के लिये सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धकों पर उत्तरदायित्व डालना	Fixing responsibility on Managers of of Public Undertakings for success of Fourth Five Year Plan	44
4070.	चौथी योजना में उत्तर प्रदेश में कूड़ा कर्कट मल आदि की सफाई के काम को नगर पालिकाओं को सौंपने के लिए धन की व्यवस्था	Funds for Municipalization of Scavenging in Uttar Pradesh during Fourth Plan	44
4071.	गुजरात में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों को ऋण	Loans by Commercial Banks to Agriculturists in Gujarat	45
4072.	उर्वरक कारखानों की उत्पादन क्षमता	Production capacity of Fertilizer Factories	45—46
4073.	चंडीगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को क्वाटरों का आवंटन	Allotment of quarters to Government Employees in Chandigarh	46
4074.	उड़ीसा को वित्तीय सहायता	Financial assistance to Orissa	46
4075.	डीजल तेल पर कर भार	Incidence of Taxation on Diesel Oil	46—47
4076.	दिल्ली में सामूहिक आवास योजना	Group Housing Scheme in Delhi	47
4077.	बरौनी उर्वरक कारखाने के लिये नेपथा का आयात	Import of Nahtha for Barauni Fertilizer Plant	47
4078.	जस्ता के आयात के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Import of Zinc	47—48
4079.	राज्यों द्वारा वित्तीय सहायता का दुरुपयोग	Utilisation of Financial Assistance by States	48
4080.	घाघरा नदी का सर्वेक्षण	Survey of Ghagra River	48
4081.	आयुर्वेदिक भेषज प्रणाली के द्वारा कैंसर तथा क्षय रोग की चिकित्सा	Treatment of cancer and TB through Ayurvedic System of Medicines	48—49
4082.	भेषजों तथा औषधियों के मूल्य के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	Tariff commission's Report on prices of Drugs and other Medicines	49

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4083.	पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में अधिकारियों की सेवा की अवधि बढ़ाना	Extension to Officers in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals	49
4084.	शिलांग में पकड़ी गयी चीनी मुद्रा	Chinese Currency seized in Shillong	50
4085.	भोजन बनाने के काम आने वाली गैसका सम्भरण	Supply of Cooking Gas	50
4086.	औद्योगिक वित्त निगम	Industrial Finance Corporation	50—52
4087.	जनांकिकीय प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र, बम्बई	Demographic Training and Research Centre, Bombay	52
4089.	पवित्र स्थानों में कुष्ठ रोगी	Lepers in sacred places	52—53
4090.	सम्पदा निदेशालय के कार्य के बारे में जाँच	Enquiry into working of Directorate of Estates	53
4091	अस्पतालों में अधीक्षकों की नियुक्ति	Appointments of Superintendents in Hospitals	53—54
4092.	दिल्ली में डाक्टरों द्वारा रोगियों की जांच	Examination of Patients by Doctors in Delhi	54
4093.	आन्ध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की पेय जल योजनायें	Drinking Water Schemes of Andhra Pradesh and Madya Pradesh	54—55
4094.	एल्यूमिनियम उद्योग में संकट	Crisis in Aluminium Industry	55—56
4095.	गुजरात में सरकारी उपक्रम	Public Undertaking in Gujarat	56
4096.	निषिद्ध सोना और माल पकड़ा जाना	Seizure of Contraband Gold and Goods	56—57
4097.	इण्डिया गेट (दिल्ली) पर महात्मा गांधी की मूर्ति लगाना	Installation of Mahatma Gandhi's Statue at India Gate	57
4098.	भारत के निर्यात का भुगतान संतुलन पर प्रभाव	Impact of India's Exports on Balance of Payment	57—58
4099.	श्रीमती माला सिन्हा द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोप	Allegations made against officers of Enforcement Directorate by Shrimati Mala Sinha	58

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4100.	कलकत्ता में गन्दी बस्तियां	Slums in Calcutta	58—59
4101.	कलकत्ता में बेकार व्यक्तियों के लिये रैन बसेरों के लिये सहायता	Aid for Night Shelters for Homeless Persons in Calcutta	59
4102.	भारत में गर्भपात के मामले	Incidence of Abortion in India	60
4103.	दिल्ली में मकानों की कमी	Shortage of Houses in Delhi	60
4104.	उत्तर प्रदेश में कृषि कार्यों के लिये सस्ती बिजली	Cheap Electricity for Agricultural purposes in Uttar Pradesh	60—61
4105.	उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जल प्रदाय तथा सफाई योजना	National Water Supply ane Sanitation Scheme in U.P.	61
4106.	उत्तर प्रदेश के मडिकल कालेजों को अनुदान दिया जाना	Grant to Medical Colleges in U.P.	62
4107.	मंत्रियों तथा संसदीय प्रतिनिधि मंडलों की विदेश यात्रा	Ministers and Delegations visit Abroad	62
4108.	भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे स्थित कारखाने का अमोनिया संयन्त्र	Ammonia Plant of Trombay Unit of FCI	63—64
4109.	कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा एक भूतपूर्व आयकर अधिकारी की आलोचना	Criticism against a former Income Tax Officer by a Judge of Calcutta High Court	64
4110.	दायत्री लोह अयस्क खान	Daitri Iron Ore Mine	64
4111.	विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration	65
4112.	उर्वरक उत्पादन प्रणाली	Pattern of Fertilizer Production	65
4113.	सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क द्वारा माल पकड़ना	Seizure of Goods by Customs and Central Excise Departmemts	65
4114.	ग्रामीण आवास विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अग्रिम परियोजनायें	Pilot Projects under Rural Housing Development Programme	66

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4115.	पाइप लाइनों द्वारा लोह अयस्क पहुंचाने के बारे में अमरीकी विशेषज्ञों के सुझाव	Suggestions made by American Experts *re* pumping iron ore through pipelines	66
4116.	सरकारी क्षेत्र के उद्योगों पर खर्च	Expenditure on Public Sector Industries	67
4117.	नई गर्भ निरोधक औषधि का पता लगाया जाना	Discovery of a new contraceptive Drug	67—68
4118.	किशन पर बाँध बनाने का निर्माण	Construction of Dam at Kishan	68
4119.	अघोषित आयातित माल का पकड़ा जाना	Seizure of undeclared imported Goods	68—69
4120.	उर्वरक उद्योग के लिये तकनीकी जानकारी का विकास	Development of know how for Fertilizer Industry	70
4121.	श्री हरिदास मूंदड़ा द्वारा आस्तियों को विदेशों में भेजना	Tranfer of Assets abroad by Shri Haridas Mundhra	70—71
4122.	सरकारी वित्त संस्थाओं द्वारा बिड़ला बन्धुओं को ऋण	Loans given to Birlas by Governmental Financial Agencies	71
4123.	गांवों में पीने का पानी	Drinking Water in Villages	71—72
4124.	सरकारी अधिकारियों और उद्योगपतियों के विदेश के दौरे	Government Officer's and Industrialists visits abroad	72
4125.	गंगा नदी जल दूषण जांच आयोग	Ganga Water Pollution Enquiry Commission	72
4126.	नेपाल से माल का चोरी छिपे लाया जाना	Smuggling of Goods from Nepal	72
4127.	कलावती सरन शिशु अस्पताल के अनुसन्धान तथा व्यावहारिक बाल चिकित्सा केन्द्र के लिये रूस से सहायता	Aid for USSR for Research and Practical Peadiatric Centre of Kalavati Saran Children's Hospital, Now Delhi	73—74
4128.	दिल्ली स्थित बिड़ला मिल को दूसरे स्थान पर ले जाना	Shifting of Birla Mills, Delhi	74
4129.	जीवन बीमा निगम द्वारा शेयरों की खरीद	Purchase of Shares by Life Insurance Corporation	74

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4130.	केरल में सबसे अधिक आय-कर देने वाले दस व्यक्ति	Top ten income tax payers in Kerala	75
4131.	भारत में विदेशियों द्वारा बेचे गये विदेशी पटसन बागान तथा पटसन के कारखाने	Foreign jute plantations and jute Factories sold by Foreigners in India	75—76
4132.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में विदेशों के जासूस होने के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार	Newspaper Report re : Foreign spies in Oil and Natural Gas Commission	76
4133.	चिट फण्डों के कार्य के विनियमन के लिये कानून	Legislation to Regulate Functioning of Chit Funds	76—77
4134.	बरौनी उर्वरक कारखाने में प्रदर्शन	Demonstration in Barauni Fertilizer Factory	77—78
4135.	संयुक्त राष्ट्र मिशन द्वारा परिवार नियोजन का मूल्यांकन	Evaluation of Family Planning Programme by UN Mission	78—80
4136.	इथियोपिया में कास्टिक सोडा संयन्त्र	Caustic Soda Plant in Ethiopia	80
4137.	कार्यालयों को दिल्ली से हटा कर उसके आस पास के नगरों में ले जाना	Shifting of Offices from Delhi to Neighbouring Towns	80
4138.	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के डाक्टर	C.G.H.S. Doctors	81
4139.	अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद	Inter-State River Water Disputes	81—82
4140.	बिहार में सिंचाई कार्यक्रम	Irrigation Programme in Bihar	82
4141.	चौथी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के कार्यक्रम	Irrigation programmes during Fourth Five Year Plan	82
4142.	खम्भात क्षेत्र में तट दूर ड्रिलिंग के बारे में करार	Aggreements for Off shore drilling in Cambay	82—83
4143.	भारतीय रुपये के स्रोत और खरचने के तरीके	Sources and Ways of spending of Indian Rupee	83
4144.	नेशनल प्रोजेक्ट कन्सट्रक्शन कारपोरेशन	National Project Construction Corporation	83—84

अतां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Snbject	पृष्ठ Pages
4145.	एशियाई देशों में कृषि बैंकों का सम्मेलन	Conference of Agricultural Banks in Asian Countries	84
4146.	राजस्थान में जीवन बीमा निगम की आवास योजना	L.I.C. Housing Seheme in Rajasthan	84—85
4147.	जिप्सम का उपयोग	Utilisation of Gypsum	85
4148.	दक्षिण कनारा में सिंचाई हेतु बाँध	Irrigation Dams in South Kanara	85—86
4149.	दक्षिण कनारा, मैसूर में सिंचाई परियोजनायें	Irrigation Projects in South Kanara, Mysore	86
4150.	स्टेट बैंक, इन्दौर के निदेशक	Directors of State Bank Indore	86
4151.	गर्भ निरोधक उपकरणों का आयात	Import of Contraceptives	86—87
4152.	आयकर विभाग, कोटा के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	Quarters for staff of Income tax Department, Kotah	87
4153.	कृष्णा गोदावरी नदी जल विवाद के बारे में न्यायाधिकरण	Tribunal Regarding Krishna-Godavari River Water Dispute	87—88
4154.	मध्य प्रदेश में ग्रामीण गृह-निर्माण योजनाएं	Rural House Building Schemes in Madhya Pradesh	88
4155.	आयुर्वेदिक औषधालय	Ayurvedic Dispensaries	88
4156.	वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्यों में उद्योगों को ऋण दिया जाना	Loans to Industries in States by Financial Institutions	89
4157.	सिन्दरी उर्वरक कारखाने में दुर्घटना	Accident in Sindri Fertilizer Factory	89
4158.	नई दिल्ली स्थित आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सिज में न्यूरोलाजी के प्रोफेसर की नियुक्ति	Appointment of professor of Neurology at All India Institute of Medical Sciences, New Delhi	89—90
4159.	विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration	90—91
4160.	मनीपुर का भू-विज्ञान सर्वेक्षण	Geological Survey of Manipur	91

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4161.	विश्व बैंक के सदस्यों द्वारा अपर कृष्ण परियोजना का दौरा	World Bank Member's Visit to Upper Krishna Project	92
4162.	उत्तर प्रदेश और बिहार में परिवार नियोजन के लिये औषधिओं और उपकरणों का वितरण	Distribution of Drugs and Appliances for Family Planning in U.P. and Bihar	92—93
4163.	दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिये सस्ते मकान	Cheap Houses for Government Employees in Delhi	93
4164.	दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में एम्बुलैंस	Ambulances in Government Hospitals in Delhi	93
4165.	गोल्चा प्रापरटीज (प्रा) लिमिटेड नई दिल्ली	Golcha Properties (P) Ltd., New Delni	93—94
4166.	उर्वरकों के उत्पादन के लिये गैस का प्रयोग	Use of Gas for Production of Fertilizers	94
4167.	विदेशी सहायता तथा ऋण	Foreign Aid and Loans	94—95
4168.	खनिज तेल उद्योग	Mineral Oil Industry	95—96
4169.	सरकारी भवनों के पानी और बिजली के बिलों का भुगतान	Payment of Water and Electricity Bills of Government Buildings	96
4170.	मनीपुर को बिजली की सप्लाई	Power Supply in Manipur	96
4171.	मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income of Madhya Pradesh	96—97
4172.	मध्य प्रदेश की जल सम्बन्धी योजनायें	Water Schemes of Madhya Pradesh	97
4173.	मध्य प्रदेश में आवास निर्माण सहकारी समितियां	House Building Cooperative Societies in Madhy Pradesh	97—98
4174.	मध्य प्रदेश में आय कर की वसूली	Income tax collected in Madhya Pradesh	98
4175.	मध्य प्रदेश के ग्रामों में बिजली का लगाया जाना	Rural Electrification in Madhya Pradesh	98

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4176.	केन्द्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क निदेशालय, दिल्ली में चोरियां	Thefts in Central Excise aud Customs Collectorate, Delhi	98—99
4177.	केन्द्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क निदेशालय, दिल्ली की उत्पादन और सीमाशुल्क की बकाया धनराशि	Excise and Customs duty arrears of Central Excise and Customs Collectorate, Delhi	99—100
4178.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ओवरसियर (सैक्शनल आफिसर) (सिविल)	C.P.W.D. Sectional Officers (Civil)	100
4179.	राजस्थान नहर के अन्तर्गत भाखड़ा और गंगा नहरों को पानी की सप्लाई	Supply of Water to Bhakra and Ganga Canals under Rajasthan Canal	100—01
4180.	हिमाचल प्रदेश और देहरादून की काली तथा हरी चाय के मानक	Standards of Black and Green Teas of Himachal Pradesh and Dehra Dun	101
4181.	अन्तर्राज्य बिक्री पर कर	Taxation on Inter-State Sales	101—102
4182.	ईरान के तट पर तेल की खोज	Oil find in Iranian Shore	102
4183.	विभिन्न राज्यों में रिहायशी बस्तियों का विकास	Development of Residential Colonies in various states	102—103
4184.	नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन	National Buildings construction Corporation	103—104
4185.	अशोधित तेल और डीजल तेल का उत्पादन	Production of crude oil and Diesel oil	104
4186.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था नई दिल्ली के अनुसचिवीय कर्मचारियों की सेवा वृद्धि	Extension to Ministerial Employees of A.I.I.M.S., New Delhi	105
4187.	रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली सैक्टर 12 में चार मंजिले क्वाटरों में बिजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था न किया जाना	Incomplete fitting in Four Storey Quarters in Sector 12 R. K. Puram, New Delhi	105—106

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
4188.	संसद् निर्माण विभाग के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को राजपत्रित छुट्टी पर काम करने के बदले नकद मुआवजा न दिया जाना	Non-payment of cash compensation for duty on Gazetted Holiday to Class IV Employees in Parliament Work Division	106
4189.	पश्चिमी बंगाल में सीमाशुल्क सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन	Violation of Customs Rules in West Bengal	106
4190.	चौथी पंचवर्षीय योजना में पश्चिमी बंगाल में चिकित्सा महाविद्यालय	Medical Colleges during Fourth Plan in West Bengal	106—107
4191.	पश्चिमी बंगाल में आवास योजनाएं	Housing Schemes in West Bengal	107
4192.	इंडियन कारबन लिमिटेड	Indian Carbon Ltd.	107—108
4193.	प्राकृतिक गैस को तरल पदार्थ में परिवर्तन करना	Conversion of Natural Gas into liquid	108
4194.	प्राकृतिक गैस खरीदने के लिए कम्पनियों से समझौता	Agreement with companies for purchase of Natural Gas	108
4195.	बिड़ला समूह के सार्थों में विनियोजित जीवन बीमा निगम की पूंजी	L.I.C. Investment in Birla Group of Concerns	109
4196.	यूनिट ट्रस्ट द्वारा बिड़ला समूह के सार्थों में लगाई गई पूंजी	Unit Trust Investment in Birla's Concerns	109—110
4197.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा बिड़ला समूह के सार्थों को दी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistants given by I.D.B.I. to Birla Group of Concerns	110
4198.	वित्तीय संस्थाओं द्वारा बिड़ला समूह के सार्थों की ओर से दी गई जमानतें	Guarantees given by Financial Institutions on behalf of Birla Group of Concerns	111
4199.	निर्यात बैंक	Export Bank	111
4200.	नई दिल्ली नगर पालिका के अधिकारी को हटाया जाना	Removal of Health Officer of NDMC	111—112

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos,	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4201.	बम्बई के निकट अवैध सोने और कलाई की घड़ियों का पकड़ा जाना	Seizure of contraband Gold and Wrist Watches near Bombay	112
4202.	नेफा (उपूसी) में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता	Compensatory Allowance for C.P.W.D. Staff in NEFA	113
4203.	ब्रिटेन की बैंक दरों में वृद्धि	Rise in British Bank Rate	113—114
4205.	मुद्रा प्रचलन सम्बन्धी ग्रेशम नियम का लागू होना	Working of Gresham's Law in India's Monetary Circulation	114
4206.	पार्लियामेंट स्ट्रीट (नई दिल्ली) पर स्टेट बैंक की इमारत को गिराना	Demolition of State Bank Building, Parliament Street, New Delhi	114
4207.	अवमूल्यन के बाद व्यापार संस्थानों द्वारा मुनाफाखोरी	Profiteering by business Establishments after Devaluation	115
4208.	मन्दिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में लगा धन	Assets invested in Temples, mosques and churches	115
4209.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग	Oil and Natural Gas commission	116
4210.	भाखड़ा नंगल परियोजना	Bhakra Nangal Project	116
4211.	स्टेट बैंक की कृषि कार्यों के लिए वित्त व्यवस्था की योजना	State Bank's Scheme to Finance Agricultural Operations	116—117
4212.	तेल तथा पेट्रो रसायन उद्योग में भारत ईरान सहयोग	Indo-Iranian collaboration in oil and petro chemicals	117—118
4213.	भारतीय तेल निगम में तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति	Appointment of Technical Officers in I.O.C.	118
4214.	आय व्ययक पेश किये जाने के बाद करों का लागू किया जाना	Enforcement of Tax proposals after Budget presentation	118—119
4215.	बिहार में इन्द्रपुरी से उच्च तलीय नहर निकालना	High Level Canal from Indrapuri in Bihar	119

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4216.	अतिरिक्त नहरों तथा बांधों का निर्माण	Construction of additional canals and Dams	119
4217.	पुन पुन नदी से नहर निकालना	Canal from Pun Pun river	119—120
4218.	नर्स जांच आयोग के प्रतिवेदन में डाक्टरों पर लगाये गये आरोप	Charges against doctors indicted in the report of Nurses Enquiry commission	120
4219.	नर्मदा नदी के जल बंटवारे के बारे में गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच विवाद	Dispute between Gujarat and Madhya Pradesh on distribution of Narmada Waters	121
4220.	सामान्य बीमा पर जीवन बीमा निगम के एजेन्टों के कमीशन में कमी	Reduction in commission of LIC agents on General Insurance	121
4221.	सरकारी क्वाटरों का बिना बारी आवंटन	Out of turn allotments of Government Quarters	121—122
4222.	जिन कर्मचारियों के पास अपने मकान हैं उनको दिल्ली में सरकारी क्वाटरों का आवंटन	Allotment of Government quarters to Employeer who own their Houses in Delhi	122
4223.	बिना बारी के क्वाटरों का आवंटन	Out of turn allotments	123
4224.	मंत्रियों द्वारा धन कर का भुगतान	Payment of wealth tax by Ministers	123
4225.	दिल्ली में बृहत्त योजना का उल्लंघन करने वाले कारखाने	Non confroming factories in Delhi	124
4226.	भारतीय उर्वरक निगम	Fertilizer Corporation of India	124—125
4229.	देश में जाली 'मुद्रा का प्रचलन	Counterfit currency in circulation in the country	125—126
4230.	शाहदरा जोन, 'दिल्ली में खुरेजी खास संख्या 1 निष्क्रान्ति सम्पत्ति	Khureji Khas No. 1 Evacuee property in Shahdara Zone, Delhi	126
4232.	तमिल नाडु में भूगर्भीय सर्वेक्षण	Geological Survey in Tamil Nadu	126—129

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4233.	विदेशी कम्पनियों में भारतियों द्वारा विनियोजित पूंजी	Capital invested by Indians in Foreign companies	129
4234.	एस्सो द्वारा पूर्वी क्षेत्र में मिट्टी के तेल की सप्लाई बंद किया जाना	Suspension of supply of Kerosene Oil by Esso in Eastern Region	130
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to matter of Urgent Public Importance	130—134
	मलयालम साप्ताहिक में पेकिंग रेडियो के कथित विज्ञापन	Reported Peking Radio advertisements in Malayalam Weekly	130—134
	आसाम में दूसरे तेल शोधक कारखाने के बारे में वक्तव्य	Statement re second oii refinery in Assam	134
	श्री त्रिगुण सेन	Dr. Triguna Sen	134
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	134—138
	प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	138
	71वां प्रतिवेदन	Seventy-first Report	138
	सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण	Personal explanation by Member	138—139
	श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee	139
	परिसीमा (संशोधन) विधेयक	Limitation (Amendment) Bill	139—140
	राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	139
	श्री मु० यूनस सलीम	Shri Yunus Saleem	139
	खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	140
	पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	140
	सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) जारी रखना विधेयक	Armed Forces (special powers) continuance Bill	142—159
	विचार करने का प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider as passed by Rajya Sabha	142
	श्री सुरेन्द्रपाल सिंह	Shri Surendra Pal Singh	142
	श्री एम० मेघचन्द्र	Shri M. Meghachandra	142—143
	श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	143—144
	श्री रणजीत सिंह	Shri Ranjit Singh	144—145

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandra Jeet Yadav	145
श्री एस० कण्डप्पन	Shri S. Kandappan	145—147
श्री वीरभद्र सिंह	Shri Virbhadra Singh	147
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	147—149
श्री चपल कान्त भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya	149—150
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	150—151
श्री बसुमतारी	Shri Basumatari	151
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	151—152
श्री जयपाल सिंह	Shri Jaipal Singh	152
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	152—153
श्री स्वैल	Shri Swell	153
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra	153—154
श्री ना० गो० रंगा	Shri Ranga	154—155
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह	Shri Surender Pal Singh	155—159
खण्ड 2 और 1	Clauses 2 and 1	159
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	159
संविधान (बाइसवां संशोधन) विधेयक	Constitution (Twenty-second Amendment) Bill	159—166
विचार करने का प्रस्ताव संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	Motion to consider, as reported by Joint Committee	159
श्री यशवन्तराय चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	162—164
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	164—166
आधे घण्टे की चर्चा	Half-an-hour Discussion	166
फर्मों को पंजीयन प्रमाणपत्र तथा औद्योगिक लाइसेन्स दिया जाना	Grant of Registration certificates and Industrial Licences to firms	166—171
श्री एस० आर० दामानी	Shri S. R. Damani	166—168
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	168—171

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 24 मार्च, 1969/3 चैत्र, 1891 (शक)
Monday, March 24, 1969/Chaitra 3, 1891 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

शेख अब्दुल्ला तथा अन्य कश्मीरी नेताओं द्वारा सम्पत्ति खरीदना

*661. **श्री कंवर लाल गुप्त :** **श्री श्रीगोपाल साबू :**
श्री शारदानन्द : **श्री ओंकार सिंह :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जनवरी, 1969 के 'आर्गनाइजर' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि शेख अब्दुल्ला, मिर्जा अफ़जल बेग और गुलाम मुहम्मद रैशो ने हाल में काश्मीर में या तो सम्पत्तियां खरीदी हैं अथवा भवनों का निर्माण किया है ;

(ख) क्या आय-कर विभाग ने इन व्यक्तियों द्वारा लगाये जाने वाले धन के स्रोतों को मालूम करने के लिए जाँच की है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) मामले में पूछताछ की जा रही है।

(ग) अब तक की पूछताछ से पता चलता है कि शेख अब्दुल्ला ने तनमार्ग क्षेत्र में कोई जमीन नहीं खरीदी है। लेकिन लगता है कि शेख अब्दुल्ला तथा श्री गुलाम मोहीउद्दीन नाम के व्यक्ति ने श्रीनगर में 3.6 लाख रुपये की सम्पत्ति खरीदने के लिये 5-12-1968 को एक करार किया है। अभी तक खरीद सम्पन्न नहीं हुई है लेकिन श्री गुलाम मोहीउद्दीन ने विक्रेता को अपने पास से सारी रकम ऋण के रूप में अदा कर दी है और यह अदायगी उसकी बहियों में बाकायदा दर्ज है। श्री गुलाम मोहीउद्दीन का नियमित तौर पर आयकर-निर्धारण होता है।

मिर्जा अफ़जल बेग तथा श्री गुलाम मोहम्मद रइशो के विरुद्ध आरोपों की जांच-पड़ताल चल रही है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : For 1953 Sheikh Abdullah has not been performing any sort of vocation but since than he has gone abroad many a time and his two sons have been getting education in England. The monthly expenses on his household including his air and road journeys is to the tune of Rs. 5,000 exproximately. Besides this, as has been stated by the hon. Minister, Sheikh Abdullah has purchased a big building situated by the side of Jhalem for Rs. 3.6 lakhs from a Parsi Lady. A dozen of shops are also provided with the building. Apart from this he has also purchased a piece of land and an orchard in Tanmarg for a lakh of rupees. He maintains the bank accounts in Delhi and Shrinagar. His wife holds shares of the Needo Hotel. He has got constructed two banglows in the name of his son-in-law and these banglows are not named. He has purchased the properties in the name of his sons and daughters. In the circumstances may I know from the hon. Minister whether Sheikh Abdullah is an assessee so far as the wealth tax and income tax are concerned, and if not, whether the Government would probe into his source of income through the Intelligence Department of the Income Tax ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक उनके करदाता होने का प्रश्न है मैं उल्लेख कर चुका हूं कि वह करदाता नहीं है और इसी कारण वह कोई सम्पत्ति कर भी नहीं दे रहे हैं । उनके आय-साधनों के बारे में जाँच कराई जा रही है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I asked whether the enquiry into this matter would be made by the intelligence department ?

Mr. Speaker : Yes, it would be done.

Shri Kanwar Lal Gupta : The same practice has been followed by Mirza Afzal Beg who has purchased properties in the name of his sons. His total monthly expenses are also to the tune of Rs. 8 thousands. The Banglow which is situated in kotalalane and in which Sheikh Abdullah was interned in Delhi, has been rented to Mirza Afzal Beg by the Government. The market rent of this banglow is Rs. 2500 rupees per month. I want to know the sources from which he earns so much money. Gulam Mohd. Raisho was a link between Sheikh Abdullah and Pakistan High Commission. He was also, once, caught red handed with a revolver and lakhs of currency notes in his possession. The correspondance made between Sheikh Abdullah and Pakistan High Commission was also seized from him. As the Finance Minister is also simultaneously the Deputy Prime Minister, he is not only responsible for the financial conditions of the country only, he is concerned with the security of the country also. And, therefore, this matter is not confind to the finance but also connected with the security of the country Shri Vidya Charan Shukla has made his statement on the floor of the House and in open skies that Sheikh Abdullah got financial assisstance from foreign countries. In view of the facts provided by me, will the Deputy Prime Minister refer these facts to the Central Bureau of Investigation in order to probe into the matter and find out the source of these people high income.

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : इस मामले की जांच राजस्व जाँच विभाग के कर्मचारी अधिक कुशलता से कर सकते हैं अत: वे जांच कर रहे हैं । रसूल नाम के चार पांच व्यक्ति हैं, अतः यह पता लगाया जा रहा है उनमें यह व्यक्ति कौन सा है । इसी कारण कुछ देर लग रही है । निस्संदेह इस मामले की जांच की जायेगी ।

Shri Sharda Nand : May I know whether it is a fact that Mridula Sarabhai gives him financial assistance ? Will the Finance Minister get it inquired into ?

Shri Morarji Desai : How can we prevent her assistance to him ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : Whether or not she maintains the accounts.

Shri Morarji Desai : Since she spends the money it is necessary to her to maintain the accounts.

श्री वी० कृष्णामूर्ति : अध्यक्ष महोदय ! यह प्रश्न केवल शेख अब्दुल्ला से ही सम्बन्ध नहीं रखता प्रत्युत इसका सम्बन्ध सभी राजनीतिज्ञों से है......

अध्यक्ष महोदय : किन्तु यह प्रश्न तो केवल शेख अब्दुल्ला तक ही सीमित है ।

श्री वी० कृष्णामूर्ति : जब हमें शेख अब्दुल्ला पर ऊंगली उठाने का अधिकार है तो हमें अपने आप को टटोलने का साहस होना चाहिए । समुचित व्यवस्था के अन्तर्गत सभी दोषियों को समेटा जा सकता है । मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार कोई ऐसा विशिष्ट प्रस्ताव रखना चाहती है कि सरकारी कर्मचारियों के समान ही यदि कोई राजनीतिक व्यक्ति अपनी आय के अनुपात में अधिक सम्पत्ति एकत्रित करे तो उसे न्यायपालिका या अन्य प्राधिकारी के समक्ष अपना लेखा प्रस्तुत करना पड़ेगा । क्या सरकार ऐसा प्रस्ताव रखेगी जिसके अन्तर्गत सभी, वर्तमान या भूतपूर्व, राजनीतिक व्यक्ति आ जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं । मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री वी० कृष्णामूर्ति : वित्त मन्त्री महोदय उत्तर देने को खड़े हो ही रहे थे ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नितान्त अलग है । आप इस सम्बन्ध में स्वतन्त्र प्रश्न रख सकते हैं । अगला प्रश्न ।

Import of Tallow

*664. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : **Kumari Kamala Kumari** :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the total quantity of tallow imported during 1968-69 ;

(b) the names of factories which received this tallow with the quantity given to each factory ;

(c) whether Government have looked into this aspect that these factories have manufactured soap in the same proportion in which tallow was supplied to them or whether they have sold it to Ghee traders in black market ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) नवम्बर, 1968 तक 52,072 मीटरी टन ।

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा तकनीकी विकास के महानिदेशक के पास पंजीकृत संगठित क्षेत्र के साबुन कारखानों तथा वसीय अम्ल कारखानों को दी गई चर्बी की मात्राओं तथा लघु उद्योग के कारखानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को दी गई मात्राओं

से सम्बन्धित एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रख दिया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये सख्या एल० टी० 463/69**] राज्य सरकारों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र के प्रत्येक कारखाने को दी गई मात्राओं के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। 1968-69 के दौरान, अप्रैल, 1968 से पहले दिये गये आयात लाइसेंसों के अन्तर्गत प्रत्येक कारखाने द्वारा आयात की गई चर्बी के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जहां तक संगठित क्षेत्र के साबुन कारखानों तथा वसीय अम्ल कारखानों का सम्बन्ध है, किसी विशेष वर्ष में साबुन तथा वसीय अम्लों के निर्माण के लिये प्रयुक्त विभिन्न कच्चे मालों की खपत से सम्बन्धित सूचना तकनीकी विकास का महानिदेशालय एकत्रित करता है। उत्पादित साबुन को दृष्टि में रखते हुए कारखानों द्वारा बताये गये उत्पादन में चर्बी की खपत की सूचना उचित समझी जाती है। लघु उद्योग क्षेत्र के कारखानों के बारे में यह अनुमान है कि राज्य सरकारें, जो चर्बी का आवंटन करती हैं, इसी तरह सुनिश्चित करती हैं कि चर्बी का दुरुपयोग नहीं हो रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Ram Swarup Vidyarthi: During the year 1967-68 we imported 1,27,394 tonnes of tallow but in this year the quantity of tallow imported was higher. May I know whether the production of soap has also been increased in proportion to the increased import of tallow, and if not, whether it is a fact that the tallow is being utilised in preparing Ghee by the factories which are manufacturing soap and Ghee at the same time? What are the steps which the Government propose to take in order to check such practices?

श्री द० रा० चव्हाण: माननीय सदस्य का यह कहना सच नहीं है कि 1967-68 की तुलना में 1968-69 में टैलो के आयात में वृद्धि हुई है। मैं उनकी सूचना के लिये आंकड़े देता हूँ। 1966-67 के अन्तर्गत 19,552 मीट्रिक टन टैलो को आयात किया गया था जिसका मूल्य 3.34 करोड़ रुपये था। वर्ष 1967-68 में 17.46 करोड़ रुपयों के मूल्य की 1,27,399 मीट्रिक टन टैलो का आयात किया गया था तथा 1968-69 के नवम्बर मास तक 6.79 करोड़ रुपयों के मूल्य की 52,072 मीट्रिक टन टैलों का आयात हुआ था अन्तिम आंकड़ों का उल्लेख मैंने अपने मूल उत्तर में भी किया था।

मैंने अपने मूल उत्तर में इस बात का उल्लेख भी किया था कि इसका आयात राज्य बीमा निगम की इच्छा के अनुसार किया जाता है तथा सभी संगठित क्षेत्रों के एककों के तकनीकी विकास के महानिदेशक के यहां सब का पंजीकरण होता है। गैर सरकारी क्षेत्र के एककों को तकनीकी विकास के महानिदेशक की सिफारिशों के आधार पर ही टैलो दी जाती है तथा महानिदेशक की सिफारिशों को राज्य बीमा निगम स्वीकार करती है।

जहां तक राज्यों को बड़ी मात्रा में एक पुश्त माल दिये जाने का प्रश्न है इसे प्रतिवर्ष उद्योगों के निदेशकों को दिया जाता है। जिसके विवरण प्रतिवर्ष तकनीकी विकास के महानिदेशक के कार्यालय में प्रस्तुत किये जाते हैं। इससे साबुन बनाने में चर्बी के उपयोग अथवा दुरुपयोग पर नियंत्रण रहता है।

Shri Ram Swarup Vidyarthi: The people of India are deeply agitated over the misuse of beef Tallow and park tallow in soap making. The hon. Minister stated on July. 29, in reply to question so. 153 that most of the firms use it. There are same such firms who do not use it. He agreed that it was possible to list the names of such

firms, who use it and also who do not use it. May I know as to what action has been taken in this matter till now ? Will the Government compel the soap manufacturers to declare whether they use tallow or not ? If it cannot be done, the reasons thereof may be stated. That you have not asked them to do so till now, is it for the season that soap makers have laid pressure on the Government that in case they are made to give such an undertaking regarding the use of tallow they will not be able to be sell their soaps and congress will not get money from them ?

श्री दा० रा० चव्हाण : पहले अवसर पर प्रश्न पूर्व मंत्री को सम्बोधित किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न हिन्दी में बहुत लम्बा था और मैं कुछ भी समझ नहीं पाया अतएव निर्णय नहीं कर पाया कि इसे स्वीकार करूं अथवा नहीं ।

श्री दा० रा० चव्हाण : कुछ सदस्यों ने पूर्व मन्त्री को सुझाव दिया था साबुन निर्माताओं से कहा जाये कि टैलो का प्रयोग न करें और यदि वे ऐसा करते हैं तो लपेटन पर अंकित करें कि साबुन में चर्बी है । उन्होंने यह भी कहा कि कुछ साबुन निर्माता टैलो का प्रयोग नहीं करते, अपितु बनस्पति तेल का प्रयोग करते हैं, और वे लपेटन पर ऐसा अंकित कर देते हैं । आशय यह है कि उपभोक्ता जान सकें कि साबुन में टैलो है अथवा नहीं ।

Shri Ram Swarup Vidyarthi : I seek your protection. My question was specific. Why should not these who use tallow write on it ? Why the Government not compel them to do so ?

श्री दा० रा० चव्हाण : उनके ऐसा करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

Shri Mrityunjay Prasad : The list giving names of various firms has been furnished. The entries against certain names are blank. Have not they asked for tallow on whether they use local tallow ? In case they do not use tallow, why their names have been included in the list ?

श्री दा० रा० चव्हाण : साधारणतः पिछले तीन-चार वर्षों से साबुन बनाने में टैलो का प्रयोग होता है । 'महारानी' आदि कुछ छाप ऐसे हैं जो टैलो का उपयोग नहीं करते अपितु वनस्पति तेल का प्रयोग करते हैं और वे लपेटन पर इस बारे में स्पष्ट संकेत कर देते हैं ।

Shri Maharaj Singh Bharati : It was stated by the Government that due to the shortage of Vegetable oil we are precuring tallow from abroad. May I know what efforts have been made to meet the shortage of vegetable oils ? Are there some kinds of soaps that cannot be made without tallow ? Is it also a fact that there is a great majority of meat-eaters in the country who like to use the soap even when they know that it contains tallow ?

श्री दा० रा० चव्हाण : बनस्पति तेल की उपलब्धि मूंगफली के तेल पर आधारित है जो, मानसून पर अवलम्बित है । इसलिए 1966 में मूंगफली की उपज कम होने के कारण टैलो का आयात किया गया था । वस्तुतः टैलो के प्रयोग द्वारा हमने 125,000 रुपये के योग्य तेलों की बचत की है । यहाँ तक किसी विशेष छाप के बारे में जनता के विकल्प की बात है, यह कहा जा सकता है कि देश की जनता ने टैलो-युक्त साबुन को आम तौर पर स्वीकार कर लिया है ।

श्री सोनावने : क्या मैं जान सकता हूँ कि साबुन में टैलो का प्रयोग इतना हानिकर है कि उसे निषिद्ध करार दिया जाये।

श्री दा० रा० चव्हाण : जी, नहीं।

श्री लोबो प्रभु : टैलो के विभिन्न राज्यों में वितरण के बारे में मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत विवरण से स्पष्ट है कि इसमें दिल्ली का स्थान, महाराष्ट्र के पश्चात् द्वितीय है। टैलो का दो कार्यों में उपयोग होता है। एक साबुन बनाने का है जोकि वैध है और दूसरा घी में अपमिश्रण जोकि अनुचित है। क्या दिल्ली में साबुन का इतना अधिक निर्माण होता है अथवा क्या यहां इतना अधिक अपमिश्रण होता है कि इसे मद्रास एवं मैसूर से अधिक टैलो मिलता है। क्या दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश आदि राज्यों की निकटता के कारण ही उन्हें इतना अधिक कोटा मिलता है।

श्री दा० रा० चव्हाण : दिल्ली में एक बड़ी संख्या में कारखाने भी हैं। निश्चय ही उनकी संख्या बंगाल और महाराष्ट्र से कम है, परन्तु वे काफी संख्या में हैं। तथ्यतः ये सभी कारखाने तकनीकी विकास के महा-निदेशक के कार्यालय में पंजीकृत हैं। उक्त महानिदेशक राज्य व्यापार निगम से इन कारखानों को, उनके पिछले उत्पादन के हिसाब से टैलो वितरित करने की सिफारिश करता है।

श्री लोबो प्रभु : क्या इस कोटे का इन कारखानों की क्षमता से कोई सम्बन्ध है।

श्री दा० रा० चव्हाण : इसका उनकी क्षमता के साथ सम्बन्ध है।

Shri K. N. Tiwary : How much tallow was exported during the last three years and what amount of foreign exchange was spent on it ?

श्री दा० रा० चव्हाण : मैंने मूल्य के आंकड़े पहले ही दे दिये हैं। टैलो का निर्माण देश में नहीं होता इसलिए दिया गया धन विदेशी मुद्रा में ही है।

Shri Atal Behari Vajpayee : The people have a doubt that the tallow procured for soap making is used for adulteration with Ghee as it costs less. Is the hon. Minister in a position to assure the house that tallow is not used for adulteration with Ghee ?

श्री दा० रा० चव्हाण : उपलब्ध जानकारी के आधार पर मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि घी में अपमिश्रण के लिए इसका उपयोग नहीं होता।

Shri Shashi Bhusan : Will the hon. Minister please intimate which are the Toilet soaps that are manufactured in India using tallow ? This is a serious matter and enough has been said on it since 1857. I like the hon. Minister to indicate the names of the soaps containing tallow, so that the people using them may bathe in Ganga.

श्री चेंगलराया नायडू : साबुन के निर्माण में टैलो के प्रयोग पर जनता का बहुत विरोध है। टैलो के घी में मिश्रण की सम्भावना भी है। क्या इसे ध्यान में रखते हुए मन्त्री महोदय टैलो का आयात बन्द करके कृषकों को अधिक मूंगफली के तेल का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिससे कि उसका उपयोग साबुन बनाने में किया जा सके ? मन्त्री महोदय ने जो यह कहा है कि मानसून के अभाव के कारण मूंगफली की पर्याप्त उपज नहीं हुई, सत्य नहीं है।

श्री दा० रा० चव्हाण : सरकार वर्षा की सृष्टि नहीं करती । वर्षा के अभाव के कारण मूंगफली के तेल की उपज काफी घट गई थी इसी कारण टैलो का आयात करना पड़ा । उस समय मूंगफली का तेल 5536 रुपए प्रति टन बिक रहा था जबकि इसकी तुलना में टैलो का मूल्य 2000 रुपए प्रति टन था । पूर्ण रूप से देखें तो साबुन के निर्माण में टैलो के उपयोग पर कोई आपत्ति नहीं है । यदि कोई सदस्य मुझे सूचना देगा कि किसी विशेष स्थान पर टैलो का घी में अपमिश्रण किया जाता है तो हम निश्चय ही उस ओर ध्यान दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न सर्वथा भिन्न है । उनका कहना है कि सरकार मूंगफली के तेल का अधिक उत्पादन करके टैलो का आयात बन्द क्यों नहीं करती ।

श्री दा० रा० चव्हाण : मूल्यों और उत्पादन में बहुत अन्तर होने के कारण इसे बन्द नहीं किया जा जकता ।

श्री नन्द कुमार सोमानी : आयातित वस्तुओं एवं कच्चे मालों के मामले में कई अनियमितताएं हैं । इन की ओर मैंने वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय का ध्यान आकर्षित किया था । इन कमियों के कारण क्या मन्त्री महोदय वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में यह मामला ले जायेंगे, यहां से कि कुछ ही दिनों में नीति सम्बन्धी घोषणा होने वाली है जिससे कि सभी कमियां दूर की जा सकें और आयातित सामान का दुरुपयोग रोका जा सके ?

श्री दा० रा० चव्हाण : माननीय सदस्य को ठीक सूचना नहीं । तथ्यत: वास्तविक प्रयोक्ताओं के लाइसेंस द्वारा टैलो का आयात नहीं किया जाता । टैलो का समग्र आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से ही किया जाता है । अप्रैल 1968 से टैलो का आयात निजी व्यापारियों द्वारा बन्द करके राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जा रहा है ।

श्री एस० आर० दामिनी : आयातित टैलो का उपयोग केवल साबुन बनाने के लिए ही नहीं होता अपितु वस्त्र-उद्योग में भी यह काम आता है । क्या यह सच है कि टैलो के स्थान पर काम में आने वाले रसायनिक पदार्थ का निर्माण होने लगा है ; यदि हां, तो उसका कितनी मात्रा में निर्माण हो रहा है तथा क्या उसके निर्माण की मात्रा बढ़ाई जा रही है ।

श्री दा० रा० चव्हाण : इस नई रासायन का उत्पादन 1966 में 11204 टन, 1967 में 16547 टन तथा 1968 में 17104 टन हुआ था । यह कृत्रिम परिमार्जक (सिन्थेटिक डिटर्जेंट) के रूप में काम आता है और इसमें टैलो नहीं होता ।

Shri Om Prakash Tyagi : Is the hon. Minister aware that tallow contains tallow of both cow and Pig and the religious sentiments of majority of the people are heart due to it ? Has the Government received any complaints in this regard and suggestions that it should be specifically stated on the wrappers that this soap contain tallow ? Has the Government taken action on that suggestion in order to enable them to protect their religious sentiments? If not, what are the reasons for not doing so ?

श्री दा० रा० चव्हाण : मैंने दो छापों का उल्लेख किया है जिनमें टैलो नहीं होता । इसका अभिप्राय यह है बाजार में अन्य उपलब्ध माल टैलो से युक्त है इस प्रकार जनता अपनी भावनाओं का आदर करते हुए उसकी खरीद से बच सकती है ।

Shri Om Parkash Tyagi : He has not replied to my question. Why are not asked to write on the wrappers that the soap has been made using tallow. You say that it is for the people to use their discretion in the use of soap. Why don't you order them to do it ?

श्री दा० रा० चव्हाण : मैंने कहा है कि एक अथवा दो प्रकार के साबुनों को छोड़कर शेष सभी साबुनों में चरबी मिली होती है और इस प्रकार के साबुनों के ऊपर से कागज पर छपा होता है वह चरबी से नहीं वनस्पति तेलो से बने हैं इसका अर्थ यह है कि शेष दूसरे प्रकार के साबुनों में चरबी मिली होती है ।

Shri Om Prakash Tyagi : Mr. Speaker, Sir I need your protection. Have you heard his answer ?

अध्यक्ष महोदय : शांति शांति मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा । उन्होंने कहा है कि एक या दो प्रकार के साबुनों के ऊपर के कागज पर लिखा रहता है कि इनमें चरबी नहीं है । इसलिए जो लोग चरबी वाला साबुन नहीं खरीदना चाहते, वे उस साबुन को खरीद सकते हैं ।

एक माननीय सदस्य : उस साबुन को कौन खरीद सकता है उसका मूल्य दो रुपये के करीब होता है ।

अध्यक्ष महोदय : उसका मूल्य दो रुपये दो या चार रुपये यह एक अलग बात है परन्तु उन्होंने बताया है कि कुछ साबुनों के कागज पर साफ लिखा रहता है कि उस साबुन में चरबी नहीं है इस प्रकार उसको जो चाहे वह खरीद सकता है ।

Shri Om Parkash Tyagi : It is way of Cheating.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : श्री पीलू मोदी ने कहा है कि देशी चरबी उपलब्ध है । मैं जानना चाहता हूँ कि उनका अभिप्राय मनुष्य की चरबी से है अथवा कि पशु की चरबी से ।

श्री रंगा : मुझे आशा है कि न केवल मन्त्री महोदय बल्कि सारी सरकार इस बात को याद रखेगी कि यह भी एक कारण था जिसके कारण वर्ष 1857 में देश में स्वतन्त्रता संग्राम की आग फूट पड़ी थी । अभी अभी बताया गया है कि चरबी के उत्पादन में गो-माँस तथा सूअर का माँस प्रयोग किया जा रहा है अथवा किए जाने की सम्भावना है । क्या सरकार इस आरोप को ध्यान में रखेगी तथा यदि यह सच है तो क्या यह निश्चय करेगी कि विभिन्न कारणों को लेकर यह बुरी प्रक्रिया जारी न रहे । यह बड़ी ही गम्भीर बात है तथा मैं इसके बारे में सरकार को चेतावनी देता हूँ ।

श्री दा० रा० चव्हाण : यह किसी पर दबाव नहीं है कि वह चरबी वाला साबुन जरूर खरीदे ।

श्री रंगा : यहां प्रश्न दबाव का नहीं है यह बात लोगों की भावना से सम्बन्धित है और यह बात इस सरकार, इस देश तथा देश की शान्ति और व्यवस्था के लिये बड़ी ही खतरनाक और घातक होगी ।

Shri Jogeshwar Yadav : We have been feeling since recent times a bad smell when we eat Vanaspati Ghee. May I know whether tallow is mixed therein ? If not, why is that bad smell ?

उर्वरक उद्योग के लिए रूस से उपकरणों का आयात

*665. **श्री रविराय :**

श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस से उर्वरक उद्योग के लिये उपकरणों की सप्लाई करने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उससे क्या-क्या साज-समान देने का अनुरोध किया गया है ; और

(ग) उस पर रूस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और धातु तथा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) (क) से (ग) : सितम्बर अक्टूबर, 1968 में योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के रूस के दौरे के दौरान हुई बातचीत के नतीजे के आधार पर, एक तकनीकी दल यह पता लगाने के लिये रूस भेजा गया कि रूस भारत में उपलब्ध तकनीकी जानकारी और प्रक्रिया के अनुसार किस हद तक उर्वरक संयन्त्रों के लिए उपकरण सप्लाई कर सकता है। दल को, जिन उपकरणों की आवश्यकता है और जो आमतौर पर आयात किये जाते हैं, उनकी सूची रूसी अधिकारियों को दी और इसके साथ भारत में उर्वरक संयन्त्रों में जो मानक प्रयोग में लाये जाते हैं, उनके बारे में भी सूची दी। रूसी अधिकारी जल्दी ही यह बताने को सहमत हो गये हैं कि वे किस हद तक हमारी आवश्यकताएं पूरी कर सकेंगे।

Shri Rabi Ray : May I know whether the delegation, that visited Europe, has given any concrete suggestion particularly in connection with the coal-based Fertiltger Plant ?

श्री दा० रा० चव्हाण : जैसा कि पिछली बार मैंने इस सभा या दूसरी सभा में कहा था चौथी योजना के दौरान कोयले पर आधारित तीन उर्वरक कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव है एक कोरबा में, दूसरा रामगुंडम में तथा तीसरा ताल्चेर उड़ीसा में। पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्रालय के डाक अधिकारी श्री कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक दल कोयले पर आधारित उर्वरक कारखानों के बारे में पद्धति और तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेशों में भेजा गया था। पश्चिमी योरोप में जाने वाले इस दल ने यह मामला आगे बढ़ाया था।

Shri Rabi Ray : The hon. Minister has just now stated that the Delegation which visited Europe has suggested that India can set up coal-based fertilizer plants. I want to know what do the Government think about setting up a coal-based fertilizer plant in Talcher Orissa. Would the Government give an assurance in this House about setting up a coal-based fertilizer plant in Talcher during the Fourth Five Year Plan ?

श्री दा० रा० चव्हाण : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। मैंने बताया है कि कोरबा, रामगुंडम तथा तालचेर के स्थान पर तीन कारखाने लगाये जायेंगे। कल उड़ीसा के मुख्य मन्त्री आये थे और उन्होंने इस मामले पर विचार किया तथा हमने कहा कि यह मामला विचाराधीन है।

श्री चिन्तामरिण पारिणग्रही : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या भारत ने कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने खोलने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है और यदि हां, तो कोयले पर आधारित इन उर्वरक कारखानों को स्थापित करने के लिये कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी तथा क्या इस मशीनरी के निर्माण के लिये हमारे देश में कुछ ऐसी क्षमता है जो कि बेकार पड़ी है ?

श्री दा० रा० चव्हारण : कोयले पर आधारित उर्वरक कारखानों के बारे में मामला अभी विचाराधीन है। वैसे यह बात सिद्धाँत रूप में स्वीकार कर ली गई है।

अध्यक्ष महोदय : वह पूछ रहे हैं कि क्या इन कारखानों के लिए आवश्यक मशीनरी भारत में बनाई जायेगी ?

श्री दा० रा० चव्हारण : जो कुछ भी साज-सामान यहां तैयार हो सकेगा वहां पहुंचेगा। उसके अतिरिक्त जो तकनीकी तरीका, जानकारी तथा साज-सामान यहां प्राप्त नहीं हो सकेगा उसका आयात किया जायेगा।

श्री चिन्तामरिण पारिणग्रही : आयोजना आयोग के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एक दल मशीनरी के आयात के लिए बातचीत करने गया था। उन्हें यह मालूम नहीं है कि यहां क्या सामान निर्मित होता तथा यहां कितनी क्षमता है। क्या इसका कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है ?

श्री दा० रा० चव्हारण : आवश्यक मशीनरी आदि के बारे में बातचीत करने तथा सारे कागजात देने के लिये तकनीकी अधिकारियों का एक अन्य दल वहां भेजा गया था। वे कागजात किमी अधिकारियों को दिये गये हैं। उन्होंने कहा है कि एक अथवा दो मास में अर्थात कि दिसम्बर ,1968 में...

श्री चिन्तामरणी पारिणग्रही : यह क्या उत्तर है ? मैं तो पुछ रहा था कि क्या कोई अनुमान तैयार किया गया था। हम किस लिये मशीनरी का आयात कर रहे हैं ?

श्री दा० रा० चव्हारण : बिना पहले अनुमान तैयार किये कोई भी दल नहीं भेजा जा सकता। यह दल हमारे ऊर्वरक कार्यक्रम के अन्तर्गत ऊर्वरक कारखानों के लिये उपलब्ध होने वाले साज-सामान की जानकारी लेने के लिये भेजा गया था। अनेक ऊर्वरक कारखाने स्थापित किये जाने हैं। समुचित अनुमान तैयार किये बिना कोई दल नहीं भेजा जाता।

श्री समर गुह : औद्योगिक साज-सामान के उत्पादन में रूस ने उल्लेखनीय उन्नति की है; और इसीलिये यह स्वाभाविक ही है कि भारत रूस से औद्योगिक सामान खरीदे। परन्तु यह बात भी सर्वविदित है कि सांझी-खेती के अपने 50 वर्षीय तजुर्बे के बाद भी रूस खाद्य-उत्पादन के बारे में आत्म-निर्भर नहीं हो सका है। इसलिये भारत सरकार फ्रांस, जापान, इस्राइल तथा नार्वे आदि देशों जिन्होंने खाद्य के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करली है, की बजाये ऐसे देश से उर्वरक सम्बन्धी सामान क्यों खरीदे जो कि उत्पादन के क्षेत्र में स्वयं अपनी सहायता न कर सका हो ?

श्री दा० रा० चव्हारण : माननीय सदस्य का प्रश्न समुचित जानकारी पर आधारित नहीं

है। जिस दल का मैंने जिक्र किया है यह उससे भिन्न है जो कि हमने पश्चिमी देशों को भेजा था ताकि वह तकनीकी विकास सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करे। रूस को भेजा जाने वाला दल अन्य था। मुझे नहीं मालूम कि साँझी खेती द्वारा रूस उत्पादन बढ़ाने में सफल हुआ है। अथवा नहीं। परन्तु यह भी इतना ही सच है कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में रूस में बहुत विकास हुआ है।

Reservation of Residential Accommodation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Central Government Employees

*666. **Shri Molahu Prashad :** Will the Ministsr of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Central Government employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes face great difficulties in the matter of getting houses on rent from caste Hindus ;

(b) whether it is also fact that the employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have entered services later than the employees belonging to other castes and on the basis of seniority they will be entitled for accommodation only after 20 to 25 years ; and

(c) if so, whether Government propose to reserve residential accommodation for Central Government employees belonging to the Scheduled Castes ann Scheduled Tribes ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) शिड्यूल्ड कास्ट्स वेलफेयर आर्गेनाईजेशन आफ इंडिया ने यह अभ्यावेदन किया है कि अनुसूचित जातियों के सरकारी कर्मचारियों को सवर्ण जाति के हिन्दुओं से मकान किराये पर लेने में कठिनाई होती है।

(ख) आवेदक की जाति अथवा धर्म (क्रीड़) के सम्बन्ध में आवेदन पत्र में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है अतएव इस मुद्दे पर कोई संख्यात्मक आंकड़े सम्पदा निदेशालय में उपलब्ध नहीं हैं। यह ठीक है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों की वरिष्टता अवश्य ही बाद की हो सकती है।

(ग) सरकार के लिए जाति और धर्म के आधार पर सामान्य पूल वास को आरक्षित करना कठिन है।

Shri Molahu Prashad : The Government have been finding it difficult to make reservations in the cabinet, in the appointment of Governors and ambassadors and also in the various Ministries of the Government of Indla. So, when these people join service after 20 to 25 years and they would get a quarter further after 20 or 25 years on the basis of their turn, then where would they live as it is impossible for them to get accomodation in the open market ? Why donot the Government consider this aspect ? You appoint many Committees and throw their reports in the waste-paper basket. Why do not you think upon it ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : यह प्रश्न वर्यज्य है। इस पर चार बार विचार किया गया है, पहले वर्ष 1960 में, फिर पुन: 1961 में, फिर 1965 और फिर एक बार 1968 में, परन्तु दुर्भाग्य से......

एक माननीय सदस्य : परन्तु परिणाम कुछ नहीं निकला।

श्री के० के० शाह : यदि माननीय सदस्य मेरी बात समझें तो मेरी कठिनाइयों को भी समझ लेंगे। पहली बात तो यह है कि हम उन लोगों को मकान नहीं दे सके हैं जो वर्ष 1949 या 1940 या 1944 में सेवा में आये थे...(व्यवधान) इसमें सभी जातियों के लोग हैं। यदि मैं कुछ आरक्षण करता भी हूँ तो भी कनिष्ट कर्मचारियों को वरिष्ठ कर्मचारियों पर वरीयता देनी पड़ेगी... (व्यवधान)। मैं तो हर बात पर विचार करने को तैयार हूँ। मुझे आपका सहयोग चाहिये। यदि वरिष्ठ व्यक्तियों पर कनिष्ठ व्यक्तियों को वरीयता दी जायेगी तो इससे परस्पर जलन की भावना पैदा होगी। अतः इन्हीं सब बातों पर विचार किया गया था और इस बारे में केवल यही मार्ग नजर आया कि उनको बारी के बिना दिये जाने वाले मकानों के बारे में वरीयता दी जाये। उनको बिना बारी मकान देने से, बीमारी के आधार पर मांग आई है और आज मेरे पास 900 ऐसे मामले हैं और मैं उसे पूरा नहीं कर सकता। यही कठिन स्थिति है।

Shri Molahu Prashad : This reply to this question is not yet clear. The hon. Minister has said that he has received some application, and you do not know by what time will be able to cover them up, and the reason therefor is that you are caring only for building air conditioned buildings and not making efforts to solve the problems of all the employees by constructing small quarters. You are endeavouring more for providing accommodations to the officers who prepare these scheme while sitting in those air conditioned houses. So I want to know what alternate arrangements, besides this out-of-turn allotment on medical grounds, do you propose to make to provide accommodation to the Scheduled Caste people ?

Shri K. K. Shah : With great efforts, we could cover upto 1955 in the case of class-I quarters the smallest type but in the case of others. It will thus be clear to you that we have not made more efforts for air-conditioned class. We have, however, tried to lead in the case of type IV and V quarters, and we are trying to do the same for the rest also. But it is true that in Delhi 50,000 Government servants have not so far been provided with quarters.

Shri Balraj Madhok : First of all I contradict the insinuation that in Delhi the Caste Hindus do not let out quarters to the Scheduled Caste people. The land lords of Delhi prefere to let out houses to a South Indian or a Gujarati. They do not like to let out it to the North Indian.

एक माननीय सदस्य : वे लोग समय पर किराया देते हैं इसलिए उनको प्राथमिकता दी जाती है...(व्यवधान)

श्री सोनावने : क्या जन संघी नेता हरिजनों को निवास हेतु मकान देंगे ? वह आयें और दें।

Shri Balraj Madhok : On the very basis it is wrong to say that quarters are not let out to Scheduled Caste people....

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : मंत्री महोदय द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को मकान देने के बारे में व्यक्त कठिनाइयों को देखते हुए मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि संविधान के अनुसार राज्य विधान सभाओं तथा संसद में भी इन लोगों के लिए विशिष्ट प्रतिनिधित्व का विधान है। फिर भी किसी प्रकार की प्राथमिकता तो देनी ही पड़ेगी ताकि यह प्रश्न हल हो सके और हम उनके मार्ग में बाधायें न डालें। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि इस तथ्य को देखते हुए

कि सवर्ण हिन्दू इन अनुसूचित जातियों के लोगों को मकान नहीं देते, तथा उनकी दिक्कत बड़ी ही वास्तविक है, क्या मंत्री महोदय इस बारे में विशिष्ट प्राथमिकता देने का कोई उपाय ढूंढने को तैयार हैं।

श्री के० के० शाह : मै राजनैतिक पक्षों के नेताओं से इस बारे में सहायता लेने को तैयार हूं और उसके अनुसार कार्रवाही करने को तैयार हूं।

Shri Balraj Madhok : May I know whether it is a fact that the number of Government quarters in Delhi is very little and nothing has been done in this regard in spite of repeated references in this House. You could arrange Rs. one crore for the revolving tower and also Rs. 10 lakhs for the Prime Minister's House, but nothing for the poor employees. My opinion is that if the money fixed for the Prime Minister's House is used for building quarters for Government Servents, all the Government Servents in Delhi will be able to get accommodation. Are you prepered to do that ?

I would like to know whether it is a fact that people having recommendations get houses but of turn and the employees with a service of over twenty years have not been able to get to the houses. I would also like to know the reasons for not allotting the 300 quarters built for Harijans near Tagore Garden in Western Delhi about two years ago.

Shri K. K. Shah : We have stopped making out of turn allotment. It will take seven to ten years to make good the excess allotment made out of turn.

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मन्त्री अध्यक्ष को सम्बोधन करें तो कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री के० के० शाह : हमें अवैध कब्जा करने वालों के लिए भी प्लाटों की व्यवस्था करनी पड़ती है और भवनों का निर्माण करना पड़ता है। इस पर करोड़ों रुपये व्यय किये गये हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी करोड़ों रुपये व्यय किये गये हैं। इस का प्रमाण उन बस्तियों की संख्या से मिलता है जिनका निर्माण किया गया है। यह ठीक है कि धन की कमी है और इस कारण हम बहुत अधिक नहीं कर सके हैं।

श्री रंगा : प्रधान मन्त्री के लिये नये बंगले पर धन नष्ट न कीजिये।

श्री बलराज मधोक : क्या प्रधान मन्त्री के निवास स्थान तथा अन्य ऐसी बातों पर लगाया जाने वाला धन सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान बनाने पर लगाया जायेगा।

श्री के० के० शाह : इस प्रकार तो यह भी कहा जा सकता कि विट्ठल भाई पटेल हाउस बनाया जाना चाहिये था अथवा नहीं... **(अन्तरबाधाएं)**

Shri Rabi Ray : That has already been constructed. The Prime Minister's House should not be constructed at a cost of Rs. 10 lakhs.

श्री के० के० शाह : हम धन को अन्यथा भी उपलब्ध करा सकते हैं।

श्री बलराज मधोक : टैगौर गार्डन में 300 मकानों के बारे में उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री के० के० शाह : मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री बसु मतारी : अब मकानों का आवंटन सेवा की वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है परन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों का सेवाकाल केवल दो अथवा तीन वर्ष है और उन्हें इस आधार पर मकान नहीं मिल सकते । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन्हें कुछ विशेष रियायत देने के बारे में नीति अपनाई जायेगी और सभी विभागों को ऐसे परिपत्र जारी किये जायेंगे ।

श्री के० के० शाह : इस सम्बन्ध में कठिनाई यह होगी कि यदि हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को इस प्रकार मकान दें तो दूसरों के मामलों पर भी विचार करना होगा । फिर भी, मैं इस पर विचार करने के लिये तैयार हूँ ।

Shri S. M. Joshi : We should concede that the people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes face a great difficulty due to shortage of houses. The Minister has said that they want to do something with the cooperation of the opposition. I would like to know from him whether Government will be prepared to implement any decision mutually agreed between the Government and opposition ?

Shri K. K. Shah : Otherwise, I would not have asked you ? How can it be ?

Shri Chanderjit Yadav : The hon. Minister has expressed difficulties that people who entered the service in 1949 have not been allotted the quarters, so far and if the Harijans are given any kind of reservation, others will also musture a feeling of envy. The question is that if the Government Servants belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes do not get houses, will the Government consider the question of calling a meeting of the representatives of all the political parties so that a certain percentage could be reserved for Harijan Government servants in the matter of newly constructed houses.

श्री के० के० शाह : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूँ ।

Shri S. M. Banerjee : Will the Government take steps to acquire Birla House and construct quarters there for Harijans ?

अध्यक्ष महोदय : यह भिन्न प्रश्न है ।

श्री सोनावणे : मन्त्री महोदय ने अधिकारियों के विचार बताने हैं अथवा उस कांग्रेसी मन्त्री के जो गाँधी जी का चेला है जिन्हें हरिजनों तथा उनके कल्याण की बहुत चिन्ता थी ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या मन्त्री महोदय ने बारी से पहले क्वार्टर आवंटित करना बिलकुल बन्द कर दिया है अथवा अब पड़े आवेदनपत्रों को निपटाने में सात वर्ष लगाने के बाद यह आवंटन बन्द किया जायेगा ।

श्री के० के० शाह : मैंने इसे पूर्णतया बन्द कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

रूसी सहायता से चलने वाली औषध परियोजनाओं का कार्य

*667. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि रूसी प्रतिनिधि मंडल के नेता श्री एस० स्केच्कोव ने भारत में

रूसी सहायता से चलने वाली तीन औषध परियोजनाओं के असंतोषजनक कार्य की आलोचना की थी ;

(ख) क्या उनके कार्य में सुधार करने के लिए कुछ सुझाव दिये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या यह सच है कि ऋषिकेष कारखाने के प्रबन्धकों ने स्वयं सरकार को निवेदन किया था कि स्थानान्तरित की गई मशीनरी में त्रुटियों को दूर करने के लिए सम्बन्धित सोवियत अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई जाये ।

श्री दा० रा० चव्हाण : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : इससे विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है । माननीय मन्त्री सभा को गुमराह कर रहे हैं। वह प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे।

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लोक लेखा समिति ने अपने प्रतिवेदन में रहा है कि सोवियत सहायता प्राप्त तीन कारखाने घाटे में चल रहे हैं और 1967-68 में घाटा 3 करोड़ रुपये था । उन्होंने कुछ सिफारिशें की थीं । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यहां आने वाले सोवियत प्रतिनिधि मंडल से इस सम्बन्ध में बातचीत की गई थी ?

श्री दा० रा० चव्हाण : प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि रूसी प्रतिनिधि मण्डल के नेता श्री एस० स्केचकोव ने भारत में रूसी सहायता से चलने वाली तीन औषध परियोजनाओं के असंतोषजनक कार्य की आलोचना की थी । इसका उत्तर 'न' में है । यदि माननीय सदस्य लाभ तथा हानि का लेखा चाहते हैं तो उन्हें पृथक सूचना देनी होगी ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सरकार ऋषिकेश कारखाने के प्रबन्धकों द्वारा लिखे गये पत्र सभा पटल पर रखेगी ताकि पता लग सके कि क्या सरकार सभा को गुमराह कर रही है अथवा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय ; मैं सरकार को ऐसा करने के लिए कहने को तैयार नहीं हूँ ।

श्री रंगा : सभा को यह सूचना मिलनी चाहिये । मन्त्री महोदय इसका उत्तर देने के लिये क्यों तैयार नहीं हैं ।

श्री पीलू मोदी : क्या मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि ऋशिकेष वाला संयंत्र पहले चीन में स्थापित किया गया था । फिर उसे उखाड़ कर पुन: रूस भेजा गया था । क्या मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि यह संयंत्र उपभोग योग्य मेनिसिलेन नहीं बना सका है और अब पशुओं के लिये खाद्य पदार्थ बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है । मैं मन्त्री

महोदय से पूछना चाहता हूं कि चारों संयंत्रों के लिये करार पर हस्ताक्षर कब किये गये थे, कि संयंत्र कब पूरे हो गये थे । उनकी निर्धारित क्षमता कितनी है और उनमें अब उत्पादन कितना है ।

श्री दा० रा० चव्हाण : इन सभी प्रश्नों के लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।...**अंतरबाधाएं**

Shri Madhu Limaye : The question of Shri Piloo Mody should be replied. I had submitted a memorandum about one and a half year ago. I would like to know the action taken by Government thereon ?

अध्यक्ष महोदय : श्री पाणिग्रही द्वारा उठाया गया प्रश्न तथा यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, परन्तु मन्त्री महोदय को उसके लिये सूचना चाहिये । मैं मन्त्री महोदय की सूचना बाद में सभा-पटल पर रखने के लिये कह रहा हूँ ।

श्री दा० रा० चव्हाण : प्रबन्धकों द्वारा लिखा गया पत्र हमारे पास नहीं होगा । इसीलिये, मैंने कहा है कि मुझे पूर्व सूचना चाहिये । मुझे इसकी जाँच करनी है कि क्या पत्र सभा-पटल पर रखे जा सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सभी पत्र सभा-पटल पर रखने के लिये नहीं कह रहा हूं । उनका सारांश सभा-पटल पर रखा जा सकता है ।

श्री रा० बरुआ : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में व्यवस्था के प्रश्न का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Shri Rabi Ray : This question should be postponed.

कुछ माननीय सदस्य : उठ खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि ऋषिकेश कारखाने के लिये जो भी सामान रूस से लाया गया है, उससे निर्धारित क्षमता का एक तिहाई उत्पादन भी नहीं हो सकता है ।

श्री दा० रा० चव्हाण : मुझे इसकी जानकारी है, यदि आप अग्रेतर सूचना चाहते हैं तो पूर्व सूचना मिलने पर मैं जानकारी उपलब्ध करा दूंगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बेलाडिला लोह अयस्क परियोजना में भ्रष्टाचार तथा कुप्रबन्ध

*662. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री 10 दिसम्बर, 1968 के आरांकित प्रश्न संख्या 639 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलाडिला लोह अयस्क परियोजना में भ्रष्टाचार तथा कुप्रबन्ध के मामलों पर इस बीच विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो जांच का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को इन कृतक नामी निकायतों की प्रारम्भक जांच करने को कहा गया था । राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने कोई निश्चित जांच—परिणाम अभी सूचित नहीं किये हैं ।

(ग) उपरोक्त (ख) के उत्तर की दृष्टि से ऐसा निश्चय किया गया है कि जांचों को और आगे जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा ।

Diamond Mines

*663. **Shri Yashpal Singh** : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether some diamond mines have been found in Southern India in addition to those of Panna diamond mines ;

(b) if so, where and whether any survey work has been done in this regard ; and

(c) the steps being taken to take out more diamonds from these mines ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen) : (a) and (b). Old workings for diamond have been found along the Krishna Valley near Kollur and Partial in the Districts of Warangal, Krishna, Guntur and Mahboobnagar ; near Banganapalle and Ramallakota in the Kurnool district and near Wajrakarur in Anantapur district of Andhra Pradesh.

Regional and detailed mapping to trace the extent of diamond bearing rocks, collection of samples and testing them for incidence of diamonds, have been carried out in and around these areas.

(c) Prospecting around the ancient diamond mines near Partial and Kollur has been taken up by the Geological Survey of India.

उत्तर प्रदेश में राक-फास्फेट के निक्षेप

*668. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मसूरी, उत्तर प्रदेश में पाये गये एक फासफेट के निक्षेपों का उपयोग करने के लिये देहरादून में सरकार का विचार कौन सी परियोजनाएं आरम्भ करने का है ; और

(ख) क्या यह सच है कि वहां पर एक फासफेट पर आधारित उद्योग स्थापित करने में बिजली की कमी एक बाधा है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) उत्तर प्रदेश मे मसूरी के निकट पाये गये राक फासफेट के निक्षेपों की अभी जाँच हो रही है । निक्षपों की जांच पूरी होने और इनकी व्यापारिक व्यवहारिकता सिद्ध हो जाने के पश्चात उचित समय पर इन निक्षेपों के उपयोग के प्रश्न को हाथ में लिया जायेगा ।

(ख) उपर्युक्त बात को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न अभी नहीं उठता ।

हिन्द महासागर में तेल के कुओं का निर्माण

*669. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : **श्री जगन्नाथ राव जोशी** :
श्री रणजीत सिंह : **श्री बे० कृ० दासचौधरी** :
श्री सूरज भान :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर में तेल के कुओं के निर्माण के बारे में निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) तेल के कुओं के निर्माण कार्य को करने के लिये कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और उनमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया गया ; और

(ग) प्रस्तावों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). सरकार का इस समय हिन्द महासागर में व्यधन कार्य करने का कोई विचार नहीं है और न ही इस बारे में कोई प्रस्ताव मिले हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नये उद्योगों के लिये धन की मांग के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक के गवर्नर का वक्तव्य

*670. **श्री सु० कु० तापड़िया** : **श्री हिम्मतसिंहका** :
श्री अदिचन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रिजर्व बैंक के गवर्नर के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि जब देश में नये उद्योग आरम्भ करने और उद्योगों का विकास करने के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध था परन्तु उद्योगपति द्वारा उसकी मांग कम की गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो इसकी वास्तविक स्थिति क्या है ; और

(ग) व्यापार तथा उद्योग मण्डल, भारत के औद्योगिक विकास बैंक और अन्य सहायक संस्थाओं के सहयोग से इस स्थिति को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी और की जा रही है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क), (ख) और (ग). प्रश्न के भाग (क) में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के जिस वक्तव्य का उल्लेख किया गया है उसकी सरकार को जानकारी है । पिछले करीब दो साल से, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड जैसी वित्तीय संस्थाओं से, उद्यम-कर्ताओं ने धन की अपेक्षाकृत कम मांग की है । सम्भव है कि 1965-66 तथा 1966-67 में जो सूखा पड़ा उसके परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि की गति मन्द हो जाने के कारण, पूंजी के निवेश के स्तर पर पड़ने वाले असर से ही मुख्य रूप से यह स्थिति पैदा हुई हो ।

उद्योग-क्षेत्र में निवेश सम्बन्धी स्थिति को सुधारने के लिये जो उपाय किये गये हैं या जिन्हें करने का विचार है, उनका उल्लेख "आर्थिक-समीक्षा" तथा संसद के सामने पेश किये गये

"बजट-प्रस्तावों" में कर दिया गया है। जहां तक वित्तीय संस्थाओं का सम्बन्ध है, शीर्ष संस्थाओं के रूप में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने और ज्यादा विभिन्न प्रकार के आवेदन-पत्रों पर अनुकूल दृष्टि से विचार करना शुरू कर दिया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भी, और ज्यादा व्यापक रूप में तथा सस्ती दरों पर पुनर्वित्त तथा हुंडियों को फिर से भुनाने की सुविधाएं देने के लिये कई कदम उठाये ताकि उद्योग-धन्धों में लगाये जाने वाले धन की मात्रा में वृद्धि हो। यह बैंक दूसरे बैंकों के कार्यालयों तथा राज्य वित्तीय निगमों के साथ अनेक तरीकों से और ज्यादा सम्पर्क कायम करता जा रहा है ताकि वह विभिन्न क्षेत्रों में प्रायोजनाओं को कायम करने के सम्बन्ध में और सक्रिय सहायता दे सके और खास तौर से दरमियाने दर्जे और छोटे पैमाने के उद्योगों को और मदद दे सके। आशा है कि निकट भविष्य में यह बैंक देश के विभिन्न भागों में अपनी शाखाएं स्थापित कर देगा। यह बैंक इस बात पर भी विचार कर रहा है कि उन छोटे दर्जे के उद्यम-कर्ताओं के लिये शुरू शुरू में छोटे पैमाने पर, उद्योग-विद्या, प्रबन्ध तथा विपणन के सम्बन्ध में, परामर्शदात्री सेवाओं की व्यवस्था करे, जो इन पहलुओं के सम्बन्ध में हमेशा पर्याप्त ध्यान नहीं रख सकते। अभी हाल ही में, बैंक ने मशीनों से सम्बन्धित बिलों के फिर से भुनाये जाने की अपनी योजना को, जो अब तक गैर-सरकारी क्षेत्र के खरीदार-उपभोक्ताओं पर ही लागू होती थी, सरकारी क्षेत्र के खरीदार-उपभोक्ताओं अर्थात् बिजली प्रतिष्ठानों, परिवहन निगमों तथा सरकारी औद्योगिक कम्पनियों जैसे स्वायत निकायों, पर भी लागू कर दिया। इस योजना के अधीन, स्वीकृत बैंकों द्वारा ली जाने वाली बट्टे की अधिकतम दरों में 1 प्रतिशत की कमी करके ऋण सम्बन्धी खर्च में भी कुछ कमी की गयी है। इसके अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने, दिसम्बर 1968 में एक नयी योजना की घोषणा की थी, जिसके अनुसार वह इस बात के लिये राजी हो गया है कि विलम्बित अदायगी के आधार पर पूंजीगत और इंजीनियरी सामान निर्यात करने वाले सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के औद्योगिक उपक्रमों के लिये मीयादी वित्त-व्यवस्था और गारंटी सम्बन्धी सुविधाओं के रूप में सीधे सहायता देने के लिये स्वीकृत वाणिज्यिक बैंकों के साथ सहयोग करेगा।

प्रतिनिधि मंडलों का विदेशों का दौरा

***671. डा० सुशीला नैयर : श्री गु० च० नायक :**
श्री दे० अमात :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा गत दो वर्षों में कितने प्रतिनिधि मंडल विदेशों को भेजे गये ;

(ख) उन प्रतिनिधि मंडलों ने किन-किन देशों का दौरा किया ;

(ग) प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल ने कितनी-कितनी धन राशि खर्च की ; और

(घ) उनके दौरे के क्या परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) 34.

(ख) जिन देशों में गये उनके नाम हैं :—

स्विटजर लैंड, यू०एस०ए०, यू०एस०एस०आर०, फ्रांस, मंगोलिया, थाई लैंड, चिली, डेन मार्क, यूनाईटेड किंगडम, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, स्वीडन, इटली, कनाडा, पोलेन्ड, हंग्री, हवाई (होनोलूलू), नेपाल, पश्चिमी जर्मनी (बर्लिन), अफ़गानिस्तान, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तथा चैकोस्लावाकिया ।

(ग) प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल द्वारा किया गया खर्चा निम्नांकित था :—

	रुपये
(i)	21,034.00
(ii)	8,054.00
(iii)	7,585.00
(iv)	11,287.00
(v)	32,532.00
(vi)	45,671.00
(vii)	19,190.00
(viii)	1,756.00
(ix)	3,750.00
(x)	6,703.07
(xi)	11,272.00
(xii)	26,531.60
(xiii)	14,253.00
(xiv)	12,540.50
(xv)	8,443.00
(xvi)	7,366.22
(xvii)	450.00
(xviii)	3,205.00
(xix)	16,031.85

शेष 14 मामलों में यात्रा तथा विदेश में रहने का व्यय विदेशी सरकारों अथवा अन्य ऐजेंसियों के द्वारा किया गया था । एक मामले में किये गये व्यय के ब्यौरे की विदेश में हमारे दूतावास से प्रतीक्षा की जा रही है ।

(घ) यात्राओं के उद्देश्य थे अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों, वर्कशापों, सेमीनारों आदि में भाग लेना तथा भारत सरकार के द्वारा विदेश में लिए गये कुछ निर्माण कार्यों का निरीक्षण करना ये उद्देश्य पूरे हुए थे ।

संसद सदस्यों को मकानों का आवंटन

*672. **स० चं० सामन्त :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों को दिए जाने वाले फ्लैटों, बंगलों तथा अन्य प्रकार के मकानों का

संसद सदस्यों को आवंटन किए जाने के बाद कितने फ्लेट आदि आवंटन के लिये बच जाते हैं और इनके खाली रहने के क्या कारण हैं ;

(ख) उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) इन मकानों को बाजार किराया दर पर अन्य उपयुक्त व्यक्तियों को आवंटित न किये जाने के बारे में क्या कठिनाइयां हैं ; और

(घ) इन मकानों के खाली पड़े रहने के कारण प्रति महीने कितनी हानि हो रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) संसद सदस्यों के पूल में वास का आबंटन संसद की सम्बन्धित आवास समितियों द्वारा नियंत्रित होता है। समय-समय पर, इन समितियों द्वारा वास को फालतू घोषित किए जाने पर, उसे अस्थाई रूप से सरकारी कर्मचारियों को आवंटित कर दिया जाता है और इसका पूर्व उपयोग होता है। 15-3-1969 को संसद सदस्य पूल में 27 एकक, जिसमें कुछ बंगले/फ्लैट आदि शामिल हैं, खाली पड़े हुए हैं क्योंकि इनका आबंटन आवास समितियों द्वारा नहीं किया गया है।

(घ) ये निवास स्थान अनिवार्य कारणों से अल्पअवधियों के लिए खाली रहते हैं। इन मामलों में वास्तविक किराया और सैद्धान्तिक रूप से अधिकतम प्राप्य किराए के अन्तर का कोई अनुमान तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

राज्यों में पीने के पानी की कमी

***673. श्री ए० श्रीधरन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968 में देश के कई राज्यों में पीने के पानी की बड़ी कमी रही है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या उन राज्यों को नलकूप खोदने तथा पानी जमा करने के लिये तालाब बनाने हेतु चालू वर्ष में कोई वित्तीय सहायता दी गई है अथवा आगामी वर्ष में दिये जाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). जम्मू एवं कश्मीर, केरल और पंजाब राज्यों के अतिरिक्त 1968 में सभी राज्यों से न्यूनाधिक मात्रा में कमी की हालात जिनमें पीने के पानी की कमी भी सम्मिलित है, होने की सूचना मिली थी।

(ग) और (घ). 1968-69 में (20 मार्च 1969 तक) राज्यों को सूखा सहायता व्यय (जिसमें आपात जल पूर्ति व्यवस्था व्यय भी सम्मिलित है) के सम्बन्ध में दी गई केन्द्रीय सहायता का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1968-69 में राज्यों को सूखा-सहायता व्यय जिसमें आपात जलपूर्ति व्यवस्था व्यय भी सम्मिलित है के सम्बन्ध में दी गई केन्द्रीय सहायता ।

रु० करोड़ों में

राज्य	1968-69 में दी गई केन्द्रीय सहायता (20 मार्च 1969 तक)
1. आंध्र प्रदेश	12.55
2. मैसूर	8.13
3. उड़ीसा	5.00
4. राजस्थान	6.00

नोट :—1. 1968-69 में सूखा-सहायता-व्यय के सम्बन्ध में असम, बिहार, महाराष्ट्र, नागालैंड तथा पश्चिम बंगाल ने आर्थिक सहायता के लिये कोई अनुरोध नहीं किया है ।

2. गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाड्ड को केन्द्रीय सहायता की राशि, इन राज्यों में विभिन्न प्रकार के सूखा सहायता कार्यों के लिए अपेक्षित धन के मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त किये गये केन्द्रीय दलों की रिपोर्ट के आधार पर निश्चित की जायेगी ।

3. 1968-69 में उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सहायता देने के विभिन्न 80 लाख रु० की राशि रखी गई है । राज्य सरकार ने अभी तक इस नियत राशि में से किसी को सहायता दिये जाने की माँग नहीं की है ।

Beri Beri in Calcutta due to Adulteration in Mustard Oil

*674. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn towards the editorial published in the Time of India of the 26th December, 1968, carrying a report about the spread of Beri Beri in Calcutta in an epidemic form due to the adulteration in mustard oil resulting in the death of a number of persons ;

(b) if so, whether Government propose to make such adulteration a criminal offence and provide for stringent punishment for those people who indulged in it by bringing a legislation in this regard ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister for Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, Sir. No incidence of Beri Beri has been reported from Calcutta. Three cases of epidemic dropsy were admitted in Calcutta hospital.

(b) The adulteration of food articles is already a criminal offence under the Prevention of Food Adulteration Act and stringent punishments are prescribed.

(c) Does not arise.

दिल्ली की भूमि और आवास सम्बन्धी समस्याओं के बारे में डा० बोस द्वारा अध्ययन प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया जाना

*675. **श्री क० लकप्पा**: क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री २ दिसम्बर, १९६८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की भूमि तथा आवास की समस्याओं को हल करने के सम्बन्ध में डा० बोस के प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और क्या वह प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) दिल्ली की भूमि और आवास समस्या पर, डा० अशीश बोस के नियंत्रणाधीन इंस्टीच्यूट आफ एकनामिक्स ग्रोथ द्वारा किए गए अध्ययन (की रिपोर्ट) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन को प्राप्त हो चुकी है जिसके अनुरोध पर कार्य किया गया था।

(ख) इस अध्ययन पर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा विचार किया जा रहा है, जो, आशा है, कि सरकार को वे विषय भेजेगी, जिस पर विचार और कार्यवाही की आवश्यकता है।

चलचित्र अभिनेताओं के छिपाये हुए धन का पता लगाने के लिए छापे मारना

676. **श्री सीताराम केसरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में छिपे हुए धन का पता लगाने के लिए चलचित्र अभिनेताओं के मकानों आदि पर कितने छापे मारे गये ;

(ख) कुल कितना धन बरामद हुआ ; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) वर्ष 1966-67 और 1967-68 के दौरान फिल्म अभिनेताओं के मकानों आदि में दो छापे मारे गये थे ;

(ख) कुछ नहीं।

(ग) एक मामले में कोई गुप्त-आय नहीं पायी गयी और इसलिए किसी प्रकार की दण्ड विषयक कार्यवाही करने का सवाल नहीं उठता। दूसरे मामले में छिपायी गई आय पर कर लगा दिया गया है और दण्ड भी लगाया गया है।

उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री पर आयकर की बकाया धनराशि

677. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ज़ि० ब० सिंह :
श्री प्र० न० सोलंकी :

श्री भारत सिंह चौहान : **श्री किंकर सिंह :**
श्री देवेन सैन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री बीजू पटनायक और उन कम्पनियों पर जिनसे उनका सम्बन्ध है इस समय आयकर की कितनी धनराशि बकाया है ;

(ख) वर्ष 1966, 1967 और 1968 के अन्त तक उन पर कितनी धन राशि बकाया थी ; और

(ग) धन राशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और इस दिशा में अब तक कितनी सफलता मिलती है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क), (ख) तथा (ग). एक विवरण-पत्र सदन की मेज पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 464/69**]

बोदरा (पश्चिमी बंगाल) में तेल की खोज

*678. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोदरा (पश्चिमी बंगाल) में तेल के लिये की गई खुदाई निरर्थक सिद्ध हुई है ;

(ख) बोदरा में तेल की खोज के कारण कुल कितनी हानि हुई है और इस सम्बन्ध में स्थानवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस पूरे मामले की जांच कराने और इस सम्बन्ध में प्रचार करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सैन) : (क) यह कभी दावा नहीं किया गया है कि बोदरा एक तेल क्षेत्र है जून, 1968 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा प्रकाशित किये गये प्रेस नोट में केवल व्यधन के दौरान प्राप्त परिणामों के बारे में सही सूचना दी थी (अर्थात् गहराई पर रेत में दिलचस्प विद्यमानता जिसमें फलोरोस्कोप (Flouroscope) के नीचे तेल के चिन्ह मिले और व्यधन-पंक में तेल के चिन्ह) प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि गोया यह चिन्ह अनुकूल दिखाई पड़ते हैं, यह इतना पहले नही बताया जा सकता कि क्या इस कुएं में तेल क्षेत्र की विद्यमता है या नहीं और यह केवल कई कुओं के खुदाई के बाद ही जाना जाएगा ।

(ख) बोदरा कुआं संख्या की कई स्तरों का परीक्षण कार्य अभी प्रगति पर है । तेल की

खोज में हानि या लाभ का किसी एक कुएं के व्यधन पर हुए व्यय से सम्बन्ध नहीं है परन्तु इसका आंकन काफी समय तक की गई खोज और विकास के परिणामों पर करना होता है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

1 जुलाई, 1969 को डाक्टरों द्वारा विरोध दिवस मनाया जाना

***679. 'श्री म० ला० सोंधी :** **श्री गणेश घोष :**
श्री उमानाथ : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री प० गोपालन : **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि डाक्टर देश में 1 जुलाई को विरोध दिवस के रूप में मनाने की योजना बना रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो डाक्टरों की शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) उनकी शिकायतें दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगर विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में अखबारों में छपी खबर देखी है।

(ख) डाक्टरों की प्रमुख शिकायतें (i) ग्राम-क्षेत्रों में पर्याप्त सुविधाओं का अभाव (ii) विभिन्न प्राधिकारों के अधीन काम करने की शर्तें (iii) अपर्याप्त वेतन तथा (iv) अनर्ह चिकित्सकों के चालान न किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में है।

(ग) पता चला है कि इस सम्बन्ध में भारतीय चिकित्सा संगठन एक विस्तृत विवरण वाला ज्ञापन सरकार को भेजने वाला है जिसकी जांच की जायेगी।

केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य, सेवा योजना अन्य नगरों में लागू करना

***680. श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना को देश के अन्य नगरों में लागू करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). 25 मार्च 1969 से केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना को इलाहाबाद में भी लागू किया जा रहा है। चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में धन उपलब्ध हो जाने, प्रशिक्षित कर्मचारियों के मिल जाने तथा यथोचित आवास की सुविधा जुट जाने पर इस योजना को दूसरे शहरों में भी जहां भारी संख्या में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी रहते हों लागू करने का विचार है।

नेपाल में नाइलोन और पालिस्टर धागे का आयात

681. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मन्त्री 1967-68 में नेपाल द्वारा त्यूरेक्स मैटेलिक यार्न सहित नाइलोन और पालिस्टर धागे के आयात के बारे में 16 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4720 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाइलोन और पालिस्टर के एक किलोग्राम धागे से लगभग 14 से 18 मीटर कपड़े का निर्माण हो सकता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नेपाल द्वारा कुल आयातित धागे से कपड़े के निर्माण के आंकड़े नेपाल द्वारा भारत को स्वेच्छा से निर्यात किये जाने वाले कपड़े के कुल आंकड़े से बढ़ जाने की सम्भावना है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सम्भावनाओं पर विचार किया है कि इससे भारत में कपड़ा तथा धागा अधिक मात्रा में अनधिकृत रूप से आ जायेगा और सीमा शुल्क प्राधिकारी भी उसको नहीं पकड़ पायेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) नाइलान और पोलियस्टर के एक किलोग्राम धागे से निर्मित कपड़ों की मीटर में लम्बाई उस धागे की मोटाई, कपड़े की बुनाई तथा अन्य कारणों पर निर्भर करती है।

(ख) नेपाल के महामहिम की सरकार ने संश्लिष्ट सूत से बने कपड़ों के भारत में निर्यात को नियमित करना स्वीकार कर लिया है जिससे उनकी मात्रा तथा मूल्य 1967-68 के स्तर तक ही सीमित रहे। मात्रा तथा मूल्य के ये आंकड़े नेपाल के महामहिम की सरकार के साथ परामर्श करके, निकाले जा रहे हैं। इसलिये, इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि क्या यह सम्भावना है कि नेपाल द्वारा आयात किये गये सूत की सारी राशि से तैयार किये गये कपड़े उस कुल राशि से अधिक हो जायेंगे जो नेपाल ने स्वेच्छा से भारत को निर्यात करना स्वीकार किया है।

(ग) और (घ). संश्लिष्ट सूत से नेपाल में तैयार किये गये कपड़ों का भारत में अधिक मात्रा में आने का प्रश्न तब उपस्थित होगा जब निर्यात के आंकड़ों की अधिकतम सीमा का हिसाब निकल आयगा। ऐसे अनधिकृत आयातों का पता लगाने के लिये सभी सम्भव उपाय किये जायेंगे।

Supply of Ravi Water to Pakistan

*68. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Ram Avtar Sharma:
Shri Bhola Nath Master:
Shri Chengalraya Naidu:
Shri N. R. Laskar:

Will the Minister of **Irrigatian and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to supply Ravi water to Pakistan free of any charge;

(b) if so, to what extent it would benefit Pakistan; and

(c) the main reasons therefor?

The Minister for Irrigation and Power Dr. K. L. Rao : (a) Under the Indus Waters Treaty 1960, India is required to make certain deliveries of water from the rivers Ravi, Beas and Sutlej to Pakistan during the "Transition Period". The present indications are that this Period will end on 31st March, 1970. After the end of the Transition Period, India would not be required to supply any water to Pakistan from the rivers Ravi, Beas or Sutlej. However, some waters may go down the rivers Ravi and Beas after 31st March, 1970. This would be the case during the flood months of July, August and early September. Storages have already been undertaken in order to conserve the flood waters mentioned above and some project reports are under preparation. As soon as the storages are completed and the Rajasthan Canal is fully developed, all the flood waters would be completely utilised in India. There is, therefore, no question of the Government supplying Ravi water to Pakistan free of any charge.

(b) and (c). Do not arise.

सरकारी उपक्रमों द्वारा महानगरों में दिया गया किराया

***683. श्री गार्डिलिंगन गौड़ :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास स्थित सरकारी उपक्रम प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ रुपये किराये के रूप में दे रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इतना अधिक किराया दिये जाने के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में मितव्ययिता करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकारी उपक्रम अपने मुख्य कार्यालयों, शाखा-कार्यालयों, खरीद-संगठनों, बिक्री-कार्यालयों, प्रदर्शन-कक्षों, जहाजरानी कार्यालयों, अतिथि-गृहों, आदि के लिए बड़े-बड़े नगरों में किराये पर मकान लेते हैं। उपक्रमों के मार्ग-दर्शन के लिए समय समय पर इस आशय की हिदायतें जारी की जाती हैं कि वे अपने मुख्य कार्यालयों की स्थापना उपयुक्त स्थानों पर करके और अतिथि-गृहों की व्यवस्था आदि के खर्च में किफायत करके, इस सम्बन्ध में होने वाले खर्च में कमी करें ।

अमरीका और कनाडा द्वारा बैंक दर में वृद्धि किया जाना

***684. श्री प० मु० सईद :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अमरीका और कनाडा ने अपनी बैंक-दरों में वृद्धि की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां । 18 दिसम्बर, 1968 को संयुक्त राज्य अमेरिका में बैंक दर 5.25 प्रतिशत से बढ़ा कर 5.50 प्रतिशत और कनाडा में बैंक दर 6 प्रतिशत से बढ़ा कर 6.50 प्रतिशत कर दी गई थी । कनाडा ने, 3 मार्च, 1969 से अपनी बैंक दर और बढ़ा कर 7 प्रतिशत कर दी ।

(ख) भारत पर बैंक दरों में हुए इन परिवर्तनों का सीमित प्रभाव पड़ेगा । संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की बैंक-दरों में वृद्धि किये जाने के कारण इन देशों में ऋणों की

लागत बढ़ जाने से, इनके द्वारा भारत से मंगायी जाने वाली वस्तुओं की मांग पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।

दिल्ली के न्यायालय के वकीलो के लिए भवन

*685. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री 9 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3788 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के न्यायालयों के वकीलों के लिये बैठने की अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने इस बीच कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). पुलिस-अधीक्षक (दक्षिण) के दखल में आजकल जो साथ वाला बंगला है, उसे दिल्ली प्रशासन को सौंपने का निर्णय किया गया है, जो नई दिल्ली कोर्ट की नई बिल्डिंग निर्मित होने तक नई दिल्ली कोर्टस के लिए अतिरिक्त स्थान के रूप में काम आयेगा।

उद्योगों द्वारा नदियों का जल दूषित होना

*686. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औद्योगिक संस्थानों की बढ़ती हुई संख्या के कारण तथा कृषि कार्यों और पीने के लिये नदी जल पर मुख्यतः निर्भर रहने वाले लोगों पर इसके कारण होने वाले खतरनाक परिणामों को देखते हुए क्या सरकार ने उद्योगों के खतरनाक उप-उत्पादों को वहां दिये जाने से नदी जल को दूषित होने से बचाने के लिए पर्याप्त उपाय किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). भारत सरकार इस विषय पर विचार करती आ रही है और अब वह देश में जल दूषण को रोकने के लिये संसद् में एक विधेयक पेश करने का विचार कर रही है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

परिवार नियोजन उपकरण

*687. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरुषों के लिए नायलोन रेशम का एक निरोध उपकरण तैयार

किया जा रहा है, जो पुरुषों की शुक्र नलिका में शुक्राणुओं के आने को रोकेगा और स्त्रियों में गर्भाधान नहीं होने देगा ;

(ख) किन-किन देशों में यह निरोध उपकरण तैयार किया जा रहा है और अब तक इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या भारत ने इस उपकरण के आयात के लिये उन देशों को, जहां इसका विकास किया गया है अग्रिम क्रयादेश दिये हैं और यदि हां, तो ऐसे कितने उपकरण मंगाये जायेंगे और उनका कितना मूल्य होगा और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) शुक्र नली में जोड़ और अन्य पदार्थ लगाने के लिए भारत में अनुसन्धान हो रहा है ।

(ख) जहाँ तक सरकार को जानकारी है, अमरीका में परीक्षणात्मक आधार पर इस क्षेत्र में कार्य हो रहा है ।

(ग) जी नहीं । प्रयोगशाला जांच-पड़ताल के लिए अनुदान के रूप में परीक्षण के उद्देश्य से कुछ सामग्री प्राप्त हुई है । अनुसन्धान कार्य के पूरे होने के बाद ही इस उपकरण के प्राप्त करने का प्रश्न उठेगा ।

कलकत्ता का विकास

688. **श्री समर गुह : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता के विकास के लिए 80 करोड़ रुपये की एक योजना चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कराने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है ;

(ख) क्या सरकार ने केन्द्रीय सहायता सम्बन्धी राज्य सरकार का अनुरोध अस्वीकार कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उसे अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के इस अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया है कि कलकत्ता के विकास के लिये विश्व बैंक अथवा पी० एल० 480 अमरीकी निधियों से उसे सहायता प्राप्त करने की अनुमति दी जाये ;

(ङ) यदि हां, तो इस अनुरोध को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं और बम्बई की जल प्रदाय व्यवस्था के विकास की 60 करोड़ रुपये की ऐसी ही योजना के लिए विदेशी सहायता की अनुमति किस आधार पर दी गई थी ; और

(च) क्या सरकार का विचार कलकत्ता की इस विकास योजना में सहायता करने के लिये कोई वैकल्पिक साधन ढूंढने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) पश्चिमी बंगाल सरकार ने, चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में, कलकत्ता

महानगर जिला की विभिन्न विकास योजनाओं के लिये, मूलतः 79.52 करोड़ रुपये की आऊट ले प्रस्तावित की थी। योजना आयोग से विचार-विमर्श करने के पश्चात, राज्य सरकार ने, अपने अन्य कार्यक्रमों की प्राथमिकता को दृष्टि में रखते हुए 43.38 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित आऊट ले का प्रस्ताव किया है।

(ख) कलकत्ता की विकास योजनायें चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य प्लान योजना के रूप में जारी रखी जायेगी, जिन के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता सामान्य रूप में दी जायेगी तथापि, चौथी पंचवर्षीय योजना में हुगली नदी के ऊपर दूसरे पुल के व्यय को पूरा करने के लिए, राज्य सरकार को, राज्य प्लान के बाहर, ऋण की सहायता दी जायेगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) तथा (ङ). विश्व बैंक तथा पी० एल० 480 निधि से वित्तीय सहायता लेने की अनुमति के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। विदेशी सहायता चाहे विश्व बैंक से हो या पी० एल० 480 फण्ड से हो, वह पंचवर्षीय प्लान के स्रोतों का भाग है, और जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, वह केन्द्रीय वित्तीय सहायता के प्रवाह का भाग है। भारत सरकार ने बम्बई में जल-वितरण पद्धति के विकास के लिए 60 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता की अनुमति नहीं दी है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

*689. **श्री रा० बरुआ :**
श्री बाल्मीकी चौधरी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1969 में भारत में चार पूर्व-विनियोजन परियोजनाओं का अनुमोदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो हाथ में ली जाने वाली परियोजनाओं के नाम क्या हैं ; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इन परियोजनाओं के लिये कुल कितनी राशि उपलब्ध की जायेगी ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शासी परिषद् ने जनवरी, 1969 में दो नयी भारतीय प्रायोजनाओं के लिये सहायता की स्वीकृति दे दी और दो वर्तमान प्रयोजनाओं के लिये अनुपूरक सहायता की मंजूरी दे दी।

(ख) दो नयी प्रायोजनायें ये हैं—दक्षिण-पश्चिम समुद्र तट पर खुले समुद्र के मीनक्षेत्रों का अन्वेषण और किसानों का प्रशिक्षण तथा उनकी कार्य सम्बन्धी साक्षरता।

जिन वर्तमान प्रायोजनाओं के लिये अनुपूरक सहायता की स्वीकृति दी गयी है वे ये हैं—राष्ट्रीय शिक्षुता योजना और शक्ति इंजीनियरी गवेषण संगठन भोपाल।

(ग) 40 ल र।

कैंसर के कारण मृत्यु

*690. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगरीय विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगरा के सरोजिनी नायडू मैमोरियल मेडिकल कालेज द्वारा, देश में कैंसर के प्रकोप के बारे में किये गये एक अध्ययन से पता चला है कि भारत में प्रतिवर्ष कैंसर से 4,25000 व्यक्तियों की मृत्यु होती है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस रोग से मरने वाले इतने अधिक व्यक्तियों की मृत्यु को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जहाँ तक इसके बारे में जानकारी है एस० एन० मेडिकल कालेज आगरा में ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है जिससे देश भर की कैंसर की घटनाओं का पता चले । एस० एन० मेडिकल कालेज आगरा के रोग विज्ञान विभाग के कैंसर एकक ने मुख्यत: मैनपुरी जिले में मुख और मुख ग्रसनी के कैंसर सम्बन्धी अध्ययन में रुचि ली है । यह कार्य विश्व स्वास्थ्य संगठन के तत्वाधान में किया गया है जिन्होंने आगरा में प्रो० वाही के अधीन इस प्रकार के अध्ययनों के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र भी स्थापित किया था । इन अध्ययनों से यह पता चला कि इस जिले में मुख और मुखग्रसनी के कैंसर की घटनाओं की दर प्रति लाख व्यक्तियों के पीछे 21.4 है । इस समस्या के विस्तार विषयक ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है । कैंसर समिति ने प्रतिवर्ष 200,000 व्यक्तियों की मृत्यु होने का अनुमान लगाया है ।

(ख) सरकार कैंसर के कारणों और उपचार सम्बन्धी अनुसंधान को प्रोत्साहन दे रही है । कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में अनुसंधान केन्द्र वर्तमान हैं । देश में रेडियो-थेरापी के लिये 31 कोबाल्ट एकक हैं । देश में रेडियो थेरापी के लिये कोबाल्ट एकक प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा भी सहायता दी जाती है । देश के उन सभी सामान्य अस्पतालों में जहां पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं निर्धन रोगियों का कैंसर के शल्य चिकित्सीय मामलों में नि:शुल्क उपचार किया जाता है । कैंसर के रोगियों का यथाशीघ्र पता लगाने के लिये भारतीय कैंसर सोसाइटी द्वारा कैंसर के प्रारम्भिक चिन्हों और चेतावनियों से युक्त सामयिक साहित्य का प्रकाशन किया जा रहा है ।

विदेशी मुद्रा की जालसाजी में ईसाइ धर्म प्रचारकों का हाथ

4052. **श्री बाबू राम पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में काम कर रहे उन ईसाई धर्म-प्रचारकों के नाम और पते क्या हैं, जो विदेशी मुद्रा के संबंध में अवैध सौदे करते हुये अब तक पकड़े जा चुके हैं और प्रत्येक मामले में कितनी-कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त थी और वे सौदे किस प्रकार के थे ;

(ख) बंगलौर के उस डाक्टर एवं दंत-चिकित्सक का क्या नाम है जिसने यह स्वीकार

किया है कि उसने एक ईसाई धर्म-प्रचारक के माध्यम से अमरीका में अपनी पुत्री को धन भिजवाया था और उस ईसाई धर्म-प्रचारक का नाम क्या है और वह मामला कितनी विदेशी मुद्रा का था ;

(ग) उन अमरीकी अभिकर्ताओं के नाम क्या हैं और कौन-कौन ईसाई धर्म-प्रचारक इस जालसाजी में सम्मिलित थे, भारत में उनके संबंध किन-किन के साथ हैं और भारत में उनके ग्राहक कौन-कौन हैं ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार जांच ब्यूरो को इस मामले में जाँच करने का काम सौंपा गया है और यदि हां, तो अब तक उसका क्या परिणाम निकला है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) प्रवर्त्तन निदेशालय की जानकारी में कुछ ऐसे मामले आये हैं, जिनमें विदेशी मुद्रा विनियम के अनधिकृत लेन-देनों में भारत स्थित ईसाई मिशनों के कुछ व्यक्तियों का हाथ पाया गया है । प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा जिन मामलों का न्याय निर्णय किया जा चुका है उनमें कुल कोई 32 लाख रुपये की रकम ग्रस्त है । कुछ अन्य मामले जांच-पड़ताल अथवा न्याय-निर्णय की विभिन्न अवस्थाओं में हैं । इन लेन-देनों में मुख्यतया अनधिकृत माध्यमों से विदेशों से दान की प्राप्ति ग्रस्त है ।

इस प्रश्न में, केवल एक धार्मिक पंथ विशेष की मिशनों का अलग से उल्लेख करके उनके बारे में विदेशी मुद्रा विनियम के अवैध लेन-देनों संबंधी सूचना मांगी गई है । सरकार महसूस करती है कि नाम प्रकट करने से ईर्ष्याजनक रोष पैदा होगा ;

(ख) मामले में न्याय-निर्णय की कार्यवाही अभी भी चल रही है, इसलिये फिलहाल ब्यौरे प्रकट करना उचित नहीं होगा ।

(ग) प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा की गई पूछताछ से पता चला है कि इन मामलों में ग्रस्त दो "अमरीकी दलाल" हैं, मैसर्स कूपर एण्ड कम्पनी इन्कारपोरेटेड तथा मैसर्स डीक एण्ड कंपनी भारत में इनके 'सम्पर्कों' तथा 'ग्राहकों' के नाम देना संभव नहीं है ।

(घ) प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा इस प्रकार का कोई मामला केन्द्रीय जाँच-ब्यूरो को जांच-पड़ताल के लिये नहीं भेजा गया ।

सामान्य बीमा कम्पनियां

4053. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सामान्य बीमा कम्पनियों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं, जिनके बारे में तथाकथित धन के गोलमाल के लिये बीमा नियंत्रक द्वारा जांच की जा रही है, और प्रत्येक मामले में कितनी राशि का गोलमाल किया गया था और उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध धोखाधड़ी और अन्य शिकायतों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) नियंत्रक किस तरीके से इन मामलों को समाप्त करता है, जब वर्तमान बीमा अधिनियम, 1938 के अन्तर्गत उसे कागजात तथा हिसाब-किताब की बहियां काबू में लेने का कोई अधिकार नहीं है ; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्रीय सरकार ने बीमा अधिनियम 1938 की धारा 33 के अन्तर्गत, एडवांस इन्श्योरेन्स कम्पनी के कार्यों की, जांच पड़ताल का आदेश दिया था। कंपनी ने दिल्ली के उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जिसमें अन्य कारणों के अलावा इस आधार पर भी आदेश को चुनौती दी गई थी कि धारा 33 से संविधान का अतिक्रमण होता है। याचिका अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय ने, इस बीच स्थगन आदेश जारी कर दिया था, इसलिये जांच में कोई प्रगति नहीं हो सकी।

बीमा नियंत्रक ने एक लेखा परीक्षक नियुक्त करके एक अन्य दूसरी बीमा कम्पनी के कार्यों की उसी की इच्छा से जांच शुरू करवाई है जो अभी चल रही है। यह जाँच कुछ शिकायतों के कारण करवाई जा रही है जिनमें गैरकानूनी तौर से रिबेट की अदायगी करने और खातों में गड़बड़ करने के आरोप थे। जांच पड़ताल बीमा अधिनियम की किसी धारा के अन्तर्गत नहीं, बल्कि स्वेच्छा से करवाई जा रही है और बीमा कंपनी ने इसके लिये यह जानते हुये भी सहमति दे दी है कि दूसरी कम्पनी के विरुद्ध धारा 33 के अन्तर्गत कार्यवाही को न्यायालय ने स्थगित कर दिया है, इसलिये यह उचित समझा जाता है कि उस बीमा कम्पनी का नाम प्रगट नहीं किया जाय।

जब तक जांच पड़ताल का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक यह कहना संभव नहीं होगा कि आरोपों का आधार सही है और यदि सही है तो उनमें कितनी रकम ग्रस्त है।

(ख) और (ग). यद्यपि धारा 33 की उपधारा (2) में यह अपेक्षित है कि जाँच-पड़ताल करने वाला अधिकारी जो जो दस्तावेज मांगे, वे सब बीमा कंपनी के अधिकारियों द्वारा उसके सामने पेश किये जाने चाहिये, फिर भी, तलाशी लेने और रिकार्ड को कब्जे में लेने का अधिकार नहीं होने से, एक बड़ी बाधा बनी रहती है। परन्तु, बीमा (संशोधन) अधिनियम 1968 में हाल ही में जोड़ी गई धारा 34 एच से स्थिति सुधर जायेगी क्योंकि इसमें नियंत्रक को तलाशी लेने और रिकार्ड को कब्जे में लेने का अधिकार निहित है।

इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के यात्रियों तथा माल-भाड़ा कार्यालयों से पकड़ा गया निषिद्ध सोना

4054. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के यात्रियों अथवा माल-भाड़ा कार्यालयों से गत दो वर्षों में कुल कितना अथवा कितने मूल्य का निषिद्ध सोना पकड़ा गया ; और

(ख) इन अपराधों से सम्बन्धित व्यक्तियों अथवा सार्थों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने वर्ष 1967 तथा 1968 में इण्डियन एयरलाईन्स कारपोरेशन के यात्रियों अथवा भाड़ा कार्यालयों से 162.6 कि० ग्रा० सोना पकड़ा जिसका अन्तर्राष्ट्रीय दर से मूल्य कोई 13.6 लाख रुपये होता है।

(ख) गिरफ्तार किये गये 31 व्यक्तियों के नाम इस प्रकार है :

1. अमरचन्द अग्रवाल 2. अरूण माणिक सम्पत 3. एम० प्रकाश 4. डी० के०

कादर उर्फ टी० ए० मुहम्मद 5. नारायण स्वामी रामनाथन् 6. जोसफ मैंथियूज 7. मोहम्मद हसन खान 8. श्रीमती बानू उर्फ सुशीला 9. आर० एस० कल्याणरामन् 10. कुमारी सरोजा 11. के० चम्पालाल 12. मणिलाल जे० सेठ 13. रिखबचन्द 14. एम० सी० जोसफ 15. श्रीमती संतोष रानी गुप्ता 16. वीर सिंह धुराजी राठौर 17. रोशन लाल जैन 18. लोक पाल जैन 19. श्रीमती सुमित्रा देवी 20. नरिन्दर कुमार जैन 21. कुमारी शशि जैन 22. फ्रांसिस रोमियो ब्रिटो 23. चम्पालाल उर्फ चम्पकलाल 24. विलास विष्णु लचके 25. दीपचन्द 26. राजेन्द्र कुमार 27. विमल कुमार 28. एम० डी० भोर 29. निर्मल कुमार मोतीलाल गुप्ता 30. समरथमल नन्दराम जैन तथा 31. विमलेन्दु शेखर राय।

अब तक 4.8 लाख रुपये मूल्य का 57 कि० ग्रा० सोना जब्त किया गया है। इसके अलावा 8 व्यक्तियों पर 31,000 रुपये का वैयक्तिक दण्ड भी लगाया गया है। बाकी के मामलों में न्याय निर्णय की कार्यवाही चल रही है।

अब तक 11 व्यक्तियों के विरुद्ध इस्तगासे की कार्यवाही की गयी है जिनमें से एक व्यक्ति को सजा मिली, एक छूट गया, तथा अन्य मुकदमों में कार्यवाही चल रही है। न्याय निर्णय की कार्यवाही पूरी हो जाने पर, अन्य मामलों में इस्तगासे की कार्यवाही आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

संसद् भवन में मतांकन करने वाले स्वचालित उपकरण की देखभाल के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रतिनियुक्त डाक तथा तार विभाग के इंजीनियर

4055. **श्री सूरज भान :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के कुछ कर्मचारी संसद् भवन में मतांकन करने वाले स्वचालित उपकरण की उचित रूप से देखभाल के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में गत वर्ष से प्रतिनियुक्त हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या वे स्वचालित उपकरण की उचित रूप से देखभाल करने में सफल रहे हैं और क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग उनके कार्य से पूर्णतया संतुष्ट हैं ;

(ग) क्या डाक तथा तार विभाग के इंजीनियरों की कोई कठिनाइयां हैं और यदि हां, तो क्या ;

(घ) क्या प्रतिनियुक्ति भत्ते के अभाव में उन्हें कुछ अन्य सुविधायें जैसे सरकारी आवास और विशिष्ट कार्य के लिये विशेष वेतन भी अभी तक नहीं दिया गया है ;

(ङ) उनके कठिन और विशिष्ट कार्य को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार का उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से पारिश्रमिक देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(च) यदि हाँ, तो कितना और उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय

में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। इस प्रयोजन के लिये डाक-तार विभाग के दो अधिकारियों की सेवायें मांग ली गयी हैं।

(ख) जी हां।

(ग) डाक-तार विभाग के अधिकारी, संसद् भवन, जहां वे कार्य कर रहे हैं, के निकट वास चाह रहे हैं।

(घ), (ङ) तथा (च). उन्हें सरकारी वास निर्धारित नियतों के अनुसार उनकी बारी आने पर दिया जायेगा। जहां तक विशेष वेतन के देने का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में इस समय एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों के सम्बन्ध में द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

4056. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने द्वितीय वेतन आयोग की यह सिफारिश स्वीकार कर ली थी कि 8 वर्ष से अधिक तक बने रहने वाले 80 प्रतिशत पद स्थायी कर दिये जायें ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पर कई वर्षों से लगातार काम के भार को देखते हुए सभी वर्गों के इंजीनियरों के सम्बन्ध के उक्त निर्णय क्रियान्वित कर दिया गया है ;

(ग) सभी वर्गों में इस समय स्वीकृत स्थायी तथा अस्थायी पदों के बारे में ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सभी स्थायी पद भर दिये गये हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो कितने पद रिक्त रखे गये हैं, कब से रिक्त रखे गये हैं और उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). जी हां। 1960 में सरकार के द्वारा आदेश जारी किये गये थे कि उन अस्थाई पदों का 80 प्रतिशत जो की कम से कम तीन वर्षों से निरंतर बने आ रहे हैं तथा जिन्हें स्थाई प्रकार का कार्य करना है, स्थाई पदों में परिवर्तित कर दिया जाये। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की इंजीनियरिंग स्थापना में प्रायः यह आधार अपनाया जा रहा है।

(ग) मांगी गयी सूचना का विवरण अनुलग्नक। के रूप में संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी० 465/69]

(घ) तथा (ङ). मांगी गयी सूचना का विवरण अनुलग्नक।। के रूप में संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या** एल० टी० 465/69]

देशी चिकित्सा प्रणालियों की चिकित्सा परिषद्

4057. **श्री एस० डी० सौमसुन्दरम्** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय चिकित्सा प्रणाली परिषद् की स्थापना के लिये एक व्यापक विधेयक तैयार कर लिया है ;

(ख) क्या उस पर टिप्पणी के लिये उसे सभी राज्यों में परिचालित किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस विधेयक पर तमिल-नाडु सरकार से क्या टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) इस व्यापक विधेयक पर और आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। वैसे, स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी को एक केन्द्रीय परिषद् गठित करने के लिये एक केन्द्रीय कानून बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव जनवरी, 1966 में राज्य सरकारों को भेजा गया था।

(ग) तामिलनाडु (तत्कालीन मद्रास) सरकार स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों के लिये एक सामान्य कानून बनाने के बारे में सहमत हो गई है, बशर्ते कि :

(1) सिद्ध प्रणाली को एक पृथक प्रणाली माना जाय ;

(2) आयुर्वेद और यूनानी की भांति सिद्ध प्रणाली सम्बन्धी विषयों के निपटान के लिये एक पृथक बोर्ड अथवा समिति अथवा परिषद् का गठन किया जाय ;

(3) जब कभी स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों की कोई समन्वय अथवा सामान्य समिति बनायी जाय तो उनके परामर्श से सिद्ध प्रणाली को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाय।

(घ) स्वदेशी चिकित्सा और होम्योपैथिक, केन्द्रीय परिषद् विधेयक 1968 राज्य सभा में 27 दिसम्बर, 1968 को पेश किया गया और 25 फरवरी, 1969 को इस पर विचार किया गया और जभी इसे दोनों सदनों की संयुक्त चयन समिति को भेजने का निश्चत किया गया।

सिद्ध प्रणाली के लिये पृथक समिति

4058. **श्री एस० डी० सोमसुन्द्रम्** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेद, यूनानी तथा योग चिकित्सा प्रणालियों की भांति सिद्ध चिकित्सा प्रणाली के लिये एक पृथक् समिति स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : चिकित्सा की सिद्ध प्रणाली देश के एक सीमित क्षेत्र में ही काम में आती है और इसीलिये अन्य सलाहकार समितियों के समान इसके लिये एक पृथक समिति का गठन आवश्यक नहीं समझा गया है। तथापि, सिद्ध प्रणाली के एक विशेषज्ञ को केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद् में नामांकित किया गया है। आयुर्वेदिक औषध-कोष समिति ने एक सिद्ध औषध-कोष उपसमिति का गठन किया है। भारतीय चिकित्सा तथा होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् विधेयक, 1969 में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के समान सिद्ध के लिये एक पृथक समिति की व्यवस्था की गई है।

टेलीफोन राजस्व लेखा कार्यालय के कर्मचारियों के डाक तथा तार विभाग में स्थानान्तरण पर उनसे क्वाटर खाली करवाना

4059 **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन राजस्व लेखा कार्यालय के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का दिल्ली में डाक तथा तार विभाग में स्थानान्तरण होने पर उन्हें सम्पदा निदेशालय द्वारा दिये गये क्वाटरों से, बिना वैकल्पिक स्थान दिये, निकाला जा रहा है जबकि वे दिल्ली के निवासी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें निकालने से पूर्व वैकल्पिक स्थान उपलब्ध न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) इस प्रकार कितने व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा है ;

(घ) क्या इन क्वाटरों को डाक तथा तार विभाग, जिसको निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास विभाग ने क्वाटरों का विशेष पूल दे रखा है, के क्वाटरों के हस्तान्तरण करने में कोई कठिनाई है ।

(ङ) क्या यह भी सच है कि उनसे 170 रुपये प्रतिमास मार्किट किराये के रूप मे लिये जा रहे है और उन्हें मकान किराया भी नहीं दिया जा रहा है ;

(च) क्या यह भी सच है कि पहले मामलों में, जहां कर्मचारियों का स्थानान्तरण हुआ था, उन विभागों (जिनके अलग पूल थे) को क्वाटर हस्तान्तरित कर दिये गये थे ; और

(छ) यदि हाँ, तो इन मामलों में ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क), (ख) तथा (ग) यह निर्णय किया गया है कि पी० एण्ड टी० की दूर संचार शाखा के लेखा कार्य भारत के सी० एण्ड ए० जी० से डी० जी० पी० एण्ड टी० को स्थानान्तरित कर दिये जाये । डी० जी० पी० एण्ड टी० तथा टेलीफोन राजस्व लेखा कार्यालय में कार्य कर रहे कर्मचारी सामान्य पूल वास आवंटन के पात्र हैं क्योंकि ये कर्मचारी विभागीय पूल से वास आवंटन के पात्र नहीं हैं । लेखा कार्य का डी० जी० पी० एण्ड टी० को स्थानान्तर हो जाने के कारण कुछ कर्मचारियों का स्थानान्तरण यहां प्रबंधक टेलीफोन के कार्यालय में हो गया है जो कि सामान्य पूल वास आवंटन के पात्र नहीं हैं क्योंकि उनके पास अपने कर्मचारियों के लिए अलग पू ‑ है । सरकार की यह नीति है कि जिन कार्यालयों के अपने विभागीय पूल हैं उनमें कार्य कर रहे कर्मचारियों को सामान्य पूलवास के आवंटन का पात्र न बनाया जाये ताकि ऐसे कर्मचारियों को दुहरा लाभ न हो । क्योंकि कर्मचारियों की एक ऐसे कार्यालय में स्थानान्तरण हो गया है, जिसका अपना पूल है, अतएव यह उस कार्यालय पर निर्भर करता है कि उन्हें विभागीय पूल से वैकल्पिक वास दें । जब कभी कर्मचारियों का पात्र कार्यालय से अपात्र कार्यालय में स्थानान्तरण होने का पता चलता है तो सामान्य पूल वास खाली करने के लिए संपदा निदेशालय नोटिस जारी करता है । जहाँ तक टेलीफोन राजस्व कार्यालय से महा प्रबन्धक टेलीफोन आदि को

स्थानान्तरण का सम्बन्ध है तीन कर्मचारियों के सम्बन्ध में तथ्य भेजे गये हैं जिनके मामलों में वास को अपने पास बनाए रखने की सामान्य रियायत देने के बाद आवंटन रद्द कर दिये गये हैं ।

(घ), (ङ), (च) तथा (छ) : सामान्य पूल वास के दखलकार सरकारी कर्मचारियों के अन्य कार्यालयों, जिनके अपने विभागीय पूल हैं, में स्थानान्तरित होने पर सामान्य पूल का निवास स्थान इस पूल से विभागीय पूल में स्थानान्तरित नहीं किया जाता । डाक-तार (पी० एण्ड टी०) विभाग ने अपनी निधियों से अपने स्वयं के विभागीय पूल बनाये हैं । तथा यह उस विभाग पर निर्भर करता है कि निधियों की आवश्यक व्यवस्था करके अपने पूल में वृद्धि करें । दिल्ली में सामान्य पूल वास की अत्यधिक कमी है । तथा यदि यह निर्णय कर लिया गया कि कर्मचारी के स्थानान्तरण के साथ साथ सामान्य पूल के आवास को अन्य विभागीय पूलों में स्थानान्तरित कर दिया जाय, तो सामान्य पूल के आवास के पात्र कार्यालयों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । सामान्य पूल में पहिले से ही वास की कमी है और दिल्ली/नई दिल्ली में केवल 40 प्रतिशत माँग की पूर्ति की जा सकी है।

उन कर्मचारियों को, जिनके नाम में सामान्य पूल वास रद्द कर दिया जाता है बाजार किराया दर पर क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है जो प्रत्येक मकान के लिए अलग अलग है । सरकारी कर्मचारियों को, जब तक उनके पास सरकारी वास रहता है, मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता ।

निर्माण लागत, क्षेत्रफल आदि प्रत्येक पूल के लिये भिन्न भिन्न हैं और इसीलिए एक पूल से दूसरे पूल में आवास के स्थानान्तरण से समायोजन सम्बन्धी प्रशासनीय कठिनाइयाँ पैदा होती हैं । अतः इस तरीके को नहीं अपनाया जाता ।

मैसूर में सोने के निक्षेप

4060. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री 20 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1802 के ऊत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर के धारवार जिले में कप्पट पहाड़ी शृंखला में सोना होने के बारे में वर्ष 1967 में की गई जांच इस बीच पूरी हो गई है ;

(ख) क्या कोई रिपोर्ट तैयार की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) नहीं । अन्वेषण अभी चल रहा है ।

(ख) एक अन्तरिम प्रगति रिपोर्ट तैयार की जा रही है। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा एकत्रित किये गये नमूने हुत्ती सोना खानों की प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिये भेजे जा रहे हैं ।

भूतपूर्व संसद् सदस्यों तथा भूतपूर्व मंत्रियों द्वारा बकाया राशि का भुगतान न किया जाना

4061. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व संसद् सदस्यों के 11 मामलों में और भूतपूर्व मंत्रियों के 7 मामलों में बकाया किराये की वसूली के लिये सरकारी स्थान (अनधिकृत अधिभोक्ता का हटाना) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही का प्रत्येक मामले में क्या परिणाम रहा ;

(ख) यह बकाया राशियाँ जमा कैसे होंगी ; और

(ग) इन मामलों में मासिक वेतन से किराये की कटौती करने के नियम पर अमल न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बी० एस० मूर्ति) : (क) संलग्न विवरण के अनुसार। पब्लिक परीमिसेज (इविक्शन आफ अन-अथोराईज्ड आक्यूटन्स) एक्ट, 1958 के अधीन किसी भूतपूर्व मंत्री के विरुद्ध कोई मामला नहीं आरम्भ किया गया [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल०टी० 466/69]

(ख) और (ग) बकाया राशि अधिक अवधि के लिए ठहरने के बकाया किराया की है, अर्थात् उस अवधि की है जिसके लिए वास को रियायती अवधि के पूरा होने के बाद रखा गया, और फर्निचर की गुमशुदा वस्तुओं आदि का है। क्योंकि इन अवधियों में सन्बन्धित भूतपूर्व मंत्रियों और भूतपूर्व संसद सदस्यों ने कोई वेतन नहीं लिया। उनके वेतन से बकाया राशि देने का प्रश्न नहीं उठा। तथापि जब उन्होंने वास खाली किया, तो लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों के माध्यम से उनको अन्तिम देय राशि से बकाया राशि की वसूली का प्रयत्न किया गया था और जो भी राशि उपलब्ध हुई उसका समायोजन आरंभ में निकाली गई बकाया राशि से किया गया।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से उनकी तृतीय श्रेणी के पदोन्नति के बाद निम्न श्रेणी के क्वाटर का किराया लिया जाना

4062. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के श्रेणी तीन के कर्मचारी उनकी चतुर्थ श्रेणी से पदोन्नति के बाद भी टाइप एक के आवास में ही रह रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनसे लिया जाने वाला किराया टाइप दो का होता है जबकि वे वास्तव में टाइप एक में रह रहे होते हैं ; और

(ग) क्या मंहगाई भत्ते के एक भाग को वेतन में मिला देने से इन कर्मचारियों द्वारा दिया जाने वाला किराया अधिक हो गया है और क्या सरकार उनको वह आवास देने पर विचार कर रही है जिसके वे अधिकारी हैं, अथवा उनसे कम दरों पर अर्थात् उस आवास का किराया लेने का विचार कर रही है जिसमें वे वास्तव में रह रहे हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन श्रौर निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) जी हां। इन मामलों में या तो सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी की अधिकृत टाइप के वास की उसकी बारी नहीं आई या इस प्रकार की बारी पर पहुंचने पर आवंटन अस्वीकार कर दिया गया है।

(ख) जी हां, केवल उन मामलों में जहां सरकारी कर्मचारियों ने अपने अधिकृत (अर्थात टाइप II) वास का आवंटन अस्वीकार कर दिया है तथा टाइप I के वास में बराबर रखे हुए हैं।

(ग) वर्तमान नियमों के अन्तर्गत सरकारी वास का किराया मूल नियमावली 45-ए के अन्तर्गत आवंटित वास का मानक किराया अथवा परिलब्धियों का 10 प्रतिशत/$7\frac{1}{2}$ प्रतिशत (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत वसूली योग्य है) इनसे जो भी कम हो, के आधार पर वसूल किया जाता है। टाइप I वास के आवंटियों के मामले में मूल नियमावली 45-ए के अन्तर्गत किराया प्राय. उससे अधिक देना होता है। जो कि परिलब्धियों के आधार पर वसूल योग्य होता है। अतएव आवंटियों से प्रायः वसूली वेतन के प्रतिशत आधार पर की जाती है इसलिए मंहगाई भत्ते के एक भाग का वेतन में मिलने से ऐसे मामलों में किराये की वसूली की दरों में अनुपाततः वृद्धि हुई है।

टाइप I के निवास स्थानों में रह रहे कर्मचारियों को टाइप II के वास आवंटित करने का कोई प्रस्ताव विचारार्थ नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ बड़े पैमाने पर बिना बारी के आवंटन करना होगा और यह इस प्रकार के आवंटनों की प्रतिक्षा करने वाले अन्य कर्मचारियों के लिये अहितकर होगा। कम दर पर किराया लेने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि इसका परिणाम सरकार के राजस्व में हानि होगी और इसके अतिरिक्त आवंटन नियमों में परिवर्वन करने की आवश्यकता पड़ेगी। पहले ही सरकारी कर्मचारियों से किराये की वसूली के वर्तमान फार्मूला में कुछ आर्थिक सहायता का तत्व शामिल है।

गुजरात सूखे के लिये सहायता

4063. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने विभिन्न सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिये एक योजना तैयार की है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने राज्य के उपरोक्त जिलों की समस्या का हल करने के लिये केन्द्रीय सरकार से और अधिक धन देने की प्रार्थना की है ; और

(ग) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य को कितना धन दिया जा चुका है और क्या उपरोक्त अनुरोध के अनुसरण में इस राज्य को और अधिक धन दिया जायेगा ?-

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : जी, हां।

(ख) और (ग). कुछ समय पहले, राज्य सरकार ने, राज्य के कुछ भागों में उत्पन्न सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट भेजी थी और अपने सहायता-कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी थी। फरवरी, 1969 के अन्त में, अधिकारियों का एक केन्द्रीय दल, राज्य के लिए आवश्यक रकमों का अन्दाजा लगाने के लिए, राज्य का दौरा किया था। उक्त दल की रिपोर्ट का

विचार करके केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन के किए 1968-69 में, सूखा-सम्बन्धी विभिन्न सहायता और पुनर्वास के कार्यों के खर्च की अधिकतम रकम 4.27 करोड़ रुपया निधारित की गयी है। अब तक, राज्य सरकार को 1.50 करोड़ रुपये की रकम दी गई है। जैसे जैसे खर्च होता जायगा, सहायता की और रकम राज्य सरकार को दी जायगी।

गुजरात के लिये धन का नियतन

4064. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य के निर्माण को लेकर नवम्बर, 1968 तक की अवधि में इस राज्य में औद्योगिक विकास बैंक, राज्य वित्त निगमों, कृषि वित्त निगम, औद्योगिक वित्त निगम तथा जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी विनियोजन के लिये दिया गया संस्थागत धन अपर्याप्त रहा है ;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने उपरोक्त अवधि में इससे अधिक धन माँगा था और उसे उसका समुचित अंश नहीं दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का विचार इन राशियों को किस प्रकार बढ़ाने का है ?

उप-प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) से (ग). प्रश्न में उल्लिखित वित्तीय संस्थाओं द्वारा गुजरात राज्य में स्थित उद्योगों को राज्य के गठन से लेकर इन संस्थाओं के सामने लिखी तारीखों तक की अवधि में मंजूर की गयी वित्तीय सहायता का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

		(करोड़ रुपयों में)
1.	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (31-12-68 तक)	22.35
2.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (30-11-1968 तक)	35.32
3.	भारतीय जीवन बीमा निगम (30-11-1968 तक)	7.95
4.	गुजरात राज्य वित्त निगम (31-3-1968 तक)	9.13
5.	कृषि पुनर्वित्त निगम (भूमि को कृषि योग्य बनाने और उसका विकास करने, सिंचाई के छोटे कार्यों, बागानों और बागबानी की योजनाओं के लिए अंशदान) (30-11-68 तक)	7.84

मीयादी ऋणों के रूप में, संयुक्त पूंजी वाली कम्पनियों के ऋण-पत्रों, उनके तरजीह तथा सामान्य शेयरों की खरीद के जिम्मे के रूप में वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गयी उपर्युक्त सहायता के अलावा, भारतीय जीवन बीमा निगम ने गुजराज राज्य में राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, स्वीकृत प्रतिभूतियों और नगरपालिकाओं की प्रतिभूतियों में पूंजी लगायी है, और आवासन योजनाओं के लिये राज्य सरकार को तथा नगर पालिकाओं, औद्योगिक बस्तियों, सहकारी

आवासन वित्त समितियों और बिजली बोर्ड को ऋण दिये हैं । यह रकम कुल मिला कर 50.78 करोड़ रुपया बैठती है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भी गुजरात राज्य वित्त निगम के बांडों में 6.22 करोड़ रुपया लगाया है ।

जहां तक इन संस्थाओं का सम्बन्ध है, गुजरात राज्य की सरकार ने इनसे उपर्युक्त अवधि में कोई रकम नहीं मांगी थी। वास्तव में ये संस्थाएं विभिन्न राज्यों की सहायता पाने की हकदार औद्योगिक प्रायोजनाओं के लिये ही वित्तीय सहायता देती हैं, और राज्य सरकारों द्वारा जारी किये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में सामान्य समर्थन प्रदान करने के अलावा, जैसा कि भारतीय जीवन बीमा निगम करता है, ये संस्थाएं प्रत्यक्ष रूप से और कोई सहायता नहीं देतीं । ये संस्थाएं गुजरात राज्य प्रायोजनाओं के लिये वास्तव में किस हद तक सहायता दे सकती हैं, यह बात इनकी अपनी इच्छा पर इतनी निर्भर नहीं होती जितनी कि उद्यमकर्ताओं की साधन जुटाने की क्षमता और इस बात पर निर्भर होती है कि ये उद्यमकर्ता किस प्रकार आर्थिक दृष्टि से सक्षम प्रायोजनाओं के लिये इन संस्थाओं से वित्तीय सहायता की मांग करते हैं । अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं औद्योगिक प्रायोजनाओं के लिये सहायता का निर्धारण राज्यों के अनुसार नहीं करतीं ।

मंत्रियों द्वारा आय-कर विवरण प्रस्तुत किया जाना

4065. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे वर्तमान, तथा फरवरी, 1967 से पहिले के केन्द्रीय सरकार के मन्त्रियों के नाम क्या हैं जिन्होंने 1965-66 से 1968-69 तक के कर निर्धारण वर्षों में से किसी वर्ष अपने आय-कर सम्बन्धी विवरण दाखिल नहीं किये हैं ;

(ख) ऐसे केन्द्रीय मन्त्रियों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त वर्षों में से किसी वर्ष में आय-कर विवरण देर से दाखिल किये हैं ; और

(ग) ऐसे मंत्रियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने आय-कर के विवरण दाखिल नहीं किये अथवा अपने विवरण देर से दाखिल किये ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). मांगी गयी सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा-समय सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

नई दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास के निकट सायबान तथा आश्रय की व्यवस्था

4066. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास, और नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान दूतावास के निकट दर्शकों के प्रयोग के लिये कोई शौचालय, सायबान तथा आश्रय नहीं है ; और

(ख) यदि हाँ, तो दर्शकों के लिये इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हाँ ।

(ख) भारत में विदेशी मिशनों में आने वालों के लिए सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था करना सम्बन्धित मिशन का काम है, उस राज्य का नहीं ।

Per Capita Income of U.P.

4067. Shri Narain Swarup Sharma : Shri Ram Swarup Vidyarthi : Kumari Kamala Kumari : Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of Finance be pleased to State :

(a) the per capita income in Uttar Pradesh per annum from 1947 to 1968 after the achievement of Independence ;

(b) the reasons for constant fall in per capita income in an important and enlightened State like Uttar Pradesh ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to check this fall in per capita income and to bring it at par with that of other States ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai : (a) to (c). According to the comparable estimates furnished by C.S.O. for the three years period ending 1964-65, the per capita income of Uttar Pradesh has shown a rising trend. Similar estimates for the earlier period are not available. It is expected that the Government of Uttar Pradesh will suitably orient their Plan Schemes so as to increase the per capita income in the State.

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा कुछ किरायों पर धन खर्चने के कारण उनके विरुद्ध जांच

4068. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री 11 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 136 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा मद्रास, प्रत्येक के किरायों पर 5 या 6 लाख रुपये व्यय करने के लिये फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड के प्रबन्ध अधिकारियों पर इस बीच उत्तरदायित्व निश्चित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन अधिकारियों पर ;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) उत्तरदायित्व निश्चित करना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि किये गये खर्च में कोई कदाशय नहीं हैं ।

Fixing Responsibility on Managers of Public Undertakings for Success of Fourth Five Year Plan

4069. **Shri Molahu Prashad :**
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to make the managers of Government Undertakings responsible for making Fourth Five Year Plan a success, completing various programmes in time, achieving production to full capacity and making Government factories and companies able to pay dividends after three years ;

(b) if not, whether Government propose to lay down any provision under which persons holding high posts could be held fully responsible for completing the programmes and also for the losses ; and

(c) if so, when ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The Fourth Five Year Plan has not yet been finalised. As far as working of Public Enterprises is concerned, pursuant to the recommendations of the Administrative Reforms Commission in their Report on "Public Sector Undertakings", Government have recently decided as follows :

> "As a normal rule there should be full-time Chairman-cum-Managing Director. However, there might be exceptions where the Chairman might be only a part-time one. In such cases, there should be a full-time Managing Director.
>
> Even where the Chairman is part-time, he should take on the full responsibilities and should be invested with the full authority. There should, however, be no diffusion of authority between the Chairman and the Managing Director."

It has also been decided in this context that in the case of multi-unit undertakings there should be a clear line of responsibility through the General Managers.

Measures are being taken from time to time and guidelines issued by Government for improving management techniques in all its various aspects in these enterprises. An effective machinery for periodical review and appraisal of the performance of Public Enterprises has also been set up.

(b) and (c). Do not arise.

Funds for Municipalization of Scavenging in Uttar Pradesh During Fourth Plan

4070. **Shri Molahu Prashad :** **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to make additional allocation of funds to the Government of Uttar Pradesh for municipalization of scavenging in U. P. during the Fourth Five Year Plan period ; and

(b) if so, the extent thereof and when the funds will be allocated ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) No, Sir. There is no scheme for municipalization of scavenging in U.P.

(b) Does not arise.

गुजरात में वाणिज्यिक बैंको द्वारा किसानों को ऋण

4071. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में उन वाणिज्यिक बैंकों के नाम क्या हैं जिन्हें रिजर्व बैंक ने किसानों को ऋण देने की अनुमति दी है ; और

(ख) वर्ष 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 में उन्होंने वर्ष-वार कितना ऋण दिया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों से देश के किसानों को और अधिक ऋण देने के लिये कहा है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा गुजरात के किसानों को दिये गये ऋणों की रकम के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। यह सूचना इकट्ठी करने और उसे सभा की मेज पर रखने का प्रयत्न किया जायगा।

Production Capacity of Fertiliser Factories

4072. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Suraj Bhan :
Shri Ranjit Singh :
Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of Petrolium and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) the maximum production capacity of all the fertilizer factories in the country and their actual production ;

(b) if the production capacity is less, the reasons therefor ;

(c) the action taken in this regard ; and

(d) the likely reduction in the price of fertilizers per 100 tons if the maximum capacity of the factories is utilised ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) The present installed capacity and the actual production of fertilizers are as follows :

Capacity

Nitrogenous fertilizers :	1.024 million tonnes of Nitrogen
Phosphatic fertilizers :	0.421 million tonnes of P_2O_5

Production (**April 68—Feb. 69**)

Nitrogenous fertilizers :	0.492 million tonnes of Nitrogen
Phosphatic fertilizers :	0.105 million tonnes of P_2O_5

(b) Out of 1.024 million tonnes, nearly 0.260 million tonnes came into operation only in the last few months and these plants are yet to reach commercial production. Shortage of production is due to a number of factors and the reasons vary from plant to plant. Shortage of raw materials (gypsum-coke-sulphur), break-down of plant, defective designs by suppliers, unsteady power supply in addition to power cuts are some of the reasons for shortfall in production.

(c) In every case, the reasons for shortfall have been identified and corrective steps are being taken.

(d) It is not possible to assess with any reasonable amount of accuracy the reduction in the price of fertilizers when the maximum capacity is utilised.

चंडीगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को क्वाटरों का आवंटन

4073. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे कितने सरकारी कर्मचारियों ने सरकारी मकानों के आवंटन के लिये आवेदन पत्र दिये हैं जिन्हें अब तक सरकारी आवास नहीं मिल पाया है ; और

(ख) उनकी मांग पूरी करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). अभी चण्डीगढ़ में कोई सामान्य पूल वास उपलब्ध नहीं है, अतएव इस बारे में सम्पदा निदेशालय में ऐसे कोई आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, कि चण्डीगढ़ में केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारी हैं तथा उनमें से कितनों ने सरकारी वास के आवंटन के लिए आवेदन दिया है किन्तु जो अभी वास प्राप्त नहीं कर सके। चंडीगढ़ में 132 रिहायशी एककों के निर्माण के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है और 1969 के मध्य तक इनके पूरे हो जाने की सम्भावना है। निधियों के उपलब्ध होने पर, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान चण्डीगढ़ में 520 रिहायशी एककों के निर्माण करने का भी प्रस्ताव है।

उड़ीसा को वित्तीय सहायता

4074. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 में अब तक ऋणों तथा अनुदानों के रूप से उड़ीसा को केन्द्र द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : उड़ीसा की वार्षिक आयोजनाओं के लिए पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता निर्धारित की गयी थी—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	ऋण	अनुदान	जोड़
1966-67	25.24	4.71	29.95
1967-68	20.10	5.90	26.00
1968-69	21.21	3.99	25.20

Incidence of Taxation on Diesel Oil

4075 **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state whether Government propose to bring down the incidence of taxation on diesel oil to prevent mixing of kerosene oil with diesel oil and the adulterated liquid being sold in the market as diesel oil on a large scale resulting in the shortage of kerosene oil and excess of diesel oil ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : There is no such proposal under consideration.

Group Housing Scheme in Delhi

4076. **Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri Suraj Bhan : Shri Ranjit Singh : Shri Brij Bhushan Lal : Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Jagannath Rao Joshi :**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2917 on the 2nd December, 1968 and state :

(a) whether the decision in regard to the Group Housing Scheme in Delhi has since been taken ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

बरौनी उर्वरक कारखाने के लिए नेफ्था का आयात

4077. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री** 16 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 767 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी उर्वरक कारखाने के लिये नेफ्था का आयात किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस आयात पर प्रतिवर्ष कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होने की सम्भावना है और यह आयात कितने वर्षों तक जारी रखे जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जस्ता के आयात के लिए विदेशी मुद्रा

4078. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न श्रेणियों के जस्ते के आयात के लिये वर्ष 1968-69 में विदेशी मुद्रा मंजूर की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी विदेशी मुद्रा की मंजूरी दी गई थी ।

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). 1968-69 में देश में उपलब्ध विद्युत-परिष्कृत (इलेक्ट्रोलिटिक) जस्ते की मात्रा का विचार करके, उच्च शुद्धता के जस्ते को छोड़, सितम्बर 1968 से जस्ते का आयात वास्तविक उपभोक्ताओं तक सीमित श्रेणी में रख दिया गया था ।

उपर्युक्त तारीख से पहले, प्राथमिकता-प्राप्त श्रेणी के कुछ उद्योगों के वास्तविक उपभोक्ता कच्चे माल का आयात करने के अपने सामान्य लाइसेंसों का इस्तेमाल जस्ते का आयात करने के

लिए भी कर सकते थे यदि उनके उद्योग में इस्तेमाल किये जाने वाले कच्चे माल में जस्ता भी हो। जस्ते के आयात के लिए इनके के लिए विदेशी मुद्रा की कोई रकम अलग से निर्धारित नहीं की जाती थी। शेष उद्योगों के निमित्त जस्ते के आयात के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण की निधि में से 253.24 लाख रुपये की रकम निर्धारित की गयी थी। खनिज और धातु व्यापार निगम को भी, सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ से आयात करने के लिए 200 लाख रुपये की और सामान्य मुद्रा साधनों से आयात करने के लिए 30 लाख रुपये की मुक्त विदेशी मुद्रा निर्धारित की गयी थी।

Utilization of Financial Assistance by States

4079. **Shri Yashpal Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chairman of the Fifth Finance Commission has advised the States to make judicious use of financial assistance.

(b) whether any example of injudicious use of financial assistance by the State have come to light and if so the details thereof ; and

(c) the measures taken to impress upon the States to make judicious use thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c). In a Press Conference held in Trivandrum some time ago, the Chairman of the Fifth Finance Commission stressed the need for State Governments to exercise greater prudence in the management of their finances. He did not refer to any instances of injudicious use by the States of Central financial assistance, nor has any such case been brought to the notice of the Government by the Finance Commission. The Government of India have always been advising the States to utilise their resources in the best possible manner and to avoid all unnecessary expenditure.

घाघरा नदी का सर्वेक्षण

4080. **श्री ए० श्रीधरन :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री क० लकप्पा : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री घाघरा नदी के सर्वेक्षण के बारे में 2 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 464 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त निरीक्षण इस बीच पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जी, हाँ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Treatment of Cancer and T. B. Through Ayurvedic System of Medicine

4081. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Kumari Kamala Kumari :**
Shri Narain Swarup Sharma : **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item that incurable

disease like Cancer and T. B can be treated through the Ayurvedic system of medicines and many vaids have put forth certain cases to prove this ;

(b) if so, whether Government propose to provide facilities and resources to vaids similar to those given to allopathic doctors for carrying on research on those incurable diseases ;

भेषजों तथा औषधियों के मूल्य के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

4082. **श्री क० लकप्पा :** **श्री बृज भूषण लाल :**
श्री रणजीत सिंह : **श्री रामगोपाल शालवाले :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी : **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री सूरज भान : **श्रीमती सुशीला नैयर :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा** धातु मन्त्री 9 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 602 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्वपूर्ण भेषजों तथा अन्य औषधियों के मूल्यों के बारे में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री० दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं । यह अभी भी विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में अधिकारियों की सेवा की अवधि बढ़ाना

4083. **श्री क० लकप्पा :** **श्री ए० श्रीधरन :**

पैटोलियम तथा रसायन **और खान तथा** धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम श्रेणी के ऐसे कितने अधिकारियों की, जिन्हें 1968 में 58 वर्ष की आयु होने पर सेवा निवृत्त होना था, सेवा की अवधि बढ़ाई गई है, अथवा पुनर्नियुक्ति की गई है ;

(ख) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उनकी सेवा की अवधि बढ़ाने अथवा पुनः नियुक्ति करने के क्या कारण है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में ऐसा कोई केस नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

शिलांग में पकड़ी गयी चीनी मुद्रा

4084. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा भूमि सीमा शुल्क विभाग ने दिसम्बर, 1968 के दूसरे सप्ताह में शिलांग में पुराने शासन के चीनी करेंसी नोट भारी संख्या में पकड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है और उसके क्या परिणाम निकले ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 12 दिसम्बर 1968 को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता कार्यालय शिलांग के अधिकारियों ने शिलांग के एक रिहाइशी मकान से कुअमिन्तांग शासनकाल की चीनी मुद्रा 2,32,200 यान मूल्य के नोटों में बरामद की थी, जिनका अब कोई मुल्य नहीं है।

(ख) जांच पड़ताल से पता चला है कि पुरानी मुद्रा के ये नोट स्थानीय खासी लोगों ने चीन के एक टूटे हुए हवाई जहाज से उठाये थे, जो सन् 1944 में संयुक्त खासी तथा जयन्तिया पहाड़ियों में टकरा कर गिर गया था। ये ही नोट विभिन्न व्यक्तियों के पास पहुंच गये थे।

भोजन बनाने के काम आने वाली गैस का सम्भरण

4085. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने नगर में भोजन बनाने वाली गैस के सम्भरण की एक योजना उनके मन्त्रालय को भेजी है ;

(ख) क्या सरकार ने उसे उचित नहीं समझा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक वित्त निगम

4086. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गयी, उसके उद्देश्य क्या थे, और वह अपने उद्देश्यों तथा लक्ष्य की प्राप्ति में कहां तक सफल हो सका है ;

(ख) निगम ने गत तीन वर्षों में देश के उद्योगों को क्या वित्तीय सहायता दी है ;

(ग) गत तीन वर्षों में कितने ऋण दिए गए तथा 5 लाख रुपये से अधिक ऋण प्राप्त करने वालों के नाम क्या हैं ;

(घ) पिछले तीन वर्षों में कितने ऋण बट्टे खाते में डाल दिये गए ; तथा 31 मार्च,

1968 तक जिनके ऋण बट्टे खाते में डाले गये उनके नाम क्या हैं और ऐसे प्रत्येक मामले में राशि कितनी है ; और

(ङ) कुल कितनी राशि के ऋण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं लौटाये गये हैं और उनमें से मूल कितना है तथा ब्याज कितना ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 के अधीन 1 जुलाई, 1948 को दी गई थी। इसका उद्देश्य भारत के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को (पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों और सहकारी समितियों) खास कर ऐसी परिस्थितियों में, जहाँ बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण यथेष्ट न हो या पूंजी जारी करके धन जुटाना व्यवहार्य न हो, वहाँ दरमियानी और लम्बी अवधि के ऋण अधिक आसानी से उपलब्ध कराना है। इसका मुख्य कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक प्रायोजनाओं का वित्त-प्रबन्ध करना है। इन उद्देश्यों के अनुसार देश के औद्योगिक विकास में यह निगम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निगम की स्थापना से लेकर. पिछले बीस वर्षों में अर्थात 30 जून, 1968 तक, निगम ने 952 आवेदन-पत्रों के आधार पर 443 औद्योगिक प्रायोजनाओं को 305.05 करोड़ रुपये तक की वास्तविक वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। उपर्युक्त राशि में से 199.97 करोड़ रुपये की वास्तविक सहायता नयी प्रायोजनाओं के लिये थी और 105.08 करोड़ रुपया चालू प्रतिष्ठानों के विस्तार, उनके आधुनिकीकरण और उन में विविध प्रकार की वस्तुएं तैयार करने की व्यवस्था करने के लिये था। स्वीकृत सहायता की रकम में से कुल 266.19 करोड़ रुपये की रकम का विवरण किया गया जिसमें से 215.42 करोड़ रुपया नकद वितरित किया गया। निगम ने कई किस्मों के उद्योगों को सहायता दी है और इस सहायता से जिन प्रायोजनाओं का वित्त प्रबन्ध किया गया है वे सारे भारत वर्ष में फैली हुई हैं। निगम को अपने कार्यकलापों को प्रादेशिक आधार पर फैलाने में पर्याप्त सफलता मिली है। औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को विशेष प्रोत्साहन देने की सरकार की नीति के अनुसार, सहकारिता क्षेत्र के विकास कार्यक्रम में निगम का योगदान उल्लेखनीय रहा है। 30 जून 1968 तक निगम द्वारा औद्योगिक सहकारी संस्थाओं के लिये मंजूर की गयी 56.84 करोड़ रुपये की वितीय सहायता उस तारीख तक इसके द्वारा मंजूर की गयी कुल वास्तविक वित्तीय सहायता का 18.6 प्रतिशत है।

(ख) और (ग). निगम का लेखा-वर्ष जुलाई से जून तक है। 30 जून, 1966, 30 जून, 1967 और 30 जून, 1968 को समाप्त होने वाले पिछले तीन लेखा-वर्षों में निगम द्वारा मंजूरी की गयी वित्तीय सहायता की सूचना के साथ-साथ उन सभी पार्टियों के नाम, जिनके लिये सहायता मन्जूर की गयी थी क्रमशः 10 नवम्बर, 1966, 23 नवम्बर, 1967 और 18 नवम्बर 1968 को लोकसभा की मेज पर रखी गयी औद्योगिक वित्त-निगम की 18वीं, 19वीं और 20वीं वार्षिक रिपोर्टों के अनुबन्ध 'ख' में दिये गये हैं।

(घ) 30 जून, 1968 को समाप्त होने वाले पिछले तीन लेखा-वर्षों में सरकार ने अशोध्य ऋण के रूप में कोई ऋण या ऋण का कोई भाग बट्टे-खाते नहीं डाला है। फिर भी, ऋण लेने वाली कम्पनियों द्वारा ब्याज की अदायगी और मूलधन की किस्तों की वापसी न किये जाने

के कारण रकमों में वृद्धि हुई है, लेकिन अदायगी न किये जाने का कारण बहुत से मामलों में, व्यापार सम्बन्धी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, जानबूझकर निगम की देय रकमों की अदायगी टालना नहीं है। फिर भी, दूरदर्शिता के उपायस्वरूप 1966-67 और 1967-68 में प्रतिवर्ष अशोध्य और सन्दिग्ध ऋणों से सम्बद्ध प्रारक्षित निधि में 25-25 लाख रुपये की रकम अन्तरित की गयी थी।

(ङ) 30 जून, 1968 को जिन 261 कम्पनियों से कुल 139.68 करोड़ रुपये की रकम लेनी बाकी थी उन में से 48 कम्पनियों ने उस तारीख तक क्रमशः मूल धन की किस्तों के 149.32 लाख रुपये और ब्याज के 202.81 लाख रुपये की रकम अदा नहीं की थी।

जनांकिकीय प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र, बम्बई

4087. **श्री जार्ज फरनेंडीज** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई स्थित जनांकिकिय प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र के प्रशासन के बारे में सरकार को कोई नये अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन में क्या प्रार्थना की गई है ;

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या उस केन्द्र के निदेशक के आचरण के विरुद्ध आरोपों के बारे में जांच पूरी हो गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी हाँ।

(ख) कुप्रशासन और शक्ति के दुरुपयोग के संबंध में।

(ग) मामले की जांच की जा रही है।

(घ) जनविद्या प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र, बम्बई के निदेशक के विरुद्ध आरोपों की जांच जल्दी ही पूरी हो जायेगी।

पवित्र स्थानों में कुष्ठ रोगी

4089. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरिद्वार, ऋषिकेश आदि पवित्र स्थानों में बहुत से कुष्ठ रोगियों की बहुत अधिक संख्या है और विदेशी पर्यटक विदेशों में भारत विरोधी प्रचार के लिये इन लोगों के फोटो उतार लेते हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इन व्यक्तियों को वहाँ से हटा कर उचित आश्रमों-अस्पतालों में रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के०

के० शाह) : (क) यह सत्य है कि भिखारी, जिनमें कुष्ठ रोगी भी सम्मिलित हैं, तीर्थ स्थानों में घूमते-फिरते हैं। यह हो सकता है कि कुछ पर्यटकों ने उनके फोटो उतार लिये हों।

(ख) इस समस्या के हल के लिये केन्द्र तथा राज्यों के अपने अपने कानून हैं।

सम्पदा निदेशालय के कार्य के बारे में जांच

4090. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्पदा निदेशालय को निष्काशन नोटिस जारी करने तथा सरकारी क्वार्टरों का आवंटन रद्द करने के अधिकार दे दिये गये हैं ;

(ख) क्या सम्पदा निदेशालय को मिले अधिकार के दुरुपयोग का कोई मामला सरकार के ध्यान में आया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसके कार्य की जांच कराने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). पात्र सरकारी कर्मचारियों को सामान्य पूल वास का आवंटन (एलाटमेंट आफ गवर्नमेंट रैजीडेन्स (जनरल पूल इन दिल्ली) रूल्ज 1963 के अधीन प्रशासित होता है। उक्त नियमों के अधीन रिटायरमेन्ट, छुट्टी, स्थानान्तरण त्यागपत्र, उप-किरायादारी आदि जैसी कुछ घटनाओं के होने पर, संपदा निदेशालय के उपर्युक्त अधिकारी द्वारा आवंटन रद्द किये जा सकते हैं या रद्द समझे जा सकते हैं उसके आवंटन के रद्द होने पर, दखल कार परिसर में अनधिकृत हो जाता है और यदि वह परिसर को खाली नहीं करता तो मामला पब्लिक प्रिमिसेज (इविक्शन आफ अनाथोराइज्ड आक्यूपेन्ट्स) एक्ट 1958 की धारा 4(1) के अधीन, नियुक्त समर्थ प्राधिकारी अर्थात संपदा अधिकारी को भेजा जाता है। संपदा अधिकारी उक्त एक्ट की धारा 4(1) के अधीन, "कारण बताओ नोटिस" जारी करके बेदखली की कार्यवाही आरंभ कर देता है और विधि अनुसार कार्यवाही को अंतिम रूप देता है। संपदा अधिकारी द्वारा इस बारे में किये गये आदेश की न्यायिक छानबीन जिला न्यायाधीश द्वारा की जा सकती है और यदि वे सन्तुष्ट हों तो सम्पदा अधिकारी के आदेश को रद्द कर सकते हैं इसके अनुसार, अपील प्राधिकारी अर्थात जिला न्यायाधीश अथवा अपर जिला न्यायाधीश ही इस बात का फैसला कर सकता है कि क्या सम्पदा अधिकारी को दी गई शक्ति का दुरुपयोग हुआ है। अभी तक सरकार के नोटिस में ऐसा कोई मामला नहीं आया, जिससे जिला न्यायाधीश के सम्पदा अधिकारी द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की ओर ध्यान दिलाया हो।

अस्पतालों में अधीक्षकों की नियुक्ति

4091. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा** : 　　**श्री ओम प्रकाश त्यागी** :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी : 　　**कुमारी कमला कुमारी** :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में आल इन्डिया मैडीकल एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा था कि अस्पतालों में अधिकांशत: ऐसे व्यक्तियों को अधीक्षक नियुक्त किया जाता है जिन्हें अस्पताल प्रशासन का कोई ज्ञान नहीं होता ; और

(ख) यदि हां, तो इस त्रुटि को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) 14 दिसम्बर, 1968 को इंडियन हास्पिटल एसोसियेशन के आठवें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री ने कहा था कि अधिकांश अस्पतालों में मैडिकल सुपरिन्टेंडेंट, डिप्टी मैडिकल सुपरिन्टेंडेंट और अन्य अधिकारियों को इस क्षेत्र में औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हैं।

(ख) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में अस्पताल प्रशासन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन तथा शिक्षा संस्था में स्टाफ कालेज के पाठ्यक्रम हैं।

Examination of Patients by Doctors in Delhi

4092. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the average time taken by a doctor to examine one patient in the Government and semi-Government hospitals in New Delhi and Delhi ;

(b) whether it is possible to examine a patient satisfactorily during the above time ;

(c) if not, whether any measures are proposed to be taken with a view to improve the situation regarding examining the Patient by doctors satisfactorily ; and

(d) if so, when they are likely to be implemented ?

The **Minister of Health, Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah)** : (a) and (b). Information available from the Willingdon and Safdarjang Hospitals indicates that on an average a patient is examined in the out-patient department for five minutes in the Willingdon Hospital and three minutes in the Safdarjang Hospital. The actual time taken various with the nature of the case. New cases take more time than old cases and patients requiring detailed investigations are referred to special clinics.

(c) and (d). The staff strength is augmented from time to time in the light of requirements.

आन्ध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की पेय जल योजनाएं

4093. **श्री गार्डिलिगन गौड़** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिये आन्ध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सरकारों ने पेय जल की सप्लाई के सम्बन्ध में कितनी योजनाएं भेजी हैं ; और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनमें से कितनी योजनाएं केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई हैं और कितनी वापस भेजी गई हैं ; और

(ग) वे योजनाएं पुनः राज्य सरकार को भेजने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना परिशिष्ट (1) और (2) में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी० 467/69]

(ग) राज्य सरकारों को योजनाएं वापस भेजने कारण संक्षेप में इस प्रकार हैं :—

नगर योजनाओं के सम्बन्ध में

निम्नलिखित कारणों में से किसी एक या अनेक कारणों से इन योजनाओं को अपरिवर्तन संशोधन अथवा पुनरीक्षण के लिये वापस भेजा गया :—

(1) विस्तृत ब्यौरे अथवा नक्शे, अथवा पूर्णरूपेण औचित्य के बिना प्रस्ताव की केवल रूप रेखा प्राप्त हुई,

(2) अनेक प्रकार की तकनीकी विवरणों को सुझाये गये तरीके से संशोधित करके और कार्य कुशलता को प्रभावित किये बिना प्रति व्यक्ति अधिकतम खर्च में कमी करने के लिये आवश्यक पुनरीक्षण करने के हेतु,

(3) भारत के भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण अधिकारियों के परामर्श से पूर्णतः शोधित भूतल स्रोत की अपेक्षा भुमि-स्तर जल पूर्ति की संभावनाओं का पता लगाने हेतु,

(4) जल दूषण की रोकथाम के विचार से जल स्रोत तथा उसकी स्थिति का पुनरीक्षण करने के हेतु।

ग्राम योजनाओं के सम्बन्ध में

(1) स्वास्थ्य मंत्रालय आदि द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बहुत सी योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी जा सकती थी,

(2) निर्दिष्ट सुझावों के अनुसार योजना का संशोधन करके प्रति व्यक्ति अधितम खर्च में कमी करने के लिये,

(3) प्रस्तावों का औचित्य सिद्ध करने के लिये अतिरिक्त विवरण मांगा गया,

(4) ग्राम समुदाय के हेतु एक विश्वसनीय और सुरक्षित जल पूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये एक वैकल्पिक प्रादेशिक जल पूर्ति योजना की जांच करने के लिये।

एल्यूमिनियम उद्योग में संकट

4094. **श्री एम० नारायण रेड्डी** :

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में एल्यूमिनियम उद्योग की संवृद्धि के कारण

सरकारी क्षेत्र के दो कारखानों को, जो 2-3 वर्ष में उत्पादन आरम्भ करेंगे, अपने उत्पादकों के लिए उपयुक्त बाजार खोजने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो भारी लागत से सरकारी क्षेत्र में कारखाने स्थापित करने की क्या आवश्यकता है ;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र में कारखाने स्थापित करने की वांछनीयता पर विचार करने से पहले अथवा अन्यथा विस्तारपूर्वक अध्ययन किया गया है ; और

(घ) वर्तमान स्थिति में क्या सुधार करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) नहीं । सरकारी क्षेत्र की दोनों एल्यूमिनियम प्रायोजनाओं के, जो कि क्रियान्वित की जा रही है, 1973 और 1974 के वर्षों के दौरान उत्पादन प्रारंभ कर देने की संभावना है और गैर-सरकारी क्षेत्र में एल्यूमिनियम के उत्पादन का इन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ख) सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों की स्थापना । 1969-74 के दौरान मांग में वृद्धि की पूर्ति के विचार से की जा रही है ।

(ग) जी ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में सरकारी उपक्रम

4095. **नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 तक गुजरात में केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों में कितनी पूंजी लगाई गई है ; और

(ख) वर्ष 1968-69 में इसी प्रयोजन के लिये राज्य में और कितनी पूंजी लगाये जाने का विचार है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों के गुजरात राज्य में स्थित एककों की कुल परिसम्पत्ति का मूल्य 1967-68 के अन्त में 77.8 करोड़ रुपया था ।

(ख) चालू वर्ष में किये गये निवेश के ठीक-ठीक राज्यवार आंकड़े वर्ष की समाप्ति के बाद, वार्षिक लेखों के बन्द किये जाने पर ही उपलब्ध हो सकेंगे । फिर भी, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और भारतीय तेल निगम लिमिटेड जैसे उपक्रमों द्वारा, जिनके बहुत से एकक हैं, 1968-69 के दौरान गुजरात राज्य में काफी अधिक रकम का निवेश किये जाने की संभावना है ।

Seizure of Contraband Gold and Goods

4096. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4575 on the 16th December, 1968 and state :

(a) whether the information sought in regard to seizure of contraband gold and goods in 1967-68 and 1968-69 has since been collected ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). The value of smuggled gold and other goods seized by Customs and Central Excise authorities during the years 1967-68 and 1968-69 (upto 30-11-1968) and already furnished in response to assurance arising out of the reply given to unstarred question No. 4575, is as under :

Year	Value of gold seized (Rs, crores)	Value of other goods seized (Rs. crores)
1967-68	5.32	11.74
1968-69 (for 8 months upto 30.11.68)	1.75	9.08

Installation of Mahatma Gandhi's Statue at India Gate

4097. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the statue of Mahatma Gandhi has since been installed at India Gate from where the statue of George V was removed ;

(b) the estimated expenditure involved in the removal and installation of the Statue of George V and Mahatma Gandhi respectively ; and

(c) the weight of the removed statue and whether Government propose to sell it to British Government ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No. Sir.

(b) The estimated expenditure incurred on the removal of the statue of King George V is Rs. 4,200/-. The expenditure involved in the installation of the statue of Mahatma Gandhi has not yet been estimated.

(c) The weight of the statue of King George V is about 32 Tonnes. There is no proposal under consideration to sell this statue to the British Government.

भारत के निर्यात का भुगतान संतुलन पर प्रभाव

4098. **श्री अ्रविचन :**

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से दिसम्बर, 1968 तक चालू वित्तीय वर्ष के पहले नौ मास में विदेशी व्यापार संबंधी आंकड़े क्या हैं और इस अवधि के लिये भुगतान संतुलन के बारे में स्थिति क्या है ;

(ख) अब शेष तीन भाग तथा समूचे वर्ष के लिये विदेश व्यापार तथा भुगतान संतुलन के बारे में अनुमान क्या है ; और

(ग) वर्ष के पिछले तीन मास में भुगतान संतुलन में कमी की राशि को घटाने के लिये क्या विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). भारत ने अप्रैल से दिसम्बर, 1968 तक की अवधि में लगभग 1376 करोड़ रुपये के मूल्य के माल का

आयात और 1019 करोड़ रुपये के मूल्य के माल का निर्यात किया था। तदनुसार भारत का व्यापारिक घाटा 357 करोड़ रुपये का रहा जबकि इससे पिछले वर्ष की इसी अवधि में व्यापारिक घाटा 582 करोड़ रुपये का था। निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी होने की प्रवृत्ति के कारण हमारा व्यापारिक घाटा पहले की अपेक्षा कम रहा और आशा है कि यह प्रवृत्ति साल भर बनी रहेगी। पर वर्ष में ऋण और ब्याज चुकाने के लिये की जानेवाली अदायगियां, 1967-68 की अपेक्षा, अधिक होगी। इस वर्ष, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि को 780 लाख डालर की वास्तविक रकम चुकायी जायगी। जबकि इससे पिछले वर्ष उक्त निधि से 325 लाख डालर की वास्तविक रकम ली गयी थी। इसके परिणामस्वरूप, पूरे वर्ष में कुल मिलाकर, हमारी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति में, मामूली-सा सुधार होने की संभावना है।

(ग) निर्यात को बढ़ावा देने और आयात की जाने वाली वस्तुओं जैसी वस्तुएं देश में बनाने के सम्बन्ध में जो उपाय किये गये हैं वे अब भी किये जा रहे हैं।

श्रीमती माला सिन्हा द्वारा परिवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोप

4099. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीमती माला सिन्हा द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोप और शिकायतें क्या है ;

(ख) सम्बन्धित अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं ;

(ग) क्या यह शिकायत केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजी गयी थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम था ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) यह आरोप लगाया गया था कि 24 अगस्त 1964 को जिन प्रवर्तन अधिकारियों ने बम्बई में श्रीमती माला सिन्हा के निवास-स्थान की तलाशी ली थी उन्होंने तलाशी के समय पकड़ी गयी नकदी तथा बहुमूल्य वस्तुओं में से (I) एक ट्रांजिस्टर टेप रिकार्डर तथा (II) दस अशर्फियों का गबन कर लिया था।

(ख) (I) श्री एस० जी० सहस्रभोजने, उपनिदेशक, प्रवर्तन, बम्बई तथा

(II) श्री जी० आई० सरगुरू, प्रवर्तन अधिकारी, बम्बई।

(ग) जी, हां।

(घ) जांच-पड़ताल पर, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पाया कि आरोपों की पुष्टि नहीं हुई, और ब्यूरो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की कोई सामग्री नहीं है।

कलकत्ता में गन्दी बस्तियाँ

4100. **श्री समर गुह** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में गन्दी बस्तियों की कुल संख्या कितनी है और वहां रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या गन्दी बस्तियों में रहने वाले इतनी भारी जनसंख्या ने भारत के इस सब से बड़े नगर के लिये, जिसे देश के पूर्वी क्षेत्र में भारयीय अर्थव्यवस्था का केन्द्र कहा जाता है, विभिन्न समस्यायें उत्पन्न कर दी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिये अधिक अच्छे मकानों की सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये उन क्षत्रों के विकास करने के लिये धन देने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) कलकत्ता में 7 लाख व्यक्ति लगभग 3200 छोटी-छोटी बस्तियों में रह रहे हैं।

(ख) जी हां ।

(ग) यह समस्या, जो कि देश के सभी महानगरों तथा अन्य बड़े शहरों में समान है, मुख्यत: सम्बन्धित राज्य सरकार के उत्तरदायित्व में है । केन्द्रीय सरकार उनको गन्दी बस्ती सफाई तथा सुधार योजना के अन्तर्गत जो कि 1956 में लागू हुई थी जहाँ तक हो सकता है सहायता देती आ रही है । इस योजना के अन्तर्गत 1967-68 के अन्त तक पश्चिमी बंगाल सरकार को 3 करोड़ रुपये से अधिक केन्द्रीय सहायता उपलब्ध की जा चुकी थी ।

कलकत्ता में बेकार व्यक्तियों के लिए रैन बसेरों के लिये सहायता

4101. **श्री समर गुह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बृहत कलकत्ता क्षेत्र में गन्दी बस्तियो में रहने वालों के अतिरिक्त, हजारों बेघर व्यक्ति भी रहते हैं ;

(ख) क्या उन लोगों के कारण इस नगर को सामाजिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी गम्भीर खतरा पैदा हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन बेघर लोगों के लिए रैन बसेरे बनाने के लिए कोई केन्द्रीय सहायता देने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) यह असंभावित नहीं है ।

(ग) गन्दी बस्ती सफाई और सुधार योजना, जो इस मन्त्रालय द्वारा 1956 में आरम्भ की गई थी, मैं राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता के देने के साथ साथ रैन बसेरों के निर्माण की व्यवस्था भी की गई है । यह पूर्णत: राज्य सरकारों पर निर्भर है कि वे इस योजना के अधीन उपलब्ध वित्तीय सहायता का उचित भाग, उपयुक्त स्थानों पर रैन बसेरों के निर्माण के लिये उपयोग करें ।

भारत में गर्भपात के मामले

4102. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में गर्भपात के मामलों की संख्या अमरीका में इन मामलों की तुलना में छः गुना होने का अनुमान है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और इस निष्कर्ष तक पहुंचने के आधार क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० चन्द्र शेखर) : (क) और (ख). भारत में गर्भपात से सम्बन्धित आँकड़ों का हिसाब केवल उन मामलों में रखा जाता है जिनकी चिकित्सा अस्पतालों में की जाती है पूर्ण तथा विश्वसनीय आँकड़ों के अभाव में भारत और अमरीका में होने वाले गर्भपात के मामलों की कोई तुलना करना सम्भव नहीं है ।

Shortage of Houses in Delhi

4103. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of houses and flats that were proposed to be constructed in Delhi during the Third Five Year Plan and the number of them constructed ; and

(b) the extent of shortage of houses in Delhi at present and the extent to which it would be met during the next three years ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : The Master Plan of Delhi, which was finalised in September, 1962, recommended the construction of 1.25 lakhs houses by various executing agencies during the Third Plan period. Against this, the actual construction was estimated to be about 71,000 only.

(b) According to the indications given in the Master Plan for Delhi, the shortage of housing in Delhi at the end of 1968-69 would be of the order of 3,60,000 dwelling units.

Subject to the availability of developed land and funds, under the social housing schemes of this Ministry and as General Pool Accommodation for Central Government employees, about 55,000 dwelling units (including plots under the Jhuggi Jhonpri Removal Scheme), may be available during the three years ending 1971-72.

उत्तर प्रदेश में कृषि-कार्यों के लिये सस्ती बिजली

4104. **श्री विश्वनाथ पाण्डे :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि कार्यों के लिए सस्ती बिजली का उपयोग करने के लिये राज्य में विद्युत की मात्रा में वृद्धि करने के लिये 1968-69 में उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता देने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जी, हां। 1968-69 के दौरान उत्तर प्रदेश को 11 करोड़ रुपये की कुल प्रथम रक्षित केन्द्रीय सहायता दी गई थी। उसका ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) रामगंगा बहूद्देश्यीय परियोजना 3 करोड़ रुपये

(2) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें 8 करोड़ रुपये

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जल प्रदाय तथा सफाई योजना

4105. **श्री विश्व नाथ पाण्डेय** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय जल प्रदाय तथा सफाई योजना लागू करने के लिए सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान और 1966-67 तथा 1967-68 में उत्तर प्रदेश के लिए कितनी और किस प्रकार की सहायता दी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : राष्ट्रीय जल पूर्ति एवं सफाई योजना के अधीन सभी राज्यों की, नगर तथा ग्राम दोनों वर्ग की जल पूर्ति एवं सफाई योजनाओं के लिए निम्नलिखित तरीके से केन्द्रीय सहायता मिल सकती है :—

(i) **नगर जल पूर्ति योजनाएं** : 100 प्रतिशत ऋण

(ii) **ग्राम जल पूर्ति योजनाएं** : 50 प्रतिशत सहाय्यानुदान 1961 की जनगणना के अनुसार 20,000 की आबादी वाले छोटे शहरों की जल पूर्ति योजनाओं को भी 1966-67 से 50 प्रतिशत सहाय्यानुदान दिया जाता है।

(iii) **मल निष्कासन योजनाएं** : तृतीय योजना तक शत-प्रतिशत जिसमें 1966-67 से आगे यह संशोधन कर दिया गया है कि 75 प्रतिशत ऋण तथा जहां मल का उपयोग कृषि के कामों के लिए किया जाय वहां 25 प्रतिशत सहायता जिसे केन्द्र और राज्य बराबर वहन करेंगे।

तृतीय योजना में और 1966-67 तथा 1967-68 में इस कार्यक्रम के अधीन उत्तर प्रदेश को केन्द्र द्वारा दी गई सहायता इस प्रकार है :—

			रुपये लाखों में	
	तृतीय योजना	1966-67	1967-68	योग
नगर	818.51	229.38	147.59	1195.39
ग्राम	65.93	10.80	1380	90.53

उत्तर प्रदेश के मैडिकल कालेजों को अनुदान दिया जाना

4106. **श्री विश्वनाथ पान्डेय :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मैडिकल कालेज को कितनी-कितनी राशि अनुदान के रूप में दी ; और

(ख) वर्ष 1968-69 के दौरान इन मैडिकल कालेजों के विकास के लिये अनुदानों के रूप दी जाने वाली राशि कितनी है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : चिकित्सा शिक्षा के विकास के लिये राज्य सरकारों को दो प्रकार की योजनाओं नामतः केन्द्र सहाय्यित योजनाएं तथा केन्द्र पुरस्कृत योजनाएं ।

केन्द्र सहाय्यित योजनाओं, जिनमें नये चिकित्सा कालेजों की स्थापना की योजना सम्मिलित है के लिए सहायता प्रत्येक संस्थान को अलग-अलग न देकर इस वर्ग की सभी योजनाओं के लिए एक मुश्त दी जाती है । अतः उत्तर प्रदेश के चिकित्सा कालेजों को कालिजवार 1967-68 में दी गई सहायता तथा 1968-69 में इस प्रयोजन के लिए रखी गई राशि का उल्लेख कर सकना संभव नहीं है तथापि इस राज्य को 1967-68 के वर्ष के लिए, 1967-68 और 1968-69 में क्रमशः 0.69 लाख तथा 30.24 लाख रुपये, केन्द्र सहाय्यित योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में दिये गये ।

जहां तक केन्द्र पुरस्कृत योजनाओं, जिनमें चिकित्सा कालेजों की प्रवेश क्षमता बढ़ाने तथा उनमें स्नातकोत्तर/दन्त चिकित्सा विभागों के खोलने की योजनाएं सम्मिलित है, का सम्बन्ध है, 1967-68 के वर्ष के लिए 1968-69 में 6.17 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में दिये गये । विभिन्न चिकित्सा कालेजों के लिये केन्द्रीय सहायता का आबंटन राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी ।

उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी केन्द्र पुरस्कृत योजनाओं के लिये चालू बर्ष में 4.22 लाख रुपये की व्यवस्था है ।

मन्त्रियों तथा संसदीय प्रतिनिधि मंडलों की विदेश यात्रा

4107. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) 1 दिसम्बर, 1968 से 15 फरवरी, 1969 की अवधि में कितने मन्त्रियों, राज्य मन्त्रियों तथा उपमन्त्रियों ने विदेशों की यात्रा की तथा कितने संसदीय प्रतिनिधि मण्डल विदेश गये ;

(ख) उनकी विदेश यात्रा का उद्देश्य क्या था ; और

(ग) उनकी विदेश यात्राओं पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा इकट्ठी होते ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे स्थित कारखाने का अमोनिया संयन्त्र

4108. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे स्थित कारखाने का अमोनिया संयन्त्र जून, 1968 से तीन महीने के लिए बन्द पड़ा था ;

(ख) क्या खराब आक्सीजन पम्प की मरम्मत करने के लिये अमरीका से एक विशेषज्ञ को बुलाया गया था ;

(ग) क्या अमरीका से एक नये आक्सीजन पम्प का भी आयात किया गया था ;

(घ) आयातित आक्सीजन पम्प पर कितनी लागत आयी और विशेषज्ञ के भारत आने पर कितना व्यय हुआ ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि आयात किये गये नये पम्प को खोलने पर उसमें भी त्रुटि पायी गई ; और

(च) अन्ततः संयन्त्र को किस प्रकार चालू किया गया और संयन्त्र के बन्द होने के कारण उत्पादन की कुल कितनी हानि हुई ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं। सन्यन्त्र सात दिन के लिए अगस्त 1968 में बिल्कुल बन्द रहा।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। अमरीका से केवल एक फालतू घूर्णक पुर्जा मंगाया गया था।

(घ) (1) आयातित पुर्जे की लागत विदेशी मुद्रा में 766३.00 डालर तथा भारतीय मुद्रा में 17860.13 रुपये थी।

(2) विशेषज्ञ पर होने वाला व्यय विदेशी मुद्रा में 2079.00 डालर तथा भारतीय मुद्रा में 11666.60 रुपये था।

(ङ) आयातित पुर्जा त्रुटियुक्त पाया गया था।

(च) कम्पनी के पुराने चालू पुर्जों को अपनी वर्कशाप में निस्तारण करके इस्तेमाल किया है विशेषज्ञ के निम्न मदों को अपने साथ लाने की व्यवस्था की थी।

(1) एक नया परिवर्तित प्रकार का युग्मन

(2) पहले से डिजायन वाले ऊर्ध्वमुख प्रधात (अपवर्ड थ्रस्ट) के बदले मोटर के वियरिंग (bearing) पर अधः प्रधात (डाउनवर्ड थ्रस्ट) के लिए एक परिवर्तित किट (Kit) की व्यवस्था।

(3) पहले से डिजाइन वाले ग्रीज लुब्रीकेशन के स्थान पर यान्त्रिक बन्ध (मैकैनीकल सील) तेल लुब्रीकेशन के लिए एक परिवर्तित किट की व्यवस्था।

आक्सीजन पम्प पर परिवर्तन किये गये और ट्राम्बे के इन्जीनियरों और तकनीशनों ने पम्पों को सफलतापूर्वक फिर से चलाया।

निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर उत्पादन में कुल हानि 4440 मीटरी टन अमोनिया की थी।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा एक भूतपूर्व आयकर अधिकारी की आलोचना

4109. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश मिस्टर जस्टिस पी० बी० मुकर्जी द्वारा टर्नर मोरिसन एण्ड कम्पनी बनाम हंगर फोर्ड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटड (स्वैच्छिक परिसमापन में) वाले मुकदमा संख्या 2005 में एक भूतपूर्व आयकर अधिकारी, जो अब मैसर्स टर्नर मोरिसन एण्ड कम्पनी के लेखा परीक्षा विभाग के आन्तरिक प्रमुख के रूप में कर्मचारी हैं, की गयी आलोचना की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का उक्त निर्णय पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ।

(ख) कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले की नकल सरकार को हाल में ही मिली है तथा मामले में उपर्युक्त कार्यवाही करने की दृष्टि से उस पर विचार किया जा रहा है।

भाखड़ा नंगल परियोजना

4210. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार भाखड़ा नंगल परियोजना पर उसके योजना परिव्यय से अधिक धन खर्च करती रही है और उसने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि उस पर परिव्यय से अधिक खर्च की गई राशि को केन्द्रीय ऋण मान लिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो पंजाब सरकार ने उस पर 1967-68 और 1968-69 में कितनी कितनी राशि अधिक खर्च की है ;

(ग) नियत राशि से अधिक राशि खर्च किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) पंजाब सरकार के इस अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि नियत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को केन्द्रीय ऋण मान लिया जाये ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). स्वीकृत ऋण राशि से व्यय कुछ थोड़ा सा अधिक है जो एक लम्बी अवधि में हुआ है, परन्तु राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में अभी तक कोई पत्र नहीं आया है।

(ख) 1967-68 में लगभग 27 लाख रुपये अधिक खर्च हुए हैं।

विदेशी सहयोग

4111. **श्री मगलाथुमाडोम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ग्राफ इण्डिया के गवर्नर ने हाल में कहा है कि उद्योगों में विदेशी सहयोग से देश की विदेशी मुद्रा की ग्राय में रुकावटें पैदा होती हैं ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने ऐसी कोई बात कही है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

उर्वरक उत्पादन प्रणाली

4112. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन ग्रौर खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में उर्वरक की उत्पादन प्रणाली में बड़े परिवर्तन करने पर विचार कर रही हैं ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन ग्रौर खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) ग्रौर (ख). जी नहीं । तथापि, सरकार जहां कहीं सम्भव हो, सम्मिश्र उर्वरकों तथा उच्च पोषकांश के उर्वरकों के उत्पादन को प्रोत्साहन देती है ।

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क द्वारा माल पकड़ना

4113. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री नाथूराम ग्रहिरवार :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में तथा वर्ष 1968-69 में ग्रब तक सीमा शुल्क ग्रौर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क द्वारा क्या मुख्य वस्तुएं पकड़ी गई हैं ग्रौर उनके निपटारे का क्या तरीका है ;

(ख) क्या पकड़ा गया सभी माल निपटा दिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; ग्रौर

(घ) सीमा शुल्क विभाग के पास ग्रभी भी निपटाये जाने के लिये कितने मूल्य का माल पड़ा हुग्रा है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

ग्रामीण आवास विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अग्रिम परियोजनाएं

4114. **श्री बे० कु० दास चौधरी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में देश में ग्रामीण आवास विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ अग्रिम परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जायेगा ;

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ग्रामीण आवास के लिए परियोजनाओं पर व्यय की जाने वाली राशि का अनुमान क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

पाइप लाइनों द्वारा लोह अयस्क पहुंचाने के बारे में अमरीकी विशेषज्ञों के सुझाव

4115. **श्री वासानी :**

श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अमरीकी विशेषज्ञों ने हाल में लौह अयस्क को पाइप लाइनों द्वारा खानों से बन्दरगाह तक पहुंचाने की व्यवहारिकता का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या इस सुझाव पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और इस प्रस्ताव का आर्थिक दृष्टि से ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथराव)

(क), (ख) और (ग). सम्भवतः प्रश्न कुद्रेमुख लोह अयस्क प्रायोजना के सम्बन्ध में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अमरीका की मारकोना कारपोरेशन तथा तीन जापान की व्यापारिक कम्पनियों (सामूहिक रूप से एम० ओ० एन० नाम से विख्यात) के साथ मैसूर में कुद्रेमुख लोह अयस्क निक्षेपों के सम्बन्ध में तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता तथा प्रायोगिक संयंत्र अध्ययनों के करने के लिये एक समझौता किया है। समझौते की परिधि में अध्ययन की एक मद संचयन पद्धतियों, जहाज में लदाई और गारे के रूप में लोह अयस्क के स्राव के विषय में है जिसे सरकोना निगम ने अपने खर्च पर करना है तथा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, एम० ओ० एन० समूह तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम को इस से अवगत रखना है। प्रायोगिक संयंत्र अध्ययन के 1970 तक पूरे कर लिये जाने की सम्भावना है। उस समय ही परिवहन समस्याओं के विषय में पर्याप्त आधार सामग्री उपलब्ध होगी।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों पर खर्च

4116. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों में अब तक कितनी पूंजी लगाई गयी है ;

(ख) अब तक उससे कुल कितनी आय हुई है ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में लगी पूंजी से आय, गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में लगी पूंजी से आय की तुलना में कितनी बढ़ी है, अथवा घटी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में, सामान्य शेयर पूंजी और ऋणों के रूप में पिछले वित्तीय वर्ष, अर्थात् 1967-68 के अन्त तक, कुल 3333 करोड़ रुपया लगा हुआ था ।

(ख). शायद माननीय सदस्य निवेश की इस रकम पर होने वाली वार्षिक आय की ओर संकेत कर रहे हैं । निर्माणाधीन उपक्रमों और भारतीय जीवन बीमा निगम को छोड़कर, बाकी सरकारी उद्यमों को 1967-68 में कुल मिलाकर 35 करोड़ रुपये की वास्तविक हानि हुई । परन्तु हानि की उपर्युक्त रकम, मूल्यह्रास के लिये 121 करोड़ रुपये, ब्याज के लिये 74 करोड़ रुपये और करों के लिये 19 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने के बाद हुई । इन व्यवस्थाओं को हिसाब में शामिल करने के बाद, वर्ष के कार्यचालन सम्बन्धी परिणामों के अनुसार, 179 करोड़ रुपये का अधिशेष हुआ है ।

भारतीय जीवन बीमा निगम के सम्बन्ध में पहली अप्रैल, 1965 से 31 मार्च, 1967 तक के दो वर्षों के सम्बन्ध में, हाल में किये गये मूल्यांकन के अनुसार कुल 72.28 करोड़ रुपये का अधिशेष रहा है । अधिशेष की इस रकम में से 68.67 करोड़ रुपया पालिसी-होल्डरों के नाम और 3.61 करोड़ रुपया सरकार के नाम रख दिया गया है ।

(ग) यह साफ नहीं है कि माननीय सदस्य गैर-सरकारी क्षेत्र के किन निवेशों की ओर सकेत कर रहे हैं अर्थात् क्या उनका अभिप्राय गैर-सरकारी क्षेत्र में हुए कुल निवेश से है या उसके विभिन्न भागों में हुए निवेश से । इसके अलावा, चूंकि गैर-सरकारी क्षेत्र में किये गये-निवेश की तुलना सरकारी क्षेत्र के निवेश से नहीं की जा सकती, इसलिये इन दोनों क्षेत्रों में होने वाली आमदनी की तुलना भी वास्तविक रूप में नहीं की जा सकती ।

Discovery of a New Contraceptive Drug

4117. **Shri Raghuvir Singh Shastri:**
Shri R. K. Sinha :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a Professor of Government Ayurvedic College, Jaipur has discovered a contraceptive drug for women having no adverse after-effects ; and

(b) if so, the steps taken by Government to manufacture this drug on a large scale and to popularise it ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, H ng and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) and (b). Detailed informa-

tion in regard to a drug stated in a news report to have been invented by a Senior Physician of the Ayurvedic Research Centre, Jaipur has been called for from the Government of Rajasthan. The matter will be further examined on receipt of the necessary details.

किशन पर बांध बनाने का निर्माण

4118. **श्री सूरज भान :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किशन पर बांध बनाने के बारे में चर्चा करने के लिए 17 और 18 जनवरी, 1969 को हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग और उनके मंत्रालय के प्रतिनिधियों की लखनऊ में एक बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसमें किये गये निर्णयों का व्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अघोषित आयातित माल का पकड़ा जाना

4119. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री नि० र० लास्कर : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने 25 जनवरी, 1969 को दिल्ली में अनेक दुकानों तथा मकानों पर छापा मारकर अघोषित आयातित माल पकड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना माल पकड़ा गया और सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) सीमा शुल्क (संशोधन) अध्यादेश में घोषित करने की तारीख के बाद सीमा शुल्क अधिकारियों ने दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में कितना अघोषित सामान पकड़ा ; और

(घ) अपना माल घोषित न करने वाले लोगों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हाँ।

(ख) दिल्ली में 25 जनवरी, 1969 को 18,925 रुपये के मूल्य की सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री, साड़ियां तथा नाइलान क्रेप पकड़ी गयी थी। पकड़े जाने के उपर्युक्त मामले में व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया। न्याय निर्णय की कार्यवाही की जा रही है।

(ग) 10 फरवरी, 1969 के बाद, सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा दिल्ली में तथा देश के अन्य भागों में निम्नलिखित अघोषित माल पकड़ा गया :—

(i) दिल्ली में पकड़ा गया माल :—

माल का विवरण	मूल्य (हजार रुपयों में)
घड़ियाँ	21
कपड़े, साड़ियां तथा बुने हुए कपड़े आदि	54
शराब	20
सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री	24
ट्रांजिस्टर रेडियो	15
फोटोग्राफी का सामान	47
जोड़	181

(ii) देश के अन्य भागों में पकड़ा गया माल

घड़ियां	4696
कृत्रिम तथा धातु-सूत	3298
कपड़े, साड़ियां तथा बुने हुए कपड़े	4523
शराब	2905
सिगरेट	53
सिगार	1
सिगरेट लाइटर तथा चकमक पत्थर	83
फाउण्टेन पैन आदि	15
इत्र	16
सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री	5
ब्लैड	40
ताश तथा बैटरी से चलने वाले खिलौने	38
ट्रांजिस्टर रेडियो	99
ट्रांजिस्टर तथा डाइओड आदि	25
स्टीरो, टेप रिकार्डर, टेप तथा कारतूस	90
बिजली का सामान	10
फोटोग्राफी का सामान	282
दूसरा सामान	11
चांदी	1770
जोड़	17960

(घ) सभी मामलों में न्याय निर्णय की कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

उर्वरक उद्योग के लिये तकनीकी जानकारी का विकास

4120. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योगों, विशेषकर उर्वरक उद्योग, के विकास में मुख्य बाधा यह है कि देशी उत्पादन के लिये मशीनों के रेखाचित्र तैयार करने हेतु पर्याप्त तकनकी जानकारी का विकास तथा समन्वय करने की पहल नहीं की जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विदेशी सहयोगी सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये जानकारी की व्यवस्था तो कर देते हैं परन्तु अपेक्षित रेखाचित्रों का प्रबन्ध नहीं करते हैं ;

(ग) क्या दस्तूर एण्ड कम्पनी, दलाल इंजीनियरिंग आदि जैसे कई गैर-सरकारी संगठन हैं जिन के पास पेचीदा मशीनों के लिये रेखाचित्र तैयार करने के लिये अपेक्षित अनुभव तथा साधन दोनों हैं ; और

(घ) यदि हां, तो मशीनों के रेखाचित्र और नमूने तैयार करने के लिए एक संगठन स्थापित करने के उद्देश्य से सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध सभी प्रतिभाशाली व्यक्तियों का पूल बनाने के लिये कोई प्रयास किया गया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) प्रोसैस इंजीनियरिंग आर्गेनाइजेशन से उपलब्ध मूल रूपाँकन दित्ता पर आधारित वर्कशाप के रेखाचित्रों को तैयार करने के लिये देश में कुछ कमी है ।

(ख) जी नहीं । प्रोसैस इंजीनियरिंग रेखाचित्रों को तैयार करने के लिये, विदेशी सहयोग ऐसी सूचना की (जो आवश्यक समझी जाती है) व्यवस्था करते हैं ।

(ग) सरकारी क्षेत्रीय संस्थानों के अतिरिक्त कुछ गैर-सरकारी इंजीनियरिंग संस्थान हैं जो विस्तृत इंजीनियरिंग कार्य को करने की स्थिति में हैं बशर्ते कि मूल जानकारी उनको उपलब्ध कराई जाए ।

(घ) रेखाचित्रों, रूपांकनों आदि को तैयार करने या प्राइवेट निर्माताओं को इन्हें तैयार करने में सहायता करने के बारे में, जहाँ कहीं आवश्यक एवं उचित होता है । भारतीय उर्वरक निगम के आयोजन तथा विकास प्रभाग और फर्टिलाइजर्स तथा केमीकल्स त्रावनकोर के फेकट इंजीनियरिंग ड्राइंग आर्गेनाइजेशन (फीडो) हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं । इसके अलावा निर्माण-वर्कशापों को, अपनी वर्कशापों में आवश्यक रूपाँकन इंजीनियरिंग सुविधाओं को अपने कार्यकलापों के भाग के रूप में, स्थापित करने के लिये उत्साहित किया जाता है । उपर्युक्त मदों को विचार में रखते हुए यह न ही वांछनीय अथवा आवश्यक है कि इस उद्देश्य के लिए एक संगठन स्थापित किया जाये ।

श्री हरिदास मूंदड़ा द्वारा आस्तियों को विदेशों में भेजना

4121. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री हरिदास मूंदड़ा भारत में अपना कारोबार बन्द कर रहे हैं और अपनी आस्तियों को विदेशों में, विशेषतः ब्रिटेन में, भेज रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि श्री मूंदड़ा ने लन्दन में पहले ही अनेक बेनामी कम्पनियां खोल रखी हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि लन्दन में खोली गई इन बेनामी कम्पनियों का संचालन श्री सुखदेव वर्मा, सिडनी टेलर्स तथा अन्य लोगों द्वारा किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो श्री हरिदास मूंदड़ा की इन गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). इस आशय की कुछ रिपोर्टों का प्रवर्त्तन निदेशालय को पता चला है और आवश्यक पूछताछ की जा रही। पूछताछ का जो नतीजा निकलेगा उसकी दृष्टि से कानून के मुताबिक योग्य कार्यवाही की जायगी।

सरकारी वित्त संस्थाओं द्वारा बिड़ला बन्धुओं को ऋण

4122. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा चलाई जाने वाली तथा अन्य वित्त संस्थाओं द्वारा अब तक बिड़ला बन्धुओं को कुल कितना ऋण दिया गया है ;

(ग) क्या कोई ब्याज रहित ऋण दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड द्वारा 31-12-68 तक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 31-1-69 तक "बिड़ला समूह" की औद्योगिक संस्थाओं को दिये गये कुल ऋणों की रकम लगभग 8.95 करोड़ रुपया थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा हीं नहीं होता।

गांवों में पीने का पानी

4123. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय भारत में 5 लाख 70 हजार गांवों और कस्बों में से केवल एक लाख 20 हजार गांवों और कस्बों में पीने का पानी सप्लाई करने की व्यवस्था है ; और

(ख) यदि नहीं, तो सही स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). 1961 की जन-गणना रिपोर्ट के अनुसार देश में 5,67,718 गांव और 2,690 नगर हैं। ग्राम क्षेत्रों में उपलब्ध पेय जल सुविधाओं के बारे में 1964-65 में

ब्लाक संगठन के माध्यम से किये गये सर्वेक्षण से पता चला कि 1.19 लाख गांवों में अभी भी पेय जल का कोई स्रोत नहीं है। कुछ समय पहले किये गये स्थूल मूल्यांकन के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि 675 नगरों में जलपूर्ति की सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं।

सरकारी अधिकारियों और उद्योगपतियों के विदेश के दौरे

4124. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1967-68 और 1968-69 में अब तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने अधिकारियों सहित कितने सरकारी अधिकारी तथा उद्योगपति विदेशों में गये ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा इकट्ठी होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

गंगा नदी जल दूषण जांच आयोग

4125. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा नदी जल दूषण जांच आयोग द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक दिये जाने की संभावना है ; और

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) अप्रैल, 1969 के अन्त तक।

(ख) पुनरीक्षत विचारार्थ विषयों के अनुसार, आयोग को ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उचित उपायों का सुझाव देने के बारे में, देश में अन्य शोधनशालाओं का निरीक्षण करना पड़ा। उक्त आयोग को कई गवाहियों की भी जांच करनी पड़ी।

Smuggling of Goods From Nepal

4126. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether any improvement is noticed in the situation arising from smuggling of goods into India imported by Nepal from other countries ; and

(b) if not, the steps proposed to be taken by Government to regulate the Indo-Nepal trade ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). The value of goods seized on the Indo-Nepal border during 1968 is higher as compared to the value of seizures made during 1967 and the average value of seizures during the first two months of 1969 is nearly the same as the average monthly seizures during 1968. It is, however, difficult to say whether there is any increase or decrease in the smuggling of such goods. Additional staff have been made available for prevention of smuggling across the Indo-Nepal border and preventive measures have been intensified.

कलावती सरन शिशु अस्पताल के अनुसन्धान तथा व्यावहारिक बालचिकित्सा केन्द्र के लिये रूस से सहायता

4127. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**
श्री वे० कृ० दास चौधरी :

क्या स्वास्थ्य परिवार नियोजन निर्माण, आवास और नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित कलावती सरन बाल-अस्पताल के अनुसंधान तथा व्यावहारिक बालचिकित्सा केन्द्र के लिये तकनीकी सहायता के बारे में नई दिल्ली में रूस और भारत के बीच एक करार हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां।

(ख) रूस तथा भारत सरकार के बीच हुए समझौते की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं : —

(1) यह समझौता दो वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा। उसके बाद जब तक किसी भी पक्ष की ओर से तीन महीने का समाप्ति नोटिस नहीं दिया जायेगा तब तक यह जारी रहेगा।

(2) रूसी विशेषज्ञों का एक दल जिसमें एक निदेशक, दो बालचिकित्सक, एक रुधिर वैज्ञानिक एक जीव-रासायनिक और दो वैज्ञानिक कर्मचारी जिनकी सहायता के लिये तीन दुभाषिये भी हैं, कलावती सरन बाल अस्पताल में एक अनुसंधान और बालचिकित्सा केन्द्र की स्थापना के मामले में अपने काउण्टर पार्ट के साथ मिलकर काम करेंगे। रूसी दल उपचारात्मक, परामर्शी, संशैसिकी और वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्य करेगा।

(3) रूसी दल के कर्मचारियों की नियुक्ति प्रथमतः दो वर्ष की अवधि के लिये की जायेगी जो कि पारस्परिक समझौते से बढ़ायी भी जा सकेगी।

(4) रूसी विशेषज्ञों के यात्रा का खर्च, वेतन और अन्य सम्बन्धित खर्च सोवियत सरकार द्वारा वहन किये जायेंगे। भारत सरकार विदेशी विशेषज्ञों को सामान्यतः दी जाने वाली सुविधाएं तथा स्थानीय खर्चे वहन करेगी।

(5) रूसी विशेषज्ञों को लेडी हार्डिंग मेडीकल कालेज एवं अस्पताल के नियमों के अनुसार आवास सुविधाएं दी जायेंगी।

(6) रूसी दल को निःशुल्क चिकित्सा एवं कार्यालय सम्बन्धी कार्यों के लिये यातायात सुविधाएं दी जायेंगीं।

(7) कलावती सरन बाल अस्पताल द्वारा प्रयोगशाला, कर्मशाला और अस्पताल के

लिये अपेक्षित उपकरण, सामग्री, चिकित्सा साहित्य, औषधियां और अस्पताल गाड़ी को रूसी सरकार द्वारा जिन्हें निःशुल्क दिये जाने का निश्चय किया जाय इस अस्पताल के लिये उस सरकार की ओर से एक उपहार के रूप में समझा जायेगा।

Shifting of Birla Mills, Delhi

4128. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of small scale and large scale industries, separately, shifted so far by the Delhi Development Authority under different schemes ;

(b) whether it is a fact that the Birla Mills which are situated in the thickly populated area of the city has not been shifted so far ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the steps being taken by the Delhi Development Authority and Government to protect the health of thousands of people against the smoke emanating from the Chimneys of the said Mills ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development : (Shri K. K. Shah) : (a) 109 small scale industries have been shifted. No large scale industry has so far been shifted.

(b) to (d). The Birla Mills has not so far been shifted. The Master Plan for Delhi envisages the shifting of industries from non-conforming areas to conforming areas. However, the Plan provides for a moratorium of twenty years for shifting large industries such as the Birla Mills.

जीवन बीमा निगम द्वारा शेयरों की खरीद

4129. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम द्वारा शेयरों की खरीद के मामले में कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास स्थित शेयरों की दलाली करने वाली फर्में बम्बई स्थित अपनी समकक्ष फर्मों की तुलना में घाटे में रहती हैं क्योंकि इस निगम द्वारा शेयरों की सारी खरीद बम्बई केन्द्रीय कार्यालय से की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने और उपचारात्मक उपाय करने का है ; और

(ग) क्या क्षेत्रीय प्रबन्धकों को पहले निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अपने क्षेत्रों में इस प्रकार की खरीद करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं। पूंजी लगाने के प्रस्ताव, जीवन बीमा निगम कार्यालय में, केवल बम्बई के दलालों से ही नहीं, बल्कि अन्य स्थानों के दलालों से भी प्राप्त होते हैं। इन प्रस्तावों पर विचार करने के मामले में निगम द्वारा अपनायी गयी कार्यविधि में बम्बई के दलालों को कोई विशेष लाभ नहीं मिलता।

(ख) यह सवाल नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

केरल में सब से अधिक आयकर देने वाले दस व्यक्ति

4130. **श्री अ० क० गोपालन : श्री ई० के० नायनार :**
श्री विश्वनाथ मेनन : श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में सबसे अधिक आयकर देने वाले दस व्यक्तियों के नाम क्या हैं, वर्ष 1967-68, 1968-69 में उनमें से प्रत्येक पर कितना आयकर लगाया गया था तथा प्रत्येक ने कितना आयकर दिया ;

(ख) 31 मार्च, 1968 को प्रत्येक ने आयकर की कितनी बकाया राशि देनी थी ; और

(ग) इस बकाया राशि की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गई थी ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). मांगी गयी सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

भारत में विदेशियों द्वारा बेचे गये विदेशी पटसन बागान तथा पटसन के कारखाने

4131. **श्री लोबो प्रभु :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विदेशियों द्वारा कितने मूल्य के बागान और पटसन कारखाने भारतीयों के हाथ बेचे गये ;

(ख) उपर्युक्त अवधि में पूंजी विनियोजन के प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा के भुगतान में कितनी वृद्धि हुई ;

(ग) यदि चाय और पटसन के निर्यात में कमी इस कारण से हुई है कि विदेशी मालिकों के लन्दन की मंडियों से सम्बन्ध थे तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जांच न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार बागान और पटसन कारखानों में विदेशी विनियोजन का बनाये रखने के लिये किन्हीं उपायों पर विचार किया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) विदेशों में निगमित कम्पनियों द्वारा 1966, 1967 और 1968 के वर्षों से भारतीयों को बेचे गये बागानों तथा जूट के कारखानों की बिक्री से प्राप्त रकमें क्रमशः 108 लाख रुपये, 48 लाख रुपये तथा 106 लाख रुपये थी । विदेशी शेयर होल्डरों बागान तथा जूट उद्योग का कारबार करने वाली भारतीय कम्पनियों के जो शेयर भी नागरिकों को बेचे गये, उनके सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है । जो सूचना हो जायगी उसे सभा-पटल पर रख दिया जायगा ।

(ख) बागानों और जूट के कारखानों की बिक्री के कारण 1966,1967 और 1968 के वर्षों में क्रमशः 43 लाख रुपया, 8 लाख रुपया और 15 लाख रुपया विदेशों को भेजा गया । बागानों तथा जूट उद्योग का कारबार करने वाली भारतीय कम्पनियों के द्वारा बेचे गये शेयरों

की बिक्री से प्राप्त विदेशों को भेजी गयी रकमों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है। जो सूचना उपलब्ध हो जायगी उसे सभा-पटल पर रख दिया जायगा।

(ग) कृत्रिम माल और पाकिस्तानी माल से कड़ी प्रतियोगिता होने के कारण, जूट से बनी वस्तुओं के निर्यात में कमी हुई है। माल को भारी परिणाम में एक साथ उठाने धरने के कारण भी विदेशी मंडिया हाथ से निकली हैं।

चाय के निर्यात में जो कमी हुई है। उसका कारण स्टर्लिंग स्वामित्व के कम चाय बागानों का बिकना ही नहीं है बल्कि और दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय कारण भी हैं। इसके अलावा, भारत में चाय के कुल उत्पादन के लगभग 50 प्रतिशत भाग का उत्पादन अब भी स्टर्लिंग कम्पनियों के द्वारा किया जाता है इसलिए जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है, व्यापार-सम्बन्ध नहीं टूटे हैं।

(घ) सरकार, बागानों तथा जूट उद्योग में नयी विदेशी पूंजी लगाने को प्रोत्साहन नहीं देती ; इन उद्योगों में इस समय लगी विदेशी पूंजी को जारी रखने के लिए न तो सरकार प्रोत्साहन देती है और न इस पर एतराज करती है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में विदेशों के जासूस होने के बारे में समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार

4132. **श्री क० प्र० सिंह देव : श्री रा० की अमीन :**
श्री बि० नरसिम्हा राव : श्री प्र० के० देव :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 फरवरी, 1969 के 'मार्च आफ दी नेशन' नामक साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में विदेशों के जासूस भरे पड़ हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) रिपोर्ट में किसी सचाई को मानने के लिए सरकार के पास कोई आधार नहीं है।

चिट फण्डों के कार्य के विनियमन के लिये कानून

4133. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में चिट फण्डों का कार्य बहुत असन्तोष-जनक है तथा प्राय: उनके द्वारा जालसाजी की जाने के परिणामस्वरूप कम आय वाले विनियोजनकों को धन की काफी क्षति उठानी पड़ती है ;

(ख) क्या धन का लेनदेन करने वाली कुछ कम्पनियां भी ऊंची व्याज की दर पर ऋण

लेती हैं और वे प्रायः परिसमापित हो जाती हैं अथवा ऋणदाताओं को ऋण वापिस करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर देती हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को यह सुझाव देने का है कि वे इन कम्पनियों के कार्यकलापों के विनियमन के लिये कानून बनाएं और यदि हाँ, तो कब ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जी, हाँ ।

(ग) रिजर्व बैंक द्वारा किये गये सर्वेक्षण से पता चला है, कि चिट फण्ड कम्पनियों का लगभग 80 प्रतिशत कारबार केरल और मद्रास राज्यों में होता है । चिट कम्पनियों के संचालन को विनियमित करने का कानून तमिलनाडु राज्य में मद्रास नगर, कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली के जिलों और केरल तथा संघीय राज्य क्षेत्र दिल्ली में लागू है । तामिलनाडु सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि वह मद्रास चिट फण्ड अधिनियम, 1951 को तमिलनाडु के दूसरे जिलों में भी लागू करे । बैंकिंग आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, यदि आवश्यक समझा गया तो चिट फण्ड या अन्य वित्तीय कम्पनियों के सम्बन्ध में और आगे की कार्रवाई करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

बरौनी उर्वरक कारखाने में प्रदर्शन

4134. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 मार्च, 1969 को बरौनी उर्वरक कारखाने में काफी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो प्रदर्शनकारियों की मागें क्या थी ; और

(ग) उन मांगों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी हाँ, 7 मार्च, 1969 को 'गाँव बचाओ समिति' के सचिव के नेतृत्व में लगभग 80 से लेकर 100 व्यक्तियों ने भारतीय उर्वरक निगम के कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया था ।

(ख) एक विवरण पत्र संलग्न है ।

(ग) इस संस्था ने एक पूर्व प्रदर्शन तथा निगम के चेयरमन को शामिल करते हुए प्रवर अधिकारियों के साथ बैठकों में इसी प्रकार की मांगें प्रस्तुत की थी । निगम के समस्त हितों तथा नीति को ध्यान में रखते हुए ; प्रबन्धकों ने, जहाँ तक सम्भव है स्थानीय लोगों की मांगों को समायोजन करने का यत्न किया है । पूर्व प्रदर्शनकारियों की मांगों का (जिसमें भाग (ख) के उत्तर के विवरण पत्र में दर्शायी गई अधिकांश मांगें शामिल थीं) एक औपचारिक उत्तर गाँव बचाव समिति और बरौनी प्रखण्ड युवक कांग्रेस को (जिन्होंने प्रदर्शन का संगठन किया था) भी भेजा गया है । प्रबन्धकों ने हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में एक लघु पुस्तिका भी प्रकाशित की है, जिसमें निगम द्वारा विस्थापितों के पुनर्वास तथा विस्थापितों । स्थानीय लोगों को भर्ती के विषय में दी जाने वाली रियायतों के बारे में की जा रही कार्यवाही का जिकर किया गया है ।

विवरण

प्रदर्शनकारियों की निम्न मांगें थी :

(1) प्रत्येक श्रेणी में स्वीकृत पदों की गांव बचाओ समिति और राज्य सरकार को सूचना देना।

(2) गांव बचाओ समिति और राज्य सरकार को प्रत्येक श्रेणी में नियुक्त व्यक्तियों की संख्या तत्काल भेजनी चाहिए, जिसमें विस्थापितों, स्थानीय लोगों और पार्श्व स्थानांतरण से लाये गये व्यक्तियों की संख्या शामिल हो।

(3) विस्थापितों और स्थानीय लोगों को नौकरी का अवसर देने के लिए पार्श्व स्थानांतरण बन्द करना चाहिए।

(4) लोअर डीविजन क्लर्क के पद के लिए टाइपिंग ज्ञान को आवश्यक अर्हता नहीं बनाना चाहिए।

(5) प्रवर लेखा क्लर्क के सारे रिक्त पदों को विस्थापितों और स्थानीय लोगों से, जो साक्षातकार के लिए आये थे, भरना चाहिए।

(6) नई नियुक्तियों के बारे में अनुभव और अन्य अर्हताएं विज्ञापन में इस प्रकार दी जाती हैं, जिनसे विस्थापित और स्थानीय लोग सुगमता से असम्मिलित हो जाते हैं। इसे दूर करना चाहिए तथा न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले विस्थापितों और स्थानीय लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए।

(7) विस्थापितों तथा स्थानीय लोगों में से विज्ञान-स्नातकों, शिक्षित लोगों इन्जीनियरों तथा स्टेनो ग्राफरों को नियुक्तियों में प्रथम अधिमान देना चाहिए।

(8) साक्षातकार बोर्ड में स्थानीय संसद सदस्य तथा विधान सभा के सदस्य शामिल किये जाने चाहिए।

(9) भारतीय उर्वरक निगम के ठेकेदारों को भी अपने स्टाफ की नियुक्ति में विस्थापितों तथा स्थानीय लोगों को अधिमान देना चाहिए।

(10) गांव बचाव समिति को विज्ञापनों की प्रतियां भेजनी चाहिएं।

(11) अब तक हुई सारी तरक्कियां निर्धारित नियमों तथा पद्धति के अनुसार नहीं है और बिहारियों को इन तरक्कियों में शामिल नहीं किया गया है। इसकी जांच करनी चाहिए।

(12) अधिकारियों की अनाधिकार चेष्टा को बन्द करना चाहिए। अधिकारी को जिसमें यान्त्रिक विभाग में साक्षात्कार के बिना दो व्यक्तियों की नियुक्ति की थी, दण्ड देना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र मिशन द्वारा परिवार नियोजन का मूल्यांकन

4135. श्री रा० रा० सिंहदेव : श्री बें० कृ० दास चौधरी :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

श्री रामचन्द वीरप्पा :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, **आवास तथा** नगरीय **विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र परिवार नियोजन मिशन वर्ष 1965 से, जब कि पिछली बार दल भारत आया था, देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम के सम्बन्ध में हुई प्रगति का मूल्यांकन करने के लिये हाल ही में भारत आया था ;

(ख) यदि हाँ, तो किये गये मूल्यांकन तथा सुधार के लिये दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, **आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री चन्दशेखर)** : (क) जी हां।

(ख) मिशन के निर्देश-पद की एक प्रति संलग्न है। उनकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) यह प्रश्न अभी नहीं उठता।

विवरण

परिवार नियोजन कार्यक्रम के सुधार के लिए समुचित सिफारिशें करने की दृष्टि से इस दल का प्रधान कार्य तीसरी पंचवर्षीय योजना तथा उसके बाद की योजनाओं के सन्दर्भ में भारतीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का मूल्यांकन करना था।

विशेष रूप से इस दल को निम्नलिखित कार्य करने थे :—

(1) केन्द्र, राज्य और स्थानीय स्तरों पर सार्वजनिक तथा स्वयंसेवी ऐजेन्सियों द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे परिवार नियोजन कार्यक्रम के संगठन और कार्यक्रम के लिए उपलब्ध साधनों का निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य के सम्बन्ध में मूल्याकन करना ;

(2) कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर की गई प्रगति का मूल्यांकन करना, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के विभिन्न संघटनों की प्रभावात्मकता और कार्य में क्षेत्रीय भेदों और उनके कारणों पर उचित ध्यान देना। इन क्षेत्रीय भेदों की अन्य विकास क्षेत्रों के भेदों की तुलना में भी जांच-पड़ताल करनी होगी ;

(3) परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए सामाजिक और समाज-मनोविज्ञान कारणों का उनकी कठिनाइयों के सम्बन्ध में, जिनमें लघु परिवार नियम अपनाने की इच्छा और स्वीकृति के बारे में प्रवृतियां, प्रेरणा और जन-प्रचार भी शामिल है, जाँच-पड़ताल करना ;

(4) कार्यक्रम की क्रियान्विति में हो रही विशेष समस्याओं का पता लगाना। ये

समस्यायें प्रशासन, कर्मचारी, प्रशिक्षण, धन, उपकरण और सप्लाई, प्रेरणा अन्तर्राष्ट्रीय और गैर-सरकारी ऐजेन्सियों आदि के साथ तकनीकी सहयोग से सम्बन्धित होंगी ;

(5) अनुसंधान के रूपों, सूचना और आवश्यक आंकड़ों का अध्ययन करना और सामान्यतया इन क्षेत्रों की उन्नति के लिए खासतौर से, विभिन्न स्तरों पर परिवार नियोजन कार्यक्रम के सतत मूल्यांकन के लिए आवश्यक सिफारिशें करना ।

इथियोपिया में कास्टिक सोडा संयन्त्र

4136. **श्री बाल्मीकि चौधरी :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय फर्म ने इथियोपिया में एक कास्टिक सोडा संयंत्र स्थापित करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो फर्म का नाम क्या है और प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इथियोपिया सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) इथियोपिया में कास्टिक सोडा संयन्त्र की स्थापना के लिये किसी भारतीय फम के अनुरोध का भारत सरकार को पता नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

कार्यालयों को दिल्ली से हटाकर उसके आसपास के नगरों में ले जाना

4137. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कार्यालयों को दिल्ली से हटाकर दिल्ली के पड़ौसी नगरों में ले जाने का कोई नया प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में कितनी धनराशि खर्च होगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के डाक्टर

4138. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में एक डाक्टर को 2 घन्टे के समय में 150 से अधिक रोगी देखने पड़ते हैं ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप डाक्टर रोगियों को अच्छी तरह नहीं देख पाते हैं ;

(ग) क्या समय की कमी के कारण डाक्टर बड़ी संख्या में ऐसे रोगियों को अस्पतालों में आगे चिकित्सा के लिये भेज देते हैं जिनकी चिकित्सा औषधालयों में ही हो सकती है ;

(घ) यदि हाँ, तो डाक्टरों को किस आधार पर औषधालयों में रखा जाता है तथा क्या इस बात का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है कि केन्द्रीय सरकार के औषधालयों में पर्याप्त कर्मचारी हों ; और

(ङ) यदि नहीं, तो प्रत्येक औषधालय में कितने कर्मचारियों की कमी है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास मंत्री (श्री के०के० शाह) : (क) और (ख). केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अधीन डिस्पेन्सरियाँ प्रतिदिन 6 घण्टे काम करती हैं। 1967-68 में एक चिकित्सा अधिकारी ने औसतन 122 रोगियों को देखा। तदर्थ नियुक्तयां करने के बावजूद इस अवधि में औसतन 40 पद रिक्त रहे।

(ग) रोगियों को केवल उन मामलों में जिनमें विशेषज्ञों द्वारा जाँच अथवा परामर्श की आवश्यकता होती है, अस्पतालों को भेजा जाता है।

(घ) और (ङ). डिस्पेन्सरी में देखे जाने वाले रोगियों की संख्या के आधार पर डाक्टरों की संख्या निश्चित की जाती है। एक समिति ने, जिसने इस योजना के काम का 1961 में पुनरीक्षण किया था, 2000 हितग्राहियों के पीछे एक डाक्टर नियुक्त करने की सिफारिश की थी। इस कसौटी के अनुसार, केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की डिस्पेन्सरियों में पर्याप्त स्टाफ हैं।

अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद

4139. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री गंगलाथुमाडोम :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों के सम्बन्ध में निर्णय लेने के बारे में अत्यधिक समय लग जाता है ;

(ख) ऐसे कितने विवाद है जिन पर बड़े समय से निर्णय नहीं हो सका है ; और

(ग) क्या सरकार का ऐसे विवादों को हल करने के लिये पारस्परिक बातचीत के वर्तमान तरीके पर निर्भर न रह कर संवैधानिक तरीकों को अपनाने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख).

कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा सम्बन्धी तीन मुख्य अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद ऐसे हैं जिन पर काफी समय से कोई समझौता नहीं हो सका है ।

(ग) इन विवादों को बातचीत द्वारा हल करने के लिये और प्रयत्न किये जा रहे हैं । यदि इस में सफलता न मिली तो इन्हें अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत न्याय निर्णय के लिये भेज दिया जाएगा ।

बिहार में सिंचाई कार्यक्रम

4140. **श्री सु०कु० तापड़िया :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में खेती योग्य कितनी भूमि बिना सिंचाई व्यवस्था के पड़ी है ;

(ख) बिहार राज्य में चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जाने वाला सिंचाई कार्यक्रम क्या है ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत और कितनी भूमि में सिंचाई की जायेगी तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में खेती योग्य कितनी प्रतिशत भूमि सिंचाई व्यवस्था के बिना रह जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) लगभग 240 लाख एकड़ ।

(ख) और (ग). चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के कार्यक्रम

4141. **श्री सु०कु० तापडिया :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल की जाने वाली सिंचाई की बड़ी तथा मध्यम योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के लिये कुल कितनी धनराशि का नियतन करने का विचार है और इसमें केन्द्र तथा प्रत्येक राज्य का कितना-कितना भाग होगा ; और

(ग) भारत की नदियों की कितनी सिंचाई क्षमता का प्रयोग नहीं किया जाता और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इसके किस हद तक प्रयोग किये जाने की संभावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). चौथी योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

खम्भात क्षेत्र में तट-दूर ड्रिलिंग के बारे में करार

4142. **श्री सु० कु० तापड़िया :**

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खम्भात क्षेत्र में तट-दूर ड्रिलिंग शुरू करने के लिये किसी ईरानी अथवा अन्य फर्म के साथ सहयोग का कोई करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो किये गये करार का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चाथी पंचवर्षीय योजना में इस योजना हेतु कितनी धनराशि रखी गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान खम्भात की खाडी में तट-दूर व्यधन के लिए 8.4 करोड़ रुपये रखे गये हैं।

भारतीय रुपये के प्रति और खरचने के तरीके

4143. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हिम्मत सिंहका :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 फरवरी, 1968 को 'टाइम्स आफ इंडिया' में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसका शीर्षक 'डालर स्टोरी' था और जिसमें उन स्रोतों का ब्यौरा था जिनसे प्रत्येक डालर में 100 सेन्ट प्राप्त होते हैं तथा वे तरीके बताये गये थे जिनसे ये 100 सेन्ट अमरीकी वित्तीय व्यवस्था में बढ़ाये जाते है ; और

(ख) यदि हां, तो रुपये के स्रोत और उसको व्यय करने के तरीकों के सम्बन्ध में भारतीय रुपये का तत्समान विवरण क्या है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 468/69]**

नेशनल प्रोजेक्ट कन्सट्रक्शन कारपोरेशन

4144. **श्री रा० कृ० सिंह : क्या सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1968 से अब तक नेशनल प्रोजेक्ट कन्सट्रक्शन कारपोरेशन ने कितने कर्मचारी नौकरी से निकाले हैं ;

(ख) उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या नौकरी से निकाले गये ये कर्मचारी उन नई परियोजनाओं में रखे जायेंगे जो नेशनल प्रोजेक्ट कन्सट्रक्शन कारपोरेशन आरम्भ करेगा ; और

(घ) क्या नौकरी से निकाले गये इन कर्मचारियों को कोई दूसरा रोजगार दिया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सितम्बर, 1968 से 15 इन्जीनियरों अधिकारियों को सेवा से विमुक्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 25 गैर तकनीकी व्यक्तियों को भी सेवा से विमुक्त कर दिया गया था क्योंकि उनकी सेवाओं की निगम को आवश्यकता नहीं रह गई थी।

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 1967-68 के दौरान राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम को 29.21 लाख रुपये का घाटा हुआ था, सिब्बन्दी, आकस्मिक व्यय आदि को कम करने के लिये कई किफायती उपाय किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम को फरक्का, गंडक और चंदन यूनिटों पर दिये गये कार्यों के काफी हद तक पूर्ण हो जाने के परिणाम स्वरूप, स्टाफ में कमी करना अनिवार्य हो गया था। स्थिति का विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात् कुछ लोगों को सेवा से निकालने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी गई।

उनको उनकी सेवाओं की शर्तों के अनुसार नोटस के बदले में तीन महीनों/एक महीने का वेतन दे दिया गया।

(ग) अतिरिक्त व्यक्तियों को आवश्यकता पर निर्भर करते हुए, जब भी निगम को नये नये कार्य अलाट किए जाते हैं, उन व्यक्तियों के नामों पर विचार किया जायगा जिनकी सेवाओं का रिकॉर्ड अच्छा हो और जो निगम में नौकरी करने के इच्छुक हों।

(घ) उन व्यक्तियों के नामों और विवरणों को सार्वजनिक उद्योग ब्यूरों के जरिये विविध सरकारी उपक्रमों में परिपत्रित कर दिया गया है जो फालतू हो गये हैं और इस कारण सेवा से विमुक्त कर दिये गये हैं।

एशियाई देशों में कृषि बैंकों का सम्मेलन

4145. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक द्वारा ग्रामीण ऋण योजनाओं तथा समस्याओं की जांच के लिए एशियाई देशों के कृषि बैंकों का सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में कब तक तथा किस स्थान पर होने की सम्भावना है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) इस प्रकार का सुझाव देने के सवाल पर एशियाई विकास बैंक द्वारा अभी विचार किया जाना है।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

L.I.C. Housing Scheme in Rajasthan

4146. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the Housing Scheme of the Life Insurance Corporation is not being implemented in the Bikaner and Shriganganagar districts of Rajasthan ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether the Life Insurance Corporation have now under consideration any scheme for giving loans in Bikaner and Shriganganagar Districts of Bikaner Division, Rajasthan, under its Housing Scheme ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). The 'Own Your Home' Scheme is operated only in Urban centres and not throughout the districts. It is in operation in Bikaner City.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise,

Utilisation of Gypsum

4147. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the number of the States to which gypsum is exported from Rajasthan and the quantity thereof ; and

(b) the nature of production in which gypsum is utilised at present ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) Out of the total quantity of 9,30,114 tonnes of gypsum produced in Rajasthan during 1967, a quantity of 5,56,727 tonnes was despatched to the Fertilizer Corporation of India's factory at Sindri, Bihar. The remaining quantities were despatched to Bihar, Gujarat, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Assam, Haryana, Orissa, Punjab, Delhi, West Bengal and Maharashtra.

(b) Apart from its use in the cement industry and fertilizers, gypsum is used for manufacture of plaster of Paris, surgical bandages, pottery moulds, crayons, in agriculture (retention of moisture in sandy soil), insecticides, as filler in paper, paints and rubber industries, polishing tin plates, smelting of zinc etc.

दक्षिण कनारा में सिंचाई हेतु बाँध

4148. **श्री लोबो प्रभु** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण कनारा में खारा पानी अलग करने और निकासी किस्म के कितने सिंचाई बाँध हैं और उनसे कितने क्षेत्र में सिंचाई किये जाने की सम्भावना है ;

(ख) उनसे वास्तव में कितने क्षेत्र की सिंचाई की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि उनमें से अनेक बांधों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और यदि हाँ, तो उनकी सामान्य त्रुटियों की विशेषज्ञों द्वारा जाँच कराने के पश्चात् उनको पुन: काम योग्य बनाने के लिए योजनाएं न बनाये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) इन पर लगी बेकार पूंजी का विशेषकर खाद्य कमी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या औचित्य है ;

(ङ) खाद्य उत्पादन तथा बेकार लगी पूंजी को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार का कितनी सहायता देने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ङ) राज्य सरकार से जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दक्षिण कनारा, मैसूर में सिंचाई परियोजनाएं

4149. श्री लोबो प्रभु : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण कनारा जिले में बिजौर, कान्थीहोल और गुरपुर सिंचाई परियोजनाओं पर कितना व्यय किया गया है और अस्थायी अनुमानों के अनुसार योजना द्वारा कितनी भूमि में सिंचाई की गयी है ;

(ख) अन्तर्राज्यीय नदी जल के लिए मैसूर के दावे को ध्यान में रखते हुए इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु योजना आयोग द्वारा मैसूर राज्य को परामर्श न दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) त्रुटियों की अपेक्षा के क्या कारण थे : और यदि तकनीकी तौर पर त्रुटिपूर्ण थे तो उसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेवार थे ; और

(घ) क्या इन परियोजनाओं पर पुन: काम आरम्भ करने के लिए योजना आयोग द्वारा अपने विशेषज्ञ भेजने का विचार है, क्योंकि इन परियोजनाओं में बहुत सरकारी धन लगा हुआ है तथा इनमें उत्पादन की व्यापक क्षमता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). राज्य सरकार से जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Directors of State Bank, Indore

4150. **Shri Shashi Bhushan**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state ;

(a) the names of the Directors of the State Bank, Indore during the last three years and the amount of loan taken by them in the name of the Bank during the above period ;

(b) the number of those out of them who have rendered their resignations and the causes thereof ;

(c) the steps taken by Government to recover the loans given to them by the State Bank, Indore ;

(d) the reasons for which the General Manager, under whom all this happened, continues to be posted at Indore and whether Government are facing any difficulty in the recovery of this amount ;

(e) whether the new Directors of the Bank are local businessmen or outsiders who have settled there and whether their appointment has been made with the consent of the General Manager ; and

(f) the reaction of Government to the entire procedure in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (f). Papers laid on the table of the House [*Placed in Library See.* No. LT—469/69].

Import of Contraceptives

4151. **Shri Onker Lal Berwa** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India is importing contraceptives for family planning from many foreign companies ;

(b) if so, the names of those companies and purchase price of those contraceptives ; and

(c) the production of such contraceptives in India ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) ; (a) Yes, Nirodh and Diaphragms are being imported.

(b) Names of companies from whom Nirodh and Diaphragm are at present being purchased and their purchase prices are given below :

(i) Nirodh	Price charged
M/s. Dongkuk Trading Co. Seoul (Korea).	Rs. 6.45 per gross CIF for packed. Rs. 3.75 per gross CIF for bulk.
M/s. Mitsui & Co. Tokyo (Japan).	Rs. 7.48 per gross CIF for packed.

Nirodh are also being received from certain friendly countries as aid.

(ii) **Diaphragms** :

Diaphragms are being imported by private companies at prices about which information is not readily available with the Government.

(c) At present the manufacture of Nirodh is being undertaken by the Hindustan Latex Ltd., in the public seetor, with an annual installed production capacity of 144 million pieces, and by the London Rubber Co., Madras, in the private sector, with an annual production capacity of 75 million pieces. While Trial production has recently started at the Hindustan Latex Ltd., the production is being done by the London Rubber Co. on a commercial scale.

Certain firms in the small-scale sector together have an installed production capacity for 30 million pieces of Nirodh annually.

Diaphragms are not being manufactured in the country at present.

Quarters for Staff of Income-tax Department, Kotah

415'. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that a scheme for building quarters and office in Kotah, Rajasthan for the officers and staff of Income-tax Department is pending with Government for many years ;

(b) if so, when the construction work is likely to start and the cost involved therein ; and

(c) the annual rent being paid for office and residences at present ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). Land for construction of combined office building for the Income-tax and Central Excise Department was purchased in 1955 at Kotah. The land is at present in actual occupation of the Military authortties who had put in a claim for the same and occupied it. Steps are already in progress to get it released. The question of the construction of the office building will be taken up after the land is released by the military authorities.

(c) Rs. 4,880/- for office accommodation. No residential accommodation has been provided by Government.

Tribunal Regarding Krishna-Godavari River Water Dispute

*4153. **Shri Onkar Lal Berwa ;**
Shri J. H. Patel :
Shri J. Mohammed Imam :
Shri Sitaram Kesri :
Shri M. N. Naghnoor :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Minister of Mysore, Maharashtra and Andhra

Pradesh have expressed their opinion in favour of setting up a Tribunal to settle the dispute regarding sharing the waters of Krishna and Godavari rivers ;

(b) if so, reaction of Government in this regard ; and

(c) when the tribunal is proposed to be appointed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Sidheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). It is proposed to make a further attempt to settle the dispute by negotiations, failing which recourse to adjudication under the Inter-State Water Disputes Act, 1956, has to be taken.

Rural House Building Schemes in Madhya Pradesh

4154. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No 4539 on the 16th December, 1968 and state :

(a) the amount granted to Madhya Pradesh for the year 1968-69 for rural house-building schemes in the State ;

(b) the amount actually spent thereon, the amount spent for other purposes and the amount lying unspent during the years 1966-67, 1967-68 and 1968-69 so far ; and

(c) the amount granted to other States for the current financial year for this purpose, State-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Central assistance amounting to Rs. 30 lakhs has been allocated to the Government of Madhya Pradesh during 1968-69, under the head of Development Housing which includes the Village Housing Projects Scheme of this Ministry. It is for the State Government to utilise an appropriate part of this amount under the above Scheme.

(b) During 1966-67, against the allocation of Rs. 1.60 lakhs, the State Government drew Rs. 1.13 lakhs under the Village Housing Projects Scheme. During 1967-68, the State Government did not furnish a schemewise breakup of Rs. 25.40 lakhs allocated under the head 'Housing'. However, a sum of Rs. 3.05 lakhs was drawn by them during that year under the Village Housing Projects Scheme. The State Government have not so far reported any expenditure under the Scheme during 1968-69.

(c) The schemewise breakup of Central assistanee allocated to the States under the various Social Housing Schemes has not yet been furnished by the State Governments. Under the existing procedure, the State Governments can, however, draw 10/12th of the Central assistance allocated to them in 10 equal monthly instalments as a ways and means advance for meeting their expenditure.

Ayurvedic Dispensaries

4155. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state ;

(a) the number of new Ayurvedic Dispensaries opened in each State during 1968-69 ; and

(b) the amount granted by the Central Government to the States therefor ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

(b) No financial assistance is given by the Central Government to the State Governments specifically for this purpose.

वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्यों में उद्योगों को ऋण दिया जाना

4156. **श्री को० सूर्यनारायण** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा कि केन्द्रीय वित्त संस्थाओं द्वारा भिन्न-भिन्न राज्यों में बिभिन्न उद्योगों को 31 मार्च, 1968 तक के पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कितना ऋण दिया गया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर दिया जायगा ।

Accident in Sindri Fertilizer Factory

4157. Shri Ramavtar Shastri :
Shri Ganesh Ghosh :
Shri Mohamed Ismail :
Shri K. Ramani :
Shri R. Umanath :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an accident took place in the Sulphate Plant of Sindri Fertilizer Factory on the 15th February, 1969 ;

(b) if so, the number of persons killed and injured, separately as a result thereof ;

(c) the causes of the accident ;

(d) whether Government propose to institute a high level enquiry into this matter ; if not, the reasons therefor ; and

(e) whether Government have paid any compensation to the families of the dead and the intured and if not, the reasons therefor and when the compensation is proposed to be granted to them ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) No, The accident took place on the 14th February, 1969.

(b) There persons were killed and one was injured.

(c) The accident took place due to structure failure of Purge Liquor Tank.

(d) No. The causes of the accident have already been enquired into by a Committee of three Chief Engineers of Sindri unit of the Fertilizer Corporation of India. Another Committee consisting of an outside General Manager and the Corporation's Technical Consultant is being appointed by the Managing Director.

(e) Government do not have to pay any compensation. The Management of the Fertilizer Corporation of India have made arrangements to pay compensation, provident fund, gratuity etc. due to the deceased persons. In addition, they have already paid ex-gratia payment of Rs. 500/- each to the families of the deceased persons and Rs. 250/- to the injured person as immediate relief.

नई दिल्ली स्थित आल इन्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सिज में न्यूरोलाजी के प्रोफेसर की नियुक्ति

4158. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास मन्त्री 16 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4733 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसिज में न्यूरोलाजी

के प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिये जिस उम्मीदवार को चुना गया है उसने स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को न्यूरोलाजी कभी नहीं पढ़ाई ;

(ख) क्या उक्त उम्मीदवार को कनिष्ठ तथा वरिष्ठ न्यूरोलाजिस्ट के रूप में नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा क्रमश: 1965 और 1967 में रद्द किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे उम्मीदवार को जिसको न्यूरोलाजी में न तो विशेष योग्यता प्राप्त है और न ही स्नातकोत्तर छात्रों को पढ़ाने का अनुभव है, चुनने के क्या कारण हैं ; और

(घ) न्यूरोलाजी के प्रोफेसर की वर्तमान नियुक्ति के लिए यदि कोई शर्तें तथा कालावधि है तो क्या ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगर विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

1965 में उन्होंने मेडिकल कालेज, पांडिचेरी में औषध के अपर-प्राध्यापक के पद के लिए संघीय लोक सेवा आयोग को आवेदन पत्र भेजा था किन्तु वह साक्षात्कार के लिए नहीं आई क्योंकि वह विदेश में थीं ।

1967 में, उन्होंने न्यूरोलाजी के वरिष्ठ परामर्शदाता के पद के लिए संघीय लोक सेवा आयोग को पुन: आवेदन पत्र भेजा जो कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सुपरटाइम ग्रेड 11 के औषध के प्राध्यापक के पद से तथा प्राध्यापक के पद से उच्चतर वेतनमान का है । वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति के लिए आयोग को कोई सुपात्र उम्मीदवार नहीं मिला । फिर भी औषध के प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए उन्हें चुन लिया गया ।

(ग) इस पद के लिए उन्हें सर्वोत्तम सुपात्र उम्मीदवार समझा गया ।

(घ) अन्य बातों के साथ-साथ न्यूरोलोजी के प्राध्यापक की वर्तमान नियुक्ति के लिए निबन्धनों तथा शर्तों में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं :

(i) **वेतन** : केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में काम करते समय अधिकारी को मिल रहे अन्तिम वेतन को ध्यान में रखकर सामान्य नियमों के अनुसार नान-प्रैक्टिस भत्ते समेत 1900-75-2200-100-2500 रु० वाले वेतनमान में वेतन का नियतन किया जाना ;

(ii) किसी किस्म की निजी प्रैक्टिस करना वर्जित है ।

(iii) यह नियुक्ति अस्थायी है तथा किसी भी समय किसी भी पक्ष की ओर से एक महीने का नोटिस एवं वेतन दिये जाने पर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है ।

विदेशी सहयोग

4159. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत वर्तमान 2,500 विदेशी सहयोगों के लिए रायल्टियों तथा प्रबन्ध-शुल्कों के रूप में 30 करोड़ रुपये दे रहा था ;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजनावधि की समाप्ति तक इस धन राशि के लगभग 100 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय सोचे गये हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) एक विवरण लोक-सभा की मेज पर रख दिया गया है जिसमें 1963-64 से 1967-68 तक के वर्षों में अधिकार शुल्कों, तकनीकी जानकारी की फीस, तकनीशनों और अन्य व्यावसायिक सेवाओं तथा प्रबन्ध सम्बन्धी सेवाओं की फीस के सम्बन्ध में विदेश भेजी गयी रकमों का ब्यौरा दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 470/69]

(ख) और (ग). देश के औद्योगिक विकास की गति तेज होने और उच्च स्तरीय उद्योग विद्या सम्बन्धी विदेशी सहयोग करारों की आवश्यकता होने के कारण, यह सम्भव है कि पहले से विद्यमान और आगे किये जाने वाले विदेशी सहयोग के करारों के सम्बन्ध में अधिकार शुल्क और तकनीकी जानकारी की फीस तथा प्रबन्ध सम्बन्धी फीस की अदायगी की रकमों में समय समय पर वृद्धि हो। लेकिन विदेशी सहयोग की स्वीकृति तभी दी जाती है जब सहयोग से उपलब्ध होने वाली उद्योग-विद्या से देश को लाभ होने की सम्भावना हो और देशी तकनीकी जानकारी उपलब्ध न हो। इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने का भी ध्यान रखा जा रहा है कि भविष्य में विदेशियों के साथ किये जाने वाले सहयोग करारों में निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने की कोई शर्त न हो। विदेशी सहयोग करारों वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों की निर्यात क्षमता में जो वृद्धि होने की सम्भावना है, उससे विदेश भेजी जाने वाली बढ़ी हुई रकमें कुछ हद तक प्रतिसन्तुलित हो जायेगी। परन्तु किसी भी तरह यह सम्भव नहीं है, कि अधिकार शुल्क सम्बन्धी अदायगियों और तकनीकी जानकारी की फीस आदि की विदेश भेजी जाने वाली रकमें चौथी आयोजना की अवधि के अन्त तक 100 करोड़ रुपया वार्षिक तक हो जायं।

मनीपुर का भू-विज्ञान सर्वेक्षण

4160. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र मनीपुर के खनिज साधनों का पता लगाने के लिए इस क्षेत्र का कोई भू-विज्ञान सर्वेक्षण किया जा रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या विशद् भू-विज्ञान सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका है ; और

(ग) यदि कोई सर्वेक्षण किया गया है तो वह सर्वेक्षण किन-किन क्षेत्रों का किया गया है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). छिद्रण-कार्य सहित मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र के भागों में योजनाबद्ध भूतत्वीय नक्शे बनाने और खनिज जांच का काम किया गया है। जांच के परिणामस्वरूप भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने उखरूल और तेंगनाउपाल सब-डिविजनों में निकिल-तांबा-कोमाइट के लघु निक्षेपों का और थाउबल सब-डिविजन में नमक के स्रोतों का पता लगाया है।

विश्व बैंक के सदस्यों द्वारा अपर कृष्णा परियोजना का दौरा

4161. श्री रा० वें० नायक : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के सदस्यों ने मैसूर राज्य में अलमाटी स्थित अपर कृष्णा परियोजना का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का प्रयोजन क्या था ; और

(ग) क्या इस दौरे से परियोजना कार्य में तेजी आई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक के सिंचाई सम्बन्धी प्रारम्भिक सर्वेक्षण दल ने जनवरी-फरवरी, 1969 में भारत का दौरा किया था। इस दल के उद्देय मोटे रूप से ये थे : (1) चौथी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में भारत सरकार के जल संसाधन विकास सम्बन्धी कार्यक्रम का पुनरवलोकन करना, (2) विश्व बैंक/ अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण की सहायता के लिएसंभाव्य रूप से उपयुक्त बड़े पैमाने की सिंचाई परियोजनाओं को निर्धारित करना और (3) इस तरह निर्धारित की गई परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए अपेक्षित और प्रारम्भिक कार्य के परिणामस्वरूप और कार्यक्रम को निर्धारित करना।

(ग) क्योंकि इन दौरों का उद्देश्य केवल अन्वेषणात्मक ही था, इस लिए इसका प्रश्न नहीं उठता।

Distribution of Drugs and Appliances for Family Planning in U.P. and Bihar

4162. **Shri Nibal Singh :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that drugs and appliances for family planning are not being distributed free in Uttar Pradesh and Bihar ; and

(b) the amount granted and drugs and appliances given by the Central Government to each of these two States during the last two years ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) The position is being ascertained and the information will be laid on the table of the Sabha as soon as it is received from the State Governments.

The following amounts were granted as Central assistance to the Governments of Uttar Pradesh and Bihar for the implementation of Family Planning Programme for the last two years :—

	1966-67 Rs. in lakhs	1967-68 Rs. in lakhs
Uttar Pradesh	197.326	293.27
Bihar	47.520	124.47

According to information so far available, conventional contraceptives like Nirodh, Jellies, foam, tablets, loops and inserters of the value as shown below were also supplied to these States during the last two years :—

	1966-67	1967-68
	Rs.	Rs.
Uttar Pradash	41,900	1,78,500
Bihar	17,200	62,900

Cheap Houses for Government Employees in Delhi

41(·3. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether any scheme is being implemented by the Delhi Development Authority to make available cheap houses to Government employees in the Capital ; and

(b) if so, the terms thereof and the number of houses so allotted to them during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy : (a) No. The Delhi Development Authority has undertaken construction of flats and their allotment to the citizens of Delhi in the low and middle income groups. The flats are allotted on no-profit-no-loss basis on hire-purchase system by draw of lots. 50% of such flats are, however, reserved for allotment to the persons in the salaried groups.

(b) Does not arise.

Ambulances in Government Hospitals in Delhi

4164. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the total number of ambulance vehicles with hospitals in the capital run by the Central Government ; and

(b) the number of those in running condition and the number of those lying idle for their being defective ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) There are 12 ambulance vehicles, of which 7 are with the Willingdon Hospital and 5 with the Safdarjang Hospital.

(b) Six vehicles are road-worthy while the remaining six need repairs.

Golcha Properties (P) Ltd., New Delhi

4165. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the personal movable assets (including ornaments) of Shri Golcha, Shri Wazir Chand Saxena and their relations connected with the Golcha Properties (P) Ltd., New Delhi have been checked ;

(b) whether it has been found to be incompatible to their known incomes and if so, the details thereof ; and

(c) whether any steps have been taken to freeze their assets to safeguard the interests of creditors ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir. However, the residence of Shri Wazir Chand Sexana was searched in 1966 by the police in connection with a case of cheating and embezzlement registered with the Parliament Police Station, New Delhi, and certain documents were seized.

(b) The position regarding the assessment of income-tax is being ascertained.

(c) The company has been taken into liquidation and claims of creditors will be

settled by the Official Liquidator under the directions of the Rajasthan High Court. Certain properties belonging to Shri Mehtab Chand Golcha were attached by the Income-Tax Department to cover taxes to the extent of about Rs. 10 lakhs due from him.

उर्वरकों के उत्पादन के लिए गैस का प्रयोग

4166. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेप्था, अमोनिया तथा गैस से बनने वाले उर्वरकों की औसत उत्पादन लागत कितनी-कितनी है ;

(ख) देश में कितनी गैस उपलब्ध है और उसका कितना प्रतिशत भाग उर्वरक उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जाता है अथवा प्रयुक्त करने की योजना है ; और

(ग) सारी गैस का, जो बर्बाद जाती है और जिससे अन्य भरण स्टाक के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा की बचत होगी, प्रयोग करने में क्या आपत्तियाँ हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) उत्पादन लागत केवल प्रयुक्त भरण-स्टाक पर ही नहीं, बल्कि कई अन्य तथ्यों अर्थात प्रोसैस रूट्स, प्रारम्भिक विनियोजन, संयंत्र के आकार, इसके स्थान, कई अन्य कच्चे मालों की लागत, उपयोगिताओं एवं उत्पाद मिश्रण आदि पर निर्भर है। उर्वरकों के उत्पादन की लागत, जिन के लिए अमोनिया कच्चा माल है, विशेष किस्म के उत्पादित उर्वरक पर निर्भर करेगी। अत: तीनों भरण-स्टाक पदार्थों के लिए, तुलनात्मक आधारों पर, उत्पादन की औसत लागत को बताना सम्भव नहीं है।

(ख) 1969-70 में प्रतिदिन 1.57 मिलियन घन मीटर गैस उपलब्ध हो जायेगा। उर्वरकों के उत्पादन के लिए अन्य वस्तुओं के साथ गैस का इस्तेमाल प्रतिदिन 0.57 मिलियन घन मीटर होता है। वर्तमान योजनाओं के अनुसार 1973-74 तक उर्वरकों के निर्माण में गैस के इस्तेमाल के प्रतिदिन 2.1 मिलियन घन मीटर तक, बशर्ते कि उपलब्ध हो, बढ़ जाने की आशा है।

(ग) पहले से की गई अन्य बचत बद्धताओं जैसे बिजली के लिए, गैस की किस्म, क्षेत्र में उर्वरकों की सीमित मांग आदि, के कारण उर्वरकों के लिए समस्त उपलब्ध गैस का इस्तेमाल कभी कभी सम्भव नहीं होता। तो भी इसके इस्तेमाल को अधिकतम करने का लक्ष्य है यदि अन्य सम्बद्ध तथ्यों के अनुकूल हो।

विदेशी सहायता तथा ऋण

4167. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में किन-किन देशों से कितनी-कितनी विदेशी सहायता और ऋण प्राप्त हुए ;

(ख) उपयोग के मोटे शीर्षों के अन्तर्गत उनका वितरण कैसे किया गया :

(ग) इस सहायता और ऋणों की कुल कितनी राशि का विनियोजन नहीं किया गया है और उस स्थिति में जब कि उनसे कोई तुल्य लाभ नहीं हो रहा है, सरकार का उनका किस प्रकार भुगतान करने का विचार है ;

(घ) वर्ष 1969 में सहायता तथा ऋणों का कार्यक्रम क्या है और कितनी सहायता तथा ऋणों का वचन दिया गया है ; और

(ङ) क्या अवमूल्यन को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने विदेशी मुद्रा खर्च करने वाले मंत्रालय से परिहार्य व्यय स्थगित करने को कहा है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एस० टी० 471/69]

(ग) सभी प्रकार की सहायता, चाहे वह प्रायोजनाओं के लिए हो या प्रायोजना से भिन्न प्रयोजनों के लिए हो, अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने और उसका विकास करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अर्थ-व्यवस्था के विकास से देनदारियों को चुकाने में आसानी हो जायगी। ऋण चुकाने के लिये विदेशी मुद्रा निर्यात से होने वाली आमदनी से ली जाती है। इसलिए इस संदर्भ में निर्यात पर भी जोर दिया जाता है।

(घ) 1969 में अब तक कुल 1936.7 लाख डालरों के ऋण करारों पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। इस बात का अनुमान लगाना कठिन है कि 1969 के शेष महीनों में कितनी विदेशी सहायता के करारों पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। 1969-70 के लिए उपलब्ध होने वाली नयी सहायता का अनुमान, संघ की बैठक होने तथा उसमें इस प्रश्न पर विचार किये जाने के बाद ही लगाया जा सकता है।

(ङ) जिस समय विदेशी मुद्रा के खर्च का विचार किया जाता है, उस समय यह तथ्य ध्यान में रखा जाता है कि अवमूल्यन के कारण विदेशी मुद्रा के खर्च के रुपया-मूल्य में वृद्धि हो गयी है तथा विदेशी मुद्रा के साधन कम हैं और विदेशी मुद्रा का ऐसा खर्च न करने का पूरा प्रयत्न किया जाता है, जिससे बचना सम्भव होता है।

Mineral Oil Industry

4168 Shri Nitiraj Singh Chaudhary :
Shri Lakhan Lal Gupta :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the annual income from the mineral oil industry as a result of an investment of about 200 crores of rupees having been made in it ;

(b) whether the said income is considered satisfactory considering the huge investment made ; and

(c) if not, the time by which it is likely to reach a satisfactory level ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) The profit for 1967-68 is about Rs. 23.61 crores from an investment of about Rs. 190.71 crores in Public Sector oil industry.

(b) Yes.

(c) Does not arise.

Payment of Water and Electricity Bills of Government Buildings

4169. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the amount paid towards power and water consumption in the Central Secretariat building and buildings under occupation of other Ministries since the last March, 1967 ;

(b) the amount demanded in the Bills sent by the New Delhi Municipal Committee during the above period ; and

(c) the amount yet to be paid out of the total amount demanded through power and water bills so far ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). Information is being collected and would be placed on the Table of the House.

मनीपुर को बिजली की सप्लाई

4170. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 में मनीपुर को बिजली की सप्लाई में वढ़ाये जाने और आसाम से बिजली क्रय करने के कार्य में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) मनीपुर निवासियों को कब तक बिजली उपलब्ध हो जायेगी और इस प्रकार लगभग कितनी बिजली का क्रय किया जायेगा ; और

(ग) क्या बिजली सप्लाई किये जाने का कार्य किसी बिजली बोर्ड को सौंप दिया जायेगा या बिजली की अधिक सप्लाई को दृष्टि में रखते हुए लोक निर्माण विभाग, मनीपुर के अन्तर्गत डिवीज़नों की संख्या बढ़ाई जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1968-69 के दौरान, 2453 किलोवाट की वर्तमान क्षमता में 960 किलोवाट की नई उत्पादन शक्यता जोड़ी गई है। असम से बिजली की थोक सप्लाई से लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गये हैं और लाइनों तथा उपकेन्द्रों के निर्माण कार्य को शीघ्र ही हाथ में लेने की संभावना है।

(ख) असम से मणिपुर को 1971-72 के दौरान ही बिजली की थोक सप्लाई होने की संभावना है। असम में लगभग 5000 किलोवाट बिजली की थोक सप्लाई की जा सकेगी और इसे धीरे धीरे बढ़ाकर 15,000 किलोवाट कर दिया जाएगा।

(ग) मणिपुर सरकार अपने क्षेत्र में बिजली विकास सम्बन्धी कार्यक्रम को हाथ में लेने के लिए एक विद्युत वृत्त स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। बिजली की आवर्धित सप्लाई से संबद्ध समस्याओं को हल करने के लिए इस वृत्त को और मजबूत करने के प्रश्न पर यथासमय विचार किया जाएगा।

Per Capita Income of Madhya Pradesh

4171. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that per capita income of Mahdya Pradesh is much less as compared to other States ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether the examples of Punjab in regard to increasing the per capita income can be emulated in the case of Madhya Pradesh also ; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The per capita income in Madhya Pradesh, according to the latest available estimates (1964-65) is Rs. 373.00 This is lower than per capita income in 11 States (Punjab, Maharashtra, Gujarat, Haryana, West Bengal, Assam, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Mysore, Kerala and Uttar Pradesh) and higher than that in 4 States (Rajasthan, Orissa, Jammu and Kashmir and Bihar).

(b) The reasons include historical circumstances and various socio-economic factors.

(c) and (d) Per capita income can be raised through economic development of the State which is being attempted by means of development plans. Such economic development would result in the per capita income in Madhya Pradesh being increased to the higher levels prevailing in some other States, such as the Punjab.

Water Schemes of Madhya Pradesh

4172. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Government have sent some schemes for the approval of the Central Government in regard to the making of arrangements for adequate supply of drinking water in Madhya Pradesh during the next year ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the amount likely to be allocated by Government for these schemes ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) A list showing the names of towns and villages in Madhya Pradesh, for which water supply schemes have been received and approved by the Central Government from 1st April, 1968 to-date is appended. [*Placed in Library. See* No. LT.—472/69] The list also contains the names of water supply schemes (Urban and Rural) which are still under examination and those which have been returned to the Government of Madhya Pradesh for revision in the light of the comments offered by the Central Public Health Engineering Organisation.

(c) It is for the State Government to claim Central assistance on the following pattern after the schemes have been executed by them :—

Urban water supply schemes - 100% loan.

*Rural water supply schemes — 50% grant-in-aid.

House-Building Cooperative Societies in Madhya Pradesh

4173. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state the amount of grant given to Madhya Pradesh for House Building to Cooperative Societies during 1968-69 so far ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B S. Murthy) : No specific amount is allocated to any State Government for giving grants to House Building Cooperative Societies. However, during 1968-69 Central financial assistance amounting to Rs 37.88 lakhs—Rs. 21.50 lakhs as a loan and Rs. 16.38 lakhs as a grant--has been allocated to the Government of Madhya Pradesh for implementing the social housing schemes of this Ministry in the State. The amount actually drawn by the State Government will be known after March, 1969.

*(including areas and small towns having a population upto 20,000 according to 1961 census).

Income-Tax Collected in Madhya Pradesh

4174. **Shri G C. Dixit :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the amount collected as income-tax from Madhya Pradesh April, 1968 and 31st January, 1969 ; and

(b) how it compares with relevant figures for this period last year ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). The information in respect of Madhya Pradesh Commissioner's charge (which includes Nagpur and Bhandara) is as under :—

Period	Amount of income-tax revenue collected (including Corporation-tax) on the basis of Departmental Figures (in Lakhs of Rupees)
(a) 1-4-1968 to 31-1-1969.	920
(b) 1 4-1967 to 31-1-1968.	863

The figures of collections of Madhya Pradesh State are not available as the statistics are compiled Commissioner-wise and not according to States.

Rural Electrification in Madhya Pradesh

4175. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of villages in Madhya Pradesh supplied electricity from April, 1968 to 31st January, 1969 and the number of these villages, district-wise ;

(b) the number of tube-wells provided electricity during the above period ;

(c) the total expenditure incurred on the electrification of villages and providing electricity to the tube-wells ; and

(d) the extent to which the annual revenue of Government increased as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) In Madhya Pradesh 838 villages were electrified from April, 1968 to end of January. 1969. District-wise details thereof are given in Annexure. [*Placed in Library. See* No. LT.– 473/69.]

(b) During the above period 9032 irrrigation pumpsets including 33 tube-wells were energised.

(c) Madhya Pradesh Electricity Board has reported an expenditure of Rs. 249.89 lakhs on the electrification of villages and energisation of pump sets.

(d) The Electricity Board has estimated the annual revenue at Rs. 11.47 lakhs.

केन्द्रीय उत्पादन सीमाशुल्क निदेशासय, दिल्ली में चोरियां

4176. **श्री लताफत अली खां :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में केन्द्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क निदेशालय के समस्त क्षेत्राधिकार में कुल कितनी बार चोरियां हुई और किन-किन तारीखों को हुई ;

(ख) उक्त चोरियों के परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कितनी हानि हुई ; और

(ग) उन सब मामलों में क्या कार्यवाही की गई ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) दिल्ली के केन्द्रीय उत्पादनशुल्क तथा सीमाशुल्क समाहर्ता कार्यालय में निम्नलिखित चार चोरियाँ हुई:—

क्र० सं०	चोरी होने की तारीख	चोरी का स्वरूप	मूल्य
1.	20-2-68	स्टील का ट्रंक और ताला	50 रुपये (ट्रंक और ताले की कीमत)
2.	19-11-67	नगीने तथा कम कीमत के नगीने	2,600 रुपये
3.	23-11-67	—यथोपरि—	4,400 रुपये
4.	3-12-67	—यथोपरि—	650 रुपये

उपर्युक्त के अतिरिक्त मैसर्स पान अमेरिकन एयरवेज के माल चढ़ाने उतारने आदि के एजेंटों के दो कर्मचारियों ने 4-9-67 18,395 रुपये मूल्य के नगीनों का एक पैकेट चुरा लिया था। परन्तु, पालम के सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा की गई चौकस कार्यवाही के कारण यह माल उसी दिन बरामद कर लिया गया।

ऊपर क्रम संख्या 1 पर लिखित चोरी के कारण 50 रुपये का नुकसान हुआ। जहां तक संख्या (2) से संख्या (4) तक की चोरियों का सम्बन्ध है, राजकोष को आयात शुल्क रूप में कोई हानि नहीं हुई क्योंकि यह माल पुन: आयात किया गया था। इसके अतिरिक्त इस माल के बारे में न तो किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति का दावा किया गया और न सरकार द्वारा कोई भुगतान किया गया।

(ग) चारों ही मामलों में स्थानीय पुलिस में शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। पुलिस को स्टील ट्रंक का पता नहीं लग सका और जांच पड़ताल बन्द कर दी गई है। फिर भी ट्रंक में खोई फाइलों को फिर से तैयार कर लिया गया है। ऊपर क्रम संख्या (2), (3) तथा (4) में उल्लिखित माल के खोये जाने के मामलों में पुलिस की जांच पड़ताल अभी भी जारी है। 4 सितम्बर, 1968 को हुई चोरी में ग्रस्त दोनों अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में शिकायत दायर की जा रही है। वे फिलहाल जमानत पर हैं।

केन्द्रीय उत्पादन और सीमा-शुल्क निदेशालय, दिल्ली की उत्पादन और सीमा-शुल्क की बकाया धनराशी

4177. **श्री लताफत अली खां** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 फरवरी 1969 तक केन्द्रीय उत्पादन और सीमाशुल्क निदेशालय, दिल्ली के समस्त क्षेत्राधिकार में केन्द्रीय उत्पादन और सीमा-शुल्क की धनराशि बकाया थी ;

(ख) उक्त धनराशि को वसूल न करने क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त धनराशि के वसूल न किये जाने से सरकारी खजाने को ब्याज के रूप में कितनी हानि हुई ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी।

केन्द्रीय लोक निमाण विभाग के ओवरसियर (सेक्शनल आफिसर) (सिविल)

4178. **श्री एस० डो० सोमसुन्दरम :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ओवरसियर संघ की बैठक में बोलते हुए उन्होंने यह कहा था कि विभाग में काम का भार कम हो जाने के कारण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के योग्य ओवरसियरों (सिविल) की पदोन्नति करने में असमर्थता व्यक्त की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि काम के भार में कमी हो जाने के बाद भी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई भर्ती में कमी नहीं की गई है और कुछ सहायक इन्जीनियरों की पदावनति कर दी गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि काम के भार में कमी हो जाने के बावजूद भी 1967 और 1968 में संघ लोक सेवा आयोग से अधिक से अधिक अभ्यर्थियों की भर्ती किये जाने का अनुरोध किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कार्य भार में कोई कमी नहीं हुई है और संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सहायक इंजीनियरों की सीधी भर्ती को रोकने या कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सहायक इंजीनियरों की पदावनती यथा संभव नहीं की जाती है, परन्तु क्योंकि सीधी भर्ती वालों के रिक्त स्थानों में, पदोन्नति के कोटा से काफी अधिक संख्या में अनुभाग अधिकारी पदोन्नत हो चुके हैं, इन तदर्थ आधार पर पदोन्नत हुए लोगों को कभी-कभी नीचे के पदों में परावर्तित कर दिया जाता है जब सीधी भर्ती वाले लोग कार्य ग्रहण करते हैं।

(ग) जी, नहीं। 1967 और 1968 की परीक्षा से 1965 और 1966 की अपेक्षा काफी कम संख्या में उम्मीदवारों की माँग की गई थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Supply of Water to Bhakra and Ganga Canals under Rajasthan Canal

4179. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4697 on the 16th December, 1968 and state :

(a) the reasons for the inadequate supply of water to Bhakra and Ganga canals under the Rajasthan canal, when the water is not supplied to Pakistan ; and

(b) whether Government have received reports to the effect that the standing crops of the farmers of Ganganagar district wither away for want of adequate supply of water to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad : (a) From 21st February, 1969, the supplies to Pakistan have been resumed in terms of the Indus Waters Treaty and no additional waters are available to India. As a result, the supply to Gang Canal has been limited to its share of the Beas waters as heretofore. The Bhakra areas in Rajasthan receive waters from the Sutlej in accordance with the Bhakra Nangal Agreement and have continued to receive waters from Sutlej as before.

(b) A report to this effect in regard to Bikaner Canal was received from Rajasthan Government and supplies to be run in it were arranged to be increased.

हिमाचल प्रदेश और देहरादून की काली तथा हरी चाय के मानक

4180. **श्री हेमराज : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय मानक संस्थान को हिमाचल प्रदेश और देहरादून में पैदा होने वाली काली और हरी चाय के मानकों के विश्लेषण करने का काम सौंप दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह मामला उसे कब से सौंपा गया है ; और

(ग) विश्लेषण कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). यह काम जनवरी, 1967 में भारतीय मानक संस्था को सौंपा गया था। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर जो पर्याप्त नहीं है, कोई निर्णय नहीं लिया जा सका । अत: उपयुक्त नमूना प्रक्रिया पर एक दस्तावेज तैयार करने का निर्णय किया गया था । वह दस्तावेज अब तैयार हो गया है जिसके आधार पर आगामी कटाई मौसम (अप्रैल-अक्टूबर, 1969) में नमूनों का संग्रह किया जायेगा और भारतीय मानक संस्था इस बर्ष के अन्त में अपनी सिफारिशें तैयार करेगा ।

अन्तर्राज्य बिक्री पर कर

4181. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसूर व्यापार मण्डल और उद्योगों से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तर्राज्य बिक्री पर कराधान के मामले में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रभावों को कार्यान्वित करने के प्रयत्नों का विरोध किया है ;

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रभावों को कार्यान्वित करने से पूर्व राज्य सरकारों से भी सलाह ली गई थी ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या मैसूर व्यापार तथा उद्योग-मण्डल ने केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में संशोधन करने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ।

(ख) मामले पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) यह सवाल नहीं उठता।

(ङ) मैसूर वाणिज्य तथा व्यापार मण्डल ने सुझाव दिया है कि मैसूर राज्य बनाम यादलम लक्ष्मीनरसिंहैया सेट्टी एण्ड संस के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 में संशोधन नहीं किया जाना चाहिये। उन्होंने यह भी प्रार्थना की है कि अगर सरकार अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय करे तो ऐसे संशोधन को पिछली तारीख से लागू नहीं किया जाना चाहिये। जैसा कि प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में कहा जा चुका है, इन सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

ईरान के तट पर तेल की खोज

4182. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने ईरान के तट-दूर क्षेत्र में तेल के एक और निक्षेप का पता लगाया है;

(ख) क्या इस तेल निक्षेप से प्रतिवर्ष प्राप्त हो सकने वाले तेल का अनुमान लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस उपक्रम से कितना लाभ होने की आशा है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) किये गये विस्तृत भूकम्पीय सर्वेक्षणों से ईरान के तट-दूर रोस्तम तेल क्षेत्र के निकट हाल ही में एक संरचना का पता चला है। क्योंकि इस संरचना का व्यधन से परीक्षण नहीं किया गया है, अतः इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि क्या यह तेल-युक्त है या नहीं।

(ख) और (ग). इस समय कोई विश्वासनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

Development of Presidential Colonies in Various States

4183. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the details of the amount spent on the development of residential colonies in various States under the Central Housing Schemes during the last three years and that proposed to be sent during the current year ;

(b) the steps taken by Government to grant loans for the setting up of new residential colonies and for the development of housing schemes in various States ; and

(c) the extent of co-operation given by Government during the last three years and that proposed to be given next year in regard to the construction of residential houses in Rajasthan ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The amounts disbursed to the

States during the last three years for the implementation of the social housing schemes of this Ministry are given below :—

Year	Central assistance	L.I.C. funds
	(Rs. in crores)	
1965-66	13.14	15.00
1966-67	7.53	12.00
1967-68	7.56	12.00

During the current financial year, a sum of Rs. 20.64 crores (Rs. 8·64 crores as Central assistance and Rs. 12.00 crores of L.I.C. funds) has been allocated to the States. The amount actually disbursed will be known after March, 1969.

(b) All the social housing schemes of this Ministry are included in the State Plans and are proposed to be continued during the Fourth Five Year Plan. Central assistance to be given to the States during the Plan period has not, however, yet been determined.

(c) During the last three years, the Government of Rajasthan have drawn Rs. 3.10 crores (Rs. 0.28 crore as Central assistance and Rs. 2.82 crores of L.I.C. fund), for implementing the social housing schemes of this Ministry. For the year 1968-69, they have been allocated Rs. 5.67 lakhs as Central assistance and Rs. 60 lakhs of L.I.C. fund.

During the Fourth Plan period beginning from the 1st April, 1969, for all the State Sector programmes including the social housing schemes of this Ministry, Central assistance will be given to the States in the form of 'block grants' and 'block loans' without being tied to any specific head of development. The States will be free to allocate funds to various programmes in the State Sector, including Housing, according to their priorities. The State-wise allocation of Central assistance, including that to Rajasthan, during the next year i.e, 1969-70 has not yet been finalised.

National Building Construction Corporation

4184 **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Buildings Construction Corporation has so far sustained a loss of about Rs. 1.5 crores ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action proposed to be taken by Government to run this Corporation on commercial lines and to reduce its overhead expenditure ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The losses incurred by the N.B.C.C. Limited since its inception in November, 1960, and upto the 31st March, 1968, amounted to Rs. 1.43 crores.

(b) and (c), A statement is attached.

STATEMENT

In August, 1964, Officers of the Ministry of Works, Housing and Supply and the Ministry of Finance investigated the reasons for the losses incurred by the Corporation. It was found that the losses were partly attributable to the inefficiency of the field units in controlling the consumption of labour and materials and partly to delay in the execution of works with the consequent rise in labour wages and cost of materials.

To rectify these defects, an effort was made by the Corporation to weed out staff whose performance was not quite satisfactory and whose integrity was doubtful. The

services of about fifteen senior engineers of the rank of Executive and Superintending Engineer were thus terminated. Steps were also taken to obtain, on loan, senior officers of the rank of Superintending and Executive Engineer from the Central Public Works Department. A Planning Cell was formed. Efforts were also made to speed up completion of the Corporation's old works.

2. In 1965, a Committee was appointed under the Chairmanship of Major General Harkirat Singh, the then Adviser (Construction), Planning Commission, to examine the working of the Corporation in greater detail and advise on the future course of action. This committee recommended that the Corporation should concentrate on specialised items of work such as pile-driving, steel fabrication, road making with mechanised equipment, and Deep Sewer Works, and undertake works in difficult areas where the rates quoted by private contractors were very high. As a result of this recommendation, it was decided that the Corporation should take up works in difficult areas such as NEFA and switch over to specialised items of work like pile-driving, deep sewer laying and road construction with mechanised equipment.

3. As a result of the investigations into the working of the Corporation, there has been appreciable improvement in the working of the Corporation. The loss incurred by the Corporation during 1967-68 on the works undertaken by it was only Rs. 4.52 lakhs which is about 1.8% of its turnover during the year.

4. Recently a Committee consisting of a Joint Secretary of the Ministry of Works, Housing and Supply and Advisers (Construction) and (Finance) of the Bureau of Public Enterprises was set up to review the past performance of the Corporation, examine its capital structure and recommend measures to improve its working. The Committee is expected to submit its report to Government shortly.

अशोधित तेल और डीजल तेल का उत्पादन

4185. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र में अशोधित तेल और डीजल तेल के उत्पादन को दुगना करने के लिए सरकार ने चालू वर्ष और आगामी वर्ष में क्या प्रयास किये हैं अथवा करने का विचार है ;

(ख) सरकार की तीनों तेल शोधक कारखानों की वर्तमान क्षमता क्या है ; और

(ग) क्या सरकारी ने गैर-सरकारी क्षेत्र की चारों कम्पनियों को देश की अतिरिक्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उत्पादन को बढ़ाने के लिए कहा है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) अशोधित तेल क्षेत्रों से उत्पादित होता है जबकि डीज़ल तेल शोधनशाला का एक उत्पाद है। देश में इस समय अशोधित तेल की कमी है किन्तु डीजल तेल में आत्म निर्भर है। डीजल तेल के उत्पादन को दुगना करने की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है। कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिये संभाव्य तेल युक्त क्षेत्रों में विस्तृत रूप में अन्वेषण ड्रिलिंग किया जा रहा है। उत्पादन कब दुगना हो जायेगा इस के बारे में पूर्वानुमान सम्भव नहीं है।

(ख) 1968 में तीन सरकारी शोधनशालाओं में कच्चे तेल की थरुपुट (throughput) 5.2 मिलियन मीटरी टन थी जिस में से डीज़ल तेल का उत्पादन लगभग 29 प्रतिशत था।

(ग) जी नहीं। इस समय डीज़ल तेल के अतिरिक्त उत्पादन की आवश्यकता नहीं है।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था नई दिल्ली के अनुसचिवीय कर्मचारियों की सेवा वृद्धि

4186. श्री निहाल सिंह : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की नीति के विरुद्ध अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली के अनुसचिवीय कर्मचारियों की सेवाएं 58 वर्ष की आयु के बाद भी बढ़ाई जा रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों की सेवाएं बढ़ाई गई हैं और इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली, सैक्टर 12 में चार मंजिले क्वार्टरों में बिजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था न किया जाना

4187. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जगेश्वर यादव :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के सैक्टर 12 के चार मंजिले वाले क्वार्टरों को उनमें बिजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था किये बिना ही सरकारी कर्मचारियों को आवंटित कर दिया गया है ;

(ख) क्या आवंटन किये जाने से पहले ही सीनियर आफिसरों ने इन क्वार्टरों का निरीक्षण किया था ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इसका पता लगाने के लिये किन्हीं उच्च अधिकारियों को नियुक्त किया गया है कि इन क्वार्टरों में आवश्यक सुविधायें न होने के कारण निवासियों को क्या कठिनाइयां हो रही हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं। रामकृष्णपुरम के सैक्टर ×11 में 400 चार मंजिले क्वार्टरों का आवंटन पानी तथा बिजली मिलने के बाद किया गया था। कीमती साज-सामान जैसे पंखे आदि चोरी से बचाने के लिए, सदैव की भांति, दखल लेने के बाद लगाये जाते हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ). भाग (क) और (ख) के उत्तरों को ध्यान में रखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता ।

Non-Payment of Cash Compensation for Duty on Gazetted Holiday to Class IV Employees in Parliament Works Division

4188. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that class IV employees in Parliament Works Division are not given cash compensation for duty on Gazetted holidays, but are given compensatory leave in lieu thereof whereas compensation is paid in cash in other Ministries for duty on Gazetted holidays ;

(b) whether Government propose to grant cash compensation to such employees for duty on Gazetted holidays ; and

(c) if so, when and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy : (a) The answer to the first of the question is in the affirmative. Elsewhere, according to the general orders on the subject, overtime allowance at holiday rates is paid unless an employee himself desires to avail of compensatoy leave.

(b) and (c). Instructions are being issued to follow the general orders in the cases under reference.

पश्चिमी बंगाल में सीमा शुल्क सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन

4189. **श्री जुगल मंडल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क विभाग ने पश्चिमी बंगाल में 1968 में और 1969 में फरवरी मास तक सीमा शुल्क सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करने के लिये विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध कुल कितने मुकदमे दायर किये हैं ; और

(ख) कुल कितने मामलों में मुकदमा चालू किया जा चुका है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सीमा-शुल्क अधिकारियों ने सीमा-शुल्क नियमों के उल्लंघन के लिए और तस्कर आयात-निर्यात एवं आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, असबाब नियम, सीमा-शुल्क गृह अभिकर्ता लाइसेंस-विनियम और विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमों के अतिक्रमण के लिए 6737 मामले चालू किये गये । ये सभी मामले सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत दण्डनीय हैं ।

(ख) इनमें से 34 मामलों में इस्तगासे की कार्यवाही चालू भी की जा चुकी है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में पश्चिमी बंगाल में चिकित्सा महाविद्यालय

4190. **श्री जुगल मंडल** : क्या **स्वास्थ्य** तथा परिवार **नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना में पश्चिमी बंगाल में और अधिक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो वे किस-किस स्थान पर खोले जायेंगे ; और

(ग) उन पर अनुमानतः कितना खर्च होगा और ये महाविद्यालय कब तक खुल जायेंगे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में दो चिकित्सा कालेज स्थापित किये जा रहे हैं एक सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के अन्तर्गत और दूसरा बर्दवान में बर्दवान विश्वविद्यालय के अन्तर्गत। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में 1968-69 सत्र से एम०बी० बी०एस० पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष चालू कर दिया गया है। बर्दवान के चिकित्सा कालेज के वर्ष 1970-71 में चालू होने की आशा है। इन कालेजों की स्थापना लागत के प्राक्कलन अभी तक तैयार नहीं हुए हैं।

पश्चिमी बंगाल में आवास योजनाएं

4191. **श्री जुगुल मंडल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पश्चिमी बंगाल में केन्द्रीय सरकार की विभिन्न योजनाओं के अधीन कितने नये मकानों का निर्माण किया गया ;

(ख) राज्य द्वारा कुल कितनी धन राशि का नियतन और उपयोग किया गया ; और

(ग) इसके परिणाम स्वरूप कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) इस मंत्रालय की विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अधीन मार्च 1968 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों में 10,696 मकान पूरे किये गये थे। इस अवधि में 699.72 लाख रुपये की राशि (जिसमें जीवन बीमा निगम निधियों के 155 लाख रुपये शामिल हैं) मकानों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को नियत की गई थी। इसके विपरीत उन द्वारा बताये गये खर्च के आधार पर राज्य सरकार द्वारा 612.94 लाख रुपये की रकम ली गई।

(ग) 10696 परिवारों को लाभ पहुंचा।

Indian Carbon Ltd.

4192. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1577 on the 3rd March, 1969 and state :

(a) the number of years for which Government have entered into contract with the Indian Carbon Ltd. in regard to the supply of coke and the number of remaining years of contract ;

(b) whether in view of the huge profit being earned by the Company on the sale of processed coke, Government propose to take it over ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) A contract for the supply of all saleable petroleum coke from Gauhati Refinery was entered into by the Indian Oil Corporation with M/s. India Carbon Ltd. for a period of seven years initially, renewable at the option of the purchaser

for a further period of five years. The initial 7 years' period will be completed by the end of May, 1969. In addition, the sale of a further quantity of 132,000 tonnes from Barauni Refinery upto the end of 1969 has been committed.

(b) and (c). No. It will be appreciated that the more fact of a company making huge profits cannot by itself be the criterion for its nationalisation.

Conversion of Natural Gas into Liquid

4193. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** and Mines and **Metals** be pleased to state :

(a) the reasons for including in the Fourth Five Year Plan a project of converting only 6,000 tons of gas into liquid from out of the 17,000 tons of natural gas being burnt by the Gauhati Refinery annually ; and

(b) the reasons for which the remaining 11,000 tons of gas would be wasted ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) The main reasons for having a 6,000 tonnes only per year LPG plant at Gauhati are :—

(i) Market survey conducted in the past assessed a demand of 2,000 to 6,000 tonnes per year of LPG in Assam State.

(ii) LPG production is limited by the recoverable butane component of light gasoline/refinery gases.

(b) For safety considerations, it is necessary to flare some gas to maintain positive pressure in fuel gas system.

Agreement with Companies for Purchase of Natural Gas

4194. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Petroleum** and **Chamica** and Mines and **Metals** be pleased to state :

(a) the names of companies with which written agreements have been concluded for the purchase of 13 lakh cubic metres of natural gas being burnt daily at present in oil-fields and the terms of such agreements ;

(b) the quantity of such gas promised to be purchased daily by each such company and the period for which each company would continue to make such purchases ; and

(c) the quantity of unutilised gas in excess of such agreements and the steps being taken by Government for the utilisation thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chamicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b). It is presumed the reference is to the flaring of gas by Oil India Limited from its oilfields in Assam. Of the 13.1 lakh cubic metres per day of natural gas flared in 1968, 5.5 lakh cubic metres was low pressure gas which is not marketable. The ramaining 7.6 lakhs cubic metres of gas was flared due to short consumption (compared to the quantities earmarked) by the parties as shown below :

1.	Assam State Electricity Board	3.1	lakh	cu.	metres	per	day
2.	Fertilizer Corporation of India	1.8	,,	,,	,,	,,	,,
3.	Assam Gas Company	2.7	,,	,,	,,	,,	,,
	Total	7.6	,,	,,	,,	,,	,,

Agreement between Oil India and Assam Gas Company which covers supply of gas to Assam State Electricity Board, Fertilizer Corporation of India also up to the end of 1973 has not yet been concluded.

(c) When quantities presently earmarked for the various consumers are actually lifted, the unutilised gas would be negligible.

विरला समूह के साथ में विनियोजित जीवन बीमा निगम की पूंजी

4195. **श्री एस० ग्रार० दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम द्वारा बिरला समूह के सार्थों में साम्य ग्रंशों ग्रौर ग्रधिमान ग्रंशों, ऋणपत्रों ग्रौर बन्धक ऋणों ग्रौर प्रतिभूतियों में ग्रब तक कुल कितनी पूंजी विनियोजित की गई है ;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के ग्रन्तर्गत विनियोजित राशि का ब्यौरा क्या है ग्रौर उक्त पूंजी किस-किस वर्ष लगाई गई ;

(ग) जीवन बीमा निगम द्वारा कुल कितने प्रतिशत पूंजी का इस प्रकार विनियोजन किया गया है ;

(घ) इस निवेषित पूंजी से ग्रब तक कितनी ग्राय हुई है ; ग्रौर

(ङ) उन ग्रंशों ग्रौर ऋणपत्रों के वर्तमान बाजार मूल्य क्या हैं ग्रौर उनके ग्रंकित मूल्य क्या-क्या हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) बिड़ला कम्पनियों के समूह में 28-2-69 तक, जीवन बीमा निगम ने कुल 2237.12 लाख रुपया लगाया है।

(ख) निवेश का वर्गवार विवरण नीचे दिये ग्रनुसार है :—

डिबेंचर (ऋण-पत्र) :	482.66 लाख रुपये
तरजीही शेयर :	705.32 लाख रुपये
इक्विटी :	941.64 लाख रुपये
गिरवी पर ऋण :	107.50 लाख रुपये

निवेश के बारे में सूचना साल-दर-साल के हिसाब से तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) जीवन बीमा गिगम द्वारा ऋणों सहित शेयरों तथा डिबेंचरों में किये गये कुल निवेश के प्रति, बिड़ला कम्पनियों के समूह में किये गये निवेश का ग्रनुपात 8.94 प्रतिशत है।

(घ) वर्ष 1967-68 में इससे हुग्रा लाभ निम्न ग्रनुसार था :—

डिबेंचर	7.16 प्रतिशत
तरजीही शेयर	9.04 प्रतिशत
इक्विटी शेयर	8.60 प्रतिशत

(ङ) शेयरों तथा डिबेंचरों के खाता-मूल्य तथा वर्तमान बाजार-मूल्य निम्नानुसार हैं :—

खाता-मूल्य : 2129.62 लाख रुपये

बाज़ार-मूल्य : 2416.06 लाख रुपये

यूनिट ट्रस्ट द्वारा बिड़ला-समूह के सार्थों में लगाई गयी पूंजी

4196. **श्री एस० ग्रार० दामानी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के यूनिट ट्रस्ट द्वारा (एक) इक्विटी ग्रौर ग्रधिमान ग्रंशों ग्रौर (दो) ऋणपत्रों के रूप में बिड़ला समूह के सार्थों में कुल कितनी पूंजी लगाई गयी है ;

(ख) किस-किस प्रयोजन के लिये कितना-कितना ऋण मंजूर किया गया है ; और

(ग) उन में लगाई गई इस पूंजी से कितना लाभ हुआ है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) बिरला समूह की कम्पनियों के (1) सामान्य और तरजीही शेयरों और (2) ऋण-पत्रों में भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा लगायी गयी रकम 1968 के अन्त में कुल क्रमशः 5.08 करोड़ रुपया और 2.36 करोड़ रुपया थी।

(ख) यूनिट ट्रस्ट को ऋण देने का अधिकार नहीं है। इसलिये यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) सामान्य शेयरों, तरजीही शेयरों और ऋण-पत्रों से क्रमशः 7.7 प्रतिशत, 9.2 प्रतिशत और 7.1 प्रतिशत का लाभ हुआ है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा बिरला समूह के साथों को दी गई वित्तीय सहायता

4197. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा बिरला समूह के साथों को कुल कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी गई ;

(ख) हर बार किस-किस प्रयोजन के लिए सहायता दी गई ;

(ग) उस सहायता से अब तक कुल कितनी आय हुई है ; और

(घ) क्या उक्त बैंक ने इन साथों द्वारा अन्य साधनों से लिए गये ऋण के लिये भी जमानत दे रखी है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने जुलाई 1964 में उसकी स्थापना होने के समय से 31 जनवरी, 1969 तक "बिड़ला समूह" के, औद्योगिक उपक्रमों को प्रत्यक्ष सहायता (शेयरों आदि की खरीद का जिम्मा), पुनर्वित और हुंडियों के फिर से भुनाने की सुविधा के रूप में क्रमश: 57 लाख रुपये, 190 लाख रुपये और 401 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी, जो कुल मिलाकर 648 लाख रुपया बैठती है।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने इस समूह को जो प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी थी वह उसकी सीमेंट और मशीनी औजारों आदि की प्रायोजनाओं के लिए थी। पुनर्वित के रूप में मंजूर की गयी सहायता इस समूह के मुख्यतः सूती-वस्त्र, चीनी और बिजली-सम्बन्धी और यान्त्रिक इंजीनियरी के उद्योगों के लिए थी। हुंडियों को फिर से भुनाने की सुविधा का सम्बन्ध समूह के, मशीनें बनाने वाले उपक्रमों द्वारा की जाने वाली मशीनों की बिक्री से था।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

(ग) ऐसी गारंटियाँ नहीं दी गयी हैं।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा बिड़ला-समूह के साथों की ओर से दी गयी जमानतें

4198. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की वित्तीय संस्थाओं जैसे औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेष निगम और भारतीय जीवन बीमा निगम आदि ने बिड़ला समूह के साथों को उनके द्वारा किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त ऋणों के लिये जमानतें दे रखी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या ऐसी शिकायतें मिली हैं कि उक्त कम्पनियां ऐसे ऋणों की शर्तों को पूरा नहीं कर रही हैं और यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जी, नहीं। लेकिन भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 1960 में हिन्दुस्तान हैवी केमिकल्स की ओर से, जब यह कम्पनी "मेसर्स तालुकदार ऐण्ड ला" नामक कम्पनी के प्रबन्धक में थी, लगभग 36 लाख रुपये की विलम्बित अदायगी की गारंटी दी थी। यह कम्पनी बाद में, "मेसर्स केशोराम इण्डस्ट्रीज एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड, "कलकत्ता" की जो बिड़ला समूह की कम्पनी है, सहायक कम्पनी हो गयी है।

(ग) जी, नहीं।

निर्यात बैंक

4199. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने जापानी ढंग का एक निर्यात बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया है जो विशेष रूप से पड़ौसी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को पूंजी-गत वस्तुओं का निर्यात करने वाले व्यापारियों की ऋण संबंधी आवश्यकता को पूरा करेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के निर्यात बैंक स्थापित करने के सुझाव को मान लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). चालू संस्थाएं निर्यात ऋण के सम्बन्ध में कार्य करने के लिए पर्याप्त जान पड़ती हैं और सरकार इस प्रयोजन के लिए कोई विशिष्ट ऋण-संस्था की स्थापना करना इस समय, जरूरी नहीं समझती। फिर भी, बैंकिंग आयोग इस प्रकार की संस्था की आवश्यकता के सम्बन्ध में जांच करेगा।

नई दिल्ली नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को हटाया जाना

4200. **डा० सुशीला नैयर :**　　　　　　**श्री ए० श्रीधरन :**

श्री हरदयाल देवगुण : **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका ने एक स्वास्थ्य अधिकारी को पदावनत करके उसे 16 मार्च, 1969 से सशस्त्र सेना को भेजने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या प्रतिरक्षा प्राधिकारियों ने इस निर्णय पर आपत्ति की है, और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के०के० शाह) : (क) और (ख). स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी को 16 मार्च, 1969 से सशस्त्र सेना में जहाँ से वे प्रतिनियुक्ति पर आये थे वापस भेजने का निर्णय नई दिल्ली नगरपालिका ने प्रशासनिक कारणों से किया ;

(ग) और (घ). रक्षा मन्त्रालय ने प्रथमतः नई दिल्ली नगरपालिका के एकपक्षीय निर्णय पर आपत्ति की किन्तु तदुपरान्त 16 मार्च, 1869 से स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी का परावर्तन मंजूर कर लिया ।

बम्बई के निकट अवैध सोने और कलाई की घड़ियों का पकड़ा जाना

4201. **डा० सुशीला नैयर :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के समुद्री और निवारक विभाग ने हाल ही में बम्बई के निकट समुद्र तल से 15 लाख रुपये की कीमत का अवैध सोना और कलाई की घड़ियां पकड़ीं ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई गिरफ्तारी तथा कोई कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सूचना मिलने पर, 26 फरवरी, 1969 को केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्ता कार्यालय बम्बई के समुद्री तथा निरोधक प्रभाग के अधिकारियों ने विदेशी मार्के की 69,983 ग्राम वज़न की, तथा अंतराष्ट्रीय दर से कोई 5.91 लाख रुपये कीमत की, सोने की 600 सिल्लियों, तथा विदेश में निर्मित लगभग 1.99 लाख रुपये कीमत की 1990 कलाई घड़ियां, बम्बई के नजदीक मनोरी के समुद्र-तल से बरामद की थीं ।

(ग) अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है । जांच पड़ताल जारी है ।

नेफा (उपूसी) के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता

4202. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री दा० चं० शर्मा :** **श्री बलराज मधोक :** **श्री रणजीत सिंह :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा (उपूसी) में काम करने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को 31 दिसम्बर, 1967 के बाद नेफा प्रतिकर भत्ता नहीं दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और आसाम सरकार ने नेफा में कर्मचारियों के वेतनमानों में कब वृद्धि की है। और

(ग) इस मामले पर विचार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). नेफा में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के लिए प्रतिकर भत्ता मूलत: 1962 से 1966 तक पाँच वर्षों के लिए स्वीकृत किया गया था और तत्पश्चात यह रियायत 31-12-1967 तक एक वर्ष के लिए ; इस शर्त पर बढ़ा दी गई थी कि उस तारीख के बाद इसे जारी रखने के लिये प्रतिवर्ष विचार किया जायेगा। विदेश मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा डाक-तार विभाग द्वारा अपने संबंधित स्टाफ के लिए स्वीकृत किए गए, उसी प्रकार के भत्तों को देखते हुए इसके 31-12-67 के पश्चात जारी रखने का प्रश्न पुनरीक्षणाधीन है। सिद्धान्त रूप में इस रियायत को पुन: प्रारम्भ करना मान लिया गया है। इस बारे में शीघ्र ही आदेश जारी किए जाने की आशा है।

ब्रिटेन का बैंक दरों में वृद्धि

4203. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री रणजीत सिंह :** **श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन ने अपनी बैंक दरों में हाल ही में वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) भारतीय अर्थ व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ। 27 फरवरी, 1969 से बैंक आफ इंगलैण्ड ने बैंक-दर 7 प्रतिशत से बढ़ा कर 8 प्रतिशत कर दी थी।

(ख) और (ग). ब्रिटेन की बैंक दर में होने वाले परिवर्तनों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ता है, उसका सम्बन्ध मुख्यत: सरकारी ऋणों पर दिये जाने वाले ब्याज, बैंकों की रकमों के आदान-प्रदान और ब्रिटेन को किये जाने वाले भारत के निर्यात से हैं।

अक्तूबर 1965 से पहले के स्वीकृत ऋणों के अप्रयुक्त अंशों में से भविष्य में जो रकमें

ली जायेगी उन पर दिये जाने वाले व्याज की रकम में वृद्धि हो जायगी । अक्तूबर 1965 के बाद मन्जूर किये गये ऋणों पर कोई व्याज नहीं लगता । लन्दन में अल्पावधिक ऋणों पर ब्याज की दरों के बढ़ जाने और ब्रिटेन में ऋण सम्बन्धी तंगी के कारण ब्रिटेन से भारत में आने वाली बैंक-पूंजी की मात्रा कम हो जायगी ।

आयात जमा योजना के लागू किये जाने के शीघ्र बाद ही ब्रिटेन की बैंक दर में वृद्धि हो जाने के कारण हो सकता है कि भण्डार बनाने के उद्देश्य से निर्यात किये जाने वाले भारतीय माल की मांग कुछ कम हो जाय।

ब्रिटेन की बैंक दर में जो वृद्धि हुई है, उसका असर न तो भारत की बकाया देनदारियों की अदायगी पर और न ही ब्रिटेन से भारत को प्राप्त होने वाले सरकारी ऋणों पर पड़ेगा।

मुद्रा प्रचलन सम्बन्धी ग्रेशम नियम का लागू होना

4205. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के मुद्रा प्रचलन में ग्रेशम का नियम लागू होता है ;

(ख) यदि हाँ, तो किस सीमा तक और उसका अग्रेतर व्यौरा क्या है , और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और अब तक कितनी सफलता मिली है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

पार्लियामेंट स्ट्रीट (नयी दिल्ली) में स्टेट बैंक की इमारत को गिराना

4206. **श्री दी० चं० शर्मा** : **श्री हरदयाल देवगुण** :
श्री रणजीत सिंह : **श्री बेणी शंकर शर्मा** :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पार्लियामेंट स्ट्रीट (नयी दिल्ली) में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की पुरानी इमारत को एक ठेकेदार के द्वारा गिरवाया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रयोजन के लिये ठेकेदार को काफी बड़ी राशि दी गई थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस काम के लिए कोई टेंडर नहीं मांगे गये ; और

(घ) यदि हाँ, तो ठेकेदार को कितनी राशि दी गई और इस मामले में सामान्य प्रक्रिया न अपनाई जाने के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित मौजूदा इमारत को गिराने के लिए अभी तक कोई ठेका नहीं दिया है क्योंकि इस इमारत को गिराने का अभी कोई विचार नहीं है ।

(ख) से (घ). तक : ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

Profiteering By Business Establishment after Devaluation

4207. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government are aware of such Companies as took country's capital outside India before the devaluation for setting up industries there and brought it back after about three months when its value went up after devaluation ;

(b) whether Government have received any complaints regarding profiteering by some business establishments due to devaluation ;

(c) the circumstances in which some such concerns earned increased profits due to devaluation ; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) While Government do not have specific information about such companies, this however is extremely unlikely since cash remittances are generally not permitted for setting up industries abroad. However, if any individual case is brought to our notice, details thereof can be appropriately examined.

(b), (c) and (d). Business establishments would have gained as a result to devaluation where amounts due to them from foreign parties were expressed in foreign currencies and paid to them after devaluation as a result whereof rupee equivalents would have gone up in proportion to the devaluation. Conversely, Indian companies would have suffered where their liabilities were expressed in foreign currencies and after devaluation they have to pay extra rupees in order to repay the same amount in foreign currencies. As this is bound to happen when devaluation takes place, no specific action was taken by the Government in this matter. Profits, wherever they have accrued, were subject to tax in the normal manner.

मन्दिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में लगा धन

4308. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मन्दिरों, मस्जिदों तथा गिरजों में जमा धन और उनमें नियोजित आस्तियों का कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). देश की धार्मिक संस्थाओं की कुल सम्पति के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। यह सूचना इकट्ठी करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि सम्पत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 5 (1)(i) के अन्तर्गत किसी पुण्यार्थ या धार्मिक सार्वजनिक प्रयोजन के लिए न्यास के अधीन रखी गयी सम्पत्ति, जिसमें मन्दिरों, मसजिदों तथा गिरजाघरों की परिसम्पति शामिल है, सम्पत्ति-कर से मुक्त होती है। फिर भी, स्वर्ण नियंत्रण विनियमनों के अन्तर्गत धार्मिक संस्थाओं के पास के सोने के सम्बन्ध में सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। जैसा कि लोक सभा के 24 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2251 के उत्तर में बताया गया है, देश की सभी धार्मिक संस्थाओं द्वारा सूचित किये गये सोने की मात्रा अनुमानतः इस प्रकार है : –

(i) जेवरों से भिन्न सोना		38,15,136 ग्राम
(ii) सोने के जेवर		29,58,908 ,,
	जोड़ :	67,74,044 ,,

Oil and Natural Gas Commission

4209. **Shri Chandra Shekhar Singh : Shri Jageshwar Yadav : Shri N. R. Patil :**

Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Oil and Natural Gas Commission stresses on candidates, at the time of their appointment to the Commission, to resign from the posts held by them in various Ministries/Departments of Government of India thereby depriving them of having a lien in their parent offices ;

(b) whether it is also a fact that many such candidates as do not opt to resign their Government jobs which they had been holding for many years, are unable to serve in the Commission as a result thereof ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals Shri D. R. Chavan) : (a) to (c). The policy of the Oil and Natural Gas Commission is to build up its own cadre of employees. As such the Commission prefers to recruit persons who are prepared to get themselves permanently employed in the Commission. Where persons of suitable qualifications and experience, who are willing to get themselves permanently employed in the Commission, are not available, the Commission takes officers from Government organisations on deputation for a limited period. When the Commission finds a deputationist suitable for parmanent absorption in its employment and the person is willing to be so absorbed, he is asked to serve his connections with his parent department/ organisation.

भाखड़ा नंगल परियोजना

4210. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार भाखड़ा नंगल परियोजना पर उसके योजना परिव्यय से अधिक धन खर्च करती रही है और उसने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि उस पर परिव्यय से अधिक खर्च की गई राशि को केन्द्रीय ऋण मान लिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो पंजाब सरकार ने उस पर 1967-68 और 1968-69 में कितनी कितनी राशि अधिक खर्च की है ;

(ग) नियत राशि से अधिक राशि खर्च किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) पंजाब सरकार के इस अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि नियत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को केन्द्रीय ऋण मान लिया जाये ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क), (ग) और (घ). स्वीकृत ऋण राशि से व्यय कुछ थोड़ा सा अधिक है जो एक लम्बी अवधि में हुआ है, परन्तु राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में अभी तक कोई पत्र नहीं आया है ।

(ख) 1967-68 में लगभग 27 लाख रुपये अधिक खर्च हुए हैं ।

स्टेट बैंक की कृषि-कार्यों के लिये वित्त व्यवस्था की योजना

4211. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय स्टेट बैंक ने देश में कृषि-कार्यों के लिये वित्त की व्यवस्था करने के लिये एक योजना अन्तिम रूप में तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उससे किसानों/काश्तकारों को क्या-क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

उपप्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) किसानों के कृषि-कार्यों की वित्त-व्यवस्था करने की स्टेट बैंक की योजना पिछले एक वर्ष से चल रही है।

(ख) योजना में (1) बीज, रासायनिक खाद आदि जैसी खेती के काम आने वाली चीजों की खरीद के लिये अल्पकालीन ऋण (2) खेती के लिये आवश्यक मशीनों और उपकरणों की खरीद के लिये किस्ती साख ऋण (इनस्टालमेंट क्रेडिट लोन) और (3) सिंचाई की सुविधाओं, फारम की इमारतों के निर्माण, भूमि के विकास, मछली-पालन, मुर्गीपालन, दुग्धशाला आदि जैसे कृषि-सम्बन्धी अन्य कार्यों के लिये दरमियानी अवधि के ऋण देने की व्यवस्था है। कार्यचालन पूंजी ऋण अल्पकालीन आधार पर सामान्यतः 13 महीने तक की अवधियों के लिए, किस्ती साख ऋण 5 वर्ष तक की अवधियों के लिये और दरमियानी अवधि के ऋण सामान्यत 10 वर्षों तक की अवधियों के लिये दिये जाते हैं। ब्याज की दर $8\frac{1}{2}$ प्रतिशत और $9\frac{1}{4}$ प्रतिशत के बीच रहती है। मार्जिन किस्ती साख ऋणों के लिए 25 प्रतिशत और $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत के बीच और मीयादी ऋणों के लिये 50 प्रतिशत होती है। कार्यचालन पूंजी अग्रिम के सम्बन्ध में मार्जिन ऋण लेने वाले के अपने साधनों की स्थिति पर निर्भर रहता है ; इस सम्बन्ध में निर्णय इन बातों के आधार पर दिया जाता है कि उसने पिछली अवधि में अपनी कितनी पूंजी लगायी और उसके द्वारा पिछले वर्ष के लाभ का कितना भाग चालू वर्ष में फिर से लगाये जाने की सम्भावना है।

(ग) इस समय बैंक की नीति यह है कि उन क्षेत्रों में काम किया जाय जहां बैंक के कार्यों के विस्तार से कृषि उत्पादन की दृष्टि से अधिक से अधिक लाभ हो। राज्य बैंक तथा उसके सहायक बैंकों ने 7931 किसानों के खातों के सम्बन्ध में जो अधिकतम ऋण-सीमाएं मंजूर की थीं उनकी कुल रकम 15 फरवरी 1969 को 12.22 करोड़ रुपया थी।

तेल तथा पेट्रो-रसायन उद्योग में भारत-ईरान सहयोग

4212. **श्री क० प्र० सिंह देव** : **श्री हिम्मतसिंहका** :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : **श्री सु० कु० तापड़िया** :
श्री श्रीचन्द गोयल : **श्री गं० च० दीक्षित** :
श्री रा० बरुआ : **श्री रा० कृ० बिड़ला** :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा पेट्रो-रसायन उद्योग क्षेत्र में भारत तथा ईरान के बीच घनिष्ट सहयोग की जो संभावनाएं ईरान के शाह की हाल की भारत यात्रा के बाद उज्जवल दिखाई देने लगी थीं, वे अब मन्द पड़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). ईरान के शहंशाह और भारत के प्रधान मन्त्री के बीच हुई बात चीन के

पश्चात् आर्थिक, व्यापार तथा तकनीकी सहयोग के लिये जनवरी, 1969 में स्थापित भारत-ईरान संयुक्त आयोग ने सहयोग के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिये उप-समितियाँ नियुक्त की थी। इनमें से एक उपसमिति इस समय पैट्रो-रसायन क्षेत्र का अध्ययन कर रही है। यह प्रस्ताव है कि उप-समितियों के अध्ययन मुकम्मल हो जाने के बाद आयोग यथाशीघ्र बैठक बुलाएगा भारत सरकार का विश्वास है कि अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ तेल तथा पैट्रो-रसायन क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच बढ़ा हुआ आर्थिक व्यापार तथा तकनीकी सहयोग दोनों के लिये लाभदायक होगा और उस आधारों पर और विचार किया जायेगा।

Appointment of Technical Officers in I.O C

4213. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether Government's attentien has been drawn to a letter published in the column 'Letters to the Editor' of the English daily *Indian Nation* of the 4th March, 1969 under the heading 'Sad plight of Engineers' ;

(b) if so, the factual position in this regard ;

(c) whether the Indian Oil Corporarion has laid down any policy regarding the appointment of technical officers ; and

(d) if so, the details in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes.

(b) A statement is attached.

(c) Yes.

(d) For direct recruitment to the posts in Mechanical and Electrical Engineering Departments, following poliey is adopted :

(i) *Executive Engineers, etc. (Scale of Pay Rs. 700-1250) :*

At the recruitment time the candidates are expected to be graduates with 7 years' experience or diploma holders (or possessing equivalent qualifications) with about 10 years' experience.

(ii) *Assistant Engineers, etc. (Scale of Pay Rs. 400-950) :*

The corresponding qualifications in their case are degree with 3 years' experience or a diploma (or a equivalent qualifications) with 7 years' experience.

The posts in production department are filled preferably from Degree holders in Chemical Engineering, but the needs of the refinery can be served with candidates having a degree in Science, but backed with adequate experience.

Enforcement of Tax Proposals after Budget Presentation

*4214. **Shri Mrithyunjay Prasad** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) how long after the Budget speech, the changes in taxes take effect, and whether they take effect after midnight of 28th February or with effect from the evening of the same day ; and

(b) the means of transmitting such changes at once throughout the length and breadth of the country after the Budget Speech and whether those shop-keepers who had purchased or sold goods on the night of 28th February, 1969 due to non-receipt of information regarding new Budget proposals are liable to penalty or not ?

*Original notice of the question received in Hindi.

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The change in taxes mentioned in the Finance Bill takes effect according to the provisions made in the Finance Bill after it is enacted by Parliament. However, those of the provisions in the Finance Bill, which seek to impose or increase the duties of customs or excise, are usually covered by a "declaration" under Section 3 of the Provisional Collection of Taxes Act, 1931. As a result of this "declaration", such impositions or increases have effect immediately on the expiry of the day on which the Bill is introduced in Parliament.

(b) Budget proposals which are to come into force immediately are sent in advance, in sealed covers, to the Heads of Departments concerned, who open the sealed cover soon after the Finance Minister has delivered his Budget speech and introduced the Finance Bill in the Parliament. Wide publicity to the Budget proposals is also given through the Press and the Radio.

Shop-keepers who purchase or sell goods on the night of 28th February, do not become liable to the new levies or increases nor are they liable to any penalty for such purchases or sales.

High Level Canal from Indrapuri in Bihar

*4215. **Shri Chandra Shekhar Singh :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to dig a high-level canal starting from Indrapuri in Bihar ;

(b) the names of places through which this canal would pass ;

(c) the time by which the construction of this canal would be completed ; and

(d) the expenditure involved in the construction of this canal and the amount proposed to be allocated by the Central Government for this Canal ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) (a) Yes, Sir.

(b) While the Western Canal would pass through Dehri Sasaram and Chenari of: Shahabad District, the Eastern Canal would pass through Baroon, Aurangabad, Phesar and Tekari of Gaya District.

(c) By 1972-73 subject to availability of funds.

(d) Rs. 884 lakhs. A Central loan assistance of Rs. 70 lakhs has been given for the Sone High Level Canal during 1968-69. During the Fourth Plan period 10 per cent of the Central assistance to States is to be given on the basis of Continuing major irrigation and power projects.

Construction of Additional Canals and Dams

4216. **Shri Chandra Shekhar Singh :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to increase the irrigation capacity in the country in any form with a view to augment the food production during the Fourth Five Year Plan ; and

(b) the number of additional canals and new dams proposed to be constructed during the Fourth Five Year Plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) Yes, Sir.

(b) The Fourth Five Year Plan is yet to be finalised.

Canal from Pun-Pun River

4217. **Shri Chandra Shekhar Singh :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a big canal can be constructed after building a dam across

the Pun-Pun river in Bihar and consequently about one lakh of acres of land can b irrigated ;

(b) whether any scheme has been drawn by the Bihar Government in consultation with the Central Government in this regard ; and

(c) if so, when it will be implemented and the nature of assistance proposed to be given by the Central Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The Government of Bihar has under consideration Pun-Pun Irrigation scheme which is likely to provide irrigation to about 48,000 acres.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

नर्स जांच आयोग के प्रतिवेदन में डाक्टरों पर लगाये गये आरोप

4218. **श्री देवेन सेन :** **श्री किकर सिंह :**
श्री प्र० न० सोलंकी : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री द० रा० परमार :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास** मन्त्री 24 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 780 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन चार डाक्टरों के विरुद्ध पहले क्या आरोप लगाए गए थे, जिसके विरुद्ध सरकार ने दो विद्यार्थी नर्सों की मृत्यु के मामले में नियुक्त किए गए जांच आयोग के प्रतिवेदन के परिणाम-स्वरूप कार्यवाही की है ; और

(ख) चिकित्सा न्यायालय में उन डाक्टरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, जिनके मामले उस न्यायालय को भेजे गये थे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) विलिंग्डन अस्पताल के चार डाक्टरों के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये हैं वे इस प्रकार हैं :—

आयोग के निष्कर्षों के आधार पर जिस डाक्टर को मुअत्तल किया गया है उस पर एक छात्र नर्स के शील भंग करने का आरोप है।

एक दूसरे डाक्टर पर जो उस समय विलिंग्डन अस्पताल का डिप्टी मैडिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट था। आयोग ने यह अभियोग लगाया है कि उसने एक छात्र नर्स की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए प्रशासनिक कुशाग्रता का अभाव का प्रमाण दिया है अन्य दो डाक्टरों में से जिनके नाम भारतीय चिकित्सा परिषद को भेजे गये हैं एक को आयोग ने एक छात्र नर्स के प्रति अनुचित व्यवहार का अपराधी पाया है दूसरे मैडिकल अफसर को यह आरोप लगाया गया है कि उसने उसी छात्र नर्स को उसके द्वारा एक मैडिकल अफसर की शिकायत करने के लिए तंग किया है।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद ने इन दो डाक्टरों के मामलों का उन राज्य चिकित्सा परिषदों के पास भेज दिया है जहां वे पंजीबद्ध है।

नर्मदा नदी के जल बंटवारे के बारे में गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच विवाद

4219. **श्री द० रा० परमार :** **श्री देवेन सेन :** **श्री किकर सिंह :** **श्री प्र० न० सोलंकी :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा नदी के जल के बटवारे के बारे में गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच चल रहा विवाद कब तक हल हो जाने की आशा है ;

(ख) क्या दोनों पक्षों को मान्य कोई हल निकाला गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). इस विवाद को आपसी बातचीत द्वारा हल करने के लिये आगे और कोशिश की जा रही है। यदि इसमें सफलता न मिली तो इसको निर्णय के लिये न्यायाधिकरण के पास भेज दिया जायेगा।

सामान्य बीमा पर जीवन बीमा निगम के एजेन्टों के कमीशन में कमी

4220. **श्री किकर सिंह :** **श्री देवेन सेन :** **श्री प्र० न० सोलंकी :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :** **श्री द० रा० परमार :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा पर जीवन बीमा निगम के एजेन्टों के कमीशन में कमी कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1968 की धारा 18 में आग तथा समुद्री बीमा पालिसियों पर कमीशन की अधिकतम दर, पालिसी पर देय किस्त की 5 प्रतिशत, तथा अन्य विविध बीमा पालिसियों पर, 10 प्रतिशत निर्धारित की गई है। ये सीमाएं बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1968 के लागू होने पर सभी एजेन्टों को लागू होंगी उनको भी जो जीवन बीमा निगम के लिए विविध बीमा कारोबार प्राप्त करेंगे। इस अधिनियम को लागू करने की तारीख अभी तक निश्चित नहीं की गई है।

Out-of-turn Allotments of Government Quarters

4221. Shri S. M. Banerjee : **Shri Ramavtar Shastri :** **Shri K. Halder :** **Shri Jageshwar Yadav :** **Shri Chandra Shekhar Singh :**

Will the Minister of **Health and Family Planning Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a faet that a large number of out-of turn allotments of Government quarters were made last year ;

(b) whether it is also a fact that prior to that, orders were issued that no out-of-turn allotment of Government quarters would be made ; and

(c) if so, the reasons for making such a large number of out-of-turn allotments when the number of those Government employees who have not been allotted any Government accommodation despite 15 years' service runs into thousands ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S Murthy : (a) **During the year 1968, 440** out-of-turn allotments on medical grounds had been made.

(b) Out-of-turn allotments on medical grounds to eligible Central Government employees are Governed by SR. 317 B-9 of the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963. Out-of-turn allotments on medical grounds were suspended in 1964 but the provisions contained in the rules were allowed to stand.

(c) Keeping in view the hardship experienced by genuine medical cases, it was decided in 1967 to revive the system of allotments on out-of-turn basis on medical grounds. In order to safe-guard the interests of the officers waiting on the normal waiting list, it was decided in June, 1968 that out-of-turn allotments on medical grounds be restricted to 10% of the vacancies available. On further reconsideration and keeping in view the large number of cases, where allotments have already been sanctioned but actual allotments have not been made, it has recently been decided that every 8th vacancy should be allotted on out-of-turn basis on medical grounds.

Allotment of Government Quarters to Employees who own their Houses in Delhi

4222. **Shri Ramavtar Shastri :**
Shri Jageshwar Yadav :
Shri S. M. Banerjee :
Shri K. Halder :
Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of Health **and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of those employees who own their houses in Delhi or within an area of ten miles thereof and also have been allotted Government quarters ;

(b) the reasons for allowing them to earn high rent during these days of unprecedented rates of house rents whereas the other employees who do not own houses and who have also not been allotted quarters are facing hardships ;

(c) the action being taken by Government to cancel allotments made to such persons so that such of the employees may get quarters as do not have them so far ; and

(d) if no action is proposed to be taken, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). In accordance with the provisions contained in the existing Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963, the Government servants owning houses are eligible for allotment of residences from the general pool, on payment of normal rent, as applicable to the Government servants who do not own their houses. No statistical data is maintained by the Directorate of Estates about the number of those employees who own their houses in Delhi and have also been allotted Government accommodation.

(c) and (d). The question of declaring Government servants owning houses ineligible for allotment of Government accommodation was reviewed in 1968 and after careful consideration of various aspects it was decided that the existing provisions in the Allotment Rules need not be changed.

Out-of-turn Allotments

4223. Shri K. Halder : Shri Ramavtar Shastri : Shri S. M. Banerjee : Shri Jageshwar Yadav : Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether before starting out-of-turn allotments in 1967 and 1968, applications were invited from Government employees for out-of-turn allotments ;

(b) if so, the number, date and text of such an order ;

(c) if not, the reasons for doing so without issuing any such order ; and

(d) the latest orders in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). The out-of-turn allotments on medical grounds were made in accordance with the provisions contained in the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963. As in most of the cases the applicants were not furnishing complete details, a circular out-lining the procedure for applying for out-of-turn allotments on medical grounds was issued on 27th December, 1967, a copy of which is attached. [*Placed in Library. See* No. LT.—475/69.]

(c) Does not arise.

(d) A large number of Government employees who have been sanctioned out-of-turn allotments are still waiting for actual allotments. It was, therefore, decided to suspend the receipt of fresh applications till 31st March, 1969 whereafter the position will be reviewed. In order to provide residential units to those employees in whose cases out-of-turn allotments on medical grounds have already been sanctioned, it has recently been decided that every 8th vacancy instead of every 10th vacancy, be made available for allotment in such cases.

मंत्रियों द्वारा धन-कर का भुगतान

4224. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : श्री यज्ञदत्त शर्मा : श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या वित्त मन्त्री 16 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4593 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों द्वारा धन कर का भुगतान किये जाने के बारे में सरकार ने इस बीच सूचना एकत्र कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मंत्री के पास कितना धन है ;

(ग) उन मंत्रियों के नाम क्या हैं जिनके घोषित धन को धन-कर अधिकारियों ने पिछले चार वर्षों में अधिक बताया है, और प्रत्येक मामले में कितनी राशि बढ़ाई गई है ; और

(घ) क्या सरकार ने उन मंत्रियों का धन निर्धारित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). जी, हां । अतारांकित प्रश्न संख्या 4593 में दिये गये आश्वासन की पूर्ति में दी गई जानकारी सलंग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या** एल० टी० 476/69]

दिल्ली में बृहत्त योजना का उल्लंघन करने वाले कारखाने

4225. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **स्वास्थ्य तथा** परिवार **नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 2 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2790 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बृहत्त योजना का उल्लंघन करने वाले कारखानों के बारे में इस बीच जानकारी प्राप्त कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कारखानों के नाम क्या हैं और ऐसे अनुदेश जारी करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने चार दीवारी वाली पुरानी दिल्ली में स्थित एक ही प्रकार के कारखाने के लाइसेन्सों के नवीकरण के बारे में कोई आपत्ति नहीं की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) कृपया सलग्न विवरण को देखें [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी० 477/69] । उन उल्लंघन करने वाले औद्योगिक एककों के मामले में जिन्होंने कि मूलतः वैकल्पिक स्थान के आवंटन के लिये आवेदन किया था किन्तु बाद में अपने आवेदनों को वापिस ले लिया था तथा अग्रिम धन की वापसी के लिए मांग की, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली नगर निगम से अनुरोध किया है कि वे उन्हें पुनः लाइसेन्स न दें। दिल्ली विकास प्राधिकरण के ये विचार थे कि यदि इन मामलों में पुनः लाईसेन्स दे दिये गये तो उद्योग उल्लंघन-क्षेत्रों से हटने के प्रयत्न नहीं करेंगे।

(ग) उन उल्लंघन करने वाली फैक्ट्रीयों के मामले में जो कि पुरानी दिल्ली (चार दीवारी के भीतर की दिल्ली) में स्थित हैं तथा जिन्होंने अनुरूप क्षेत्रों में वैकल्पिक वास के आवंटन के लिए आवेदनों को वापस नहीं लिया तथा वे अपने वर्तमान स्थान से हटने के लिये तैयार हैं, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उन्हें पुनः लाइसेंस देने से रोकने का अनुरोध नहीं किया है।

भारतीय उर्वरक निगम

4226. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **पेट्रोलियम तथा** रसायन **और खान तथा धातु मन्त्री** 18 नवम्बर 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1045 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड की हुई हानि के बारे में इस बीच जानकारी प्राप्त कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलयम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) विभिन्न मदों में भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड द्वारा हुई हानि का निम्न विवरण है :—

1. अनियमितताएं	1844.61 रुपये
2. चोरियाँ	41377.55 रुपये । इसमें से 1893.92 रुपये की चोरियों की अभी जांच हो रही है ।
3. स्टाक में कमी	शून्य

ऐसी कोई स्टाक में कमियां नहीं हैं । प्रचुर माप की पद्धतियों, घनत्व परीक्षणों और तुलना के परिणाम स्वरूप, जो कि सारे बड़े पैमाने के निर्धारणों में अपनाये जाते हैं वस्तु सूचियों की संगणना में अन्तर आ जाता है । संगणन के तरीकों तथा माप तोल की पद्धति में सुधार और वर्तमान तराजुओं के अंशशोधन की जांच पड़ताल द्वारा इन अन्तरों को न्यूनतम करने के लिये अधिकाधिक प्रयत्न किये गये हैं ।

4. अग्नि और दूसरे कारण	23,558.44 रुपये (इसमें से 11823.85 रुपये की हानि की अभी जाँच हो रही है ।

इन मदों के अलावा, पाकिस्तान द्वारा जब्त प्रेषित स्टोर से सम्बन्धित 2,56,295 रुपये का एक दावा शत्रु सम्पत्ति कस्टोडियन के यहां दायर किया गया है । यह रकम निगम की पुस्तकों में हानि के रूप में नहीं दिखाई गई है ।

हानि के सब मामलों में जाँचें की गई हैं, पालिस रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है और जहां आवश्यक हुआ विभागीय जांच की गई है । जहाँ भी जरूरी पाया गया, चोरी निषेध तरीके लागू किये गये हैं, सुरक्षात्मक प्रबंध कड़े किये गये हैं, सर्तकता और नियमों आदि में सुधार किया गया है । यातायात के दौरान होने वाली हानि को कम करने के लिए, यह सुनिश्चित किया गया है कि बिल्टियों का यातायात के दौरान बीमा हो ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

देश में जाली मुद्रा का प्रचलन

4229. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में इस समय प्रचलित जाली मुद्रा का कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा अब तक कितनी सफलता मिली है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : जाली मुद्रा और विभिन्न मूल्यों के जाली बैंक नोटों के पकड़े जाने की सूचना समय-समय पर मिलती रहती है, पर यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि ऐसे कितने नोट चलन में हैं क्योंकि इसका पता तब ही चलता हैं जब ये पकड़े जाते हैं ।

(ग) जाली मुद्रा और बैंक नोट बनाने से सम्बद्ध अपराध भारतीय दण्ड-संहिता के अन्तर्गत आते हैं जिसमें पहले ही इतना कड़ा दण्ड दिये जाने की व्यवस्था है जिससे लोग इस प्रकार का अपराध करने से डरें। जाली नोट और जाली भी सिक्के आदि तैयार करने के सम्बद्ध अपराधों के बारे में राज्यों के पुलिस अधिकारी कार्यवाही करते हैं जो इस सम्बन्ध में नजर रखते हैं। गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय जांच कार्यालय की, इस सम्बन्ध में अपनाये जाने वाले विभिन्न तकनीकों का रिकार्ड रख कर और जाली भारतीय मुद्रा के प्रकट होने के बारे में समय-समय पर समीक्षा करके भारतीय मुद्रा के जाली तौर पर बनायें जाने की समस्या का लगातार अध्ययन करता रहता है। जाली मुद्रा बनाने के गम्भीर अपराधों की जांच करने लिए और राज्यों में किये जाने वाले जांच-पड़ताल के काम का समन्वय करने के लिए इस कार्यालय ने अपनी आर्थिक अपराध प्रशाखा में एक "कक्ष" की स्थापना भी की है। इस समय चल रहे नोटों की तुलना में जाली करेंसी नोटों की संख्या बहुत कम है।

(घ) यह सवाल पैदा नहीं होता।

शहादरा जोन, दिल्ली खुरेजी खास संख्या 1—निष्क्रान्त सम्पति

4230. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13-11-1959 को शाहदरा जो (दिल्ली) मे खुरेजी खास संख्या 1 में किला संख्या6/13,6/18 और 6/19 निष्क्रान्त सम्पति थी या यह संयुक्त सम्पति के रूप में दर्ज थी ;

(ख) क्या बृहत् योजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र को रिहायशी क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है या किसी अन्य रूप में ;

(ग) यदि यह रिहायशी क्षेत्र नहीं है, तो दिल्ली बृहत् योजना में इसे किस प्रयोजन के लिए नियत किया गया है।

(घ) क्या इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की कोई योजना है ; और

((ङ) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) राजस्व अभिलेख के अनुसार 13-11-59 को भूमि एक संयुक्त संपति थी।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेंगी।

तमिल नाडु में भूगर्भीय सर्वेक्षण

4232. **श्री किरूतिनन :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिल नाडु में और विशेषकर रामनाथपुरम जिले में वहां उपलब्ध पेट्रोल, मिट्टी के तेल, लौह अयस्क तथा अन्य धातुओं के परिणाम का सम्यक् अनुमान लगाने के लिए कोई व्यापक भूगर्भीय सर्वेक्षण कराया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) तामिलनाडु में तेल के समन्वेषण के लिये भूवैज्ञानिक, घनत्व तथा चुम्बकीय सर्वेक्षण पूरे कर लिये गए हैं। रामनाथपुरम जिले में कुछ कार्य सहित, विस्तृत परिणाम में भूकम्पीय सर्वेक्षण किये गये हैं। भूकम्पीय सर्वेक्षण जारी रखे जा रहे हैं।

भूकम्पीय सर्वेक्षण से कई क्षेत्रों में अनुकूल संरचनाओं का पता लगा है। करईकल, थिरूथुरैपुन्डी, नागापतिनम और थिरूपुंडी क्षेत्रों की कुल आठ गहरे कुएं खोद करके जांच करली गई है परन्तु प्राकृतिक गैस या तेल को अधिक महत्व की किसी संरचना की विद्यमानता का पता नहीं लगा है। कुछ अन्य संरचनाओं की अभी व्यधन द्वारा जांच की जानी है।

लोह अयस्क तथा अन्य धातुओं के लिये अन्वेषण जारी रखे जा रहे हैं। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा तामिलनाडु में लोह अयस्क तथा अन्य धातुओं के लिये किये गये खनिज अन्वेषण के व्यौरे निम्न प्रकार से हैं :—

लोह अयस्क

अनुमानित उपलभ्य राशियां :

जिला सेलम, कंज-मलई निक्षेप	1780 लाख मैट्रिक टन (30 से 39% एफ०ई०)
जिला धर्मपुरी तीर्थमलई पहाड़ियाँ	371.10 लाख मैट्रिक टन (37% एफ०ई०)
तिरूचिरापल्ली जिला, बलखीरवानी, उराक्करई तथा महादेवी क्षेत्र	442.5 लाख मैट्रिक टन (32 से 41% एफ० ई०)
उत्तरी आरकट जिला, केलूर क्षेत्र	340 लाख मैट्रिक टन (23 से 39% एफ०ई०)
नीलगिरी जिला	76 लाख मैट्रिक टन (37 से 50% एफ०ई०)

वाक्साइट (एल्यूमिनियम का अयस्क)

सलेम जिला, शेवराय पहाड़ियाँ	65 लाख मैट्रिक टन (38 से 48% ए०$1^2$ 0_3)
मदुरई जिला, पालनी पहाड़ियां	20 लाख मैट्रिक टन (409 ए०$1_2$ 0_3)
नीलगिरि जिला	20 लाख मैट्रिक टन (35 से 45% ए० 1_2 0_3)

क्रोमाइट

सलेम जिला, सीत्तमकुंडी क्षेत्र	6 मीटर की गहराई तक 2.2 लाख मैट्रिक टन ।
	सी. आर. $_2O_3$ 18 से 31 तक घटती बढ़ती है,
	एफ ई० औसतन 23 है ।

इल्मेलाइट तथा मोनाजाइट

कन्याकुमारी जिला,

कोल्लाचेल तथा	इल्मेनाइट — 56,400 सीयू.एम.
मानवलकुरीच्छी	मोनाजाइट लगभग 7300 सीयू. एम.
वट्टकोटाई	इल्मेनाइट 16,000 मैट्रिक टन
	मोनाजाइट — 311 सीयू. एम.

तांबा, सीसा तथा जस्ता

दक्षिण अरकाट जिला, ममदुर क्षेत्र

विस्तृत हीरक व्यधन के परिणाम स्वरूप यह अनुमान लगाया गया है कि यहां पर 0.63 प्रतिशत तांबा, 2.00 प्रतिशत सीसा तथा 2.73 प्रतिशत जस्ता वर्ग के अयस्क के छोटे निक्षेप है ।

उत्तर अरकाट जिला, अलंगयम क्षेत्र

अलंगयम क्षेत्र में हाल ही में ये सीसा अयस्क के लिए हीरक व्यधन प्रारम्भ किया गया था और 10 मार्च, 1969, तक 238 मीटर व्यधन किया गया है । प्रारम्भिक संकेत आशाजनक है परन्तु निक्षेप की आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध करने के लिए काफी विस्तृत कार्य किया जाना है ।

तांबे, निकल आदि के अन्य छोटे निक्षेप कन्याकुमारी तथा तिरुनेलवेली जिलों (चेरानादेवी क्षेत्र) में पाये जाते हैं ;

मदुराई जिला, चित्तरापट्टी और करडीकुट्टम क्षेत्र

इस क्षेत्र में मोलिब्डेनाइट (योलिवडेनम का अयस्क) के पाये जाने के विषय में विस्तार से जांच की जा रही है । इस क्षेत्र में जल्द ही परीक्षण, हीरक व्यधन करने का विचार है ।

दक्षिण अरकाट जिले में लिग्नालाइट तथा राज्य विभिन्न जिलों में चूना पत्थर की पर्याप्त उपलब्ध राशियां उपलब्ध हैं । हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तत्वाधान में राज्य के भागों में हवाई खनिज सर्वेक्षण किया गया है ।

रामनाथपुरम् जिला :

विशेष रूप से रामनाथपुरम् जिले के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है ।

जहां तक भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था को ज्ञात है, इस जिले में खनिजों के कोई महत्वपूर्ण निक्षेप नहीं हैं। इस जिले में चूनापत्थर तथा लिग्नाइट के निक्षेप देखने में आये हैं।

चिन्नैयापुरम के चूने पत्थर के निक्षेप

चिन्नैयापुरम क्षेत्र में रवेदार चूनापत्थरों की दो पट्टियां देखी गई थीं। तल से 15 फुट की कार्ययोग्य कल्पित गहराई तक कुल उपलब्ध उपलभ्य राशियां 50 लाख टन की है। चुना पत्थर औसतन 46.59 प्रतिशत सी. ए. ओ. के साथ बहुत ऊंचे वर्ग के हैं।

लिग्नाइट

करईकुडी शहर के निकट मनगिरी स्थान पर लिग्नाइट की कुछ छोटी तथा महत्वहीन पट्टियां देखी गई थीं।

विदेशी कम्पनियों में भारतीयों द्वारा विनियोजित पूंजी

4233. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी कम्पनियों में भारतीयों द्वारा अनुमानतः कितनी पूंजी लगाई गई है और उन्हें प्रति वर्ष अनुमानतः कितना लाभांश प्राप्त होता है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि सम्बन्धित सरकारों द्वारा उन लाभांशों में से निर्धारित दर पर आयकर वसूल कर लिया जाता है, जिसका बड़ा भाग भारतीय अंशधारियों द्वारा वापस नहीं मांगा जाता है और इस तरह इसके परिणामस्वरूप उन्हें तथा भारत सरकार को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बड़ी हानि होती है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार कोई ऐसी योजना बनाने का है, जिससे विदेशी मुद्रा की स्थिति को किसी हद तक सुधारने के उद्देश्य से मूल स्रोत पर करों में की जाने वाली कटौती की सारी राशि भारत वापिस लाई जा सके ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

(ख) और (ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि सम्बद्ध विदेशी सरकारों द्वारा लाभांश की इन रकमों में से निर्धारित दर पर आयकर वसूल कर लिया जाता है। कुछ देशों में कर की जो रकम जो रख ली जाती है उसे अन्तिम रूप से निर्धारित कर सम्बन्धी दायित्व समझा जाता है और उसमें से कोई रकम वापस नहीं की जाती। लेकिन कुछ मामलों में, जिनमें सम्बद्ध देशों के कर सम्बन्धी कानूनों में यदि आवश्यक व्यवस्था हो तो शेयर-होल्डर आवश्यक आय सम्बन्धी विवरण देकर और विदेशों में उस आय के सम्बन्ध में कर-निर्धारण करवा कर, अपनी लाभांश सम्बन्धी आय पर, उन दरों से कम दरों के अनुसार कर दे सकते हैं जो उनकी दूसरी आय पर लागू होती है। जिस आमदनी पर दोहरा कर लगाया गया हो उसके सन्बन्ध में राहत देने या इस प्रकार की आय पर एकतरफा राहत देने पहले, भारत के आयकर अधिकारी, विदेशी करों की अदायगी से सम्बन्धित निर्धारण-आदेश की प्रति मांगते हैं इससे आपसे आप यह बात सुनिश्चित हो जाती है कि जब इस प्रकार की रकम काफी हो तो भारतीय शेयर-होल्डर, विदेशी आयकर कानूनों के अन्तर्गत, अपनी रकमों की वापसी का दावा कर सकते हैं।

'एस्सो' द्वारा पूर्वी क्षेत्र में मिट्टी के तेल की सप्लाई बन्द किया जाना

4234. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री ए० श्रीधरन :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स 'एस्सो' ने 27 फरवरी, 1969 से भारत के पूर्वी क्षेत्र में मिट्टी के तेल की बिक्री बन्द कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस कम्पनी के इरादे की जानकारी पहले से थी ;

(ग) क्या यह सच है कि इसके परिणाम स्वरूप 'एस्सो' के वितरण एजेन्टों के रूप में नियुक्त हजारों व्यक्ति बेरोजगार हो गये हैं ; और

(घ) क्या सरकार उन व्यक्तियों को भारतीय तेल निगम के वितरकों के रूप में नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) 31.3.1969 के बाद कलकत्ता सम्भरण क्षेत्र में एस्सो मिट्टी के तेल का विक्रय बन्द कर देगा।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). इस क्षेत्र में एस्सो के कुछ एजेन्ट तथा व्यापारी प्रभावित होंगे। भारतीय तेल निगम के इस क्षेत्र में अपने एजेन्ट तथा व्यापारी हैं। परन्तु अतिरिक्त एजेन्टों की नियुक्ति के विषय में भारतीय तेल निगम को परामर्श दिया गया है कि वे एस्सो के भूतपूर्व एजेन्टों के दावों पर विचार करें।

अविलम्बनीय लोन महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मलयालम साप्ताहिक में पेकिंग रेडियो के कथित विज्ञापन

श्री समर गुह (कोन्टाई) : मैं गृह-कार्य मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"केरल के मुख्य मन्त्री का विधान सभा में कथित वक्तव्य कि कालीकट में मुद्रित मलयालय साप्ताहिक पेकिंग रेडियो से विज्ञापन प्राप्त करता रहा है।"

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सरकार ने 13 मार्च 1969 को केरल के मुख्य मन्त्री द्वारा विधान सभा में दिये गये वक्तव्य के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों को देखा है कि कालीकट से मुद्रित होने वाले 'चिन्था' नामक मलयालय साप्ताहिक को पेकिंग रेडियो से विज्ञापन प्राप्त हो रहे हैं। राज्य सरकार से और जानकारी प्राप्त की जा रही है। उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

श्री समर गुह : ऐसे चिन्ह दिखाई देने लगे हैं कि केन्द्र में कांग्रेस सरकार समाप्त होने वाली है। अन्यथा चीन के धोखेपूर्ण आक्रमण के 6½ वर्ष बाद और जैसा कि प्रतिरक्षा मंत्री ने सभा में बताया कि चीन की 15 डिवीजन सेना भारत की उत्तरी सीमाओं पर तैनात है भारत की भूमि पर किस प्रकार कोई भारतीय साप्ताहिक पेकिंग रेडियो से प्राप्त विज्ञापनों को प्रकाशित कर राष्ट्र-विरोधी काम करने की हिम्मत कर सकता है। हिन्दी में छापे समाचार के अनुसार 'चिन्था' साप्ताहिक मार्क्सवादियों के देशाभिमानी पब्लिशिंग हाउस से प्रकाशित हो रहा है। इस प्रेस का नाम देशाभिमानी पब्लिशिंग हाउस के बजाये देशद्रोही पब्लिशिंग हाउस होना चाहिये। भारत में पेकिंग समर्थक लोगों द्वारा ही ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की जा रही हैं। भारत में पेकिंग समर्थक लोग माओवाद के नारे लगाते हैं, माओवाद साहित्य बाँटते हैं और सार्वजनिक रूप से माओ की फोटो का प्रदर्शन करते हैं। नई दिल्ली स्थिति चीनी दूतावास इन गतिविधियों में भाग ले रहा है। यह भी पता लगा है कि सरकार की नम्र नीति के कारण वह माओ साहित्य बाँटते हैं और भारत में पेकिंग समर्थक लोगों को पत्र अथवा तारें भेजते हैं और उनसे पत्र अथवा तारें प्राप्त करते हैं, केरल में हाल में प्रकाशित हुए समाचारों के अनुसार टेल्लिचेरी और पुलपल्ली में जो घटना हुई है उनमें जनता को भड़काने में स्पष्ट रूप से चीनी दूतावास का हाथ है। इन सभी तथ्यों को देखते हुए मैं जानना चाहता हूँ कि तथाकथित देशाभिमानी पब्लिशिंग हाउस किस मार्क्सवादी दल का है और क्या सरकार इस 'चिन्था' नामक साप्ताहिक तथा इस पब्लिशिंग हाउस के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? क्या सरकार राष्ट्र-विरोधी चीनी विज्ञापनों के प्राप्त होने के साधनों के बारे में जांच करायेगी क्योंकि केरल के मुख्य मंत्री ने इन साधनों को बताने से इंकार कर दिया है ? क्या श्रीमती मन्दाकीनी नारायण को केरल जेल में माओ साहित्य तथा पेकिंग रेडियो के समाचार सुनने के लिए ट्रांजिस्टर देने से माओवादी राजनीति को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और सरकार ने ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

क्या सरकार पेकिंग समर्थकों की माओवादी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से निपटने और खूनी आन्दोलन लाने और भारतीय स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र भारतीय प्रभुसत्ता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों से निपटने के लिए शीघ्र उपलब्ध करायेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जब 1966 में सर्वप्रथम विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अध्यादेश उद्घोषित किया गया था तो उस में इस प्रकार की स्थिति जैसी कि अब उत्पन्न हुई है से निपटने के लिए उपबन्ध बनाये गए थे। उस समय सभी दलों ने इनका विरोध किया था। अतः अब हमें इस प्रकार की स्थिति से निपटने में कठिनाई हो रही है। हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं और इसको मंत्रिमण्डल के समक्ष भी रखा जायेगा। इसके पश्चात् विरोधी दलों के नेताओं से भी इस मामले पर परामर्श किया जायेगा। इस समय इस स्थिति से निपटने के लिये हमारे पास कोई कानूनी शक्ति नहीं है। मैं इस बात को मानता हूँ कि यह एक गम्भीर मामला है और हमें इस मामले से उचित ढंग से निपटना है परन्तु जब तक सभा द्वारा हमें कानूनी शक्ति नहीं दी जाती हम इस मामले में कार्यवाही नहीं कर सकते।

जहां तक उपरोक्त साप्ताहिक का सम्बन्ध है यह ठीक है कि यह देशाभिमानी प्रेस से प्रकाशित होता है परन्तु इसका मालिक कौन है यह हम नहीं जानते। मैं इस बात का पता

लगाऊंगा कि इसके पीछे कौन व्यक्ति है। इसका किस राजनैतिक दल से सम्बन्ध है। इस प्रेस को साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल द्वारा चलाया जा रहा है, परन्तु पत्रिका का वास्तविक स्वामी कौन है। मैं इस बात का पता करूंगा। यदि सभा चाहती है तो जानकारी मिलने पर मैं इसको सभा-पटल पर रख दूंगा।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : यदि सरकार इस प्रकार की गतिविधियों को रोकना चाहे तो उसके पास पर्याप्त शक्तियां हैं। यदि सरकार दृढ़ निश्चय हो तो भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत वह कार्यवाही कर सकती है।

इस समय जबकि पेकिंग रेडियो भारत को बदनाम कर रहा है और भारत के लोगों को खूनी क्रान्ति लाने तथा लोकतन्त्र को छोड़ने के लिए उकसा रहा है और जबकि यह पत्रिका इस प्रकार का प्रचार कर रही है सरकार यह कह कर कि वह राज्य सरकार की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रही है।

पश्चिम बंगाल के साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के सचिव ने हाल के अपने भाषण में कहा है और यह 18 फरवरी, 1969 के कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड में छपा है कि यद्यपि हमने संसदीय मार्ग को अपनाया है परन्तु हमें पूर्ण विश्वास है कि हम इस प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा लक्ष्य समाजवाद है और उसके लिए खूनी क्रान्ति की आवश्यकता है। हम संसदीय लोकतन्त्र के मार्ग से केन्द्र तथा राज्य के झगड़े को इस सीमा तक बढ़ाना चाहते हैं जिससे कि खूनी क्रान्ति उत्पन्न हो जाये।" मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है। क्या मंत्री महोदय के लिए केवल इतना कहना पर्याप्त है कि स्थिति से निपटने के लिए उनके पास शक्तियां नहीं हैं। मेरे विचार में उनके पास पर्याप्त शक्तियां हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य शायद भारतीय दण्ड सहिता की धारा 504, 506 और 124 का उल्लेख करना चाहते थे, परन्तु हमें जो परामर्श दिया गया है और उच्चतम न्यायालय द्वारा एक मुकदमे में दिये गये निर्णय को देखते हुए इन लोगों पर सफल मुकदमा चलाना सम्भव नहीं है। मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूँ कि जो अध्यादेश जारी किया गया था और तत्पश्चात जो विधेयक सभा में लाया गया था उसमें इस प्रकार का उपबन्ध था जिससे युद्ध तथा आक्रमण से भारत की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले देशों का प्रचार करने वाले चीनी एजेन्टों की गतिविधियों की रोकथाम तथा उनकी गतिविधियों और विचारों को बढ़ावा देने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती थी। उस विधेयक में शक्ति तथा हिंसा द्वारा कानूनी सरकार को उलटने का प्रचार तथा प्रयत्न करने वालों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने का उपबन्ध था। परन्तु इन सब उपबन्धों को रद्द कर दिया गया था। परन्तु इस मामले पर अब सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और विरोधी दलों के परामर्श से इस मामले को तुरन्त उठाया जायेगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं नहीं समझता कि माननीय मन्त्री के तर्कों से किसी को विश्वास हुआ होगा। यह किसी पर रोक लगाने, दबाने अथवा विधि विरुद्ध अथवा हिंसात्मक गतिविधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है। केरल के मुख्य मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस साप्ताहिक को पेकिंग रेडियो से विज्ञापन प्राप्त हो रहे हैं परन्तु

वह यह नहीं जानते कि उस साप्ताहिक को ये विज्ञापन किस साधन द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। हो सकता है कि वह तथ्यों को बताना न चाहते हों। क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि चीनी दूतावास देश के विभिन्न भागों में विभिन्न लोगों को पत्र, विज्ञापन तथा धन भेजता रहता है।

हाल में केरल सरकार ने गोली बारी में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों को आरोप पत्र दिये हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि कुछ ऐसी फाइलें प्रस्तुत की गई हैं जिनमें ऐसे पत्र हैं जो कि चीनी दूतावास तथा सम्बन्धित व्यक्तियों ने एक दूसरे को भेजे हैं। क्या सरकार का विचार पेकिंग दूतावास में लगे व्यक्तियों की गतिविधियों को जानने के लिए कोई कार्यवाही करने का है और क्या उनके पत्रों की छानबीन की जाती है और उनकी गतिविधियों पर निगाह रखी जाती है और क्या-क्या जो कुछ वे चाहें करने की उनको छूट दी गई है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : ऐसे लोगों की गतिविधियों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। हम इस बारे में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : केरल के मुख्य मन्त्री ने कहा है कि सरकार नहीं जानती कि उनको ये विज्ञापन चीनी दूतावास के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह वक्तव्य समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। हमने उनसे वास्तविक जानकारी मांगी है। ऐसा नहीं है कि हम राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली जानकारी पर ही निर्भर करेंगे। जानकारी प्राप्त करने के हमारे अपने भी साधन हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उन्होंने एक फाइल प्रस्तुत की है जिसमें ऐसे पत्र हैं जो कि चीनी दूतावास तथा सम्बन्धित व्यक्तियों के हाथों से गुजरे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को इस बात का पता है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं इसके ब्यौरे में नहीं जाना चाहता परन्तु सरकार इस बारे में जानकारी रखती है।

श्री ए० श्रीधरन (बडागरा) : इस साप्ताहिक के बारे में भारत सरकार से अधिक मुझे जानकारी है। इसको एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी द्वारा चलाया जा रहा है। इसका झुकाव मार्क्सवादी साम्यवाद की ओर है। इस साप्ताहिक को ये विज्ञापन घूस के रूप में दिये जा रहे हैं। विदेशों से घूस प्राप्त करने वालों के लिए यहां पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। न केवल चीनी दूतावास बल्कि अन्य कई दूतावास भी ऐसी गतिविधियों में लगे हुए हैं। सरकार पिछले 21 वर्षों से इनको रोकने में असफल रही है। क्या सरकार ने ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमने ऐसी गतिविधियों पर निगाह रखी हुई है। जहाँ कहीं संभव हुआ है हमने कार्यवाही भी की है। मेरे विचार से पिछले 21 वर्षों में की गई कार्यवाही का ब्यौरा देने का यह समय नहीं है। हमें कानून तथा संविधान के अन्तर्गत ही काम करना हैं जब तक हमारे पास शक्ति न हो तब तक हम प्रभावशाली ढंग से कार्यवाही नहीं कर सकते।

आसाम में दूसरे तेल शोधक कारखाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : SECOND OIL REFINERY IN ASSAM

पैट्रोलियम और रसायन तथा खान तथा धातु मंत्री (श्री त्रिगुण सैन) : भारत को आत्म-निर्भर बनाने के अपने जोश में मैने योजना आयोग से कई बार वार्ता की है, आसाम में कच्चे तेल के साधनों के बारे में अपने वैज्ञानिकों से बातचीत करने ले लिए मैं देहरादून भी गया था।

मैंने श्री डी० के० बरुआ से आसाम में अतिरिक्त तेलशोधक कारखाना लगाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों का नाम सुझाने को भी कहा है। मैं जस्ते को निकालने तथा जस्ता पिघलाने के काम की प्रगति देने के लिए जयपुर भी गया था। कल जब मैं जयपुर से वापस आया तो मेरी मेज पर एक पत्र पड़ा हुआ था जिसमें श्री हेम बरुआ और श्री धीरेश्वर कलिता ने मुझे सूचित किया था कि आसाम में दूसरे तेल शोधक कारखाने की स्थापना के लिए वे मेरे सरकारी मकान के सामने भूख-हड़ताल करने वाले हैं। मैंने उत्तर में उनसे भूख हड़ताल न करने का अनुरोध किया है और समस्या का अध्ययन करने के लिए कुछ समय मांगा है। मेरे पत्र के उत्तर में उन्होंने मुझे आज सुबह एक पत्र दिया है जिसमें कहा गया है कि वे भूख-हड़ताल न करने की मेरी बात को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि उनके कुछ मित्रों ने आसाम में इस सम्बन्ध में भूख-हड़ताल कर रखी है और कि वे आसाम की आयल रिफाइनरी एक्शन कमेटी की हड़ताल करने की मांग के अनुसार ही ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने मुझे कारखाना स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिती नियुक्त करने को आज सभा में घोषणा करने को कहा है।

भूख-हड़ताल से पूर्व ही इस सम्बन्ध में हमने जो कार्यवाही की थी हम उसका व्यौरा पहले ही दे चुके हैं। मुझे खेद है कि मेरे जिम्मेदार माननीय मित्रों ने मुझ पर दबाव डालने के लिए यह मार्ग चुना है, इस सम्बन्ध में मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वे इस मार्ग को न अपनायें। हम इसकी व्यवहार्यता का पता लगायेंगे। केवल उसी पर मैं कोई निर्णय कर सकूंगा कि आसाम में दूसरा तेल-शोधक कारखाना लगाया जाये अथवा नहीं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि उन्होंने श्री डी० के० बरुआ को विशेषज्ञों के नामों का सुझाव देने के लिए लिखा है। क्या इन नामों के प्राप्त होने के पश्चात इस बात का निर्णय किया जायेगा कि समिति में किस किस विशेषज्ञ को रखा जाता है।

श्री त्रिगुण सेन : विशेषज्ञों का पता लगने के पश्चात् ही इस बात का निर्णय किया जायेगा।

———

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कम्पनी अधिनियम के अधीन पत्र

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : कम्पनी अधि-

नियम 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या** एल०टी० 457/69]

कलकत्ता महानगर जल तथा सफाई प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० चन्द्रशेखर) : श्री के० के० शाह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन कलकत्ता महानगर जल तथा सफाई प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 6) की एक प्रति जो दिनांक 7 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ?

(2) उपर्युक्त अधिनियम को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या** एल०टी० 458/69]।

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना और कम्पनी अधिनियम के अधीन पत्र

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं खान तथा खनिज (विनियन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 2107 की एक प्रति पुनः सभा-पटल पर जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रख दी गई। देखिये** संख्या एल०टी० 2804/68]। मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स डवेलपमेंट कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) पाइराइट्स फास्फेट एण्ड कैमिकल्स डवेलपमेंट कम्पनी लिमिटेड का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या** एल०टी० 459/69]।

(दो) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 15 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 791 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 460/69]।

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं श्री जगन्नाथ राव की ओर से मैं खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पुन: सभा-पटल पर रखता हूँ।

(1) जी०एस०आर० 2053 जो दिनांक 23 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में एक संशोधन किया गया। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2611/68]।

(2) एस०ओ० 4118 जो दिनांक 23 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 23 जून, 1962 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एस०ओ० 1923 में एक संशोधन किया गया। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०2612/68]।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम और सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ।

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 1969 दिनांक 15 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 775 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1969 जो दिनांक 15 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 776 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) जी०एस०आर० 777 जो दिनांक 15 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 461/69]।

(2) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी०एस०आर० 548 जो दिनाँक 8 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (हिन्दी संस्करण)।

(दो) जी०एस०आर० 549 जो दिनाँक 8 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (हिन्दी संस्करण)।

(तीन) जी०एस०आर० 550 जो दिनाँक 8 मार्च 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (हिन्दी संस्करण)।

(चार) जी०एस०आर० 551 जो दिनाँक 8 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (हिन्दी संस्करण)।

(पांच) जी०एस०आर० 552 जो दिनांक 8 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (हिन्दी संस्करण)।

(छः) जी०एस०आर० 553 जो दिनांक 8 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (हिन्दी संस्करण)

(सात) जी०एस०आर० 554 जो दिनांक 8 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (हिन्दी संस्करण)।

(आठ) जी०एस०आर० 555 जो दिनांक 8 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (हिन्दी संस्करण)।

(नौ) जी०एम०आर० 556 जो दिनांक 8 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई (हिन्दी सस्करण)।

(दस) जी०एस०आर० 557 जो दिनांक 8 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (हिन्दी संस्करण)।

(ग्यारह) जी०एस०आर० 558 जो दिनाँक 8 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (हिन्दी संस्करण)।

(बारह) जी०एस०आर० 559 जो दिनाँक 8 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (हिन्दी संस्करण)।

(तेरह) जी०एस०आर० 560 जो दिनांक 8 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (हिन्दी संस्करण)।

(चौदह) जी०एस०आर० 561 जो दिनाँक 8 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (हिन्दी संस्करण)।

(पन्द्रह) जी०एस०आर० 562 जो दिनाँक 8 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (हिन्दी संस्करण)।

(सोलह) जी०एस०आर० 563 जो दिनाँक 8 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (हिन्दी संस्करण)।

(सत्रह) जी०एस०आर० 564 जो दिनांक 8 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (हिन्दी संस्करण)।

(अठारह) जी०एस०आर० 565 जो दिनांक 8 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (हिन्दी संस्करण)

(उन्नीस) जी०एस०आर० 566 जो दिनांक 8 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (हिन्दी संस्करण)

(बीस) जी०एस०आर० 567 जो दिनाँक 8 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (हिन्दी संस्करण)

(इक्कीस) जी०एस०आर० 568 जो दिनांक 8 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (हिन्दी संस्करण)।

(बाईस) जी०एस०आर० 569 जो दिनांक 8 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (हिन्दी संस्करण)।

(तेईस) जी०एस०आर० 570 जो दिनांक 8 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 5 जून, 1969 को जी०एस० आर० 1084 का शुद्धि-पत्र दिया गया है (हिन्दी संस्करण)।

(चौबीस) जी०एस०आर० 571 जो दिनांक 8 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 16 नवम्बर, 1968 की जी० एस०आर० 2019 का शुद्धि-पत्र दिया गया है (हिन्दी संस्करण)।

[**पुस्तकालय में रखी गई**। देखिए संख्या एल० टी० 462/69]।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

71वां प्रतिवेदन

श्री पे० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : में प्रतिरक्षा मंत्रालय—प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के बारे में प्राक्कलन समिति के 12वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का 71वां प्रतिवेदन पेश करता हूँ :—

सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION BY A MEMBER

श्रीमती शारदा मुखर्जी (रत्नगिरि) : अध्यक्ष महोदय 20 मार्च, 1969 को जब सभा में बहुत शोर हो रहा था तो मैंने यह कहा था कि मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि कुछ लोगों ने शोर करने का एकाधिकार ले रखा है। जो कोई शोर करता है उसको अवसर प्राप्त हो जाता है।

ऐसे कहते हुए मैं सभा में अनुशासन तथा शान्ति स्थापित करने का प्रयत्न कर रही थी। इसके पश्चात श्री स० मो० बनर्जी ने व्यवस्था के प्रश्न में मेरा नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि हम शोर नहीं करते बल्कि अपनी आवाज उठाते हैं। माननीय महिला सदस्य कांग्रेस दल की ओर से बहुत बोलती हैं। शोर गुल करके बिड़ला बन्धुओं की रक्षा करती है। यह बात रिकार्ड की गई है इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि जब तक मैं कांग्रेस दल की सदस्य हूँ बिड़ला उद्योग समूह के कार्य के बारे में जांच करने के सम्बन्ध में मैंने मंत्रिमण्डल द्वारा किये गये निर्णय का पालन करना मेरे लिए अनिवार्य है।

हमारे जैसी बड़े पैमाने पर नियंत्रित अर्थव्यवस्था में केवल सरकार ही उद्योग समूहों के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकती है। अतः विभिन्न अधिकरणों से जानकारी एकत्र करना तथा इस बात का निर्णय करना कि जांच आवश्यक है अथवा नहीं सरकार की जिम्मेदारी है।

अन्ततः बिड़ला उद्योग समूह के बारे में जांच करने का निर्णय प्रधान मन्त्री सहित उनके मंत्रिमण्डल को करना है।

पहले कई अवसरों पर सरकार ने औद्योगिक गृहों के कार्यसंचालन की जांच कराई है। यदि अब भी सरकार आवश्यक समझे तो वह बिड़ला उद्योग समूह के कार्यसंचालन की जांच करा सकती है। इस से यह स्पष्ट हो जाता है कि मैंने बिड़ला बन्धुओं का पक्ष कभी नहीं लिया। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य का उक्त आरोप झूठा, और अनुचित है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं श्रीमती शारदा मुकर्जी का बहुत सम्मान करता हूँ वह मेरी बहन के समान हैं। मेरे हृदय में उनके प्रति प्यार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

श्रीमती शारदा मुखर्जी : मैं माननीय सदस्य को देती हूँ।

———

परिसीमा (संशोधन) विधेयक

LIMITATION (AMENDMENT) BILL

अध्यक्ष महोदय : श्री गोपाल उपस्थित नहीं है। अतः वह अपना संकल्प प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री मु० यूनस सलीम) : मैं श्री गोविन्द मेनन की ओर से प्रस्ताव करता हूँ कि :

"परिसीमा अधिनियम, 1963 में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

सभा को पता है कि परिसीमा अधिनियम, 1908 में 1963 के अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया था और इस प्रकार कुछ मामलों में परिसीमा की अवधि को कम कर दिया गया था। परिसीमा की अवधि में कमी के कारण जिन मुकदमों पर प्रभाव पड़ा था उनमें कुछ सुविधायें देने के लिए अधिनियम की धारा 30 में एक खण्ड जोड़ा गया था जिसमें ऐसे मुकदमें आने की

परिसीमा पांच वर्ष रखी गई थी। पांच वर्ष की अवधि 31 दिसम्बर, 1968 को समाप्त होने वाली है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speakr *in the Chair*]

जनवरी 1968 में सभी राज्यों का ध्यान एक पत्र द्वारा इस ओर दिलाया गया था कि अवधि 31 दिसम्बर 1968 को समाप्त होने वाली है और कि उनको ऐसे मुकदमे करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए जिन मामलों मे अवधि को कम कर दिया गया था और जो मामले 1963 से पूर्व ध्यान में आये थे। दिसम्बर के तीसरे सप्ताह में उत्तर प्रदेश से पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें इस अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। अतः एक अध्यादेश द्वारा दो वर्ष की अवधि बढ़ाई गई क्योंकि दोनों सभाओं का सत्र नहीं हो रहा था।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "परिसीमा अधिनियम, 1963 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में कोई संशोधन प्राप्त नहीं हुए है। सभी खण्डों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है।

"कि खण्ड 2,3,1, अधिनियमन मूल और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

खण्ड २, ३, १, अधिनियमन मूल और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

CLAUSES 2, 3, 1, THE ENACTING FORMULA AND THE LONG TITLE WERE ADDED TO THE BILL

श्री मु० यूनस सलीम : मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद यूनस सलीम) : मैं श्री सुरेन्द्रपाल की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि...

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : This is not the question of introduction only. It is also to be discussed.

उपाध्यक्ष महोदय : उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। क्योंकि पहली मद गिर गई है, इसीलिए यह स्थिति उत्पन्न हुई है। फिर भी उप मन्त्री महोदय को ऐसा करने के लिए कुछ न कुछ अधिकार प्राप्त कर लेना चाहिए था और अध्यक्ष पीठ को उसके बारे में सूचित कर देना चाहिए था।

श्री मुहम्मद यूनस सलीम : मुझे कोई औपचारिक अधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उपविधि मंत्री के नाते मुझे इस विधेयक को प्रस्तुत करने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री को अध्यक्ष पीठ को सूचित करना होगा। मैं उनके इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं करता।

श्री पें वेंकटासुब्बया (नन्दपाल) : मुझे उपमन्त्री महोदय के साथ पूरी सहानुभूति है। वे केवल अपने मन्त्रालय से सम्बद्ध विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं। श्री सुरेन्द्रपाल सिंह को यहाँ होना चाहिए था। यदि वह मौजूद नहीं है, तो उन्हें श्री सुरेन्द्र पाल सिंह की ओर से विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति लेनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें कम से कम अध्यक्ष पीठ से अनुमति लेनी चाहिए थी अब भी वह ऐसा कर सकते हैं। सम्भव है माननीय सदस्य इनके अनुरोध को स्वीकार कर लें।

श्री मुहम्मद यूनस सलीम : मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे इस विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यह एक बुरा उदाहरण होगा। हमें अगली मद लेनी चाहिए। सभा को स्थगत करना चाहिए।

श्री दत्तात्रेय कुन्टे (कोलाबा) : मन्त्री महोदय ने विधेयक को विचार के लिए प्रस्तुत करने की अनुमति लेने का अनुरोध करते समय सम्बन्धित मन्त्री के हाजिर न हो सकने के कारण भी नहीं बताये हैं उन्होंने सभा की उपेक्षा की है। उन्हें इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्री सुरन्द्र नाथ द्विवेदी : अगला विषय भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि सम्बन्धित मंत्री हाजिर नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा को 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित करता हूँ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए २-०० म० प० बजे तक के लिए स्थगित हुई।

THE LOK SABHA THEN ADJOURNED FOR LUNCH TILL FOURTEEN OF THE CLOCK

लोक-सभा भोजन मध्याह्न भोजन के पश्चात् २ बजकर चार मिनट पर पुनः समवेत हुई।

THE LOK SABHA REASSEMBLED AFTER LUNCH AT FOUR MINUTES PAST FOURTEEN OF THE CLOCK

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) जारी रखना विधेयक

ARMED FORCES (SPECIAL POWERS) CONTINUANCE BILL

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : मुझे बड़ा खेद है कि मैं मध्याह्न भोजन के लिए सभा के स्थगित होने से पहले सभा में उपस्थित नहीं था। मेरा अनुमान गलत निकला। मुझे इसका बड़ा खेद है।

मैं प्रस्ताव करता हूँ।

कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) विनियम 1958 को अग्रेतर अवधि के लिए जारी, रखने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) विनियम अधिनियम 1958 एक समर्थकारी विनियम है जो राज्यपाल को सारे नागालैण्ड या उसके किसी भाग को गड़बड़ी का इलाका घोषित करने का अधिकार देता है यदि राज्यपाल की राय में उस इलाके में विद्यमान गड़बड़ी या खतरनाक स्थिति के कारण प्रशासन की मदद के लिए सशस्त्र सेना की सहायता लेना जरूरी हो जाता है। यह विनियम हविलदार या उससे ऊपर के सैनिक अधिकारियों को विशेष शक्तियां प्रदान करता है ताकि वे नागालैण्ड के उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में प्रशासन की कारगर ढंग से सहायता कर सकें।

शुरू में यह विनियम एक वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया था। विद्यमान परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए समय-समय पर इसकी अवधि बढ़ायी जाती रही है और इसकी वर्तमान अवधि 5 अप्रैल, 1969 तक थी। इस विधेयक द्वारा इसकी अवधि तीन वर्ष तक बढ़ायी जा रही है अर्थात् यह विनियम 4 अप्रैल, 1972 तक लागू रहेगा।

इस बार प्रशासनिक सुविधा के कारण अवधि एक वर्ष की बजाये तीन वर्ष बढ़ायी जा रही है। नागालैण्ड में विशेषकर छिपे नागाओं की चीन और पाकिस्तान के साथ साँठगांठ के कारण जो असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई है उससे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिनमें इस विनियम द्वारा सशस्त्र सेना को दी गई विशेष शक्तियों का लम्बे समय तक उपयोग करना पड़े।

नागालैण्ड की स्थिति का एक उत्साहवर्धक पहलू यह है कि वहां पर चुनाव शांति तथा लोकतन्त्रात्मक ढंग से सम्पन्न हो गये हैं और सत्तारूढ़ नागा राष्ट्रवादी संगठन (नागा नेशनलिस्ट आर्गेनाइजेशन) चुनावों में विजयी रहा है। इस दल के लिये मत डालकर वहां के लोगों ने छिपे नागाओं की हिंसक कार्यवाहियों का समर्थन नहीं किया है और नागालैंड की विधिवत् रूप से गठित सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। भारत सरकार नागालैंड में पुनः शांति कायम करने के नागालैंड सरकार के प्रयत्नों को सफल बनाने में नागालैंड सरकार को हर सम्भव सहायता देगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री राम० मेघचन्द्र (आन्तरिक मनीपुर) : यह एक सीधा सादा विधेयक प्रतीत होता है

जिसका उद्देश्य सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) विनियम 1958 की अवधि तीन वर्ष बढ़ाना है ।

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि नागालैण्ड में स्थिति सुधरती जा रही है । वहां पर चुनाव शांति से सम्पन्न हो गये हैं । चुनाव में न केवल सत्तारूढ़ दल ने ही भाग लिया था अपितु संयुक्त मोर्चा भी उनमें शामिल था जिसमें छिपे नागाओं के कुछ समर्थक भी शामिल था इससे यह सिद्ध हो जाता है कि नागालैंड में शांतिप्रिय लोग जोर पकड़ते जा रहे हैं और यह एक अच्छा संकेत है ।

छिपे नागाओं के अन्दर मतभेद हैं । तथाकथित संघ सरकार को एक अन्य क्रांतिकारी सरकार का सामना करना पड़ रहा है । ये सब चीजें इसलिए नहीं हुई है कि सशस्त्र सेनाओं को असैनिक अधिकारियों की मदद करने के लिए विशेष शक्तियां दी गई हैं अपितु इसलिए हुई हैं कि इस समस्या को राजनीतिक दृष्टिकोण से हल करने की कोशिश की गई है । नागालैंड को राज्य का दर्जा दे दिया गया है और नागा लोगों के हित में कुछ आर्थिक व्यय भी किए गए हैं । इसके परिणामस्वरूप ही स्थिति में सुधार हुआ है ।

नागा समस्या से सम्बन्धित कुछ अन्य समस्याएं भी हैं । उदाहरण के लिये मनीपुर के लोग एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं । मनीपुर में भी दंगे हुए हैं और सशस्त्र विद्रोही एक जगह से अन्य जगह जा रहे हैं और बहुत से क्षेत्रों को गड़बड़ी वाले क्षेत्र घोषित कर दिया गया है । इसे दृष्टि में रखते हुए वहां पर भी सशस्त्र सेना तैनात कर दी गई है । परन्तु ऐसा करने से ही यह समस्या हल होने वाली नहीं है । भारत सरकार को कोई शुरूआत करनी चाहिए और मनीपुर के लोगों के मनीपुर को राज्य का दर्जा दिये जाने के दावे के बारे में कुछ कार्यवाही करनी चाहिए । कुछ प्रशानिक परिवर्तन किये जाने चाहिए । मनीपुर में रहने वाली विभिन्न आदिम जातियों को स्वायत्तता दी जानी चाहिए ।

मनीपुर में इस सब गड़बड़ी का कारण यह है कि इस समस्या को राजनीतिक दृष्टि से हल करने की कोशिश नहीं की गई है । मनीपुर अभी भी एक संघ राज्यक्षेत्र है । मनीपुर में नागा, कुकी तथा मिजो लोग भी रहते हैं । यदि इन्हें कोई स्वायन्त्रता नहीं दी जायेगी तो यह समस्या हल नहीं हो सकती । इसलिए सरकार को मनीपुर के लोगों की मांग पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए ।

श्री वेदव्रत बरुआ (कालियाबोर) : नागा समस्या जिसे विधि तथा व्यवस्था की समस्या समझा जाता था वास्तव में एक राजनीतिक समस्या थी जिसे राजनीतिक स्तर पर हल किया जाना चाहिये था । नागाओं को अब यह मालूम हो गया है कि नागालैंड में शांति बने रहने से उन्हें बहुत लाभ हो सकता है ।

एक समय था जब नागा लोग सोचते थे कि भारत को उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उन्हें अपने अधीनस्थ नहीं समझना चाहिए उनको यह यकीन दिलाना कि भारत की नागरिकता में हिस्सा बटाना हीनता नहीं है अपितु समानता में हिस्सा बटाना है भारत सरकार तथा उसके द्वारा अपनाई गई नीति की बड़ी भारी सफलता है ।

प्रत्येक देश को सीमान्त लोगों सम्बन्धी समस्या का सामना करना पड़ा है । उन्होंने इस

समस्या को अपने-अपने ढंग से हल किया है । हमारा चीनीयों की दमनकारी नीति में भी विश्वास नहीं है जैसा कि इन्होंने तिब्बत में किया है । हम नामोनिशान मिटाने की नीति में भी विश्वास नहीं करते । सरकार इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि उसने इस समस्या का भारतीय ढंग से सामना किया है, उनके साथ न्याय किया है, उनका आर्थिक विकास करके तथा उनको राज्य का दर्जा देकर संतुष्ट किया है ।

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए]
[Shri Vasudevan Nair in the Chair]

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की यह शिकायत है कि जबकि नागा समस्या को राजनीतिक स्तर पर हल करने की कोशिश की जा रही है नागालैंड के बाहरी क्षेत्रों के लोगों को अपनी जानें खोनी पड़ी हैं । उनका कहना है कि राजनीतिक हल नागालैंड के निकट रहने वाले लोगों की सुरक्षा, जीवन तथा आजादी को खतरे में डालकर नहीं किया जाना चाहिए ।

राजनीतिक सत्ता की मांग केवल नागाओं तक ही सीमित नहीं है, आसाम क्षेत्र में प्रस्तावित स्वायत्तवासी राज्य तथा मनीपुर के लोगों की भी यही मांग है और उनकी इस माँग की उपेक्षा नहीं की जा सकती ।

यदि हम देश में औद्योगिक क्रान्ति की गति को तेज कर दें तो हम विघटनकारी तत्वों को एक साथ ला सकेंगे और देश में सही मानों में एकता स्थापित की जा सकेगी । यह दुर्भाग्य की बात है कि आसाम तथा उत्तर-पूर्व सीमा क्षेत्रों के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । नागालैंड को या किन्ही अन्य क्षेत्रों को स्वायत्तता दे कर ही हम इस समस्या को हल नहीं कर सकते । इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनसे आर्थिक विकास पर जोर दिया जाये । केवल इसी एक मात्र रास्ते से हम देश को एक सूत्र में बांध सकते हैं ।

Shri Ranjit Singh (Khalilabad) : The period of this Act is being extended from year to year for a very long time as Government expected to solve the Naga problem very soon. But this time, when the end of the problem appears to be near, they have thought it proper to extend it for three years. Since the capture of pro-Chinese leaders recently, the fountain-head of the Naga power has been dried and it should not take more than an year to solve the problem finally. There are certain elements among the Nagas who are against China and even Pakistan and do not want to continue the revolt against the Government with their help. Such patriotic elements should be won over and more powers should be given to our armed forces stationed there so that this trouble is completely rooted out.

It is regrettable that a propaganda has been made in certain quarters which gives an impression that our armed forces deserve no credit for what has happened in Nagaland and that the Naga leaders have not really been captured, but they have themselves surrendered. Such propaganda is very unfair to the armed forces which have been doing a fine job under the leardership of Major General Navin Chandra Roli in that area.

Several problems have been raised in connection with Nagaland, namely those of education and economic development. But these problems are not confined only to Nagaland; they are there in the entire eastern frontier of our country. Unless an effort is made to develop this entire area and the poverty of the people is removed they will continue to be exploited by the enemy. Therefore, it is very necessary that Government appoint a defence oriented Commission to make recommendations for the development of these areas and their recommendations should be implemented as far as our resources permitted. We should remember that we have on our borders an enemy like China whose ambitions have no end and who can

never be relied upon. Therefore, we should employ all the means at our disposal to make, our borders safe and secure.

Shri Chandra Jeet Yadav (Azamgarh) : Our Government deserves to be congratulated for the way in which they have been successfully trying to solve the problem of Nagaland which had assumed a very grave form and about which the entire country was worried.

Our Government has acted very wisely by not resorting to force. It has instead gone at the root of the problem and tackled it accordingly. The basic problem of Nagaland is economic backwardness. Like many other areas of our country, Nagaland is also economically very backward. This is result of the British regime which paid no attention to the development of backward areas. After the attainment of Independence, the desire for development was very natural on the part of those areas. Unfortunately, certain forces in Nagaland tried to give a wrong direction to that urge for development. Those forces taught the people there that the Government of India had neglected them. The result was that a feeling of separateness was borne in the Naga people and they raised the slogan that they wanted to live as an independent country. Fortunately, the Government of India adopted a very wise policy in regard to Nagaland. They did not want to crush the people by military action.

It is our first duty is safe-guard our boundaries. Government should pay great attention towards it.

Government should create a feeling in the minds of the people of the Country that the Government will not tolerate foreign intervention in the Country. Government have therefore made special arrangements of army and police for Nagaland. So that foreign element may not be able to create disruption there.

Government was of the view to solve the problems of the people of Nagaland with their co-operation. Govrenment should create a feeling in them that India is behind them. We should have sympathy for the people of Nagaland.

Government was intending to establish legislative Assembly, there. The Government has given this power to the people of Nagaland. As a result of it the solution of Nagaland problem is insight.

Government has accepted the view of creating confidence amongst the oppositions for solving the problems of Nagaland.

The oppositions have given full co-operation in solving the problems of Nagaland.

Government is extending the period of three years by this Bill. But it is not the intention of using those special powers in case the problems of Nagaland are solved earliar. Government want to create stability there.

It is a matter of pleasure that our army has become a part and parcel of the people of Nagaland. People of Nagaland are giving full support to it. We have to congratulate our army for working in such difficult conditions. We will not take help of any foreign country in solving our problems.

We have solved the problem of Assam with the Co-operation of the people. Similarly, we should try to solve the problem of Andhra with the Co-operation of the people.

Government have given so many facilities to the people of Nagaland. They have been given assistance so that they may be able to stand upon their own legs. We should give full assistance for the development of a state which is very backward. With these words I support the resolution of extending the period for three years. I hope the same policy would be adopted by the Government in the case of Nagaland in future.

श्री एस० कन्डप्पन (मेंट्टूर) : यदि नागालैंड में सशस्त्र सेना की प्रवृत्ति को और नहीं

बढ़ाया जाता तो मुझे खुशी होती। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार सशस्त्र सेना को वहां से वापिस नहीं बुला सकती।

सशस्त्र सेना को वहाँ के लोगों से सम्पर्क स्थापित करना चाहिये। सेना को स्थानीय जनता का हृदय जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। वहाँ की समस्या एक गम्भीर समस्या है और इसको उचित प्रकार से हल करना चाहिए।

सेना को वहां के स्थानीय लोगों का विश्वास प्राप्त करना चाहिए।

वहाँ के लोगों से जब सेना की उपस्थिति के बारे में पूछा गया तो कहा कि अब उसका व्यवहार अच्छा है सरकार को वहाँ के निवासियों में यह भावना पैदा करनी चाहिये कि वे भारत-वासी हैं। उनमें ऐसी भावना नहीं है।

नागालैंड में लोग धीरे धीरे स्थिति को समझ रहे हैं इसका अभिप्राय: यह नहीं है कि वे लोग पूरी तौर से हमारे पक्ष में हैं। सरकार वहाँ की समस्या का शान्तिपूर्ण हल निकालना चाहती है। सरकार का विचार है कि नागालैंड को राज्य का दर्जा दिये जाने के बाद भी वहाँ की समस्या का राजनीतिक हल नहीं निकल सकेगा। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि वहां की स्थिति में बहुत सुधार हो गया है और उसका भारत में पूर्णतया विलय हो जायेगा।

जोरहाट से कोहिमा तक की सड़क राष्ट्रीय राजपथ है लेकिन मैंने अपने जीवन काल में इससे खराब सड़क नहीं देखी दीमापुर से कोहिमा तक की सड़क कुछ अच्छी है लेकिन दीमापुर से जोरहाट की तरफ की सड़क, जो आसाम को जोड़ती है, बहुत खराब है अतः सरकार के इनमें सुधार करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये।

राज्य के लोगों, अधिकारियों और मंत्रीयो के ये विचार हैं कि भारत सरकार ने राज्य को सब अधिकारों से वंचित रखा है।

नागालैंड में कुछ नगरों का यातायात आसाम के कुछ भागों से होकर गुजरता है। यद्यपि आसाम क्षेत्र में माल चढ़ाया या उतारा नहीं जाता तथापि उन्हें कुछ सड़कों पर प्रवेश करने के लिए आसाम सरकार को कर देना पड़ता है। नागालैंड सरकार ने इस प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार से भी चर्चा की थी लेकिन केन्द्रीय सरकार ने उसकी सहायता नहीं की। वहाँ का प्रशासन भारत के कई राज्यों से अच्छा है।

वहां की सरकार जनता की समस्या को अच्छी प्रकार समझती है और उसमें रूचि लेती है। वहां औद्योगीकरण की समस्या विद्यमान है। नागालैंड और आसाम के पूर्वी क्षेत्र में सेना की उपस्थिति के कारण उद्योगपतियों की कमी है। वे अपनी पूंजी को जोखिम में नहीं डालना चाहते। इस सम्बन्ध में भारत सरकार वहां के लोगों की मदद कर सकती है। उसे छोटे ठेकेदारों और ऐसे लोगों जिनके पास बहुत सी बसें हैं और जो बड़े खुदरा व्यापारी हैं, की सहायता करनी चाहिये। यदि भारत सरकार उनकी सहायता करेगी तो वे छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योग चालू करने में समर्थ हो जायेंगे। यह सब छोटी बाते हैं लेकिन मनोविज्ञान की दृष्टि से इनका बहुत महत्व है। अन्यथा वहाँ के लोग यह सोचेंगे कि वे सेना के नियंत्रण में है और वह भारत सरकार की कृपा पर आधारित है।

सरकार को वहां आर्थिक विकास के लिये यथा सम्भव कार्यवाही करनी चाहिये। भारत

सरकार को वहाँ से शीघ्र सेना को बुलानी चाहिये और उसे नागालैंड सरकार का अधिक से अधिक विश्वास प्राप्त करना चाहिये। वहां की समस्या को इसी प्रकार हल सम्भव है।

Shri Virbbadra Singh (Mahasu) : I support this Bill. There is no doubt that situation in Nagaland has changed during the last few days but the situation has not so much improved that this Bill may be withdrawn.

The problems of Nagaland is a matter of great concern for the Government. The Nagas were in favour of creating a separate State. But the Government did not pay any attention to their request. As a result of it a movement to create independent State for Nagaland was started by the hostile elements. Had attention been paid to this problem earlier the problem would have not been so critical.

In fact Nagaland is facing an economic problem. It is a very backward area and the people of Nagaland want its development. It is not the problem of Nagaland alone. But it is the same is the problem of the other hill states.

The Government should find out a solution of the problem of hill states. There is no doubt that there has been some improvement in this situation of Nagaland. The credit goes to our Security Forces. It has done a praiseworthy work there. The people of Nagaland have understood that solution of their problem can only be made peacefully.

Government should try to get full benefit out of the new situation arose in Nagaland. Government should give full support to the patriots in Nagaland. If we want a State Government there. We should act according to the wishes of the Government.

It has been said that Thousands of hostile Nagas are trying to enter India after receiving training from China. We should find out how these people go to China for training. Unless these people are being stopped from going to China for training the problem of Nagaland cannot be solved. I hope that Government will pay due attention towards it.

श्री समर गुह (कन्टाई) : सशस्त्र सेना (विशेष अधिकार) विधेयक को प्रत्येक वर्ष आगे के लिए बढ़ाने की सरकार की प्रकृति हो गई है। इस बारे में मैं वहां कार्यकर रहे जवानों को बधाई दूंगा। उन जवानों ने जनता और वहां की सरकार के सहयोग से विद्रोहियों को समाप्त कर दिया है चीन और पाकिस्तान सरकारें राजनीतिक दृष्टि से नागालैंड के कुछ वर्गो को हथियारों से लैस कर रही है लेकिन उनके लिए भारत में प्रवेश करना आसान नहीं है। यह सर्वविदित ही है कि हमारी सेना के जवानो ने चीन से लौटे नागाओं को कैसे सफलतापूर्वक समाप्त किया और इन्हें कैसे भारतीय जवानों ने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया।

बर्मा सरकार ने इस मामले में हमारी पूरी सहायता की हैं इसके लिए हम उनके आभारी हैं।

नागालैन्ड में हुए चुनाव आखें खोलने वाले हैं। नागालैन्ड के चुनावों में लगभग 90 प्रतिशत लोगों ने भाग लिया है। यदि नागालैंड की जनता को भारतीय संविधान और भारतीय राष्ट्रीयता में इतनी श्रद्धा नहीं होती तो वह इतनी बड़ी संख्या में चुनाव में भाग नहीं लेती।

यह खुशी की बात है कि छिपे नागाओं ने भी भारत सरकार से शान्तिपूर्ण ढंग से बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की है। अब सरकार को यह घोषणा करनी चाहिए कि नागा विद्रोहियों की समस्या को नागालैंड की स्थानीय समस्या समझा जायेगा और उस पर नागालैंड सरकार द्वारा ही कार्यवाही की जायेगी। भारत सरकार को नागालैंड सरकार की यथासम्भव सहायता करनी चाहिए। ताकि वहां की समस्याओं को आसानी से हल किया जा सके।

किन्तु भारत सरकार को यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि अब से आगे फिजो के अनुयायी अथवा अन्य विद्रोही लोग सरकार से दिल्ली में बातचीत नहीं कर सकेंगे। यदि वे कोई बातचीत आदि करना चाहें तो उन्हें नागालैंड सरकार के साथ बातचीत करनी होगी। अनेक लोग इस बात को जानते हैं कि इस मामले में नागालैंड सरकार को कार्य करने के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से पूरी स्वतन्त्रता नहीं है। किन्तु हाल के आम चुनावों से यह आवश्यक हो गया है कि भारत सरकार इस बात का ध्यान रखे कि नागालैंड सरकार को नागालैंड आन्तरिक मामलों में कार्यवाही करने की पूरी स्वतन्त्रता हो और वह इसमें केन्द्रीय सरकार के सहयोग और सहायता से कार्य करे।

जहाँ तक सुरक्षा सेनाओं का सम्बन्ध है, यह केन्द्रीय सरकार का कार्य है। किन्तु इस मामले में भी राज्य सरकार की सलाह से कार्यवाही की जानी चाहिए। नागालैंड सरकार में यह भावना नहीं होनी चाहिए कि उनके दृष्टिकोण पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है।

पिछली बार इस विषय पर बोलते हुए मैंने नागालैंड के लोगों की राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक एकता और आर्थिक एकता की समस्याओं पर प्रकाश डाला था। उस समय मैंने मंत्री महोदय, से कहा था यद्यपि आज नागालैंड प्राय: एक समस्या बन गया है, स्वतन्त्रता संग्राम में नागालैंड के लोगों ने हमारा साथ दिया था और नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में कोहिमा आजाद हिन्द फौज का अड्डा था। उस समय नागा लोग नेता जी के कंधे से कंधा मिलाकर स्वतन्त्रता के लिए लड़े थे और आज भी हजारों घरों में नेता जी के चित्र पाये जाते हैं। हाल में मनीपुर के एक मैदान में मनाई गई रजत जयंती के समारोहों में न केवल गृह कार्य मन्त्री, भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री, सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा मनीपुर के लोगों ने अपितु अनेक नागा लोगों ने भी भाग लिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस समारोह में भाग लेने वाली अनेक नागा महिलाओं ने बताया था कि उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में नेता जी के साथ जासूसी का कार्य किया था। मैं समझता हूँ कि नागालैंड के लोगों में देश भक्ति की भावना भरने के लिए और उनमें राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए नागालैंड में आजाद हिन्द फौज की स्मृति में स्मारक, विशेषत: नागा क्रान्तिकारियों के स्मारक बनाये जायें और आजाद हिन्द फौज के सैनिकों का एक संक्षिप्त इतिहास लिखा जाये। वहां के स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी नागा लोगों का भी कुछ वर्णन होना चाहिए। नेता जी के साथ जासूसी का कार्य करने वाली नागा महिला को कुछ पुरस्कार दिया जाना चाहिए। नागा लोगों में देश की अन्य भागों की सांस्कृतिक एकता स्थापित की जानी चाहिए।

भारत के विश्वविद्यालयों में नागा छात्रों के लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे जाने चाहिए ताकि वे अधिक से अधिक संख्या में विश्वविद्यालयों में शिक्षा पा सकें और देश के अन्य भागों के छात्रों के सम्पर्क में आ सकें। नागालैंड में कपड़ा कुटीर उद्योग महत्वपूर्ण है किन्तु देश के अन्य भागों के साथ संचार सम्बन्ध न होने के कारण यह उद्योग लुप्त हो रहा है। सरकार इस उद्योग को पुन: समृद्ध बनाने के लिए सहायता कर सकती है। उनके कुटीर उद्योगों के उत्पादों की बिक्री के लिए सरकार कोई संस्था स्थापित कर सकती है।

यह मामला सभा में कई बार उठाया गया है कि नागालैंड को वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के अन्तर्गत क्यों रखा गया है। क्या नागालैंड कोई अन्य देश है। चीन और पाकिस्तान यही

सोचते हैं कि यदि नागालैंड वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत है तो वे नागालैंड की अपनी इच्छानुसार सहायता कर सकते हैं। नागालैंड में हाल के ग्राम चुनावों में 90 प्रतिशत जनता ने मतदान कर के यह साबित कर दिया है कि वे प्रजातन्त्र के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक हैं तथा भारतीय संविधान में उनकी पूरी निष्ठा है। अत: सरकार से मेरा निवेदन है कि शीघ्र यह घोषणा करे कि अब से नागालैंड की समस्याओं का हल गृह कार्य मन्त्रालय द्वारा किया जायेगा न कि वैदेशिक कार्य मन्त्रालय द्वारा और नागालैंड पूर्ण रूप से गृहकार्य मंत्रालय के अन्तर्गत हैं।

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य (रायगज) : सभापति महोदय, मैं श्री गुह द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सहमत हूँ। मैं समझता हूँ कि वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के स्थान पर यदि यह विधेयक गृह कार्य मन्त्रालय द्वारा लाया जाता तो अधिक अच्छा होता।

सर्व प्रथम यह विधेयक नागालैंड के कुछ भागों पर लागू किया गया था और बाद में वर्ष 1966 में समूचे नागालैंड पर लागू कर दिया गया था तथा अब इसके उपबन्धों की अवधि वर्ष 1972 तक के लिए और बढ़ा दी गई है। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह सराहनीय कार्य किया है।

देश के विभाजन के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो गई थी कि भारत के समूचे पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न भाषा भाषियों, विभिन्न रीति रिवाज वाले लोगों को विभिन्न संस्कृति वाले लोगों को तथा विभिन्न जाति के लोगों को एक साथ रहने के लिए बाध्य होना पड़ा था। यह देश के सामने एक बड़ी चुनौती थी। हम इसका सामना कर रहे हैं। नागालैंड के मामले में हम यथा सम्भव कार्यवाही करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

[श्री रा० डो० भंडारे पीठासीन हुए]
[Shri R. D. Bhandare in the Chair]

श्री गुह ने अभी बताया है कि देशभक्त नागाओं ने नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के साथ मिल कर काम किया था। इस सम्बन्ध में मैं एक तथ्य के बारे में सभा को और बताना चाहता हूँ। नागा लोगों ने सुभाष चन्द्र बोस को इम्फाल से कोहिमा जाने के लिए पहाड़ियों से होकर एक गुप्त मार्ग बताया था जिसके कारण नेता जी सकुशल सैनिक रेखा को पार करने में सफल हो गये थे। ये लोग नेता जी के बड़े भक्त थे।

मैं एक बार हीमापुर गया था और मैंने वहाँ के मजिस्ट्रेट से कोहिमा जाने के लिये अनुमति मांगी थी। उन दिनों सप्ताह में केवल तीन बार कनवाय के साथ कारें जा सकती थी। उस समय कनवाय नहीं जा रही थी इसलिये मजिस्ट्रेट ने पहले मुझे अनुमति देने से इन्कार कर दिया था किंतु बाद में मेरे अनुरोध पर मजिस्ट्रेट ने मुझे इसकी अनुमति दे दी थी। मैं अपने एक मित्र के साथ कोहिमा के लिये चल पड़ा था। मार्ग में एक ट्रक में कुछ युवक नागा हीमापुर की ओर आ रहे थे। उन्होंने हमारी कार के सामने ट्रक रोका और ट्रक से उतर कर हमारी कार को घेर लिया। मैं भी कार से उतर कर उनके सामने खड़ा हो गया। उन्होंने मेरा पूरा निरीक्षण किया और बिना कुछ कहे ट्रक में बैठकर चले गये। मैं समझता हूं कि वह यह समझ गये थे कि जो कुछ वह सोच रहे थे वही मैं भी सोच रहा था। मुझे एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि नागा लोग सरल और सच्चे लोग होते हैं। मुझे एक

वकील ने उनकी सच्चाई का एक उदाहरण मुझे दिया था। एक मजिस्ट्रेट ने किसी नागा को किसी अपराध के लिये सजा दी और सजा का आदेश देकर उससे कहा कि वह जेलर के पास चला जाये। वह जेलर के पास गया और उसे सजा का आदेश देकर जेल में बन्द हो गया। बोआई के समय सजा भुगत रहे नागा जेलर की अनुमति से बोआई करने चले जाते हैं और बोआई पूरी करके निर्धारित अवधि में जेल में वापिस आ जाते हैं। अतः मैं समझता हूँ कि नागा लोगों को यदि ठीक ढंग से समझाया जाये और उनसे ठीक ढंग से काम लिया जाये तो वे देश के लिये महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। नागा लोग भारत की प्राचीन परम्पराओं के बारे में बड़ी रुचि से बताते हैं। उन्हें प्राचीन परम्पराओं का बहुत अच्छा ज्ञान है। वे हमारी संस्कृति से अधिक दूर नहीं हैं।

मैंने कोहिमा में उपायुक्त से बातचीत की थी और उसने इस बात की पुष्टि की थी कि वे भोले लोग होते है। उपायुक्त ने मुझे बताया कि एक बार वहां पर नृत्य का आयोजन किया था और नृत्य के बाद नर्तकों को पुरस्कार दिया गया था। दूसरे दिन नर्तकियों ने उपायुक्त के पास जाकर उनसे कहा कि हमारा पुरस्कार कहां है। उपायुक्त ने उन्हें भी कुछ पुरस्कार दिये। इससे आप समझ सकते हैं कि वे कितने भोलेभाले होते हैं। यह अवश्य है कि कुछ लोगों को गुमराह किया गया है।

वहां पर विभिन्न वर्गों के, विभिन्न जातियों के तथा विभिन्न भाषा भाषी लोग रहते हैं। अब हमें देखना यह है कि उनमें एकता लाई जा सकती है या नहीं। सीमावर्ती क्षेत्र होने से इस क्षेत्र का बड़ा महत्व है। इसलिए हमें इसकी ओर विशेष ध्यान देना होगा। यह प्रसन्नता की बात है कि सिविल अधिकारियों को देख रेख में सैनिक अधिकारियों को अधिकार दिये जा रहे हैं। इन अधिकारों का अनुचित प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में सैनिक अधिकारियों को बताया जाना चाहिए।

नागालैंड में प्रजातंत्रात्मक सरकार चल रही है। मैं समझता हूँ कि वहां पर वे लोग अनुशासन में रहेंगे और सैनिक अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा। नागालैंड के लोग संसदीय अधिकारों के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं इसीलिए उन्होंने नागालैंड के लिए पृथक राज्यपाल की मांग की है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूँ।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Chairman I rise to oppose this Bill, for, it is against the democracy of the country. The region of Nagaland for which the Bill has been brought forward has a very stretegic position. The borders of India, Pakistan, Burma and China are there. Then, the hostile Nagas are there and their supporters in England are Conspiring against India. In the circumstances it is necessary that the Government of India should take some strong steps against them, so that the hostile element is crushed and the atmosphere of peace may prevail there.

The Bill is against the principles of democracy. It, instead of democratising the police or army stationed in Nagaland gives them more powers. It is true that they are to help the civil authorities their, but it is dangerous way of helping the civil authority. If the Government want that there should be peace and public co-operation in the administration of Nagaland, then instead of giving more powers to the army, they should encourage Voluntary organisations, like Shanti Sena. It is only them, that the people of Nagaland will think of integrating themselves with the people of India.

The problem of this area is of economic development. The capitalists of the country are exploiting them. This exploitation of Nagas should be stopped. The standard of living of the Nagas should be improved in order to bring it a par with standard of living in other parts of the country. The restrictions on the movement of the people should also be removed so that the Nagas may come into contacts with the people of rest of the country.

The name of Nagaland should be changed to an Indian name. It will create some effect on the thinking of the people there and they will feel themselves to be a part of India and they will work for the country. It dangerous to give so much power to the army. We have examples of many countries before us.

Laws such as unlawful Activities Act and Emergency Measures are against the democracy. The Government are also taking wrong steps for this area. Sometimes the army misbehaves with the civilians. Therefore, I request the Government not to give so much powers to the army with these words I strongly oppose this Bill.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

श्री बसु मतारी (कोकराझार) : अनेक लोग नागालैंड के बारे में सही जानकारी नहीं रखते हैं। जो लोग नागालैंड गये और जिन्होंने वहां की समस्याओं का अध्ययन किया है वे ही वहां की समस्याओं को समझ सकते हैं। नागालैंड के लोग भोलेभाले तथा परम्परावादी तथा बलवान होते हैं। वे लोग पूरी स्वतन्त्रा चाहते हैं उनके विशेष रीतिरिवाज तथा विशेष संस्कृति है। इसलिए उन्हें अधिक शक्तियां दी जायें इस अधिनियम की अवधि बढ़ाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि नागा लोगों को आसानी से नियंत्रण में रखा जा सकता है।

नागालैंड को गृह कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए। नागालैंड को वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत रखने से एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। कभी यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि नागालैंड भारत का अंग है या एक पृथक देश। इस सम्बन्ध में सरकार को शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद आसाम का कुछ भाग, अर्थात दीमापुर, नागालैंड में रखा गया था। दीमापुर कछारी राजा की राजधानी थी। उस समय समूचे आसाम में कछारी जाति का शासन था। अहोम ने हमें अलग कर दिया था। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि कछारी राजा की राजधानी दीमापुर को एक ऐतिहासिक स्थान समझा जाये और लालकिले की भाँति ही उसकी देखभाल की जाये। पुरातत्वीय विभाग को इस स्थान के संरक्षण के लिए उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : The Government have committed certain mistakes in dealing with Naga problem to which I had already reffered when the Bill to do amend the Constitution in this regard was first introduced in the House. The first mistake is the formation of a separate state of Nagaland, the second is to give an Aglicized name and the third is to entrust the Naga affairs to the Ministry of External Affairs. Late Shri Nehru stated at that time that Naga Affairs were put to the External Affairs Ministry because certain psychological reasons. But now the circumstances are completely changed and the Naga Affairs should now be entrusted to the Ministry of Home Affairs.

Our Government's policy in regard to Nagaland is not correct. If they really want to settle this problem, they should take two steps. One is that the security forces there should be given a free hand to tackle the difficult situation. Secondly, the foreign missionaries in Nagaland should be asked to have the region at once. They are spreading anti-national

feelings there. If these steps are taken, there will be complete peace in that area. It is very unfortunate that Government has not considered these suggestions. Government should deal with those Nagas in a firm manner who get arms and training from Pakistan and China. It is the foremost duty of Government to preserve and protect the territorial integrity of the country. The anti-national element should be suppressed with a firm hand. They will not controlled by non-violent methods. As a result of weak policy of Government loyal Naga are also joining the hostile Nagas.

How long Government proposes to continue talks with the hostile Nagas ? It should be made clear to them that Government cannot continue there talks beyond a certain period.

Our Prime Minister is going to Burma shortly. She should discuss this matter with the Burmese Government and get an assurance from them that they would not help the hostile Nagas in going to China.

श्री जयपाल सिंह (खन्टी) : मैं जानना चाहता हूँ कि इनमें से कितने व्यक्तियों ने नागालैंड की यात्रा की है। वहां पर इस समय कोई भी विदेशी धर्म प्रचारक नहीं है। एक दो यदि हैं भी तो वे राजनीतिक कार्य नही कर रहे हैं। मेरा नागा क्रान्ति से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। मैंने सर्व प्रथम श्री फिजो की प्रधान मंत्री तथा सेना अध्यक्ष से भेंट करायी थी। हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि द्वितीय युद्ध के समय नागाओं ने जापानियों को भारत में आने से रोका था। उन्होंने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का साथ दिया। यहां पर पंजाब और हरियाणा की बातें होती हैं परन्तु यदि मैं झारखंड की बात करूं तो उसे विघटनकारी बात कहा जाता है। नागालैंड की समस्या को ठीक प्रकार से समझा नहीं गया है। यह एक सीमांत प्रदेश है। इस सम्बन्ध में हमने पहले बहुत गलतियां की हैं। सेना का विशेष स्थान है। वह लोकतन्त्र को समाप्त करने के लिए नहीं है।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। सभी को इसका समर्थन करना चाहिए।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैंने कुछ वर्ष पूर्व इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों के साथ नागालैंड की यात्रा की थी। उस समय भी यह एक गम्भीर समस्या थी। हमने महसूस किया था कि यदि इस समस्या को कुछ सूझबूझ से हल करने का प्रयास किया जाये तो यह हल हो सकतो है। यदि उन लोगों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं और आकांक्षाओं पर विचार किया जाये तो समस्या का समाधान हो सकता है।

नागाओं की परम्परा स्वतन्त्रता और आजादी की है। उनकी गाँधीजी के आदर्शों से बहुत समानता है। वे बहादुर लोग हैं। उन्होंने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की सहायता की थी उनकी राष्ट्रभक्ति पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। विद्रोही नागाओं का गिरोह भी अब समाप्त हो चुका है। हमें अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये और ब्रिटेन की 1947 से पहले की नीति का अनुसरण नहीं करना चाहिये। हमें नागाओं के प्रति नम्र तथा अहिंसा की नीति अपनानी चाहिये। कल को भूटान और सिक्कम के बारे में प्रश्न खड़े हो सकते हैं। अतः हमें सब पहलुओं पर ध्यान देना होगा।

नागाओं के बारे में हमें अविश्वास की भावना छोड़ देनी चाहिए। और उन्हें विघटनकारी तत्व नहीं समझना चाहिए। भारत विविधताओं का एक देश है। इसकी विविधता में ही एकता है। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। नागालैंड हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।

हां, उसे भावनात्मक रूप देश के निकट लाने की आवश्यकता है। उसका आर्थिक विकास किया जाना चाहिए। नागालैंड की अन्य उचित मांगों पर विचार किया जाना चाहिए। उनकी एक मांग है कि नागालैंड के लिए अलग से राज्यपाल होना चाहिये। यह मांग पूरी की जानी चाहिये।

कुछ समय के लिए सुरक्षात्मक उपाय करना आवश्यक है। मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं कि यह विषय वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन है अथवा गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन। काश्मीर की भाँति नागालैंड से भी बड़ी सूझबूझ और समझदारी से निपटने की आवश्यकता है। ऐसा करने से हम नागाओं का मन जीत सकते हैं और उस प्रदेश को देश के साथ आगे ले जा सकते हैं।

श्री स्वैल (स्वायत जिले) : मुझे प्रसन्नता है कि उपमंत्री श्री सुरेन्द्रपाल सिंह को नागालैंड के बारे में इंचार्ज बनाया गया है। मुझे आशा है कि वह इस बारे में विशेष रुचि लेंगे।

माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के उद्देश्य के अतिरिक्त और भी अनेक बातों का उल्लेख किया है। इसका उद्देश्य तो सुरक्षा सेनाओं को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान करना है। इसका कारण नहीं बताया गया है। इस पर भाषणों के दौरान माननीय सदस्यों ने नागालैंड के बारे में अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं। ऐसा करना ठीक है।

माननीय उपमंत्री को नागालैंड के बारे में वर्तमान स्थिति से अवगत कराना चाहिए। प्रतिवर्ष इस विधेयक की अवधि एक वर्ष के लिये बढ़ा दी जाती है। यदि आवश्यक हो यह अवधि तीन वर्षों के लिये बढ़ाई जा सकती है।

कुछ समय पूर्व हमें बताया गया था चीन से आने वाले विद्रोही नागा भारत के क्षेत्र में दाखिल नहीं हो पाये है। परन्तु बाद में बताया गया कि वे बर्मा के मार्ग से भारत में आ गये हैं। और बाद में उनके सैनिक नेता को गिरफ्तार किये जाने का समाचार हमारे सामने आया। इसके सम्बन्ध में पूरी पूरी जानकारी दी जानी चाहिये। क्या हमारी प्रतिरक्षा व्यवस्था में कोई त्रुटि है। आज फिर यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि बड़ी संख्या में विद्रोही नागा चीन की ओर से नागालैंड में आ गये हैं। हमारी सुरक्षा सेनाएं क्या कर रही हैं? क्या उन्हें इस प्रकार की घटनाओं के बारे में पता नहीं चलता। कुछ दिन श्री भट्टाचार्य ने नागाओं को उज्जड व्यक्ति कहा था। यह उचित नहीं है। वे लोग बड़े बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति हैं। उनमें बड़ी जागरुकता हैं। नागालैंड के प्रश्न को गृह-कार्य मन्त्रालय को सौंपा जाना चाहिये। मेरे विचार में सरकार की नागालैंड सम्बन्धी नीति ठीक है। इसी का अनुसरण किया जाना चाहिये। विद्रोही नागाओं की स्थिति अब पहले की तरह नहीं है। उनमें फूट पड़ गई है। वहां के लोग अब शान्ति के इच्छुक हैं। यह सरकार की नीति के परिणाम स्वरूप हुआ है। सरकार को सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिये। क्या सरकार इस स्थिति से लाभ उठायेगी और वफादार नागाओं में आत्म-विश्वास उत्पन्न करके उनको सुदृढ़ करेगी ताकि शेष विद्रोही तत्व चीन से सांठ-गांठ न कर सकें। सरकार को वास्तविक स्थिति का ब्यौरा देना चाहिये। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh): I had the opportunity of visiting Nagaland very recently. I do not believe in the contention that Nagas a rebellious people. Most of them are a royal lot. There is no doubt that they have their distinctive culture and traditions. We should allow these people to prosper. We are a democracy. We have got to

be tolerant. The number of hostile Nagas is very small. The number of royal Nagas is very large. The main question is the economic development of Nagaland. It should be given top priority. The Nagas are not our enemies. They want to remain a part of India. They want that their area should be developed. I support this Bill. Nagaland is a frontier state. It should be paid equal attention along with other border states of the country. It is not getting adequate assistance from the Central Government.

श्री रंगा (श्री काकुलम) : यह एक ध्यान देने वाली बात है कि नागा समस्या के बारे में सभी राजनैतिक दलों के विचार एक जैसे हैं। श्री मुकर्जी ने ठीक ही कहा है कि नागालैंड की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। सर्वश्री भट्टाचार्य, समर गुह तथा अन्य लोगों ने नागाओं की प्रशंसा की है क्योंकि उन्होंने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस तथा आजाद हिन्द फौज का समर्थन किया था और भारत के सेनानियों की प्रशंसा भी की थी। मैं भी उनकी प्रशंसा करता हूँ क्योंकि वे देशों की स्वाधीनता में विश्वास रखते हैं। हमने यह गलत समझा था कि नागा लोग हमारी तरह समूचे रूप से स्वाधीन भारत का स्वागत करेंगे। हमने इस बात की ओर कभी कोई ध्यान नहीं दिया कि वे काफी समय से अलग थलग रह रहे हैं। उनकी अपनी सांस्कृतिक परम्परायें हैं। हमारी नासमझी के कारण हमारे से सैनिक अथवा असैनिक स्तर पर कुछ गलतियां हुई हैं। इसीलिये जब हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां गये थे तो उनका उतना स्वागत नहीं किया गया था जितना होना चाहिये था। इन सब बातों के कारण कुछ भ्रम उत्पन्न हो गये थे। अब हमारे सम्बन्धों में सुधार हो गया है और सूझबूझ बढ़ी है। इसके लिये शान्ति आयोग तथा श्री जयप्रकाश नारायण ने सराहनीय कार्य किया है जिसके लिये मैं उनका आभारी हूँ। आखिर यह नागा लोग हैं कौन ? ये लोग भी हमारे ही वंशज हैं। यह एक अलग बात है कि हमारे रहन सहन के ढंग अलग अलग हो गये हैं। हमारी मूल सांस्कृतिक परम्परायें एक ही हैं। उनकी अब भी वही सभ्यता है जो हजारों वर्ष पूर्व हमारी थी। वे अब भी वही पदार्थ खाते हैं जो पहले हमारे ऋषि मुनि खाया करते थे। हम अधिक सभ्य होते गये परन्तु उन्होंने अपनी पुरानी सभ्यता को अब तक नहीं छोड़ा है। हम लोगों ने उनकी जो आकाक्षायें थी उनको नहीं समझा है।

श्री जयपाल सिंह ने आदिवासियों के लिये अच्छा काम किया है। इसके लिये मैं उनकी सराहना करता हूं।

श्री फिजो ने सोचा था कि ब्रिटेन की नागरिकता ग्रहण कर लेने से नागाओं को कोई लाभ होगा परन्तु उनका यह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। श्री फिजो को गलत रास्ते पर डालने के लिये ईसाई धर्म प्रचारक ही जिम्मेदार हैं। मुझे आशा है, जिन नागाओं ने चीन सरकार से सहायता ली है और प्रशिक्षण प्राप्त किया है वे अच्छे नागरिक बन जायेंगे।

नागा समस्या को हल करने के लिए हमें कुछ स्थायी व्यवस्था करनी होगी। केवल पुलिस को कुछ शक्तियां दे देना ही पर्याप्त नहीं होगा। हमें वहां पर सेना भी तैनात करनी होगी क्योंकि इस समय हमें दो ऐसे शत्रुओं का सामना है जो कोई न कोई शरारत करने पर सदा उतारू रहते हैं। वे लोगों को उकसाने का हर प्रयत्न करेंगे और हो सकता है कि कुछ लोग उनकी बातों में आ कर यहां पर कोई शरारत करें। कितनी सेना रखी जाये, उसे क्या शक्तियां दी जायें इत्यादि अलग प्रश्न है जिन पर विपक्षी दल के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया जाना चाहिए।

परन्तु वहाँ पर सेना को अवश्य रखा जाना चाहिये क्योंकि वहां की स्थानीय सरकार उपद्रव फैलाने वाले तत्वों को दबा नहीं सकेगी।

इसका स्वागत है कि वहां पर 90 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया है। स्पष्ट है कि वे लोग शान्ति चाहते हैं और लोकतन्त्रात्मक जीवन बिताना चाहते हैं। इन परिस्थितियों में यह अच्छा होगा कि इस राज्य की समस्याओं का समाधान वैदेशिक कार्य मन्त्रालय की बजाये गृह-कार्य मन्त्रालय द्वारा किया जाये। मैं तो चाहता हूँ कि आदिवासियों के क्षेत्रों के लिये एक अलग मंत्रालय होना चाहिये। यदि भेदभाव न करना हो, तो लोगों की राजनैतिक, आर्थिक तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिये राज्यों के लिये एक अलग मंत्रालय होना चाहिये जैसा कि स्वर्गीय सरदार पटेल के समय होता था।

नागालैंड के लिये एक अलग राज्यपाल नियुक्त किया जाना है। इस बारे में मैं इस सुझाव को मानने के लिये तैयार नहीं हूँ कि केवल किसी नागा को ही राज्यपाल बनाया जाये। मुख्य मँत्रियों के साथ अच्छा बरताव किया जाना चाहिये। केन्द्रीय मंत्रियों तथा मुख्य मंत्रियों के सम्बन्ध बहुत अच्छे होने चाहिये।

कांग्रेस के सदस्य श्री चन्द्रजीत यादव ने आज एक सराहनीय भाषण दिया है। हमारी सेना को जिन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ रहा है, उनको ध्यान में रखते हुए हमें उन पर गर्व है।

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, नागालैंड समस्या बहुत ही जटिल है और इस पर वाद-विवाद करने से सरकार तथा नागालैंड में शासकों को राष्ट्र की भावनाओं का पता लगता है। इस विषय पर पहले भी वादविवाद होता रहा है। परन्तु इस बार जो चर्चा हुई है उसमें एक असर यह है कि इस बार सदस्यों ने सरकार की पहले की तरह कटु आलोचना नहीं की है। स्पष्ट है कि माननीय सदस्यों ने सरकार की नीति का अनुमोदन किया है।

सैनिक कार्यवाही बन्द करने के लिये समझौता होने से पूर्व नागालैंड में हमने बड़ी दृढ़ता से काम किया था। इस में कई लोग मारे गये और वहां पर अन्य लोगों को भी कई वर्ष तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परन्तु इस से समस्या और भी जटिल होती गई। क्योंकि घृणा से घृणा ही उत्पन्न होती है और जितना किसी को दबाया जाये उतनी हिंसा बढ़ती है। इस से हमने यह सबक सीखा कि किसी सेना का तो मुकाबला किया जा सकता है और उसे पराजित किया जा सकता है परन्तु सैनिक तौर पर ऐसे लोगों को नहीं दबाया जा सकता जिनके उच्च आदर्श होते हैं, चाहे वे आदर्श गलत ही क्यों न हों। उन्हें केवल समझा बुझाकर के ही जीता जा सकता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1964 के आस पास हमने अपनी नीति को बदला। तथाकथित कठोर नीति का त्याग कर दिया गया और उन लोगों को समझा बुझाकर सही रास्ते पर लाने की नीति को अपनाया गया। तभी से यही नीति अपनाई जा रही है।

नागालैंड के अधिकाँश लोग शान्तिप्रिय हैं। वे शान्तिपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण ढंग से रहना चाहते हैं। हमारी नीति का मुख्य उद्देश्य यह था कि इन शान्तिप्रिय नागाओं से उन उग्रवादी नागाओं को अलग अलग कर दिया जाये जो इस समस्या को बलप्रयोग द्वारा हल करना चाहते हैं।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई ढंग अपनाये गये । जब भी छिपे नागाओं ने समझौते का उल्लंघन किया तो उनकी इन अवैध गतिविधियों को सेना तथा पुलिस की सहायता से दृढ़ता से रोका गया। इस से वहां के शान्तिप्रिय लोगों को विश्वास हो गया कि उनकी सुरक्षा का पर्याप्त प्रबन्ध है। उन लोगों को समझाया गया कि यह उनके हित में ही है कि वे भारतीय संघ में ही रहे और इस देश के संसाधनों का लाभ उठायें । इस का भी उन लोगों पर समुचित प्रभाव पड़ा। वहाँ पर राज्य सरकार के हाथ भी मजबूत किये गये । जो कुछ भी उन्होने मांगा वह उनको दिया गया और वैसे उन्हें अपना शासन चलाने की पूर्ण स्वतन्त्रता दी गई । इन सभी बातों को देखते हुए मैं यह कह सकता हूँ कि सरकार द्वारा अपनाई गई नीति पूर्णतया सफल रही है । यह कहना तो ठीक नहीं होगा कि नागालैंड की सभी समस्याएं हल हो गई हैं और अब हमें कोई चिन्ता नहीं है । परन्तु अब हमें विश्वास हो गया है कि हम एक ठीक रास्ते पर चल रहे हैं ।

हमारी नीति के कारण विद्रोही नागा अन्य लोगों से अब बिलकुल अलग थलग हो गये हैं । यही नहीं अब उनमें फूट पड़ गई है । सभी नगरों उपनगरों तथा ग्रामों में सामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई है । लोगों को किसी प्रकार का कोई भय नहीं है । वे अपना कारोबार बिना किसी रुकावट से कर रहे हैं । राज्य सरकार के कानूनों की अब समूचे नागालैंड में मानता है । वहां पर हाल ही में हुए शान्तिपूर्ण चुनावों से यह सिद्ध हो गया है कि वहां की स्थिति में अब काफी सुधार हो गया है ।

वादविवाद में भाग लेने वाले प्रायः सभी सदस्यों ने सुझाव दिया है कि नागालैंड का आर्थिक विकास किया जाना चाहिये । यह एक महत्वपूर्ण विषय है । वे लोग हमारे से अलग थलग रहे हैं और उन्होंने आधुनिक सभ्यता का लाभ नहीं उठाया है । इसलिए सरकार उनकी विकास योजनाओं के लिए यथासम्भव पर्याप्त सहायता देती रही है जिससे वहां पर विकास योजनाओं को तुरन्त क्रियान्वित किया जा सके । 1968-69 के बजट में नागालैंड के लिए कुल 23.18 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है जिनमें से भारत सरकार ने 22.15 करोड़ रुपये सहायक अनुदान तथा ऋण के रूप में दिये हैं । यह सहायक-अनुदान 700 रुपये प्रतिव्यक्ति के हिसाब से दिया गया है । इतना अनुदान किसी भी राज्य को नहीं दिया गया है । इस के अतिरिक्त नागालैंड की चौथी योजना के लिये 35 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं । हमारे संसाधन सीमित हैं और हम इस से अधिक धनराशि का आवंटन नहीं कर सकते हैं ।

कृषि के बारे में नागालैंड में कई योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं । चावल के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है । यदि इसी गति से वहां पर कार्य होता रहा तो आशा है कि चावल के मामले में नागालैंड 4, 5 वर्षों में आत्मनिर्भर हो जायेगा ।

शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी विस्तार हुआ है । इस समय लगभग 90,000 बच्चे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं । वहां पर 927 आरम्भिक स्कूल, 146 माध्यमिक स्कूल तथा 33 हाई स्कूल हैं । वहां की कुल जनसंख्या को देखते हुए, मेरे विचार में यह एक बहुत बड़ी सफलता है ।

चिकित्सा के क्षेत्र में वहां पर 11 बड़े अस्पताल, 18 औषधालय, कुष्ठ रोगियों की एक बस्ती, एक मलेरिया विरोधी यूनिट तथा एक बी० सी० जी० का यूनिट है ।

सड़क निर्माण कार्यक्रम को काफी महत्व दिया जाता है क्योंकि जब तक वहां पर सड़कें नहीं होंगी तब तक वहां पर विकास कार्य तेजी से नहीं हो सकेगा । केन्द्रीय सरकार की सहायता

से राज्य सरकार ने वहां पर कई सड़कें बनाई हैं। 1,911 मील लम्बी सड़कें बनाई गई हैं। उक्त सभी कार्यों से यह स्पष्ट है कि नागालैंड का विकास करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है।

नागालैंड का विषय वैदेशिक कार्य मन्त्रालय को इसलिए सौंपा गया था क्योंकि 1960 में नागा नेताओं ने ऐसी मांग की थी और यह समझौते की 16 बातों में से एक बात है। वैसे अब समय आ गया है जब इसे गृह-कार्य मन्त्रालय को सौंप दिया जाना चाहिए। यह ठीक है कि यह विषय वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय के अधीन आता है। परन्तु राज्य सरकार के अन्य राज्य सरकारों की तरह हमारे सभी मन्त्रालयों के साथ सम्बन्ध हैं। वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में तो एक छोटा सा सैल है नागालैंड से सम्बन्धित राजनैतिक, संसदीय तथा अनुदान सम्बन्धी कार्य को करता है। अन्यथा उस राज्य सरकार का अन्य मंत्रालयों के साथ सीधा सम्पर्क है। फिर भी हम इस मामले के बारे में उस राज्य सरकार से बातचीत करेंगे क्योंकि उनकी सलाह के बिना वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने सुझाव दिया है कि नागालैंड में सेना को पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि सुरक्षा दल पर किसी किस्म का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अवैध गतिविधियों को रोकने के सम्बन्ध में उन्हें पूरी स्वतन्त्रता है और वे कार्यवाही करते हैं। यह गलत है कि वे कुछ नहीं करते हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री का यह कथन बिल्कुल गलत है कि चूंकि हम राष्ट्रवादी नागाओं की सुरक्षा करने में असफल रहे है इसलिये वे उग्रवादियों के साथ मिलते जा रहे हैं। वास्तव में स्थिति इस के विपरीत है। राष्ट्रवादी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और विद्रोहियों की संख्या उत्तरोत्तर कम होती जा रही है।

जहां तक छिपे नागाओं के साथ बातचीत करने का सम्बन्ध है हम यह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सिद्धान्त रूप से तो हम किसी से भी बातचीत करने के लिये तैयार हैं, बशर्ते कि उससे समस्या को हल किया जा सकता हो। परन्तु छिपे नागाओं के साथ तब तक बातचीत नहीं की जायेगी जब तक वे भारत से अलग होने की मांग को त्याग नहीं देंगे।

श्री स्वैल ने कुछ बुनियादी बातें उठाई हैं। वे जानना चाहते थे कि पर्याप्त उपाय किये जाने के बावजूद चीन द्वारा प्रशिक्षित नागा विद्रोही वापस कैसे आ गये हैं। इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उनको नागालैंड में प्रवेश करने से रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किये गये थे। परन्तु चूंकि उस क्षेत्र में बड़े बड़े वन हैं, इसलिए छोटी छोटी टोलियां बना कर कुछ नागा वहाँ से बच कर नागालैंड में घुस आये हैं क्योंकि ऐसे क्षेत्र में प्रत्येक गज पर एक एक सैनिक तैनात करना सम्भव नहीं है। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि सुरक्षा दल द्वारा उन्हें पकड़ने के लिये क्या क्या ढंग अपनाये जाते हैं, उसका ब्यौरा तो केवल प्रतिरक्षा मन्त्रालय ही दे सकता है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि जो लोग बच कर निकल आये हैं उनके बारे में हमें पूरी जानकारी है और हम उन्हें रोकने के लिए हर प्रयत्न कर रहे हैं।

नागालैंड की स्थिति के सम्बन्ध में कुछ कहना अभी संभव नहीं हैं, क्योंकि वहां परिस्थितियां अभी तक स्पष्ट नहीं है। कुछ घटनायें हो रही है, अतः उसके बारे में कोई पूर्वा-

नुमान लगाना ठीक नहीं है। अच्छा यही होगा कि हम प्रतीक्षा करें और देखें कि परिस्थितियां कैसा रूप धारण करती हैं।

यह सच है कि भूमिगत नागाओं में मतभेद हो गया है और तथाकथित उग्रवादी अथवा फिज़ो समर्थक ग्रूप, चीन अथवा पाकिस्तान अथवा किसी भी अन्य स्रोत से सहायता लेकर अशान्ति पैदा करना चाहते हैं। इसके विपरीत झुंगटी ग्रूप शान्तिपूर्ण समझौते के पक्ष में है। हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि झुंगटी ग्रूप के नेता श्री कुघानों सुखाई के रवैये में कोई परिवर्तन हुआ है। परन्तु जैसा कि मैंने कहा है वहां स्थिति अस्पष्ट है और हम उस पर कड़ी नजर रखे हुए है। स्थिति पूर्णतया नियन्त्रण में है और जहां आवश्यकता समझी जाती है, उचित उपाय किये जाते हैं।

श्री रंगा के इन प्रश्नों का उत्तर देना बहुत कठिन है कि वहाँ का प्रस्तावित ढाँचा क्या होगा और कि वहां हमेशा सशस्त्र सेनायें रखी जायेंगी। वह क्षेत्र हमारी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर है, इसलिये वहां हमेशा सशस्त्र सेनाओं को रखना जरुरी है। जहां तक उन सेनाओं के कृत्यों का प्रश्न है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि इस बारे में नीति बनाते समय हम अवश्य माननीय सदस्यों से सलाह लेंगे।

श्री रंगा ने नागालैंड के लिये पृथक राज्यपाल का प्रश्न भी उठाया था। नागा लोग बहुत दिनों से पृथक राज्यपाल की मांग कर रहे हैं; परन्तु विभिन्न कारणों से उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया जा सका है। वहां स्थिति अभी असामान्य है तथा स्थिति के सामान्य होने पर ही इस बात पर विचार किया जा सकता है कि नागालैंड के लिये पृथक राज्यपाल नियुक्त किया जाये अथवा नहीं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि चूंकि इस बार इस विधेयक की कालावधि एक वर्ष की बजाय तीन वर्ष तक बढ़ाई जा रही है इस से पता चलता है कि नागालैंड में स्थिति ठीक नहीं है। यह विचार सही नहीं है। उन्हें निराशावादी नहीं होना चाहिये। वहाँ स्थिति बहुत हमारे नियंत्रण में है। इस विधेयक की अवधि को तीन वर्ष के लिए इसलिये बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा करना प्रशासनिक दृष्टि से सुविधा जनक होगा। दूसरे उग्रवादी तत्वों से हमें नागालैंड में गड़बड़ी किये जाने का खतरा है, इसलिये हम इन शक्तियों को रखना चाहते हैं। परन्तु मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इन स्थिति को उन ही परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जायेगा, जब ऐसा करना बहुत जरूरी होगा। किसी क्षेत्र में इन शक्तियों को नागालैंड के राज्यपाल द्वारा उस क्षेत्र को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित किये जाने के बाद ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। आपात की स्थिति का मुकाबला करने के लिये ही इन शक्तियों का इस्तेमाल किया जायेगा।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं एक शुद्धि करना चाहता हूँ। चर्चा के दौरान नागालैंड में विदेशी धर्म प्रचारकों का उल्लेख किया गया था। मैंने उस समय कहा था कि वहां केवल दो विदेशी धर्म प्रचारक हैं। परन्तु वह सूचना सही नहीं थी। नवीनतम सूचना यह है कि वहां पांच विदेशी धर्म प्रचारक अध्यापक है। वे किसी राजनैतिक गतिविधि में भाग नहीं ले रहे हैं।

अब मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) विनियम, 1958 को अग्रेतर अवधि के लिये जारी रखने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।";

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि कोई संशोधन नहीं है, इसलिये मैं सब खण्डों को एक साथ मतदान के लिए रखता हूँ । प्रश्न यह है :

"खण्ड 1 और 2, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 1 और 2, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 1 and 2, the enacting Formula and the title were added to the Bill

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये "

श्री रंगा (श्री काकुलम) : मेरा अनुरोध है कि गृह-कार्य मंत्री को इस मामले में अपने विचार व्यक्त करने चाहिये । यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है । इसलिए इस वादविवाद का उत्तर मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री द्वारा दिया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब समय नहीं है । प्रश्न यह है "कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या किसी माननीय सदस्य को जो बोलना चाहता है, तृतीय वाचन के समय बोलने का अधिकार नहीं है ? मैं इस समय बोलना चाहता हूँ मैंने पहले कहा था कि मैं बोलना चाहता हूं परन्तु मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी गई । मैं खड़ा रहा । सारी सभा इस बात की गवाह है । तृतीय वाचन के समय बोलने का मेरा अधिकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी माननीय सदस्य को जो बोलना चाहते हैं अवहेलना नहीं करना चाहता, परन्तु समय का अभाव है । उन्हें इस बात को महसूस करना चाहिए । अब हम अगला विधेयक लेते हैं ।

संविधान (बाईसवां संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (TWENTY SECOND AMENDMENT) BILL

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रुप में विचार किया जाये ।"

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है इस विधेयक के प्रारूप से यह प्रतीत होता है कि हम समस्त संविधान का निराकरण करना चाहते हैं। यह एक बहुत गम्भीर मामला है तथा हमें इस बात का निर्णय करना है कि क्या इस सभा को संविधान का निराकरण करने की शक्ति है ? कृपया विधेयक के खण्ड 2 और 3 को देखिये । खण्ड 2 का उप खण्ड (3) इस प्रकार है :

"(3) यथापूर्वोक्त विधि का, कोई संशोधन, जहां तक कि वह संशोधन खण्ड (2) के उप खण्ड (क) या उप खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट विषय में से किसी के सम्बन्ध में हो, तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक वह संशोधन संसद के हर एक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून द्वारा पारित न कर दिया जाये।"

फिर उपखण्ड (4) इस प्रकार है :—

"(4) ऐसी कोई विधि, जैसी इस अनुच्छेद में निर्दिष्ट है, अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान में संशोधन नहीं समझी जायेगी, भले ही इसमें ऐसा कोई उपबन्ध हो जो इस संविधान को संशोधित करता हो या जिस का प्रभाव इस संविधान को संशोधित करने का हो।"

इस उप खण्ड की अन्तिम दो पंक्तियां बहुत महत्व पूर्ण है। प्रश्न यह है कि क्या संसद को किसी अन्य तरीके से संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त करने का अधिकार है अथवा वह किसी ऐसे संशोधन द्वारा संविधान ने संशोधन कर सकती है जो संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध हो। इसका अर्थ संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन करना हुआ जबकि उक्त अनुच्छेद के अनुसार उस अनुच्छेद के भाग (क) से (ड़) में उपबन्धित उपबन्धों का संशोधन जब ही किया जा सकेगा जब कि मम से कम आधे राज्यों विशान मण्डल उसका अनुसमर्थन करें। इस लिए यह सभा केवल नाम बदल कर यह संशोधन नहीं कर सकती है। संविधान में संशोधन, संविधान का संशोधन ही होता है और हम यह कह कर कोई कानून नहीं बना सकते हैं कि इस कानून को संविधान में संशोधन न समझा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपनी सूचनार्थ एक बात जानना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि आप का आशय यह हैं कि संविधान में संशोधन होते हुए भी इसे संशोधन नहीं समझा जायेगा।

श्री श्रीनिवास मिश्र : जी हां। मैं समझता हूं कि जब तक गोलकनाथ के मामले में दिया गया निर्णय प्रभावी है तथा जब तक श्री नाथ पाई के विधेयक का पारित नहीं किया जाता है, तब तक इस विधेयक को पारित करने की शक्ति संसद् के पास नहीं है। आप जो शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उसका मूल भूत अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा। संसद् को मूल भूत अधिकारों को प्रभावित करने का कोई अधिकार नहीं है।

इस के अतिरिक्त एक बात और है। आसाम के आदिम जातीय क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था षष्ठ अनुसूची के अनुसार होती है। षष्ठ अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 21 इस प्रकार हैं :—"

(1) संसद् समय-समय पर विधि द्वारा जोड़, परिवर्तन या निरसन करके इस अनुसूची के उपबन्धों में किसी का संशोधन कर सकेगी, तथा जब अनुसूची इस प्रकार संशोधित की जाये, तब इस संविधान में इस अनुसूची के प्रति कोई निर्देश इस प्रकार संशोधित अनुसूची के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

(2) कोई ऐसी विधि जो इस कंडिका की उपकंडिका (1) में वर्णित है इस संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जायेगी।

परन्तु इस विधेयक में कहा गया है कि संविधान में किसी बात के होते हुये भी ऐसी कोई विधि, जैसी इस अनुच्छेद में निर्दिष्ट है, अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिये इस संविधान में संशोधन नहीं समझी जायेगी, भले ही उस में कोई ऐसा उपलब्ध हो जो इस संविधान को संशोधित करता हो या जिस का प्रभाव इस संविधान में संशोधन करने का हो। अतः यह असंगत बात है, क्योंकि प्रविष्टि 21 में संविधान में संशोधन करने का उल्लेख नहीं है, उसमें तो केवल अनुसूची में संशोधन करने का उल्लेख है। अतः यह विधेयक असंवैधानिक है।

इस विधेयक को संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये था, परन्तु इसे गलती से भाग 10 के अन्तर्गत लाया गया है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक को भाग 10 के अन्तर्गत इस लिये लाया गया है, क्योंकि यदि इसे संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद के अन्तर्गत लाया जाता तो इस के लिए सम्बन्धित राज्य के अनुसमर्थक और पूर्व सहमति की आवश्यकता होती। अनुच्छेद 244 का उल्लेख कर के पूर्व सहमति से छुटकारा पाने का प्रयत्न किया गया है। मैं मानता हूँ कि यह अनुच्छेद 244 से कुछ संगत है, परन्तु अनुच्छेद 3 से यह अधिक संगत है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस विधेयक पर आगे चर्चा करने से पहले इन बातों का स्पष्टीकरण किया जाये।

श्री स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मेरा निवेदन है कि इस विधेयक से संविधान का निराकरण नहीं होता है और श्री मिश्र ने जो कुछ कहा है, वह सही नहीं है। मैं आप का ध्यान भाग 1 तथा कुछ अन्य उपबन्धों की ओर दिलाता हूँ। अनुच्छेद 3 में संसद को कोई नया राज्य बनाने किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाने तथा किसी राज्य का क्षेत्र घटाने और इसी प्रकार की अन्य कार्यवाइयाँ करने के लिये विधि बनाने की शक्ति दी गई है।

अनुच्छेद 4 (2) इस प्रकार हैं :—

"पूर्वोक्त प्रकार की ऐसी कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जायेगी।"

यह एक संविधान का उपबन्ध है तथा इस का अर्थ अनुच्छेद 368 का निराकरण करना नहीं है। अतः इस उपबन्ध को देखते हुए संसद् को ऐसी विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। मेरा निवेदन यह है कि ज्यूंही इस विधेयक को पारित करके संविधान का संशोधन किया जायेगा, उस समय यह विधेयक संविधान का अंग बन जायेगा। अतः जैसा कि श्री मिश्र ने कहा है इस विधेयक की धारा 2 की उपधारा (4) से संविधान के अनुच्छेद 368 का निराकरण नहीं होता है। इस विधेयक में कोई असंगत उपबन्ध नहीं है और यह पूर्णतया संवैधानिक है।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : मैं आप का ध्यान नियम 74 की ओर दिलाना चाहता हूँ जो विधेयक के पुरःस्थापन के बाद के प्रस्ताव से सम्बन्धित है। मेरे माननीय मित्र ने नियम 72 जो कि विधेयक को पुरःस्थापित करने के प्रस्ताव से सम्बन्धित है, के अन्तर्गत मामला उठाया था। अतः यह प्रक्रिया का प्रश्न है। चूंकि इस विधेयक को पहले ही पुरःस्थापित किया जा चुका है, इसलिये यदि इस की वैधता को चुनौती देनी थी तो इसे पुरःस्थापित करते समय दी जानी चाहिये थी। इस समय इसकी वैधता को चुनौती देना ठीक नहीं है।

षष्ठ अनुसूची के भाग (ख) की कंडिका 21 (2) इस प्रकार है :—

"कोई ऐसी विधि जो कंडिका की उप कंडिका (1) में वर्णित है इस संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिये इस संविधान में संशोधन नहीं समझी जायेगी।"

विधेयक में केवल इसी उपबन्ध की नकल की गई है और इससे अधिक कुछ नहीं कहा गया है। अत: यह विधेयक संविधान के अनुकूल है।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Sir, my submission is that this Bill has been brought to abrogate the Constitution. I Want to draw your attention to clause 2 (4) which as follows :—

"Any such law as is referred to in this article shall not be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of article 368 not withstanding that it contains any provision which amends or has the effect of amending this Constitution."

Now this statement is self-contradictory. If this bill is passed, it will form a part of the Constitution itself. In that case how the consequential changes will be effected in the Constitution ? Will those be effected according to Article 368 ? But at the same time it has been said, "Any such law as is referred to in this article shall not be deemed to be an amendment of this Constitution."

Secondly the fact is that an amendment is being made in Article 368. Under the provisions of the said Article an amendment is required to be ratified by not less than half of the states. So it would have better if this provision would have been complied with before bringing this amendment other wise it is abvious that a clever attempt is being made to abrogate the Constitution.

श्री वि० ना० शास्त्री (लखीमपुर) : मैं आप का ध्यान अनुच्छेद 239 क (2) की ओर दिलाना चाहता हूँ, जिस में स्पष्टतया यह कहा गया है" कोई ऐसी विधि जो खण्ड (1) में वर्णित है इस संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिये इस संविधान में संशोधन नहीं समझी जायेगी, भले ही इस में ऐसा कोई उपबन्ध हो जो इस संविधान का संशोधन करता हो या जिस का प्रभाव इस संविधान को संशोधित करने का हो।"

अत: यह उपबन्ध सविधान में ही शामिल है और इसी को इस विधेयक में जोड़ा गया है। इसलिए इस विधेयक में कोई असंवैधानिक बात नहीं है।

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चौहान) : मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता संयुक्त समिति में माननीय सदस्यों द्वारा साक्ष्य देते समय महाधिवक्ता के समक्ष बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न उठाये थे, जैसे कि इस समय उठाये गये हैं। संयुक्त समिति में श्री चन्द्रशेखर ने बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न उठाया था जैसा कि इस समय श्री श्रीनिवास मिश्र द्वारा उठाया गया है। उस समय यह कहा गया था कि इस विधेयक के पारित होते ही यह संविधान का अंग बन जायेगा

और संविधान का अंग बनते ही यह मामला समाप्त हो जायेगा। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूँ कि संविधान द्वारा संसद् को कुछ अन्य मामलों में भी ऐसी शक्तियां दी गई है जिन्हें प्रथम दृष्टया संविधान में संशोधन समझा जा सकता है।

Shri Shiva Chandra Jha : They are amending Article 368.

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई तर्क सुनने को तैयार नहीं हूं। यह निर्णय करना कि यह संवैधानिक है अथवा असंवैधानिक न्यायालयों का काम है न कि अध्यक्ष पीठ का। गोलक नाथ का मामला जिस का उल्लेख किया गया है मूल भूत अधिकारों से सम्बन्धित है। इस समय मूल भूत अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा रहा है।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि एक नया राज्य बनाया जा रहा है अथवा पुराने राज्य को विभाजित किया जा रहा है और उसे पुनः बांटा जा रहा है, कई बार ऐसा किया जा चुका है मैं इस बारे में कोई राय व्यक्त नहीं कर रहा हूँ कि कानूनी तौर पर यह सही है अथवा नहीं, क्योंकि यह निर्णय करना तो न्यायालयों का काम है। संयुक्त समिति में भी इस मामले को उठाया गया था तथा इसके कानूनी पहलुओं पर विचार किया गया था। मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि इस विधेयक को पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले भी हम ऐसे कई विधेयक पारित कर चुके हैं जिनके द्वारा नये राज्य बनाये गये हैं अथवा राज्यों के क्षेत्रों को कम किया गया हैं। इसलिए हम इस विधेयक पर आगे विचार कर सकते हैं। माननीय सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। हम उन पर विचार करेंगे।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : संयुक्त समिति में इस विधेयक के उपबन्धों पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया गया था। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि संयुक्त समिति में केवल दो संशोधन स्वीकार किये गये थे, जिनमें से एक संशोधन तो बिल्कुल औपचारिक था, जो कि अधिनियम सूत्र से सम्बन्धित था और दूसरा संशोधन राज्य विधान सभा की प्रस्तावित प्रादेशिक समितियों से सम्बन्धित था। उस संशोशन के द्वारा उस निकाय को विधान सभा के नियमों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि किन-किन परिस्थितियों में विधान सभा के नियमों में संशोधन किया जा सकेगा।

यद्यपि संयुक्त समिति में केवल दो संशोधनों को स्वीकार किया गया था तथापि इसका यह अर्थ नहीं है कि संयुक्त समिति इस विधेयक के उद्देश्यों के बारे में एक मत थी। यदि आप संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को देखें तो आपको ज्ञात होगा कि उसके साथ बहुत से विमति टिप्पण जोड़े गये हैं। मैं केवल उन विमति टिप्पणों के सारांश का उल्लेख करना चाहता हूँ।

श्री हेम बरुआ ने अपने विमति टिप्पण में कहा है वर्तमान आसाम राज्य के पुनर्गठन में विघटन के बीज विद्यमान हैं और इससे न केवल आसाम बल्कि सारे देश में विघटनकारी शक्तियां अपना सिर उठायेंगी। उन्होंने अपने विमति टिप्पण में यह भी कहा है कि इस प्रस्ताव के द्वारा एक संघ में संघ बनाया जा रहा है।

दूसरा मत जन संघ के माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किया गया है। उनका मत भी

श्री हेम बरुआ के मत से लगभग मिलता-जुलता है। उन लोगों का कहना है कि इस प्रकार का स्वायत शासी राज्य बनाने की बजाय प्रत्येक जिला परिषद् को संघ राज्य क्षेत्र समझना अच्छा होगा।

श्री नम्बियार ने यह मत व्यक्त किया है कि एक स्वायत शासी राज्य बनाना काफी नहीं है। उनका विचार है कि उन क्षेत्रों को पूरे राज्य का दर्जा लेना अधिक अच्छा होगा।

इन तीनों प्रकार के मतों की अभिव्यक्ति कोई नई बात नहीं है। जब जब हमने इस प्रश्न पर पहाड़ी क्षेत्रों के नेताओं अथवा आसाम के नेताओं अथवा विभिन्न दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया है, तब तब यही विचार व्यक्त किये गए हैं। उन विशेष क्षेत्रों के लोगों की कुछ विशेष महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यह विशेष उपाय किए जा रहे हैं। हम उनके साथ विशेष व्यवहार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए अन्य क्षेत्रों के साथ इस मामले की तुलना करना सही नहीं है। स्वयं संविधान में यह निदेश दिया गया है कि इन क्षेत्रों को विशेष क्षेत्र समझा जाना चाहिए उन क्षेत्रों की समस्याओं को विशेष समस्याएं समझा जाना चाहिए तथा वहां के लोगों को कुछ विशेष विशेषाधिकार दिये जाने चाहियें।

जहाँ तक इस समस्या के इतिहास का सम्बन्ध है गत एक दशक में इस समस्या पर विभिन्न नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया गया है तथा इस समस्या का निबटारा करने के लिये एक बार प्रधान मन्त्री द्वारा सिद्धांत रूप में इस बात को स्वीकार किया गया था कि आसाम राज्य के अन्तर्गत क्षेत्रों को पूर्ण स्वायत्तता दी जाये। इस समय केवल उस सिद्धाँत को ही क्रियान्वित किया जा रहा है। अतः यह आलोचना कि स्वायतशासी राज्य बनाना एक खतरनाक बात होगी उचित नहीं है। मैं स्वयं इस बात को महसूस करता हूँ कि यदि उन्हें पूरे राज्य का दर्जा दिया जाता है तो देश में पृथक्वाद की एक और लहर चल पड़ती। इसीलिये हमने पहाड़ी नेताओं से यह अनुरोध किया गया है कि वह स्वायतशास्त्री राज्य की बात स्वीकार करें और मुझे खुशी है है कि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। इस समस्या के और भी पहलू हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इस क्षेत्र का एक विशेष महत्व है। जन संघ के माननीय सदस्यों ने अपने विमति टिप्पण में इस बात पर ज़ोर दिया है कि इस समस्या को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस बारे में एक प्रतिरक्षा-प्रधान आयोग द्वारा विचार किया जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि न केवल इन क्षेत्रों पर अपितु हम सारी पूर्वी सीमा पर प्रतिरक्षा की दृष्टि से विचार करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से ही हमने विभिन्न परस्पर विरोधी दृष्टि कोणों के होते हुए एक सर्वमान्य हल निकालने का प्रयत्न किया है और अन्त में यह हल निकाल लिया गया है। मैं माननीय सदन से अनुरोध करता हूँ कि इस विधेयक को संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में सर्व सम्मति से स्वीकार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ '' कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्ति समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये ''

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : Sir, I appreciate the views expressed on behalf of the Government but the same time I want to submit that not only the Government, but the framers of our Constitution wanted to give some special rights to the people of NEFA and the hilly districts of Assam. That is the verious why special provisions for the administration of tribal areas in the State of Assam had been in corporated in the

Sixth Schedule of the Constitution. But it is unfortunate that those provisions have not been implemented by Government. The present undesirable situation is the result of non-implementation of those provisions.

Even the framers of our Constitution had admitted that NEFA is a sensitive area from defence points of view. Our Government also admits this fact. But the Government had done nothing to improve the condition of those hilly people. The foreign powers has taken advantage of the backwardness and poverty of the hilly people. The situation there had been deteriorated by the foreign missionaries and foreign agents. They have exploited the poverty and backwardness of those people. The people of the hills areas were with us and they never wanted separation from India. But they had been instigated by certain foreign vested interests. I have expressed these very views in the Select Committee also. If an attempt wo ld have been made by the Government to improve their condition the present situation would not have been three at all. It is a result of the restlessness among the Nagas, due to their poverty and backwardness, otherwise the Nagas were with us under the leadership of Rani Gaidalow, when we were fighting against the Britishers. But now the situation has completely changed. The people of Manipur want independance. The people of Tripura want full state wood and the people of each autonomous district Council want separate state from themselves.

When the question of ferming a separate state for Nagaland was considered here, the Jan Sangh Party opposed that proposal and suggested that a high power Commission should be appointed to examine situation of all hilly areas from the defence point of view. But the Government did not agree to the suggestion put forward by Jan Sangh. The result was, as anticipated by Jan Sangh, that the creation of Nagaland state could not solve this problem, but on the other hand it made it more complicated as the other people of hilly areas also wanted to have separate states.

The Home Minister has said that the present Bill is the result of great deal of labour. But the question to be considered is whether the present Bill will solve the problems of bringing peace in that area. The A.H.P.L.C. which has accepted the Government Seheme have said that they have accepted it partially for trial, whereas the Hill State Democratic peoples Party have rejected this scheme and demanded the full pledged State for hill people. This shows that the scheme will not end the trouble in the hilly areas and on the other hand it will give rise to more demands for autonomy. The people of Mikir hills have given a memorandum which clearly shows that this scheme will not end the trouble these but on the other hand it will give rise to more demands. The memorandum presented by the Mikir Hills District Council reads, "We deem it fair that similar status of administrative arrangements proposed for Khasi-Jaintia Hills as appear in the lastes proposals he extended in the Mikir and North Cochar Hills. It is more a question of recognising the district political entity of our tribes and it is not a more question of joining or not joining the proposed state of Meghalaya".

In this support of their Bill it has been argued that the Bill is intended to satisfy the political aspirations of the hill people. I agree that their political aspirations should be satisfied, but the question is whether this scheme will satisfy their political aspirations : In this connection the main question which we have to consider is whether all the hill people have collective aspirations. The fact is that different communities of the hill areas want to preserve their district identities. The Government have tried to bring them together by pressure to which they are not going to yield. Therefore the present scheme will not provide a permanent solution of the problem. Apart from this there is a problem of minorities in the hill areas. The minority communities like the Nepalies are living there. They want that same protection should be given to them, A memorandum to this effect was also submitted by them to the Select Committee.

The creation of hill state will also give rise to certain administrative problems in connection of the appointment of high officials in the hill state. Then there will be difficulties with regard to the distribution of revenues between Assam and the hill state. All

the industrial and development has been in the plains of Assam and naturally there will be more revenues from the plains and the people of the plains will not like that their revenue should be spent in the hilly areas, because now they are sure that one day the hilly areas will be a separate state. So this scheme will give rise to more problems than those which will be solved by it.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

*फर्मों को पंजीयन प्रमाण पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस देना

GRANT OF REGISTRATION CERTIFICATES AND INDUSTRIAL LICENCES TO FIRMS

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में आधे घण्टे की चर्चा उठाई जायेगी।

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : महोदय आपने मुझे यह महत्वपूर्ण मामला उठाने का अवसर दिया है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। इस चर्चा का उद्देश्य पंजीयन-प्रमाण पत्र और औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति का पुनर्विलोकन करना तथा उसके फलस्वरूप देश के औद्योगिक उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करना है।

जैसा कि आप सबको ज्ञात है लाइसेंस प्रणाली कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने अर्थात देश के औद्योगिक संशोधनों का योजना की प्राथमिकताओं के अनुसार उपयोग करने, योजना की सफल क्रियान्वित को सुनिश्चित करने, विकास को बढ़ावा देने, आद्योगिक विकास में प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने, आर्थिक शक्ति के कुछ ही हाथों में केन्द्रित होने को रोकने तथा कम से कम समय में अधिकाधिक प्रगति प्राप्त करने के लिए आरम्भ की गई थी। इसमें कोई सन्देह नहीं किए उद्देश्य बहुत अच्छे हैं। परन्तु हमें देखना यह है कि इन्हें प्राप्त करने में कहां तक सफलता मिली है यदि हम मन्त्रालय के प्रतिवेदन को देखते हैं तो हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस उद्देश्यों को प्राप्त करने में हमें काफी सफलता मिली है।

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए]

[**Shri Vasudevan Nair** in the Chair]

परन्तु अब हमें यह देखना है कि क्या इस नीति के आरम्भ किये जाने के बाद हम अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सके हैं अथवा नहीं वास्तविकता यह है कि हम अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में असफल रहे हैं। सरकार भी इस बात को स्वीकार करती है। स्वयं सरकार द्वारा इस नीति के उद्देश्यों की सफलता की जांच करने के लिए पहले सनथानम समिति नियुक्ति की गई, फिर लोक नाथन् समिति और फिर माथुर समिति और तीनों समितियों ने अपने प्रतिवेदन पेश कर दिये हैं। अब आद्योगिक लाइसेंस नीति जाँच समिति नामक एक और समिति नियुक्त की गई है तथा आगामी वर्ष के आरम्भ तक उसका प्रतिवेदन प्राप्त होने की आशा है इस तथ्य से इस मामले की जाँच करने के लिए चार समितियां नियुक्त की जा चुकी है यह सिद्ध होता है कि सरकार स्वयं यह महसूस करती है कि औद्योगिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका है।

औद्योगिक लाइसेंस देने से पहले किसी परियोजना के विभिन्न पक्षों अर्थात् उसके कुल पूंजी नियोजन, स्थापना के स्थान, विदेशी मुद्रा की उपलब्धता, मशीनों तथा श्रमिकों की उपलब्धता, कच्चे

*आधे घन्टे की चर्चा

*Half-An-Hour Discussion.

माल की उपलब्धता, तैयार माल की माँग इत्यादि की विभिन्न सरकारी अधिकरणों द्वारा जांच की जाती है और उसके बाद ही लाइसेंस दिया जाता है। जाँच के नियम सरकारी क्षेत्र के उद्योगों पर भी लागू हैं। परन्तु हम देखते हैं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम घाटे में चल रहे हैं, क्योंकि उत्पादन आरम्भ होने के बाद देखा जाता है कि उनके उत्पादों की मांग नहीं है। इसलिये वे पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर सकते हैं और उनमें क्षमता बेकार पड़ी रहती है। इसके परिणामस्वरूप घाटा होना निश्चित है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि लाइसेंस देने से पहले लाइसेंस देने वाले आधिकारियों द्वारा जो जांच की जाती है उससे सरकारी क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र को कोई सहायता नहीं मिली है।

अब कहा जा रहा है कि बेकार पड़ी क्षमता का उपयोग करने के लिए उत्पादन का विविधीकरण किया जायेगा। लगभग एक वर्ष से कहा जा रहा है कि विविधीकरण किया जायेगा, परन्तु यह ज्ञात नहीं है कि विविधीकरण कब किया जायेगा। इस समय हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में क्षमता बेकार पड़ी है, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में क्षमता बेकार पड़ी है, माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन में क्षमता बेकार पड़ी है, हैवी इलेक्ट्रिकल (इंडिया) लिमिटेड में क्षमता बेकार पड़ी है तथा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स मिमिटेड में क्षमता बेकार पड़ी है। इसके अतिरिक्त उद्योगों की स्थापना बड़े-बड़े नगरों के आसपास की गई है और छोटे-छोटे नगरों तथा ग्रामों की अवहेलना की गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि सरकार की नीति असफल रही है।

जहाँ तक आर्थिक शक्ति के कुछ हाथों में केन्द्रित होने का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ ही व्यक्तियों को लाइसेंस दिये गये हैं और छोटे उद्यमियों को लाइसेंस नहीं दिये गये हैं। एकाधिकार जांच आयोग ने भी कहा है कि कुछ ही हाथों में आर्थिक शक्ति केन्द्रित हो गई है। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि लाईसेंस प्राप्त करने के लिये उद्यमियों के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वे लाइसेंस प्राप्त करने के लिये अत्याधिक मात्रा में धन खर्च करें, दिल्ली में शानदार कार्यालय स्थापित करें, भारी वेतन देकर "सम्पर्क-व्यक्ति" रखें बड़ी-बड़ी पार्टियां दें इत्यादि-इत्यादि। एकाधिकार आयोग ने राय व्यक्त की है कि बहुत से व्यक्तियों ने उद्योग स्थापित करने का विचार छोड़ दिया है और आर्थिक शक्ति कुछ हाथों में केन्द्रित हो गई है।

स्थिति यह है कि एक ओर तो क्षमता बेकार पड़ी है और दूसरी ओर कमी है तथा विशेष इस्पात संयंत्र, मशीनों, पुर्जों, बिजली के सामान, ट्रेक्टरों, अलौह धातुओं और उर्वरकों इत्यादि के आयात पर भारी मात्रा में धन खर्च किया जाता है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें।

श्री एस० आर० दामानी : मैं उर्वरकों के बारे में कुछ शब्द और कहना चाहता हूँ। गत वर्ष हमने 187 करोड़ रुपये के उर्वरकों का आयात किया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 8 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उत्पादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, परन्तु केवल 5 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का उत्पादन किया जा सका है। चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये 37 लाख मीट्रिक टन उर्वरक के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, परन्तु केवल 23 लाख टन उर्वरक के लिये लाइसेंस दिये गये हैं। अतः हमें भारी सन्देह है कि हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। अलौह-धातुओं की भी यही स्थिति है। उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिये लाइसेंस देने के बारे में कोई

गम्भीर प्रयत्न नहीं किया गया है। ऐल्यूमिनियम, ताँबे तथा जिंक का भी भारी मात्रा में आयात किया जा रहा है और काफी धन खर्च किया जा रहा है। इन सबका कारण यह है कि लाइसेंस देने में विलम्ब होता है।

अन्त में मैं कहना चाहता हूँ कि केवल लाइसेंस देने से ही समस्या हल नहीं हो जाती। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये। लाइसेंस प्राप्तकर्ता के पास पूंजी है और भूमि है तथा कच्चा माल उपलब्ध है ताकि तुरन्त उत्पादन आरम्भ किया जा सके।

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा सम्वाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : महोदय, यह मामला इसलिये उठाया गया है, क्योंकि अनुसूचित उद्योगों के लिये लाइसेंस देने की जिस नीति के हम पालन कर रहे हैं, उस पर उठाये गये प्रश्न पर सभा में कुछ सन्देह व्यक्त किये गये थे। जैसा कि सभा को ज्ञात है उद्योग (विकास और विनियन) अधिनियम के अन्तर्गत सब अनुसूचित उद्योगों के लिये लाइसेंस लेना जरूरी होता है। परन्तु समय समय पर पक्रिया में कुछ परिवर्तन किये गये हैं और नियमों में ढील दी गई है। अब उन सब उद्योगों को जिनकी क्षमता 25 लाख से अधिक है लाइसेंस लेने की जरूरत है अथवा उन उद्योगों को लाइसेंस लेने होंगे जो अपना विस्तार 25 प्रतिशत से अधिक करते हैं अथवा कोई नई वस्तु बनाते हैं, और यदि उन्हें ऐसा करने के लिये पूंजी विनियोजन और कच्चे माल के लिये विदेशी मुद्रा की जरूरत है।

हमने हाल में प्रक्रिया में यह भी ढील दी है कि उन उद्योगों के लिये जो देशी सामान से ही स्थापित किये जा सकते हैं, लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब 40 प्रकार के उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। योजना आयोग ने भी हाल में इस प्रश्न पर विचार किया है और सुझाव दिया है कि उन उद्योगों के लिये जो देशी सामान से स्थापित किये जा सकते हैं तथा जिन में विदेशी मुद्रा की जरूरत नहीं है लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि कुछ प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के लिये भी जिनमें मामूली विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिये। जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है लाइसेंस देने के समूचे प्रश्न पर दत्त समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। हमें आशा है कि उसका प्रतिवेदन शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगा। समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने से पहले हम योजना आयोग से सुझावों पर निर्णय लेना उचित नहीं समझते हैं। अतः समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समिति की सिफारिशों और योजना आयोग के सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस समूचे मामले पर निर्णय किया जायेगा और यदि आवश्यक समझा गया तो लाइसेंस देने की प्रक्रिया को और सुचारू बनाया जायेगा और इसमें और ढील दी जायेगी।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा वर्णित चार अथवा पांच उद्देश्यों का सम्बन्ध है, हम उन्हें सदा ध्यान में रखते हैं। लक्ष्य योजना आयोग द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा उन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए जब कोई व्यक्ति अथवा कम्पनी लाइसेंस प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र देती है तो लाइसेंस समिति द्वारा उसकी जाँच की जाती है। जांच का आधार यह होता है कि मांग को देखते हुए तथा निर्धारित लक्ष्य को देखते हुए क्या कोई नया उद्योग स्थापित करना संभव होगा और इसी आधार पर लाइसेंस दिये जाते हैं। मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि चूंकि योजना आयोग द्वारा गलत लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं तथा मांगों के बारे में गलत अनुमान लगाये गये हैं, इसलिए सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में क्षमता बेकार पड़ी है। इसका कारण यह

है कि हो सकता है कि योजना आयोग को अथवा लक्ष्य निर्धारित करने वाले अधिकारियों को उस समय उन परिस्थितियों की जानकारी न हो, जिन के कारण देश में मांग में कमी हुई है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन तथा हैवी इलैक्ट्रिकल्स का उल्लेख किया गया है। इनमें क्षमता के बेकार पड़े रहने का कारण मांग की कमी होना हैं। हम इनमें बनाये जाने वाली वस्तुओं के निर्यात का प्रयत्न कर रहे हैं। मशीन टूल कारखाना में क्षमता के बेकार पड़े रहने का कारण मंदी के कारण मांग का घट जाना है। हमने इस कारखाने में बनने वाले सामान का निर्यात आरम्भ कर दिया है और गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक सामान का निर्यात किया गया है। हम निर्यात को बढ़ाने का हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं फिर भी जब तक देश की आन्तरिक मांग नहीं बढ़ती है, तब तक बेकार क्षमता को दूर करना संभव नहीं है, क्योंकि इन कारखानों की स्थापना आन्तरिक माँग के आधार पर की गई थी।

प्रादेशिक असन्तुलन का प्रश्न भी उठाया गया था। हम ने इस प्रश्न को संकीर्ण अथवा प्रादेशिक भावना से नहीं देखना है। हमने इस प्रश्न पर तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टि और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर विचार करना है। कुछ क्षेत्रों में तकनीकी तथा आर्थिक कारणों से भारी उद्योग स्थापित किये गये हैं।

जहां तक लाइसेंस समिति का सम्बन्ध है, मेरे माननीय मित्र ने कहा कि वर्ष 1967 तथा 1968 में निबटाये गये आवेदन पत्रों को देखते हुए समिति के कार्य को बिल्कुल संतोषजनक कहा जा सकता है। मैं इस प्रश्न की जांच करता रहा हूं। हमारा प्रयत्न यह होता है कि प्रत्येक आवेदन पत्र को तीन महीने के अन्दर निबटाया जाये। पहले हम ने एक समिति नियुक्त की थी जिसने यह अनुमान लगाया था कि एक आवेदन के निबटाने पर औसतन 165 दिन लगते हैं। हाल में एक अन्य समिति नियुक्त की गई थी और उसने यह अनुमान लगाया है कि एक आवेदन पत्र के निबटारे में अब लाइसेंस समिति को औसतन 140 दिन लगते हैं तथा मंत्रालय को 90 अथवा 95 दिन लगते हैं। मैं आवेदन पत्रों का और शीघ्र निबटारा करने का प्रयत्न कर रहा हूँ।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : मन्त्री महोदय द्वारा राज्य सभा में 24 फरवरी को एक प्रश्न के उत्तर में बताये गये आंकड़ों के अनुसार गत चार वर्षों में अर्थात 1965 से 1968 तक 5,289 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और वर्ष 1968 में 905 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। मन्त्री महोदय ने यह भी बताया था कि गत चार वर्षों में 4,329 आवेदन पत्रों का निबटारा किया गया और 960 आवेदन पत्र अभी अनिर्णीत पड़े हैं, चूंकि वर्ष 1968 में केवल 905 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, इसलिये इससे यह सिद्ध होता है कि या तो वर्ष 1968 में प्राप्त हुए सब आवेदन पत्र अभी तक अनिर्णीत है अथवा इस से पहले वर्षों में प्राप्त हुए आवेदन पत्र भी अनिर्णीत हैं। अतः क्या मन्त्री महोदय इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे ? दूसरे मैं समझता हूँ कि मन्त्री महोदय मेरे इस कथन से सहमत होंगे कि वर्तमान लाइसेंस प्रणाली से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। सत्ताधारी दल इसके द्वारा उद्योगपतियों को अपने इशारे पर नचाता है। गत चुनावों में इस तथ्य की पुष्ट हो गई है। इसके अतिरिक्त लाइसेंस प्रणाली एक ऐसा हथियार है जिससे केन्द्र सरकार राज्य सरकारों पर दबाव डाले हुए हैं। मैसूर के वित्त मन्त्री ने स्पष्ट कहा है कि लाइसेंस प्रणाली जनहित के विरुद्ध है। अतः इन बातों को देखते हुए मैं सुझाव देता हूँ कि लाइसेंस प्रणाली को तुरन्त समाप्त किया जाये।

श्री स० कुण्डू : (बालासौर : मैं मन्त्री महोदय के उत्तर से पूर्णतया असंतुष्ट हूँ। लाइसेंस प्रणाली ने सारे राष्ट्र को भ्रष्ट कर दिया है। बड़े-बड़े उद्योगपति इसका अनुचित लाभ उठा रहे हैं और वे समस्त प्रजातन्त्र को भ्रष्ट कर रहे हैं। अतः लाइसेंस प्रणाली में आमूला परिवर्तन की आवश्यकता है।

मैं मन्त्री महोदय का ध्यान दो बातों की ओर दिलाना चाहता हूँ। प्रश्न यह नहीं है कि लाइसेंस प्राप्त करने के आवेदन पत्रों को शीघ्रता से निबटाया जाय। प्रश्न तो एकाधिकार को समाप्त करने का है। वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत 25 लाख से कम पूंजी के उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। अतः क्या यह सच नहीं है कि देश में केवल पाँच बड़े-बड़े व्यापार गृह 25 लाख रुपये से कम लागत के अनेक उद्योग स्थापित करके और उनमें अपने भाई भतीजों को रोजगार देकर देश की अर्थ व्यवस्था को लूट रहे हैं? आपने इसे समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है?

हजारे समिति के प्रतिवेदन से यह भी पता चलता है कि कुछ बड़े बड़े व्यापार गृह उद्योगों के लिए लाइसेंस ले लेते हैं और फिर वर्षों तक उद्योग स्थापित नहीं करते हैं तथा इस प्रकार अन्य व्यक्तियों का उन उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने का रास्ता रोक देते हैं। इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है? क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि गत दस वर्षों में इन पांच प्रमुख व्यापार गृहों को कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस दिये गये तथा उनके द्वारा कितने उद्योग स्थापित किये गये?

आज समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुए हैं कि औद्योगिक मन्त्री ने प्रधान मंत्री के पुत्र को एक उद्योग का प्रारुप पेश करने को कहा है। प्रधान मन्त्री के पुत्र भारतीय नागरिक तथा वह योजना पेश कर सकते हैं, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु जब योजना की लागत 25 लाख रुपये है तो इसे 5000 रुपये से पूरा कैसे किया जा सकता है? क्या यह मजाक नहीं है? मन्त्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दें।

Shri Yammuna Prasad Mandal (Samastipur) : I want to know whether Government will keep in mind the principles adopted by Congress at Avadi and Bhubaneshwar regarding the grant of registration certificates and industrial licences to firms?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक श्री कुण्डू के इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि कितने व्यापार गृहों को लाइसेंस दिये गये, उन व्यापार गृहों द्वारा कितने उद्योग स्थापित किये गये उन लाइसेंसों में क्या खामियाँ थी, इस समूचे प्रश्न की जांच दत्त समिति द्वारा की जा रही है। समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही हम इस सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे। इससे पूर्व कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है।

श्री तापड़िया का यह आरोप राजनीतिक आधार पर लाइसेंस दिये जाते हैं, पूर्णतया निराधार है। क्योंकि माननीय सदस्य यह जानते हैं कि लाइसेंस देने का निर्णय लाइसेंस समिति की सिफारिश पर किया जाता है। सरकार तो केवल तभी हस्तक्षेप करती है जब कोई निर्णय हमारी मूल नीति के विरुद्ध होता है। अतः मैं उनके इस आरोप का खण्डन करता हूँ।

उनका यह कहना भी गलत है कि 900 मामलों के बारे में अभी तक निर्णय ही नहीं किया गया है। वास्तविकता यह है कि 1967 में 849 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से केवल

42 आवेदन-पत्रों के बारे में निर्णय नहीं किया गया है। 1968 में कुल 905 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 369 को निपटा दिया गया है, 155 आवेदन-पत्रों पर लाइसेंस समिति विचार कर रही है और शेष 381 आवेदन-पत्र अभी अनिर्णीत पड़े हुए हैं। इनमें से अधिकांश आवेदन-पत्र 1968 के अन्त में भेजे गये थे मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इन्हें भी शीघ्र निपटा दिया जायेगा।

जहाँ तक किसी उद्योग गृह को एकाधिकार देने का सम्बन्ध है, लाइसेंस समिति को हिदायतें दी गई हैं कि वह अधिक से अधिक लोगों को लाइसेंस दें। इन सभी बातों का यथा-सम्भव पूरा ध्यान रखा जाता है।

इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार 25 मार्च 1969/4 चैत्र, 1891 शक के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, the 25th March, 1969/4 Chaitra, 1891 (Saka).

आकाशदीप प्रिंटर्स, 20 दरियागंज, दिल्ली-6।

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of [illegible] and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]